राजस्थान विधान सभा को कार्यवाही का वृतान्त

अंक 6] सप्तम् विधान सभा के षष्ठम् सत्र का सोलहवां दिवस [संख्या 12

शुक्रवार

दिनांक 4 मार्च, 1983

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या 262

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न।

गम्भीरी नदी पर बांध का निर्माण

263. श्री जगनसिंह (बयाना) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या भरतपुर जिले में गम्भीरी नदी की भयानक बाढ़ पर नियंत्रण करने हेतु इस नदी पर बांध बनाने की कोई योजना है?

(2) क्या यह सही है कि इस नदी पर पिछले वर्ष बांध बनाने के लिए सर्वे किया गया था? यदि हां, तो किस स्थान पर और अब इस सर्वे पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

(3) इससे कितने गांव प्रभावित होंगे?

राज्य मंत्री. (श्री दिनेश डांगी) :

(1) जी हां।

(2) जी हां।

उक्त योजना बयाना से 10 किलोमीटर दूर महारावल गांव के निकट प्रस्तावित है। सर्वे कार्य चालू है तथा सर्वे पूर्ण होने पर विस्तृत आकलन तैयार किया जावेगा।

(3) बांध के डूब में आने वाले गांवों की सूची प्रपत्र "क" में दर्शाई गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री जगनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, पिछले 4 साल से इस पर सर्वे कार्य चल रहा है और उस क्षेत्र में यह गम्भीरी नदी विनाश लीला करते हुए हर दूसरे साल नुकसान करती है। दो-तीन साल पहले सर्वे हुआ उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि इस नदी के आस-पास छोटे-मोटे बांध बनाये गये हैं ताकि इसका पानी बाहर न जा सके लेकिन जब इसमें पानी काफी ज्यादा आ जाता है तो भरतपुर का क्षेत्र उसकी चोट में आ जाता है । सवाई माधोपुर से यह नदी निकली है, वहां से आते समय यह नुकसान करती है इसलिए इस पर और बांध बनाने की योजना बनाई है । बयाना से 10 किलो-मीटर दूर महारावल गांव के निकट बांध बनाना प्रस्तावित है जिससे 102 क्यूसेक पानी· · · · ·

(व्यवधान)

श्री जगन्नसिंह : मंत्री महोदय, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि उसका सर्वे कार्य पूरा हो चुका है । उसकी रिपोर्ट दिल्ली से स्वीकृत करा कर लाये, जो तत्कालीन मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह थे उन्होंने पूरी कार्यवाही की थी । आज आप कह रहे हैं कि सर्वे कार्य चल रहा है । आपको इसकी जानकारी नहीं है । आप कहते हैं कि छोटे-मोटे बांध बना दिये गये हैं । सिवाय पांचला बांध के और कोई बांध गम्भीरी नदी पर नहीं है । मैं आश्वासन चाहता हूं कि यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री दिनेश डांगी : मैंने बताया कि इसका सर्वे पूरा हो जाने दीजिये। यह मेरी जानकारी में है कि सर्वे अभी पूरा नहीं हुआ है—

(व्यवधान)

श्री जगन्नसिंह : आपको पूरी जानकारी नहीं है इसका सर्वे पूरा हो चुका है । उस सर्वे पर क्या कार्यवाही कर रहे हो ?

श्री दिनेश डांगी : उस नदी का नाम क्या है आपको तो यह भी नहीं पता· · ·

श्री जगन्नसिंह : मुझे पूरा पता है, उसका नाम गम्भीरी है । वह हमारे क्षेत्र की है । हमारे यहां की 80,000 पब्लिक उससे प्रभावित है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस नदी से हर साल भयंकर नुकसान होता है । आपके 20 सूत्री कार्यक्रम में पहला सूत्र सिंचाई का है, अगर उसके आधार पर आप इसको पूरा करवाते हैं तो इससे वहां की काफी भूमि सिंचित होगी । आप आश्वासन दें कि कब तक पूरा करवायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथ सिंह :

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में मैंने प्रश्न पूछा था । मेरे को बताया गया था कि भरतपुर का मास्टर प्लान बनाकर स्वीकृति दे दी गई है । यह जवाब दिया था । जब सर्वे नहीं हुआ तो मास्टर प्लान कैसे बन गया ? आप सर्वे ही कराते जाओगे क्या ? जो 1980 का मास्टर प्लान सरकार के विचाराधीन है, उस पर आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है ।

सूचना

पत्रकार वीर्घा में पत्रकारों की अनुपस्थिति

श्री दोपेन्द्रसिंह (श्रीमाधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज प्रेस ने बहिष्कार किया है । आप अपना प्रतिनिधि भेज कर कार्यवाही करें ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : यह बात सही है, अध्यक्ष महोदय···

श्री अध्यक्ष : यह इसमें नहीं आता, मैं इसको अन्य तरीके से ले लूंगा।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है···

श्री दीपेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नों का छपना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे जनता तक बात नहीं पहुंचेगी। आप अपना प्रतिनिधि भेजें जो जाकर उनसे मिले जिससे प्रश्न प्रेस में पहुंच जायं। इसमें कोई बुराई नहीं है।

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी।

श्री दिनेश डांगी : जैसा मैंने जवाब दिया है, मास्टर प्लान बनाते समय विस्तृत सर्वे के बाद ही किसी योजना की स्वीकृति होती है। मैं कोशिश करूंगा कि जो बाढ़ बार-बार आती है, उसके लिए विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। अब इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री यदुनाथ सिंह : पहले एस्टीमेट बनाते हैं। अब कैसा प्लान बना लेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। माननीय सदस्य।

श्री जगनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सप्लीमेंट्री प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : इसको अन्य माध्यम से उठायें। आप समय व्यर्थ कर रहे हैं।

श्री जगनसिंह : हम यहां न्याय नहीं मांगेंगे तो और कहां मांगेंगे। हमें मंत्री महोदय द्वारा अधूरी सूचना दी गई है।

श्री अध्यक्ष : नियमों में सब बातों का प्रावधान है···

श्री जगनसिंह : आप मंत्री महोदय को यह बात बता दें···

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इसके लिए मैं अलग से व्यवस्था करूंगा। आप बैठ जायं। समय नष्ट न करें।

अगला प्रश्न। 264।

सरकारी भवन में मदिरापान की दुकान

264. **श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) :** क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले के सिलेगढ़ ग्राम पंचायत सेन्टर पर औषधालय के सरकारी भवन में शराब की व्यक्तिगत दुकान लगी हुई है ?

(2) क्या इस सम्बन्ध में विभाग को कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? क्या किसी जिला अधिकारी ने कभी इसकी जांच की है ?

आबकारी मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : इसका जवाब नहीं आया···

श्री अध्यक्ष : इसमें ऐसा कौनसा लम्बा जवाब था ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आदमी भेजा था, टेलीफोन किया था।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

अगला प्रश्न। श्री हेमाराम चौधरी। 265।

राज्य में चिकित्सा सुविधा

265. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुढ़ा मालानी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83 में कितनी डिस्पेंसरीज एवं एडपोस्ट खोली गईं ? कृपया विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने वर्ष 1980-81, 81-82 एवं 82-83 में जिन विधान सभा क्षेत्रों में डिस्पेंसरीज एवं एडपोस्ट नहीं खोली हैं उनमें वर्ष 1983-84 में डिस्पेंसरी, उप केन्द्र एवं एडपोस्ट खोलते समय प्राथमिकता देगी ?

(3) क्या सरकार जिन स्थानों पर डिस्पेंसरीज व एडपोस्ट तथा आयुर्वेद चिकित्सालय हैं, उनमें से किसी एक स्थान को जहां कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री खेतसिंह राठौड़) : (1) वर्ष 1980-81 में 98 डिस्पेंसरी तथा वर्ष 1981-82 में 35 डिस्पेंसरी एवं 15 एडपोस्ट नये स्वीकृत किये गये। वर्ष 1982-83 में कोई नवीन डिस्पेंसरी, एडपोस्ट स्वीकृत नहीं की गई। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, जिन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा राज्य सरकार के मापदण्डों के अनुसार कम है वहां प्राथमिकता दी जावेगी।

(3) जी हां। अभी भी यह प्रक्रिया चालू है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या राजस्थान के 27 जिलों में से चिकित्सा सुविधा की दृष्टि से बाड़मेर जिले में सबसे कम सुविधा प्राप्त है? यदि हां, तो क्या इस वर्ष जब राजस्थान में चिकित्सा सुविधायें खोली जायेंगी तब राज्य सरकार बाड़मेर जिले को इसके लिये प्राथमिकता देगी ? क्या वहां पर अधिक से अधिक अस्पताल, एडपोस्ट व सब सैन्टर खोलने का विचार रखती है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने फर्माया, उसके अनुसार मेरे पास अभी कोई पूरे राजस्थान का कम्पेरेटिव स्टेटमेन्ट तो है नहीं कि टोटल कितने अस्पताल हैं और उसमें से बाड़मेर में कितने हैं। 1980-81, 1981-82, 1982-83 में कितनी डिस्पेन्सरी व एडपोस्ट खोले गये हैं उसकी सूची मैंने माननीय सदस्य को दे दी है। अगर आप चाहें तो उसे अलग अलग बता दूं।

एक माननीय सदस्य : हां, अलग अलग बतायें।

श्री अध्यक्ष : नहीं इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि माननीय सदस्य को सूची दे दी गयी है।

श्री हेमाराम चौधरी : जिलेवार नहीं है सूची।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जैसा बताया कि 1980-81 में 98 डिस्पेन्सरी खोली गयी हैं और वर्ष 1981-82 में 35 डिस्पेन्सरी खोली गयी है एवं 15 एडपोस्ट नये स्वीकृत किये गये हैं। मेरा निवेदन यह है कि आपने इसमें बाड़मेर और जैसलमेर में कितने कितने अस्पताल खोले हैं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर में 1980-81 में दो अस्पताल खोले गये हैं, एक तो शिव में और दूसरा खोह में। वर्ष 1981-82 में अदीब में एक डिस्पेन्सरी खोली गयी है। जैसलमेर में जो डिस्पेन्सरी खोली गयी हैं 1980-81 में, वह एक तो रामदेवरा और दूसरी रामगढ़ में खोली गई है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, क्या यह महसूस करते हैं कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर चिकित्सा सुविधा के लिहाज से दूसरे जिलों से बहुत पिछड़े हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर दे दिया गया है। पिछड़े हैं तो प्राथमिकता दी जावेगी।

श्री अमीन खां : अध्यक्ष महोदय, खासतौर से बाड़मेर जिला और राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र चिकित्सा सुविधा की दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ है वहां पर डिस्पेन्सरी कम हैं, एडपोस्ट कम हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भी बहुत कम हैं। बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। पिछड़ा हुआ होने के कारण क्या राज्य सरकार प्राथमिकता अब देगी ? दूसरे बाड़मेर जिला एक बार्डर क्षेत्र होने के कारण और वहां पर चिकित्सा सुविधा कम होने के कारण क्या सरकार बाड़मेर जिले में चिकित्सा सुविधा बढ़ाने के लिये गम्भीरता से विचार करके वहां पर भविष्य में अधिक से अधिक डिस्पेन्सरीज, सब सेन्टर्स और एड पोस्ट खोलने के लिये कोई निर्णय करेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अपने उत्तर में कहा है जहां पर कमी है वहां पर निश्चिततौर से इस वर्ष ज्यादा चिकित्सा सुविधा देने में प्राथमिकता दी जावेगी। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, बाड़मेर में चिकित्सा सुविधा कम होने के कारण इस साल हमने वहां पर 50 शैयायें अस्पताल में और बढ़ा दी हैं। अध्यक्ष महोदय जब एडपोस्ट और सब सेन्टर खोले जायेंगे तब इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा कि जहां पर भी चिकित्सा सुविधा कम है वहां पर निश्चिततौर से ज्यादा सुविधा देने में प्राथमिकता दी जावेगी।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेन्ट्री और करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। अगला प्रश्न।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जैसा मन्त्री महोदय ने फर्माया कि एड-पोस्ट और सब सैन्टर खोलने में प्राथमिकता दी जावेगी तो क्या डिस्पेन्सरीज खोलने में बाड़मेर जिले को प्राथमिकता नहीं दी जावेगी ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, बैठ जायें। आर्डर, आर्डर। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठ जायें। आर्डर, आर्डर। कोई जनरल प्रश्न नहीं होगा।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्नकर्त्ता हूं मेरा एक सप्लीमेन्ट्री प्रश्न ..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जायं। आर्डर, आर्डर।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्त्ता का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर आप बैठ जायं।

श्री सुनील कुमार विश्नोई।

(व्यवधान)

श्री सुनील कुमार विश्नोई (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। अगला प्रश्न

श्री सुनील कुमार विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पुकारा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर अगला प्रश्न। माननीय सदस्य।

श्री सुनील कुमार विश्नोई आपने मेरा नाम पुकारा है।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम पुकारा है तो गलती की। मैंने अगला प्रश्न ले लिया है।

श्री रामकिशोर मीणा और श्री कैलाश मेघवाल।

डी०पी०ए०पी० खण्डीय कार्यालय का स्थानान्तरण

266. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) एवं **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डी.पी.ए.पी. का खण्डीय कार्यालय ब्यावर जिला अजमेर में स्थित था, और उसे झाड़ोल जिला उदयपुर में स्थानान्तरित कर दिया गया है ?

(2) यह कार्यालय ब्यावर में कब से कार्यरत था और उसको वहां से हटाने का क्या कारण है ?

(3) इस कार्यालय के अन्तर्गत सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम का क्षेत्र कहां-कहां है और उसमें तुलनात्मक दृष्टि से किन क्षेत्र में सूखे की अधिक सम्भावनाएं बनी रहती हैं ?

राज्य मंत्री, कृषि (श्री देवेन्द्र सिंह) : (1) जी हां। सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी) के अन्तर्गत भू-संरक्षण क्षेत्रीय खण्डीय इकाई अधिकारी, कृषि विभाग, ब्यावर, जिला अजमेर का कार्यालय झाड़ोल, जिला उदयपुर स्थानान्तरित कर दिया गया है।

(2) यह कार्यालय ब्यावर में वित्तीय वर्ष 1974-75 में स्थापित किया गया था। इस खण्डीय अधिकारी, कृषि भू-संरक्षण के अधीन 4 भू-संरक्षण इकाइयां थीं जिसमें जिला अजमेर की 2 मसूदा एवं जवाजा तथा उदयपुर जिले की 2 भीम व देवगढ़ थीं। वर्ष 1980 में केन्द्र सरकार द्वारा गठित कार्यकारी दल की सिफारिश के अनुसार डी.पी.ए.पी. कार्यक्रम इस वर्ष से उदयपुर के भीम देवगढ़ से समाप्त कर दिया गया तथा उदयपुर जिले की कोटड़ा व झाड़ोल तहसील में डी.पी.ए.पी. कार्यक्रम की स्वीकृति दी। तद्नुसार भारत सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार वर्ष 1982-83 से उदयपुर जिले के कोटड़ा व झाड़ोल विकास खण्डों में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया गया। पूर्व में खण्डीय अधिकारी, कृषि भू-संरक्षण ब्यावर के अधीन जिला उदयपुर की दोनों इकाइयां भीम व देवगढ़ समीपवर्ती थीं। तुलनात्मक दृष्टि से कोटड़ा व झाड़ोल की दूरी ब्यावर से अधिक हो गई है। चूंकि उदयपुर जिले की चारों इकाइयें कोटड़ा, झाड़ोल, खैरवाड़ा व ऋषभदेव बहुत समीपवर्ती क्षेत्रों में हैं इसलिये इन्हें क्षेत्रीय खण्डीय कार्यालय झाड़ोल के अधीन किया गया है तथा इसी प्रकार ब्यावर जिला अजमेर तहसील के जवाजा तथा मसूदा के विकास खण्ड पाली के निकट होने के कारण खण्डीय अधिकारी कृषि (भू-संरक्षण) पाली के अधीन कर दिये गये हैं।

अतः उचित प्रशासनिक नियन्त्रण, तकनीकी देखभाल तथा राज्य की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालय को ब्यावर (अजमेर) से झाड़ोल (उदयपुर) स्थानान्तरित किया गया है।

(3) जिला अजमेर की ब्यावर तहसील के जवाजा तथा मसूदा विकास खण्डों में सूखा संभावित कार्यक्रम का क्षेत्र है तथा जिला उदयपुर में झाड़ोल, कोटड़ा तथा खैरवाड़ा विकास खण्डों में सूखा संभावित कार्यक्रम का क्षेत्र है। चूंकि सिंचित क्षेत्र में बोये हुए क्षेत्र के अनुपात में ब्यावर तहसील में अधिक (34 प्रतिशत) तथा झाड़ोल तहसील में कम (16.5 प्रतिशत) है जब कि दोनों ही क्षेत्रों में सामान्य वर्षा 750 मिलीमीटर से कम है। अतः झाड़ोल में सूखे की अधिक सम्भावना है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशोर मीणा।

श्री रामकिशोर मीणा: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपके मन्त्री बनने के पहले ऐसा कोई प्रस्ताव था या कोई जनता द्वारा इसके लिये मांग की गयी थी कि डी. पी. ए. पी. के महत्व को देखते हुए इसका आफिस अलग से उदयपुर में खोलने की कोई आवश्यकता है ?

श्री अध्यक्ष: वह उत्तर में दे दिया है।

श्री देवेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने उत्तर दिया है वह बहुत ही स्पष्ट है। वर्ष 1982-83 में उदयपुर जिले के कोटड़ा व झाड़ोल विकास खण्डों में सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया है।

(व्यवधान)

(8)

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। श्री कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष, महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यह जो आपका डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम विकास के लिये शुरू किया गया है इसमें मसूदा और जवाजा का आफिस आपने झाडोल...

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो उत्तर में बहुत स्पष्ट आ गया है। इसके अलावा कुछ क्षेत्र बढ़ने के कारण ब्यावर जिला अजमेर के जवाजा तथा मसूदा विकास खण्ड पाली जिले के निकट होने के कारण खण्डीय अधिकारी पाली के अधीन कर दिये गये। यह सब उचित प्रशासनिक नियन्त्रण और तकनीकी देखभाल की दृष्टि से किया गया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय मेरा सवाल अभी तक समझे नहीं हैं। मेरा सवाल यह है कि यहां जो डी. पी. ए. पी. के प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें जब जवाजा और मसूदा वगैरह ब्यावर के नजदीक थे तो फिर ब्यावर में ही उनका आफिस क्यों नहीं रखा गया ? दूसरे झाडोल में जो आपने इसका कार्यालय रखा है उसके लिये जो मकान किराये पर आपने लिया है वह किसका है ?

श्री देवेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, मकान किसका है यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : यह आपको जानकारी नहीं है तो मैं बता दूं कि वह आपके ससुराल वालों का मकान है। मैंने तो स्पष्ट सवाल पूछा है अध्यक्ष महोदय, अब तो जबाब दिला दें। अध्यक्ष महोदय, जवाजा में उसका आफिस रखने का औचित्य नहीं बनता है, वह तो ब्यावर का बनता है।

श्री देवेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, पाली में डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत देसूरी रायपुर, सोजत रानी, सुमेरपुर में प्रोग्राम चल रहे हैं और तहसील जवाजा तथा मसूदा उनके निकट हैं इसलिये पाली किया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर अगला प्रश्न। माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

उदयपुर में टाउन हाल भवन का निर्माण

267. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पश्चिम) एवं **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय): क्या स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर परिषद सीमा के टाउन हाल निर्माण योजना का शिलान्यास 19 नवम्बर, 1954 को तत्कालीन केन्द्रीय वित्त मन्त्री श्री सी. डी. देशमुख ने किया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस निर्माण का फिर से शिलान्यास तत्कालीन मुख्य मन्त्री, श्री मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा भी किया गया था ?

(श्री कैलाश मेघवाल एवं
श्री रामकिशोर मीणा)

(3) इस निर्माण पर मूल योजनानुसार कितना खर्च होना था और काम कब पूरा होना था ?

(4) इसके निर्माण पर होने वाली लागत का कब कब पुर्ननिर्धारण किया गया और अब तक कुल कितना खर्च हो चुका है ?

(5) इस अधूरे पड़े टाउन हाल को अब कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री प्रद्युम्न सिंह): (1) जी नहीं । उदयपुर नगर परिषद कार्यालय एवं टाउन हाल का शिलान्यास 29 नवम्बर, 1954 को तत्कालीन केन्द्रीय वित्त मन्त्री श्री सी. डी. देशमुख ने किया था।

(2) जी नहीं। श्री मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा टाउन हाल परिसर के निर्माण का उद्घाटन किया था।

(3) टाउन हाल का निर्माण कार्य वर्ष 1956-57 में नगर परिषद द्वारा विभागीय तौर पर प्रारम्भ किया गया था। प्रारम्भिक तखमीना के अनुसार 4,44,548 रुपये की अनुमानित राशि आंकी गई थी। कार्य पूर्ण होने का समय निश्चित नहीं था।

(4) प्रारम्भिक तखमीने के अनुसार वर्ष 1974 तक निर्माण कार्य चला। सन् 1974-75 में इस योजना को ऑडिटोरियम निर्माण योजना में परिवर्तित कर दिया गया और सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 5-5-76 को इसका तखमीना 7,72,000 रुपये का बनाया। इसके पश्चात् उनके द्वारा दिनांक 19-4-77 को 15,24,700 का पुनः संशोधित तखमीना भेजा गया। दिनांक 31-1-83 तक का कुल व्यय 18,53,317 रुपये हुआ।

(5) वर्ष 1983 के अंत तक पूरा कराये जाने की सम्भावना है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा आश्चर्य की बात क्या हो सकती है कि 1954 में टाउन हाल का निर्माण प्रारम्भ हुआ और 1983 तक वह अधूरा पड़ा है। मेरा माननीय मंत्रीजी से यह पूछना है कि क्या अब तो इसका तखमीना अन्तिम बन गया है और अब तो इसको नहीं बदलने का विचार है ? नम्बर 1। अध्यक्ष महोदय, यह मैं इसलिए पूछ रहा हूं, आजकल सामान्य नियम बन गया है कि एक बार नक्शा बन गया उसको निश्चितरूप से बदला जायेगा। उसको बदलने में ठेकेदारों के एग्जीबिट भी बदल जाते हैं और कभी काम समय पर पूरा नहीं होता। मुझे यह पूछना है कि क्या अब तो आप इसका निश्चितरूप से निर्माण करा देंगे और इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब इस बारे में प्रश्न आया तो मुझे भी बड़ा अटपटा सा लगा, इसमें काफी समय लगा है। मैंने वहां के अधिकारियों से इस बारे में जानकारी प्राप्त की है। उन्होंने मुझे बताया है कि इस साल के अन्त तक वह इसको निश्चितरूप से पूरा कर देंगे। सिविल नेचर का वर्क था वह तो पूरा हो

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

चुका है और अन्दर का फिनिशिंग का काम चल रहा है। मुझे पूरी आशा है कि इस साल के अन्त तक काम पूरा हो जायेगा। इसलिए तखमीना बदलने का तो प्रश्न ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रश्न बराबर हर सत्र में पूछता रहा हूं। मुझे सूची दी है कि सन् 1956 से लेकर 17 लाख रुपये खर्च किये मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है कि यह टाउन हाल 1965 में बनकर तैयार हो गया था और तभी से ही इसमें कुछ सुधार के नाते आपने परिवर्तन प्रारम्भ किये ? नम्बर एक, नम्बर दो, क्या आज भी टाउन हाल पिछले 1½ साल से बना हुआ पड़ा है और केवल फर्नीचर के लिए आपने पांच बार टेन्डर्स काल किये ? यदि किये, तो बार-बार टेन्डर्स काल करने की क्या आवश्यकता रही ? केवल फर्नीचर की कमी पड़ रही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय यह बात सही है कि इसके पूर्व में इसको टाउन हाल के रूप में मन्जूर किया गया था और बाद में ऑडिटोरियम की शकल दी है। टाउन हाल और आडिटोरियम में काफी फर्क है अगर मैं विस्तृतरूप से इसका विवेचन करूं तो काफी समय लग जायेगा। यह सही है कि फर्नीचर के लिए टेन्डर्स इन्वाइट किये गये थे। जिस व्यक्ति के टेन्डर स्वीकार किये गये उसने माल सप्लाई या डिलीवर करने से इन्कार कर दिया। हमने उसकी धरोहर की राशि को जब्त किया। इसके कारण से पुनः फर्नीचर के टेन्डर आमंत्रित किये गये, यह बात सही है। जो मेरे पास जानकारी है वह दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : तीन बार टेन्डर्स काल हो चुके हैं...

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। चूंकि पैसे का सौदा पूरा नहीं पटता है इसलिए चाहे जिस टेन्डर को कोई न कोई कन्डीशन लगाकर कैंसिल कर देते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न। माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें

सुश्री पुष्पा जैन।

वर्षा तथा ठण्ड से पशुओं की मृत्यु

268 **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) गत नवम्बर मास में वर्षा तथा ठण्ड के कारण राज्य के किस-किस जिले में कितने-कितने मवेशी मर गए ? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखें।

(सुश्री पुष्पा जैन)

(2) क्या यह सही है कि इस हानि के लिए पशुपालकों को किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

राज्य मंत्री पशुपालन (श्री श्रीराम गोटेवाला) : (1) गत नवम्बर माह में वर्षा तथा शीत प्रकोप से राज्य के चार जिलों में मवेशियों की मृत्यु हुई। तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) बीमाशुदा पशुओं को संबंधित बीमा कम्पनी द्वारा बीमा शुदा राशि तथा अन्य को बैंकों से ऋण दिलवाने की कार्यवाही की जा रही है।

(तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बताने की कृपा करें कि क्या इन पशुओं का पोस्ट मार्टम कराया गया है ? क्या पोस्ट मार्टम के आधार पर कह रहे हैं कि यह ठंड और सर्दी से मरे हैं ?

श्री अध्यक्ष: यह व्यावहारिक नहीं है, माननीय सदस्या।

सुश्री पुष्पा जैन : मन्त्री महोदय, कृपया बतावें कि इनको जलाने की व्यवस्था की गयी या नहीं या इनकी लाशें सड़ती रहीं ? कम्पन्सेशन के लिए आपने अभी तक क्या किया ? अध्यक्ष महोदय, क्या यह सच है कि हजारों पशु मर गए और लाखों आदमी बेकार हो गए ?

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर): बड़ा अन्याय हो गया।

सुश्री पुष्पा जैन : अन्याय नहीं हो गया तो और मरवा दीजिए...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सच है कि इसमें से अधिकांश पशु अन्त्योदय और आई. आर. डी. स्कीम के तहत बैंकों से कर्ज लेकर खरीदे गये थे। दूसरा, जितने पशुपालक पशु धन के समाप्त होने से बेकार हो गए उनके रोजगार के लिए आपने अब तक क्या साधन जुटाये ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

सुश्री पुष्पा जैन : जवाब दिलाये

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): यह जो सूची दी गयी है बिलकुल गलत है। पचास हजार पशु तो केवल कोटा जिले में मरे हैं...

श्री अध्यक्ष : जितने जानकारी में आये उतनी सूची दे दी गयी।

श्री दाऊदयाल जोशी : केवल चित्तौड़ जिले में भैंसरोड़गढ़ में 6 हजार जानवर मरे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे दो प्रश्न हैं। पशुओं के मरने का क्या कारण रहा ? एक-दूसरे, सूची गलत दी गयी है. यह क्यों दी गई ? तीसरे, पशु जो मरे हैं उनको कब-कब हटाया गया और वह कितने दिन तक पड़े रहे ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। कौन सा पशु किस जंगल में पड़ा रहा इसकी कोई सूची होती है ?

श्री दाऊदयाल जोशी : वहां पर मिडल स्कूल को लगातार 7 दिन तक इसलिए बन्द रखा गया कि मरे हुए पशुओं के कारण बदबू आ रही थी...

(12)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर उत्तर आने दीजिए।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं जवाब दे दूं आप सुन तो लो कृपापूर्वक। अध्यक्ष महोदय, आमेर से आने वाली माननीय सदस्या ने जो प्रश्न किया कि पोस्ट मार्टम कराया गया या नहीं, तो मैं निवेदन करता हूं कि उसी समय तत्काल पोस्ट मार्टम कराये जाने की व्यवस्था जब सूचना मिली. ...

श्री दाऊदयाल जोशी : 100 पर्सेन्ट गलत।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उत्तर तो सुन लो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 14 तारीख को कलेक्टर ने कह दिया कि 9 तारीख को मरे हुए पशुओं का पता नहीं था। यह रिपोर्ट है। 14 तारीख का कलेक्टर का स्टेटमेंट है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं जवाब दे रहा हूं। आप एक-एक का उत्तर सुन लें...

श्री दाऊदयाल जोशी : कोटा जिले में चार हजार पशु मरे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें। आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि राजस्थान में कई तरह के पशु हैं, लाखों की संख्या में हैं। 30 हजार गांव हैं और सर्दी के दिनों में सर्दी के कारण, भूख के कारण बड़ी संख्या में...

श्री दीपेन्द्र सिंह : इसका जबाब तो आने दो।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इसका क्या जवाब आये।

(व्यवधान)

अब उसमें पोस्ट मार्टम हुआ कि नहीं, मंत्री महोदय उत्तर देते हैं तो वे भी ज्यादती करते हैं।

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह : सांड कितने मरे, इसको जानकारी करा दीजिये।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : जितने भी जानवर मरे हैं वे ठण्ड के कारण से मरे हैं या और किसी और कारण से मरे हैं? नम्बर एक। नम्बर दो, पशुओं का पोस्ट मार्टम हो जाय तो इस बात का पता लग सकता है कि पशुओं के मरने का क्या कारण रहा है?

श्री अध्यक्ष : इन सबका पोस्ट मार्टम तो सम्भव नहीं है। हां, एक-दो के लिये कहा जा सकता है, जैसे ऊंट का पोस्ट मार्टम सम्भव नहीं है।

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह : गधे कितने मरे, यह बता दीजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं। आर्डर आर्डर।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने प्रश्न किया, मैं बाकायदा नाम बता रहा हूं। डा. पी. बी. राव ने एक गाय और एक भेड़ का पोस्ट मार्टम किया। उसमें यह बात बताई है कि रात में तेज बरसात हुई उसके कारण

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

सर्दी बढ़ गई और उसकी वजह से जानवरों को निमोनिया हो गया। दूसरा प्रश्न पूछा गया कि जानवरों को जलाया गया या गाड़ा गया। तो माननीय सदस्यों को जानकारी है कि पंचायत समिति, नगरपालिकाओं के क्षेत्र में नगरपालिका और नगर परिषदों के क्षेत्र में नगर परिषदों की जिम्मेदारी होती है मृत पशुओं को उठाने की उनको गाड़ने की या जलाने की जिम्मेदारी उनकी होती है। जिलाधीश कोटा और जहां-जहां के मैंने नाम लिये है वहां—वहां के जिलाधीशों ने हजारों की संख्या में जो पशु मरे हैं···

(व्यवधान)

सुन लीजिये पहले, आप। हजारों पशु मरे। जिस आदमी के नाम उठाने का ठेका था उससे थोड़ी देरी हुई है। अन्त्योदय योजना में जो पशु दिये हुए थे और जो मरे हैं उनका चार इन्श्योरेन्स कम्पनी के माध्यम से इन्श्योरेन्स था। उनको मुआवजा दिलाये जाने की घोषणा की गई है यह मैं आपकी जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं··

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : निमोनिया से मृत्यु हुई है तो निमोनिया की रोकथाम के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह : सरकारी साण्ड कितने मरे हैं, बता दीजिये··

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप बिराजे हुए हैं, हुजूर।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़ से लगा हुआ मन्दसौर का इलाका है वहां पर मध्य प्रदेश सरकार ने इस प्रकार से मृत पशुओं के लिए अनुदान दिया है। क्या राज्य सरकार ने भी अपने पास से कुछ अनुदान दिया है? एक प्रश्न। दूसरा, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, तीन महीने तक लाशें नहीं उठाई गई इस कारण जनता को कितनी पीड़ा हुई है कोटा, कलेक्टर को 9 तारीख को मरे हुए पशुओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। क्या एसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेगें?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बैठ जायं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य ने मन्दसौर के बारे में कहा, उसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है लेकिन राजस्थान में इस बात की व्यवस्था की है जो लैंड बैंक हैं उनको यह कहा गया है कि जितने प्रार्थना-पत्र आयें उन्हें पशु खरीदने के लिये सहायता दें।

(व्यवधान)

मैं निवेदन कर रहा हूं सुनें तो सही। इतनी तेजी क्या है। मैं आपको निवेदन कर रहा था, उसमें सहायता देने का प्रावधान है। शिड्यूल्ड कास्ट्स के जो लोग हैं उन्हें 50 प्रतिशत की सहायता राज्य सरकार की तरफ से दी जायेगी।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपको कोई जानकारी भी है, आप क्या बोल रहे हैं···

(व्यवधान)

(१५)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हजारों पशु मर गये, हजारों बेकार हो गये और राज्य सरकार अपनी निष्क्रियता का परिचय दे रही है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बैठ जायं, माननीय सदस्य।

ऐसा है, पशु कभी कभी खुले में होते हैं। जो चतुर काश्तकार होता है वह अपनी गाय-भैंस को सर्दी से बचाने के लिये, निमोनिया से बचाने के लिये ढाक कर रखता है, उनको टाट वगैरह उढ़ा देता है। जो जानवर खुले में रहते हैं और जो दुबले-पतले मवेशी हैं अब उन सबके लिये कोई तम्बू तो लगा नहीं सकते हैं। वे मर जाते हैं......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री देवीसिंह भाटी।

राजस्थान मुख्य नहर के दोनों तरफ वृक्षारोपण से उत्पन्न समस्या

269. **श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)**: क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान मुख्य नहर के दोनों तरफ करीब 300 से 400 फीट के बीच वृक्षारोपण से पूर्व किसानों को कोई भूमि अवाप्ति का नोटिस कानूनी रूप से आवश्यक होते हुए नहीं दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा आर.डी. 600 से आर.डी. 931, राजस्थान मुख्य नहर में जो वृक्षारोपण किया गया वह क्षेत्र राजस्थान नहर परियोजना के लैंड प्लान में अवाप्त की गई भूमि से बाहर है? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया है?

(3) क्या राजस्थान नहर विभाग के लैंड प्लान में अवाप्त की गई भूमि में अनधिकृत विभागीय वृक्षारोपण से राजस्थान नहर के प्रभावित खातेदार एवं गैर खातेदार किसानों को क्षतिपूर्ति देने का विभाग विचार रखता है? यदि हां, तो कब तक? कृपया राजस्थान मुख्य नहर आर.डी. 600 से आर.डी. 931 के बीच प्रभावित किसानों के नाम, पता व क्षेत्रफल की सूची ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या विभाग ने राजस्थान नहर के किनारे वृक्षारोपण कराने से पूर्व उपनिवेशन विभाग को सम्बन्धित भूमि अवाप्त करने के लिये कभी लिखा है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या ऐसी गैर कानूनी कार्यवाही से प्रभावित किसानों को विभाग अब तक के नुकसान की क्षतिपूर्ति देने का विचार रखता है? यदि हां, तो कृपया ऐसे प्रस्ताव का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, वन (श्री गोविन्दसिंह गुर्जर): (1) मुख्य नहर के दोनों तरफ नहर की सुरक्षा हेतु नहर विभाग की सरकारी भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य कराया गया है। राजकीय भूमि के लिये अवाप्ति का प्रश्न नहीं उठता। इसलिये कोई नोटिस नहीं दिया गया।

(2) जी नहीं।

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

(3) राजस्थान मुख्य नहर के लैंड प्लान के अनुसार भूमि पर विभागीय वृक्षारोपण राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित योजनानुसार ही कराया गया है। अत: किसी किसान को क्षतिपूर्ति देने का प्रश्न नहीं उठता और न ही किसी किसान द्वारा विभाग में इस आशय की कोई दरख्वास्त प्रेषित की गई है।

(4) जी नहीं। भूमि अवाप्ति सम्बन्धी मांग या कार्यवाही नहर विभाग द्वारा की जाती है वन विभाग राजकीय नहर की भूमि पर ही वृक्षारोपण करता है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जरा उत्तर घुमा फिरा कर दिया है। नहर से 50 फीट दूरी पर वृक्षारोपण किया वह तो दोनों ओर करते हैं, यह तो ठीक है। लेकिन मैंने पूछा, नहर से 300-400 फीट की दूरी पर किसानों के खेतों पर जो वृक्षारोपण किया है क्या उसमें नियमों का पालन किया है? क्या उनको नोटिस दिया है? जैसा कि आप फर्मा रहे हैं, कोई शिकायत नहीं मिली। मेरा निवेदन है कि राजस्व अभियान सन् 1980-81 और 1981-82 में इस प्रकार की शिकायतें की गई हैं।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, नहर विभाग ने मुख्य नहर से करीब 100 मीटर दूरी पर दोनों तरफ भूमि ली है। उस भूमि पर ही नहर के दोनों तरफ वृक्ष लगाये गये हैं। जब जमीन नहर विभाग देता है, तभी वृक्ष लगाते हैं। अभी जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि राजस्व अभियान सन् 1980-81 और 1981-82 में शिकायतें की गई हैं, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। मेरे विभाग द्वारा नहीं बल्कि नहर विभाग द्वारा यह जरूर पता लगाया गया कि कुछ जगह जहां जमीनों पर फसल खड़ी मिली थी वहां वृक्षारोपण नहीं किया।

(व्यवधान)

किसी अन्य तरीके से उठायें।

समाज कल्याण मन्त्री (श्री दुलाराम): हम बता सकते हैं, अगर परमिशन दें तो।

श्री अध्यक्ष : श्री बहादुरसिंह।

श्री देवीसिंह भाटी : मौका दें, अध्यक्ष महोदय, सम्पतरामजी को।

बांसवाड़ा जिले की पंचायत समितियों में जीप व्यवस्था

270. **श्री बहादुरसिंह (दानपुर)** : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले की पंचायत समितियों में से कितनी पंचायत समितियों में जीप की सुविधा उपलब्ध है?

(2) इन समितियों में वर्तमान वित्तीय वर्ष में जीपों के रख-रखाव तथा पैट्रोल खर्च के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत है तथा यह राशि किस मद में से खर्च करने का प्रावधान है? कृपया पंचायत समितिवार मासिक ब्योरा सदन की मेज पर रखें।

राज्य मन्त्री पंचायत (श्री शीशराम ओला): (1) सभी पंचायत समितियों में जीप की सुविधा उपलब्ध है।

(16)

(श्री शीशराम ओला)

(2) 314-सामुदायिक विकास मद से प्रत्येक पंचायत समिति के लिए 7200/- रुपये प्रति जीप की दर से पैट्रोल एवं रख-रखाव के लिए स्वीकृत किये हुए हैं। अधिक व्यय की स्थिति में निजी आय से खर्च किया जाता है।

जनवरी, 1982 से दिसम्बर 1982 तक हुए व्यय का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

श्री बहादुरसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मासिक विवरण की सूचना में बताया गया है कि पंचायत समिति घाटोल की मासिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है। सबसे ज्यादा खर्चा पंचायत समिति, घाटोल का 7267 रुपये पेश किया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, जब पंचायत समिति में लिमिटेड खर्चा पैट्रोल और डीजल का है, 7200 रुपया जो इन्होंने बताया, उसके अलावा पंचायत समिति की इन्कम से जो गाड़ियां चलती हैं प्रधान, बी.डी.ओ. काम में लेते हैं तो क्या पंचायत समिति का सारा बजट इस हिसाब से पैट्रोल में ही चला जाता है ? फिर ग्राम पंचायतों का विकास कैसे हो पायेगा ?

श्री शीशराम ओला : अध्यक्ष जी, जो उनका मूल प्रश्न था, उसमें एक तो यह है कि गाड़ियां पंचायत समितियों में हैं या नहीं ? यदि हैं, उनके रख-रखाव पर क्या खर्च होता है। मैंने इसका स्पष्ट उत्तर आपके माध्यम से उनको दिया और जो खर्च पंचायत समिति ने लिमिट से अधिक किया उसकी सूची सदन के पटल पर रख दी है। 7200 रुपये सरकार से स्वीकृत हैं, उससे अधिक खर्चा है तो वह उनका निजी है। 10 हजार रुपये तक खर्च करने में पंचायत समिति सक्षम है। इससे ज्यादा होने पर 10 से 20 हजार तक कलेक्टर साहब मंजूर करते हैं।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री...

श्री देवीसिंह भाटी ; अध्यक्ष महोदय, एक तरफ राजस्थान नहर विभाग से प्रश्न पूछा तो वह कहते हैं कि हैड नहीं है इसलिए हम कम्पन्सेशन नहीं देते। अध्यक्ष महोदय, आपने राजस्थान कैनाल की जमीन पर जो पेड़ लगाये थे उसके अलावा जमीन एक्वायर की है। आपके विभाग को तहसीलदार व कलेक्टर के माध्यम से इस सम्बन्ध में शिकायत दी गई है। वह खातेदारों की जमीन है कृपया उनको मुआवजा देने की कृपा करें अथवा दूसरी जमीन देने की कृपा करें।

श्री गोविंदसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया, मुआवजा देने और जमीन लेने का काम राजस्थान नहर विभाग करता है। वन विभाग को तो जो जमीन देते हैं उस पर हम पेड़ लगा देते हैं। अगर राजस्थान नहर विभाग मुआवजा देने को...

श्री अध्यक्ष : कम से कम आपका विभाग वहां पर वृक्षारोपण करने से पहले यह मालूम तो कर ले कि जमीन किसानों की खातेदारी की है अथवा गैर खातेदारी की है अथवा कब्जे में है। यह सब मालूम करके लगाये। राजस्थान नहर विभाग तो किसी जमीन के लिए भी कह देता है कि यह सरकार की है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह विभाग कहता है कि नहर विभाग की है और अवाप्त करके मुआवजा देते हैं। हमें इस काम के लिए देते हैं, उसको फरदर···

(व्यवधान)

बाकी आपने जो जवाब दिया है···

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप इन्सटांस दे रहे हैं।

श्री त्रिलोकसिंह : मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या किसानों के अलावा भी चाहे जिसकी जमीन, मकान इस तरह से ले लिया जाता है और मुआवजा नहीं दिया जाता है ? किसान की जमीन, जो कब्जे और खातेदारी की लिखी है, को इस तरह ले लिया जाय और मुआवजा नहीं दिया जाय, यह क्या बात है ? इसका जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : यह कानूनी प्रश्न है।

श्री सम्पतराम (खैरथल) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस राजस्थान नहर के दोनों तरफ पेड़ों को लगाना तकनीकी आधार पर बहुत आवश्यक है। मैं यह जानना चाहता हूं राज्य सरकार से आपके माध्यम से कि अब तक राजस्थान नहर के दोनों तरफ पेड़ लगाने के लिये आपके इंजीनियरों या प्लान बनाने वालों ने क्या व्यवस्था सुझायी है आपको कितनी-कितनी जमीन चाहिये ? पूरी नहर के दोनों तरफ जितनी जमीन चाहिए, उस जमीन को बाद में दे देते हैं। अगर किसी···

श्री अध्यक्ष : रेलेवेन्ट नहीं है।

श्री सम्पतराम : बिलकुल, मेरा रेलेवेन्ट क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष : महत्वपूर्ण है, रेलेवेन्ट है लेकिन इस प्रश्न की परिधि में नहीं आता। इससे ज्यादा खर्च होता है तो उसके बाद विभाग के पास मंजूरी के लिए आता है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री बहादुर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जिले की सभी पंचायत समितियों के प्रधान एक महीने में 3-3 रात गाड़ियां चलाते हैं और पंचायत समिति के वजह से खर्च करते हैं। सारा बजट खर्च कर दिया गया है। इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। उसका हिसाब किताब बिलकुल नहीं है। घाटोल पंचायत समिति में क्या हिसाब किताब है। उसको देखा जाय। मुझे शक है कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत से ज्यादा खर्च किया गया है और

श्री अध्यक्ष आर्डर प्लीज।

श्री सुजानसिंह।

(व्यवधान)

कृपया बैठ जायें।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : इस प्रश्न के लिए माननीय सदस्य ने मुझे आथोराइज किया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पूछ लीजिए। बातें नहीं करें आपस में।

तहसील बहरोड़ के ग्रामों में आयुर्वेद औषधालय खोलना

271. **श्री देवदत्त तिवाड़ी** (बाड़मेर) [श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़) की अनुपस्थिति में]: क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार तहसील बहरोड़ के ग्राम कामथा धीलोठ एवं भियानी में आयुर्वेद औषधालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, आयुर्वेद(श्री दिनेश डांगी): वर्ष 1983-84 में नये औषधालय खोलते समय इन प्रस्तावों पर भी विचार किया जायेगा।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से मैं आपके मार्फत जानना चाहता हूं कि सभी गांवों की आबादी 5 हजार से भी अधिक है फिर भी आपने अभी तक विचार नहीं किया है, इसका क्या कारण है ?

श्री दिनेश डांगी : जी नहीं। 1971 की जनगणना के अनुसार ग्राम कामथा की आबादी 2133, धीलोठ की 1443 और भियानी की 1147 है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्रीमती उजला अरोड़ा।

नवें एशियाई खेल हेतु विभागों से जुटाई सुविधाएं

272. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या खेल कूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

नवें एशियाई खेलों में राज्य के किस-किस विभाग से कितना-कितना रुपया व क्या-क्या सुविधाएं जुटाई गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, खेल कूद (श्री रामकिशन वर्मा) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने कह दिया कि सूची सदन के पटल पर रख दी गयी लेकिन जो मुझे सूची मिली है, उसमें कुछ विभागों के खर्च बताये गये हैं और बताया गया है कि शिक्षा विभाग द्वारा राशि आवंटित की गयी थी, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि शिक्षा विभाग द्वारा जो राशि आवंटित की गई थी, क्या वह गत वर्ष के बजट में थी ? यदि नहीं थी, तो किस प्रकार उनको उस राशि का आवंटन किया गया है ? इसमें जलदाय विभाग के खर्च का कहीं अंकन नहीं है, और पर्यटन विभाग का कहीं अंकन नहीं है, इसका क्या कारण है ?

श्री रामकिशन वर्मा : समस्त खर्च का विवरण आपको भेज दिया है। मदवाइज लिखा हुआ है। शिक्षा विभाग को जो राशि आवंटित की गयी थी, उसी में से खर्च किया गया है। अलग-अलग मद पर अलग अलग खर्च आवंटित किया गया था।

श्री दुलाराम : इसलिए ठीक है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न है इसलिए एक पूरक प्रश्न की इजाजत दे दूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, एक बात पूछना चाहती हूं, मैंने सितम्बर में प्रश्न पूछा था तो आपने उत्तर दिया कि शिक्षा विभाग ने कुछ नहीं दिया। मैंने जुबानी पूछा तो उस समय यह कह दिया

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कि पर्यटन विभाग काम कर रहा है और मेरा उस मामले में कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा विभाग ने सारी राशि आवंटित की। मैंने पूछा तो विभागों के खर्चों में इसका अंकन क्यों नहीं किया गया? आपने अंकित नहीं किया तो आप क्या करना चाहते हैं? आपको उत्तर देना था तो क्यों नहीं दिया?

श्री अध्यक्ष : खर्च हुआ ही नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा: कैसे नहीं हुआ? यह कह दें कि पर्यटन विभाग और जलदाय विभाग का खर्चा नहीं हुआ तो मैं मान लूंगी। आप बता दीजिए, आपका क्या उत्तर है?

श्री रामकिशन वर्मा : जलदाय विभाग और पर्यटन विभाग ने अपने-अपने जो खर्चे हैं वह किये हैं।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह (बांदी कुई) : यह बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कौनसा प्रश्न? कृपया बैठ जायें। स्थगित प्रश्न। यदि आपको संतोष नहीं है तो इस प्रश्न को अन्य किसी तरीके से उठायें। कई

(व्यवधान)

माध्यम है। माननीय सदस्य जो स्थगित प्रश्न सभी प्रश्न हैं महत्वपूर्ण हैं।

(व्यवधान)

अब इस पर भाषण नहीं होंगे।

(व्यवधान)

बहस नहीं होगी। आर्डर प्लीज। स्थगित प्रश्न, माननीय सदस्य।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जावें, माननीय सदस्या। मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है।

श्री कनकराज मेहता।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 18 फरवरी, 1983)

दानदाताओं द्वारा निर्मित अस्पताल भवनों का मूल्यांकन

17. **श्री कनकराज मेहता**: क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दानदाताओं द्वारा चिकित्सा व स्वास्थ्य हेतु निर्मित भवनों के मूल्यांकन प्रमाण-पत्र देने में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा काफी विलम्ब किया जाता है?

(2) क्या यह भी सही है कि इसी कारण से भवन बनने के बाद सरकार को समर्पित करने में विलम्ब होता रहा है? क्या सरकार इस प्रक्रिया में सुधार का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या?

(3) जालोर जिले में ऐसे कितने मामले हैं जो मूल्यांकन प्रमाण-पत्र के अभाव में पड़े हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) इसी कार्य हेतु भू-आवंटन की कितनी अर्जियां कब-कब से विचाराधीन हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(20)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री (श्री—खेतसिंह राठौड़) : (1) जी हां, ऐसे कुछ मामले ध्यान में आए हैं।

(2) जी हां।

(3) चार मामले हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) पांच मामले विचाराधीन हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

श्री कनकराज मेहता : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि प्रश्न के भाग नम्बर (2) में आपने कहा, जी हां। लेकिन इसकी प्रक्रिया में क्या सुधार किया जा रहा है? पी. डब्ल्यू. डी. की तरफ से मूल्यांकन प्रमाण-पत्र देर से मिलने के कारण काफी लोगों को हरेसमेंट होता है और इस देरी के कारण जनता को भी सफर करना पड़ता है। क्या आप इस प्रक्रिया में सुधार की कार्यवाही करेंगे?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, दानदाता भवन तो बना देते हैं लेकिन न तो सैनीटरी फिटिंग कराते हैं और वहां पर बिजली है तो न बिजली की फिटिंग कराते हैं अगर वहां पर पानी की लाईन है तो पानी के पाइप की फिटिंग नहीं कराते हैं? इसलिए जब तक भवन को सब तरह से कम्पलीट नहीं किया जाता तब तक पी.डब्ल्यू डी. टेक ओवर नहीं करती है। गलती दोनों तरफ से होती है।

श्री अध्यक्ष अगला प्रश्न।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : फिर सरकार की क्या जिम्मेदारी है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, अभी स्वास्थ्य मंत्रीजी ने कहा कि दानदाता डाक्टर नहीं भेजते, कम्पाउण्डर नहीं भेजते, तो फिर आप क्या करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, प्रश्नकर्ता

श्री कनकराज मेहता : मेरा एक और प्रश्न है। आपने जो सूची दी है उसके अन्दर जो 1,2,3,4, संख्या बताई है। तो ये भवन बने कितना अर्सा हो गया है, यह बताने की कृपा करें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सूची दी है उसमें एक तो क्षय निवारण केन्द्र का 20 शैयाओं का वार्ड बन कर तैयार है। मैं स्वयं उसको देख कर आया हूं। उसमें थोड़ी-सी कमियां हैं पी.डब्ल्यू डी.के एक्स.ईएन. भी मेरे साथ थे, वह दानदाता भी साथ में थे। मेरे खयाल से वह एक महीने में कम्पलीट हो जाएगा और हम टेक ओवर कर लेंगे। इसी प्रकार से एक राजकीय चिकित्सालय सरत में भी बन कर तैयार हो गया है। यह बिल्डिंग भी बहुत अच्छी बनाई है, सेठों ने। इसको टेक ओवर करने की कार्यवाही करेंगे···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय।

श्री कनकराज मेहता : जब इतने लम्बे समय तक टेक ओवर नहीं करते तो दानदाताओं को हरेसमेंट होता है और उनके दान देने का पर्पज ही खतम हो जाता है।

श्री अध्यक्ष : हो गया, माननीय सदस्य। समस्या सामने आ गई है।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रेस गैलेरी खाली पड़ी हुई है। पुलिस ने पत्रकारों के साथ मारपीट की है.....

श्री अध्यक्ष : मेरे पास जानकारी पहुंच गई है। अभी स्थगित प्रश्न चल रहे हैं।

श्री महावीरप्रसाद।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 18 फरवरी, 1983)

आधुनिकीकरण सिंचाई खण्ड, टोंक

26. **श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) आधुनिकीकरण सिंचाई खण्ड; टोंक में वर्ष 1981-82 और 1982-83 में कौन-कौन से कार्य स्वीकृत हुए तथा कौन-कौन से कार्य कब-कब पूर्ण होने थे एवं किस कार्य पर कितना-कितना व्यय किया गया ? कृपया प्रत्येक कार्य का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि स्वीकृत कार्यों का काम समय पर पूरा नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) निविदा के अनुसार कौन-कौन सा कार्य कब-कब पूर्ण हो जाना चाहिए था, वह पूरा नहीं हुआ ? यदि हां तो उसके लिए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेश डांगी) : (1) विवरण संलग्न सूची में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) विवरण सदन के पटल पर रखी गई सूची के कालम 5 में दर्शाया गया है।

(3) विवरण सदन के पटल पर रखी गई सूची के कालम 3, 5 व 6 में दर्शाया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाह रहा हूं जैसा आपने बताया, वर्ष 1982-83 और 1981-82 में जो काम होने थे उनमें से 12 कार्य तो शुरू ही नहीं हुए। इन 12 कामों को 81 में शुरू करना था और 44 काम 1981-82 में पूर्ण करने थे। इसके लिए लिख दिया कि कार्य प्रगति पर है। जो काम 1982 में पूर्ण होने थे वे अभी तक पूरे नहीं हुए। वही काम पूरे हुए हैं जो डिपार्टमेंट ने खुद के जरिये करवाये हैं, जो कच्चे काम हैं। जिन कामों के बिलो रेट पर टेंडर आए वे तो पूरे नहीं हुए लेकिन डिपार्टमेंट ने जिनको डी.जी.एस.डी. रेट से ऊंची रेट पर स्वीकार किया वही काम पूरे हुए हैं। काम पूरा नहीं करने के लिए ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्यवाही भी नहीं हुई है। बहुत सारे काम तो ऐसे हैं जो 1981 की बाढ़ के टाइम के हैं लेकिन आज तक पूरे नहीं हुए।

श्री दिनेश डांगी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सवाल बहुत लम्बा है और काफी सूचना इसके अन्दर

(श्री दिनेश डांगी)

चाही है। उन्होंने एक सवाल यह किया कि 1981-82 में 128 काम पूरे होने थे जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। मैंने सूची प्रस्तुत की है जिसके अनुसार तीस कार्य प्रगति पर हैं और 94 कार्य पूरे हो चुके हैं। जो कार्य अपूर्ण है उनका विवरण भी सूची में दिया गया हैं। इसमें जो गलती ठेकेदारों की है उसके लिए अनुबंधित शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

श्री अध्यक्ष : आपने काफी विस्तृत प्रश्न पूछा है। प्रत्येक कार्य के अन्दर विभाग की कहां गलती रही, उसकी चर्चा प्रश्न के माध्यम से नहीं हो सकती। समय का अभाव है ··

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह काम जो वर्ष 1981 में ही पूरे हो जाने चाहिए थे वे आज तक पूरे नहीं हुए और किसी भी ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

श्री अध्यक्ष : आप इसको दूसरे किसी माध्यम से उठा लें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : एक अन्तिम प्रश्न। क्या यह सच है कि चन्दलाई फिश फार्म के पास जो कचोलिया बांध बनाया गया है उसका कार्य एक व्यक्ति डी.जी.एस.डी. रेट पर करने को तैयार था लेकिन वही कार्य दूसरे व्यक्ति को अन्य रेट पर दिया गया है और वहां जो चन्दलाई बांध का 14 लाख का काम शुरू हुआ है उसमें से केवल चार लाख का काम अभी तक हुआ है।

सिंचाई मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसमें 1981-82 और 1982-83 के कुल मिलाकर 207 कामों का विवरण है। माननीय सदस्य एक स्पेसिफिक काम के बारे में सप्लीमेंट्री करें। अगर उनको किसी स्पेसिफिक काम के बारे में जानकारी करनी थी और अपने प्रश्न को वहीं तक सीमित रखते तो हम उसकी तैयारी करके आते। 207 कामों में से किसी एक को टेक अप करके आप पूछें तो कैसे उत्तर देना सम्भव है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, चन्दलाई बांध का कोई काम नहीं हुआ है। इसी तरह से 12 काम बिलकुल शुरू नहीं हुए हैं ··

श्री अध्यक्ष : वही बात आपने कह दी जो मैं कह रहा था। अगर आपको चन्दलाई बांध के बारे में पूछना था तो अपने प्रश्न को वहीं तक सीमित रखना चाहिए था

अगला प्रश्न। श्री भैरूंसिंह गुर्जर।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 21 फरवरी, 1983)

राज्य कर्मचारियों की हड़ताल एवं बेरी कमीशन रिपोर्ट से वित्तीय भार

55. **श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खाचरी) :** क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) 18 मार्च, 1982 से 9 अप्रेल, 1982 तक राज्य कर्मचारियों की हड़ताल से राज्य सरकार पर कितना वित्तीय भार पड़ा ?

(2) बेरी कमीशन की रिपोर्ट के लागू हो जाने से राज्य सरकार पर कितना व्यय भार होगा ?

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

(3) उक्त दोनों खर्चों की राशि में अन्तर कितना है ?

राज्य मंत्री, वित्त (श्री प्रद्युम्नसिंह) :

(1) रु. 7,52,090.50 पैसे ।

(2) रु. 33.70 करोड़ ।

(3) दोनों खर्चों में कोई समन्वय नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पूर्व में भी स्थगित किया गया था । इस प्रश्न के संबंध में कृषि विभाग, परिवहन विभाग, राजस्थान नहर मण्डल तथा प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग से अपेक्षित सूचना प्राप्त नहीं हुई है । इसमें सारे राजस्थान में एक-एक हैड ग्राफ दी डिपार्टमेंट, राजस्थान के सारी डिस्ट्रिक्ट, सारे एस.पी.ग्र. से इन्फार्मेशन लेनी थी जिसमें से सिर्फ उपरोक्त चार विभागों से सूचना प्राप्त नहीं हो सकी । चूंकि यह प्रश्न पहले भी स्थगित हो चुका है इसलिए मैंने यह उचित समझा कि जिन विभागों से जानकारी प्राप्त हो चुकी है वह आपको बता दूं । उसके अनुसार सात लाख और 52 हजार कुछ का खर्चा हुआ है और जो शेष चार-पांच विभाग रह गये हैं उनका लगभग तीन चार लाख का खर्चा और हुआ होगा । चूंकि यह प्रश्न पहले भी स्थगित हो चुका था इसलिए मैंने उनसे सूचना प्राप्त नहीं होने पर भी प्रश्न का उत्तर देना उचित समझा है । इसको बार-बार स्थगित कराना मुनासिब नहीं था । काफी कम समय में इतनी बड़ी सूचना एकत्रित करके प्रस्तुत कर दी है ।

श्री अध्यक्ष : ठीक किया आपने ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी ने क्या-क्या घोषणायें कीं और कब-कब कीं ? नम्बर दो, घोषणाओं की क्रियान्विति में क्या प्रगति हुई और कौन-कौन से मुद्दे अभी चल रहे हैं जिन पर अभी तक विचार होना बाकी है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था कर्मचारियों के साथ हड़ताल के दौरान, उस एग्रीमेंट के उपरांत हड़ताल खुली थी । जो एग्रीमेंट की मुख्य बातें थीं उन को तो हमने स्वीकार कर लिया है, उसके उपरांत हमारे पास रिप्रेजेन्टेशन आदि काफी आ रहे हैं । अगर आप मूल प्रश्न को देखें; श्रीमन, तो इसके अन्दर वित्तीय भार के ऊपर अधिक स्ट्रेस किया है अब किन मुद्दों पर कौन से रिप्रेजेन्टेशन आदि प्राप्त हुए हैं वह इस प्रश्न के अन्दर उन्होंने नहीं पूछा है । जो वित्तीय भार राज्य सरकार पर पड़ा, वह मैंने अपने उत्तर में बहुत स्पेसिफिक रूप से बता दिया है, श्रीमन् ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें, जो कर्मचारियों के लीडर्स या नेताओं के साथ समझौता हुआ, उसके अनुसार इस समय जो आपने वेतनमान घोषित किये हैं क्या वे वेरी कमीशन द्वारा घोषित वेतनमानों से थोड़ा बहुत भी करीब का सम्बन्ध रखते हैं या बिलकुल आपने आउट राइट रिजेक्ट करके नये बना दिये हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, वेरी वेतन आयोग की जो सिफारिशें थीं, उन्हीं

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों से हमारा समझौता हुआ। अगर आप देखना चाहें तो मेरे पास समझौते की कापी है। जो कर्मचारियों से समझौता हुआ वह काफी विस्तृत है। चार पेज के अन्दर है। उसको पढ़ना मेरे लिए······

श्री अध्यक्ष : पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह मेरे पास है पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री यदुनाथसिंह : इसको सदन की मेज पर रख दें।

श्री नाथूसिंह : इसकी कापी सदन की मेज पर रख दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह: सदन की मेज पर, अगर आप कहें तो, मैं रख दूं। कोई छिपा हुआ है नहीं उसमें, जो आपने फाइनेन्शियल इम्पली-केशन्स मुझसे पूछे थे, वह मैंने बता दिया है। क्या समझौता हुआ था, आप चाहें तो पढ़ कर सुना दूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। श्रीमन्, जो सरकार को व्यय करना पड़ा एक साल के अन्दर, कर्मचारियों के समझौते के बाद, वह 33.70 करोड़ की राशि है। वह मैंने आपको राशि अर्ज कर दी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सवाल यह नहीं था। माननीय सदस्य ने सवाल यह पूछा है, बेरी कमीशन की रिपोर्ट के लागू हो जाने से राज्य सरकार पर कितना व्यय भार होगा। आपने तो बताया, कितना खर्चा हो गया। वह यह पूछ रहे हैं कि यदि इस रिपोर्ट को लागू किया जाय तो कुल कितना खर्चा होगा ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : ईयरली खर्चा इतना ही पड़ेगा, मैंने इसकी पूरी जानकारी ले ली है। थोड़ा-सा आगे आने वाले साल में विद ए लिटिल वेरियेशन, मोर लाख मान लीजिये, कर्मचारियों की संख्या बढ़ती है तो नेचुरली उसी अनुपात में खर्चा बढ़ जाएगा। कोई ज्यादा, बहुत बड़ा वेरियेशन नहीं है, मोर लाख का होगा। मैंने इस पाइंट को पूछा था, एनुअल एक्सपेंडीचर बराबर एक-सा रहेगा। आज ही मैंने सप्लीमेंट्री के रूप में सवाल पूछा था तो मुझे विभाग के अधिकारियों ने मोर ए लाख के करीब-करीब राशि बतायी है। वही मोर ए लाख हर साल में करीब-करीब भार पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक क्वेश्चन और।

श्री प्रद्युम्नसिंह : हां, हां, पूछ लीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह माना जाय, राज्य सरकार के अनुमान से जो 33-34 करोड़ का खर्चा हुआ है, जो मांगें मंजूर कर ली गईं, बेरी कमीशन द्वारा जो सिफारिशें की गईं वह सभी लागू कर दी गईं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, बेरी कमीशन द्वारा सभी सिफारिशें जो की गई थीं, वह लागू नहीं की गई हैं, यह बात चूंकि कर्मचारियों की सब्सीक्वेंट स्टेज में हड़ताल के दौरान जो ··

(व्यवधान)

उस सवाल में मैंने कह दिया, नहीं लागू की गई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा क्वेश्चन फिर यह होता है, जो सिफारिशें लागू नहीं की गईं, उनके ऊपर कितना व्यय होगा ?

श्री अध्यक्ष : इस सवाल में पूछा नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, वैसे इसको वर्क आउट भी नहीं किया गया कि डिफरेंस कितना आयेगा, और न ही इसकी आवश्यकता थी क्योंकि कर्मचारियों से इस बीच में स्पेसिफिक पाइन्ट्स पर समझौता हो गया तो बेरी कमीशन की रिपोर्ट को···

(व्यवधान)

लागू करना कर्मचारियों के साथ जो समझौता हुआ था, उसके लिए आवश्यक नहीं था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बता दीजिये, जो कर्मचारियों से समझौता हुआ है, क्या उनकी सब मांगें मंजूर कर ली गई हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो समझौता हुआ है, उसमें उनकी जो मोटी-मोटी बातें थीं वह करीब-करीब सभी लागू कर दी गई।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : समझौता लागू कर दिया गया, मोटी-मोटी बातें हैं, इसमें तो बहुत कुछ बच जाता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप कहें तो मैं इसके बारे में पढ़कर सुना दूं यह।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो इतना सा कह दीजिये कि यह समझौता लागू कर दिया गया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जहां तक मेरी जानकारी है जो कर्मचारियों से समझौता किया था राज्य सरकार ने, उसको लागू कर दिया गया है।

श्री नाथूसिंह : तो फिर विवाद किस बात का है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री मेघराज तावड़। अन्तिम पूरक प्रश्न। प्रश्नकाल समाप्त हो रहा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : विवाद जो चल रहा है कर्मचारियों का, उस वक्त जो समझौता किया उसके बाद वह लोग कुछ नई समस्याएं लेकर सामने आये। विवाद इन बातों का है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, कृपया विराज जायें। श्री मेघराज।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, क्या यह बात सही है जो समझौता कर्मचारियों के साथ हुआ उसमें जब आपने मोटी-मोटी बातें लागू की हैं लेकिन असन्तुष्ट अभी भी हैं, अभी भी आपको नोटिस दे रखा है ? क्या यह सही है, बेरी आयोग की रिपोर्ट को एक तरफ रख दिया और बृजसुन्दर शर्मा आयोग लागू कर दिया गया ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, कोई बृजसुन्दर शर्मा आयोग लागू नहीं किया गया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कोई इस पर अलग से कमेटी बनायी है, जिसने बेरी कमीशन की भावना को बदल दिया ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। यह बड़ा विस्तृत प्रश्न है। इसको प्रश्न के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : नये वेतन-मानों से राज्य कर्मचारियों को और घाटा हुआ है। उनकी पूंजी ज्यादा जमा होगी। उनको कुछ नहीं मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। आय-व्ययक पर वाद-विवाद हो उस समय आप कहें।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। कृपया बैठ जायें। प्रश्न-काल समाप्त हुआ।

श्री दाऊदयाल जोशी : बेरी वेतन आयोग की सिफारिशें वैधों····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : कल रात के 11 बजे पत्रकारों की पुलिस वालों ने पिटाई की ··

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा। मैं इसी सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। मेरी बात तो सुनें। मैं इसी सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न किया था, आप उसका उत्तर दिलवा दें। बेरी वेतन आयोग के ऊपर कोई सलाहकार समिति बनायी थी, उसने बेरी वेतन आयोग की भावना को बदल कर रिकमण्डेशन्स दी हैं···

श्री अध्यक्ष : काफी लम्बी चौड़ी है, काफी बड़ा रिकार्ड है। माननीय सदस्या अन्य किसी तरीके से उठायें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय बता सकते हैं, उनके पास उत्तर है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

धौलपुर व करौली क्षेत्र की डाकू समस्या का निराकरण

262. **श्री जनार्दन सिंह गहलोत** (करौली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) धौलपुर व करौली क्षेत्र में गत वर्ष में कितनी डकैतियां हुई ?

(2) कितने डाकू पकड़े गये ?

(3) कितने डाकू मारे गये ?

(4) कितनों ने आत्म-समर्पण किया?

(5) क्या इस क्षेत्र में अभी भी डाकू समस्या व्याप्त है ? यदि हां, तो उसके निराकरण की दिशा में क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) धौलपुर व करौली क्षेत्र में गत वर्ष में 16 डकैतियां हुई।

(2) 72 डाकू पकड़े गये।

(3) 13 डाकू मारे गये व एक डकैत जंगल में मरा पाया गया। इस तरह 14 डाकू मारे गये।

(गृह मंत्री)

(4) एक डकैत अदालत में हाजिर हुआ।

(5) यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमाओं से लगता है। वहाँ के अधिकतर बदमाश बाद वारदात चले जाते हैं जिनके निराकरण के लिये नाकाबन्दी व गश्त समय समय पर की जाती है। आर. ए. सी. की पार्टियां इस क्षेत्र में मय वायरलैस सेट के लगा रखी हैं। सूचना मिलने पर तुरन्त कार्यवाही की जाती है। इस समस्या के निराकरण हेतु सीमावर्ती राज्यों के उच्च पुलिस अधिकारियों से समय-समय पर मंत्रणा की जा कर नियंत्रण के कदम उठाये जाते हैं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जमवा रामगढ़ मोड़ सीकर बाई-पास सड़क की चौड़ाई

264. **श्री चाव खां (कामां) व श्री यदुनाथसिंह (नदबई)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जमवा रामगढ़ मोड़ (आमेर रोड, जयपुर) सीकर बाई-पास की चौड़ाई सभी स्थलों पर बराबर नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त रोड की चौड़ाई कहीं कहीं 35 या 40 फीट भी है? अगर हां, तो रोड की जहां चौड़ाई 50-60 फीट या इससे ज्यादा है तथा उसमें कुछ मकानों का दो चार फीट हिस्सा ही आ रहा है तो उक्त स्थलों पर रोड की चौड़ाई कम न करने का क्या कारण है? उक्त रोड का नक्शा मय प्रभावित मकानों की सूची सदन की मेज पर रखें?

(3) क्या राज्य सरकार ऐसे स्थलों पर जहां रोड की चौड़ाई सामान्यतः 35-40 फीट से ज्यादा है तथा मकानों का 2-4 फीट हिस्सा आ रहा है, ऐसे मकानों को न तोड़ने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। माउंट रोड जमवा रामगढ़ मोड़ (आमेर रोड) जयपुर सीकर बाई-पास की चौड़ाई प्रथम चरण में सामान्यतः 40 फीट रखी गई है व इसकी परिधि को ऐसे टुकड़ों में जहां कि इससे अधिक चौड़ाई का चलता रास्ता मौजूद है बढ़ा कर 50-60 फीट तक रखी गई है। अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में ज्यादा व्यक्तियों को प्रभावित न करते हुए, इसे कुछ छोटे टुकड़ों व 30 फीट तक भी सीमित किया गया है।

(2) जी हां। यह सही है कि उक्त रोड की चौड़ाई कहीं-कहीं 35-40 फीट है और कहीं-कहीं 40-50 फीट भी है। सड़क की चौड़ाई तय करने का आधार किसी लम्बाई विशेष में कम से कम आबादी को प्रभावित करते हुए आम उपलब्ध चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए किया गया है न कि किसी मकान विशेष की स्थिति (लोकेशन) को देखते हुए। ऐसा इस कारण से करना आवश्यक है कि मकानों विशेष की स्थिति को देखते हुए अगर थोड़ी थोड़ी दूरी पर सड़क में घुमाव दिये जायं तो सड़क तकनीकी मापदण्डों पर खरी न उतरेगी। रोड़ का 40 फीट से अधिक चौड़ाई वाले हिस्से का मानचित्र व प्रभावित मकानों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(28)

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

(3) ऐसे स्थलों, जहां रोड की चौड़ाई सामान्यत: 40 फीट से अधिक है, पर किसी प्लाट में निर्मित मकान का कुछ भी हिस्सा प्रभावित नहीं होता है अतः मकान तोड़ने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

(मानचित्र विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

राज्य में विभिन्न आन्दोलन

265. श्री वीरेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जनवरी, 1982 से दिसम्बर 1982 तक प्रदेश में कुल कितने आन्दोलन हुए ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आन्दोलनों में गोली काण्ड, लाठी चार्ज अथवा अन्य प्रकार का बल प्रयोग करना पड़ा? यदि हां, तो क्यों?

(3) उपरोक्त आन्दोलनों में व्यवस्था पर कुल कितना व्यय हुआ ?

उत्तर

(1) जनवरी. 1982 से दिसम्बर, 1982 तक कुल 1278 आन्दोलन हुये। सूची संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त आन्दोलनों के समय उत्तेजित एवं हिंसा पर उतारू भीड़ पर नियंत्रण करने हेतु पुलिस को लाठी चार्ज, गोली चलाने अथवा अन्य प्रकार के बल का प्रयोग करना पड़ा।

(3) लगभग 8,03,095 रुपया उक्त आन्दोलनों की व्यवस्था पर व्यय हुआ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

राज्य में भारतीय सीमेंट निगम की स्थापना

266. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार की जानकारी में है कि भारतीय सीमेंट निगम राजस्थान में 25 लाख टन क्षमता का सीमेंट का कारखाना लगाने का विचार कर रही है ?

(2) यदि हां, तो उक्त कारखाना किस स्थान पर लगाया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) भारतीय सीमेंट निगम द्वारा यह कारखाना तहसील हिन्डोली, जिला बून्दी में स्थापित किया जायेगा। भारतीय सीमेंट निगम के पक्ष में आशय पत्र स्वीकृत करने हेतु राज्य सरकार की सिफारिश भिजवाई जा चुकी है एवं निगम के पक्ष में 2193.800 हैक्टर्स चूने पत्थर के क्षेत्र के लिये पूर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किया जा चुका है जिसमें निगम की टीम द्वारा प्रारम्भिक अनुसंधान कार्य किया जा रहा है।

सांगानेर व बगरू के उद्योग

267. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि सांगानेर व बगरू की छपाई विश्वविख्यात है, परन्तु यह उद्योग अब निरन्तर अवनति कर रहा है ?

(श्रीमती विद्या पाठक)

(2) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(3) राज्य सरकार ने इस उद्योग को क्षति से बचाने के लिये क्या प्रक्रिया व योजना बनाई है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि सांगानेर व बगरू में छपाई का कार्य काफी प्राचीन समय से हो रहा है एवं यहां के छपे हुए वस्त्रों की देश-विदेश में काफी मांग रहती है। वर्तमान में उद्योग अवनति कर रहा है ऐसी कोई जानकारी राज्य सरकार के पास नहीं है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

सरपंच ग्राम ककरावदा (इटावा) द्वारा पशु क्रय सम्बन्धी शिकायतें

268. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** (बारां) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या कोटा जिले की पंचायत समिति इटावा के ग्राम पंचायत ककरावदा के सरपंच ने चयनित परिवारों के लिए पशु क्रय कराने में भ्रष्टाचार की शिकायत जिला प्रशासन को की है ? यदि हां, तो यह शिकायत कब की गई थी, और क्या इसकी जांच की गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट, सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

कोटा जिले की पंचायत समिति इटावा के ग्राम पंचायत ककरावदा में पशु क्रय करने में भ्रष्टाचार की शिकायत जिला प्रशासन को प्रधान पंचायत समिति इटावा के माध्यम से प्राप्त हुई थी। जांच करने पर कोई दोषी नहीं पाया गया व पशुओं का क्रय हुआ है।

राज्य में पेट्रोल पम्प्स लूटने की घटनाएं

269. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे;—

(1) राज्य में अप्रेल 1982 से लेकर 31 जनवरी, 1983 तक पेट्रोल पम्पों को लूटने की कितनी घटनाएं हुई ?

(2) उक्त घटनाओं में कितनी धन-राशि लूटी गई और उसमें से कितनी बरामद हुई ?

(3) क्या उक्त कांडो में लिप्त व्यक्तियों को पकड़ा गया है ? यदि हां, तो कितनों को ?

उत्तर

(1) राज्य में 1 अप्रेल, 1982 से 31 जनवरी, 1983 की अवधि के दौरान पेट्रोल पम्पों को लूटने की 5 घटनाएं घटित हुई।

(2) उक्त घटनाओं में 28863-00 रुपये की धनराशि लूटी गई जिसमें से बरामदगी नहीं हुई है।

(3) जी हां। 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना

270. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार ने बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाये जाने के लिये भारत सरकार को कोई योजना बनाकर वर्ष 1982 में प्रस्तुत की थी ? यदि हां, तो अब तक इस पर क्या प्रगति हुई है ?

(श्री नन्दलाल मीणा)

(2) क्या राज्य सरकार ने बंजर भूमि का सर्वेक्षण करवाया था, यदि हां, तो चित्तौड़गढ़ जिले की किस-किस तहसील को इस योजना में सम्मिलित किया गया है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। राज्य के कुछ जिलों मे भूमि का सर्वेक्षण भारत सरकार के सुझावानुसार करवाया गया था। चित्तौड़गढ़ जिले की सभी तहसीलों को सर्वेक्षण मे सम्मिलित किया गया था।

वाणिज्य कर विभाग के निलम्बित अनुसूचित जन जाति के कर्मचारी

271. **श्री नंदलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वाणिज्यिक कर विभाग के अनुसूचित जन जाति के कितने कर्मचारी निलम्बित हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कर्मचारियों के निलम्बन के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) अनुसूचित जन जाति के 8 कर्मचारी निलम्बित है। सूची संलग्न है।

(2) निलम्बन का कारण संलग्न सूची की कालम संख्या 6 में अंकित है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1, देखें)

बांसवाड़ा जिले में नाजायज शराब के ठेके

273. **श्री फतेसिंह** (कुशलगढ़): क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में पूर्ण शराबबन्दी होने के बावजूद जिला बांसवाड़ा में विभागीय अधिकारियों ने शराब निकाल कर बेचने के ठेके हर गांव में दे रखे हैं ? यदि हां तो क्यों ?

(2) क्या राज्य सरकार उक्त अधिकारियों के खिलाफ जांच कर कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

अजमेर नगर में पेयजल टंकी का निर्माण

274. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) व **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) अजमेर नगर में जल वितरण हेतु पहाड़गंज में टंकी का निर्माण कार्य शुरू हुआ, कब समाप्त हुआ और इसका निर्माण किस एजेन्सी द्वारा कराया गया।

(2) इस टंकी निर्माण की मूल योजना में कितनी लागत व समयावधि अनुमानित थी उन दोनों में कितनी-कितनी वृद्धि हुई एवं वृद्धि के कारण क्या थे ?

(श्री कैलाश मेघवाल)

(3) क्या यह सही है कि इस टंकी निर्माण के प्रभारी ओवरसियर सहायक अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता की तकनीकी योग्यता सिविल इन्जीनियरिंग की नहीं होकर मेकेनिकल इन्जीनियरिंग होने से कई तकनीकी खामियां रही हैं ?

उत्तर

(1) अजमेर नगर में जल वितरण हेतु पहाड़गंज में टंकी का निर्माण कार्य दिनांक 15-12-80 को प्रारम्भ हुआ तथा दिनांक 30-5-81 को समाप्त हुआ। निर्माण का कार्य श्री ओम प्रकाश गुप्ता ठेकेदार अजमेर द्वारा कराया गया।

(2) मूल योजना में इस टंकी की अनुमानित लागत 4.00 लाख रुपये थी व अनुमानित समयावधि नहीं दी गई थी। टंकी का कार्य 2,65,501 रुपये में सम्पन्न हुआ। मूल योजना में टंकी की अनुमानित लागत व समय अवधि में कोई वृद्धि नहीं हुई।

(3) जी नहीं।

तहसील फागी में पेयजल सुविधा

275. **श्री रामकंवार बैरवा** (फागी): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील फागी में पीने के पानी की पूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं ? यदि हां, तो सरकार इस कमी को दूर करने हेतु क्या कदम उठा रही है ?

(2) क्या सरकार मासी नदी से पानी लाकर जल संकट को दूर करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक कार्यवाही हो जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, फागी तहसील में कुल 111 समस्याग्रस्त ग्राम हैं इनमें से जनवरी, 83 तक 41 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है। शेष गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है। धन उपलब्धि के अनुसार योजनायें क्रियान्वित की जा सकेंगी।

(2) जी नहीं।

सिंचाई विभाग में विभागीय पदोन्नतियां

276. **श्री सी.पी. जोशी** (नाथद्वारा): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1974 में सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता पद पर पदोन्नति देने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हुई थी जिसमें सेवा नियमों के अनुसार वर्ष 1964 से 1974 तक के अधिशासी अभियन्ताओं के खाली पदों हेतु चयन कर लिया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस बैठक के चयन के निर्णय को वर्ष 1979 में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि पुनः वर्ष 1981 में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हुई और उसमें 1964 से 1973

(श्री सी. पी. जोशी)
तक के खाली पदों हेतु ही चयन किया गया? यदि हाँ, तो इस बैठक में 1974 के वर्ष के चयन को क्यों छोड़ दिया गया ?

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिनांक 12-3-1974 को एस.बी.सी.डब्ल्यू पीटीशन नं. 346/1969 रामशरण शर्मा बनाम राज्य में यह स्पष्ट निर्णित किया है कि डी.पी.सी. की बैठकें प्रति वर्ष होनी ही चाहियें ?

(5) तो, क्या कारण है कि 1974 से अब तक के वर्षों के रिक्त पड़े पदों को भरने हेतु बैठक नहीं हो रही है ? अब बैठक कब तक करा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। पुनरावलोकन बैठक के समय वर्ष 1973 के पश्चात् रिक्त पदों के लिए योग्य व्यक्तियों में आपसी वरिष्ठता एवं पदोन्नति वर्ष आवंटन के मामले उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने व उनमें स्थगन आदेश प्रभाव में होने से आगे चयन नहीं किया गया।

(4) जी हां। सिद्धान्तत : विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक प्रति वर्ष होनी चाहिए।

(5) बैठक आयोजित नहीं करने के कारण ऊपर वर्णित किये गये हैं। न्यायालयों में विचाराधीन वरिष्ठता एवं वर्ष निर्धारण संबंधित मामलों में अन्तिम निर्णय होने अथवा स्थगन आदेश निरस्त होने पर ही आगे कार्यवाही संभव हो सकेगी।

अजमेर जलप्रदाय योजना हेतु वायर क्रय में अनियमितताएं

277. **श्री रंगजी मीणा** (सपोटरा) व **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(1) क्या यह सही है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग सिटी प्रथम खण्ड, अजमेर के वर्तमान में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता ने अजमेर वाटर सप्लाई स्कीम हेतु चेकराज एण्ड कम्पनी, जयपुर से वित्तीय नियमों के विपरीत बिना निविदाएं आमंत्रित किये बीस हजार रुपये का वायर अजमेर वाटर सप्लाई स्कीम हेतु खरीद किया ?

(2) क्या यह भी सही है कि यह वायर हल्के स्तर का व बहुत ही मंहगे भाव से खरीदा गया है ?

(3) क्या राज्य सरकार ने इस बारे में सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध जांच का निर्णय लेकर उसको चार्जशीट दे दी है ? यदि हां, तो कृपया चार्जशीट एवं स्टेटमेंट आफ एलीगेशन्स की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में सम्बन्धित अधिकारी से अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया है।

(2) वायर हल्के स्तर का या महंगे भाव के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी से अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री)

(3) सम्बन्धित अधिकारी से अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, अजमेर द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके पश्चात ही अनुशासनात्मक कार्यवाही के बारे में सोचा जा सकता है।

अजमेर की अजय नगर बस्ती में पेयजल समस्या

278. श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अजमेर में 500 मकानों की अजय नगर बस्ती में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि अजय नगर बस्ती में पेयजल की सदैव कमी रहती है? यदि हां, तो उपरोक्त 500 घरों की बस्ती में पेयजल की समुचित व्यवस्था कब तक करादी जायेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) हाउसिंग बोर्ड व नगर सुधार न्यास द्वारा बनाये गये नये मकानों को छोड़कर शेष अजय नगर को सुचारू रूप से पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। सम्बन्धित विभाग द्वारा इस बस्ती की योजना के लिये राशि जमा कराने पर उन नये मकानों को पेयजल से लाभान्वित किया जा सकेगा।

बीकानेर नगर की रामपुरा बस्ती में बिना जल प्रदाय बिलों की वसूली

279. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बीकानेर नगर की रामपुरा बस्ती में पीने के पानी का कौन सा साधन है?

(2) क्या रामपुरा बस्ती में पानी सप्लाई का एकमात्र साधन मुक्ता प्रसाद नगर ट्यूबवैल है? यदि हां, तो यह ट्यूबवैल सन् 1982 में कितने दिन बन्द रहा व कितने दिन चालू रहा?

(3) क्या यह भी सही है कि मुक्ता प्रसाद नगर ट्यूबवैल 5 मार्च से 22 मई, 1982 तक बन्द रहा? यदि हां, उक्त कच्ची बस्ती के लोगों से पानी का खर्च जल प्रदाय विभाग द्वारा क्यों लिया गया?

(4) क्या सरकार उक्त समय में बिना पानी दिए, ली गई राशि का समायोजन करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बीकानेर नगर की रामपुरा बस्ती को मुक्ता प्रसाद नगर के नलकूप से पीने का पानी उपलब्ध कराया जाता है। नलकूप के खराब होने पर दूसरे स्रोत से पानी लेकर पेयजल वितरित किया जाता है।

(2) जी नहीं।

(3) मुक्ता प्रसाद नलकूप 29 जनवरी, 82 से 23 फरवरी, 2 मार्च से 13 मई, 16 जुलाई से 20 जुलाई, 1982 तक बन्द

(34)

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री)

रहा। बन्द के समय दूसरे स्रोत से पेयजल प्राप्त कर वितरित किया गया। इसलिए विभाग द्वारा पानी का बिल चार्ज किया गया।

(4) जी नहीं, प्रश्न का उत्तर भाग तीन में दे दिया गया है।

बाड़मेर शहर में पेयजल सुविधा

280. **श्री देवदत्त तिवाड़ी** (बाड़मेर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या बाड़मेर शहर में डाली हुई पाइप लाइन शहर में सभी जगह पानी पहुँचाने के लिए पर्याप्त है? यदि नहीं, तो पूरे शहर को पर्याप्त पानी व्यवस्था करने के लिए कुल कितने किलोमीटर पाइप लाइन की आवश्यकता और होगी, और उस नई लाइन की अलग-अलग क्या मोटाइयां होंगी?

(2) क्या यह भी सही है कि शहर में जो पानी उपलब्ध किया जाता है, उसके एकत्रित करने के पर्याप्त साधन विभाग के पास नहीं हैं?

(3) कृपया यह भी बतलाने का कष्ट करेंगे कि यदि बाड़मेर शहर के पास के दो दिन की सप्लाइ का पानी एकत्र किया जाय तो कितने बड़े रिजर्वायर की आवश्यकता होगी?

उत्तर

(1) जी नहीं। पूरे को पर्याप्त पानी वितरण करने हेतु कुल 4.50 किलोमीटर पाइप लाइन की और आवश्यकता होगी, ये पाइप लाइनें 80 मि.मि., 100 मि.मि. व 150 मि.मि. व्यास की होंगी।

(2) जी नहीं।

(3) बाड़मेर शहर में वर्तमान स्वीकृत योजना के अनुसार दो दिन तक जल वितरण करने की मात्रा को एकत्रित करने के लिये 24.0 लाख गैलन क्षमता के जलाशयों की आवश्यकता होगी।

जैसलमेर जिला में खडीनों का निर्माण

281. **श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी** (जैसलमेर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जैसलमेर जिले में अब तक सिंचाई विभाग ने कितने खडीनों का निर्माण किया है? इन खड़ीनों से कितनी भूमि सिंचित हो रही है?

(2) इस वर्ष कितने खडीनों की स्वीकृति प्रदान की गई और कितनों का कार्य पूर्ण हो गया है व कितने का कार्य निर्माणाधीन है?

(3) राज्य सरकार की जिले में खडीनों से सिंचाई के साधन बढ़ाने हेतु क्या योजना है?

उत्तर

(1) सिंचाई विभाग द्वारा जैसलमेर जिले में मार्च, 1982 तक कुल 235 खड़ीनों का निमाण करवाया जा चुका है। इनके निर्माण से 10964 हैक्टेयर (2708 एकड़) भूमि में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना प्रस्तावित था।

(सिंचाई मन्त्री)

(2) इस वर्ष प्लान, डी.पी.ए.पी. व डी.डी.पी. के अन्तर्गत कोई कार्य की स्वीकृति नहीं हुई है। पिछले वर्ष 81-82 के स्वीकृत दो कार्यों में से एक कार्य पूर्ण हो गया है एवं एक कार्य प्रगति पर है। इस वर्ष अकाल राहत के अन्तर्गत सम्वत् 2038 के अधूरे रहे 36 कार्य पुनः स्वीकृत हुए, जिसमें से एक कार्य पूर्ण हो गया और 25 कार्य निर्माणाधीन हैं। दस कार्य आरम्भ नहीं हो सके।

(3) जिले में सिंचाई के साधन बढ़ाने हेतु 12 खडीनों के सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है सर्वेक्षण पूर्ण होने के पश्चात् उनकी तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर प्रस्ताव तैयार कर दिये जावेंगे एवं राज्य की वित्तीय स्थिति के अनुसार इनके निर्माण पर विचार किया जावेगा।

टोंक पंचायत समिति क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा

282. **श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)** : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या टोंक पंचायत समिति क्षेत्र में आबादी के हिसाब से चिकित्सा के साधन जैसे, अस्पताल डिस्पेन्सरी, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, एडपोस्ट सबसेन्टर निर्धारित मापदण्ड के अनुसार हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) टोंक पंचायत समिति क्षेत्र की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में नियमों के अनुसार कितना-कितना स्टाफ होना चाहिए?

(3) क्या यह सही है कि टोंक, पंचायत समिति में आजादी के 35 साल के बाद भी पर्याप्त तो क्या न्यूनतम चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई गई ?

(4) यदि हां, तो क्यों ? इस क्षेत्र में अब कब तक निर्धारित नियमों एवं मापदण्डों के अनुसार चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा दी जावेगी ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सूची संलग्न ।

(3) जी नहीं।

(4) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

अशिक्षित डाक्टरों की नियमित नियुक्तियां

283. **श्री जीतमल जैन (अलवर)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या केन्द्रीय सरकार की ओर से राज्य में कार्यरत अशिक्षित डाक्टरों की सेवाओं को नियमित करने का सुझाव प्राप्त हुआ है ?

(2) अगर हां, तो राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ? कृपया जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) केन्द्रीय सरकार के सुझावों के अनुसार विधि विभाग के परामर्श से एक कानून बनाने का मामला विचाराधीन है।

(36)

पंचायत समिति खारची एवं मारवाड़ जंक्शन में चिकित्सा सुविधायें

284. श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति खारची (मारवाड़ जंक्शन) में कितने अस्पताल व प्रसूति गृह सुचारू रूप से चल रहे हैं ?

(2) क्या उक्त संस्थायें इन पंचायत समिति की जनसंख्या के आधार पर पूरे हैं? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार वर्ष 1983–84 में मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति में अस्पताल या प्रसूति गृह खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति खारची (मारवाड़ जंक्शन) जिला पाली में निम्न चिकित्सा संस्थान स्वीकृत हैं :—

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	(1) खारची 8 पलंग
डिस्पेन्सरी–5	(1) आंवा
	(2) रानावास
	(3) ढानला
	(4) बन्ता
	(5) जोजावर

इस पंचायत समिति में प्रसूति केन्द्र स्वीकृत नहीं है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

अजमेर नगर की गीतानगर एवं अंगीरा नगर में सड़क व नालियों का निर्माण

285. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर-पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद, अजमेर के क्षेत्राधिकार में गीतानगर एवं अंगीरा नगर में जिस तरफ गत 20 वर्षों से मकान नं. 652|21, 654/21, 665|21 व 697 ए/21 बने हुए हैं, उस तरफ सड़क एवं नालियों का निर्माण नहीं कराने की वजह से नागरिकों को कठिनाइयां सहन करनी पड़ रही हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि यहां के नागरिक लगातार नगर परिषद, अजमेर से इस सम्बन्ध में मांग करते हुए प्रार्थना-पत्र देते रहे ? यदि हां, तो नगर परिषद को ये प्रार्थना-पत्र कब-कब प्राप्त हुए और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अब इन अभावों की पूर्ति कब तक करा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। गीतानगर एवं अंगीरानगर क्षेत्र में सड़कों व नालियों का निर्माण समय-समय पर किया जाता रहा है। मकान नं. 652|21, 654/21, 665|21 एवं 697 ए/21 के सामने बिना डामर की सड़क बनी हुई है और नालियां कच्ची हैं।

(2) जी हां। दिनांक 12–10–81, 12-11–81 एवं 14–11–82 को

(स्वायत्त शासन मंत्री)

प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए । सड़क निर्माण करवा दिया गया है, परन्तु डामर बिछाना बकाया है ।

(3) सड़क पर डामर बिछाने का कार्य डामर उपलब्ध होते ही पूर्ण करा दिया जावेगा । नालियों का निर्माण चालू वित्तीय वर्ष में करा दिया जावेगा ।

राज्य में लघु चिकित्सा इकाइयों का गठन

286. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार प्रत्येक जिले में लघु चल चिकित्सा इकाई बनाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो इसका गठन कब तक होगा ?

(2) उक्त इकाइयों पर कितना व्यय होगा और इसमें किस-किस श्रेणी के चिकित्सक होंगे ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उदयपुर नगर परिषद क्षेत्र की विभिन्न बस्तियों में सुविधाओं का अभाव

287. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रावतों की बाड़ी, खारा कुआ, गोवर्धन विलास, रूपसागर मनवाखेड़ा, निमंचमाता, नगर परिषद, क्षेत्र उदयपुर में हैं ? यदि हां, तो क्या इन बस्तियों में सड़कें, नालियां, बिजली व पानी की व्यवस्था उपलब्ध है? यदि नहीं,तो क्यों?

(2) क्या इस वर्ष के बजट में उक्त सभी पिछड़ी बस्तियों में प्राथमिक आवश्यकताएं पूर्ण कर दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक कार्य शुरू हो जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं । मनवाखेड़ा नगर परिषद क्षेत्र में नहीं है । शेष सभी क्षेत्र नगर परिषद क्षेत्र में स्थित हैं । रावतों की बाड़ी, गोवर्धन विलास व निमचमाता में सड़कें, नालियां, बिजली व पानी की व्यवस्था उपलब्ध है ।

(2) जी नहीं । रूपसागर एवं खाराकुआ में यह सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु अगले वित्तीय वर्ष में प्रावधित कराया जा सकेगा ।

मण्डावा में उत्पादित वस्तुओं पर चुंगी मुक्ति

288. **श्री लच्छूराम** (मण्डावा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि मण्डावा में स्थापित स्टील फैक्ट्री की मशीनों आदि सामान एवं उत्पादित सामान को नगरपालिका ने चुंगी से मुक्त रखा है ? यदि हां, तो इस सम्बन्धी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें । यदि नहीं, तो चुंगी के रूप में कब-कब कितनी आय हुई ?

(३९)

उत्तर

(1) जी नहीं। नगरपालिका ने ऐसी चुंगी मुक्ति सम्बन्धी कोई आदेश नहीं दिये हैं। दिनांक 13-1-83 को इस फैक्ट्री द्वारा आयातित सामान से 260.75 पैसे की चुंगी की आय नगरपालिका को हुई है आयातित मशीन की चुंगी नहीं चुकाने पर नगरपालिका द्वारा लक्ष्मी स्टील फैक्ट्री को नोटिस दिया गया है।

पंचायत समिति गिर्वा द्वारा किये गये विभिन्न व्यय

289. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति गिर्वा द्वारा 1-1-1982 से 31-1-1983 तक समिति की जीप पर पैट्रोल, डीजल व मरम्मत पर कितना व्यय किया ? कृपया मासिक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समिति ने दिनांक 1-1-1982 से 31-1-1983 तक टेलीफोन व्यय लोकल एवं ट्रंककाल पर कितना व्यय किया ?

(3) प्रधान, गिर्वा ने 1-1-1982 से 31-1-1983 तक कितनी राशि का मेडि--कल बिल एवं यात्रा भत्ता लिया तथा यात्रायें कहां-कहां व किस कारण से की ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) प्रधान द्वारा कोई चिकित्सा भत्ता एवं यात्रा भत्ता नहीं उठाया गया है। यात्रायें कहां-कहां व किस कारण से की गईं उसका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(सूचना व विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

मानपुर (सिकराय) के सरपंच द्वारा बिजली के सामान की खरीद

290. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पंचायत समिति, सिकराय की ग्राम पंचायत, मानपुर के सरपंच द्वारा इस वर्ष पशु मेले में दिलीप इलेक्ट्रिक स्टोर से सामान मंगाया गया था ? यदि हां, तो कितना ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या दुकान लाइसेंस शुदा है ?

(3) क्या इस मेले के खर्च की पूर्व अनुमति पंचायत समिति से प्राप्त कर ली गईं थीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) ग्राम मानपुर में दिलीप इलेक्ट्रिक स्टोर के नाम से कोई दुकान ही नहीं है, तो इस नाम से लाइसेंस होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) जी हां। ग्राम पंचायत, मानपुर के वर्ष 1982-83 के बजट में पशु मेले के खर्चे की स्वीकृति पंचायत समिति सिकराय से प्राप्त कर ली गई थी।

पंचायत समिति रानीवाड़ा में स्कूल भवन, कुए, टांकों आदि का निर्माण

291. **श्री रतनाराम चौधरी** (रानीवाड़ा): क्या पंचायत एवं सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(1) क्या यह सही है कि जिला जालोर रानीवाडा की पंचायत समिति क्षेत्र में काफी स्कूल, भवन के कारण अधूरे पड़े हैं? अगर हां, तो कौन-कौन से ?

(2) वर्ष 1980 से 1982 तक स्कूल भवन के निर्माण हेतु कितनी राशि पंचायत समिति रानीवाड़ा जालोर जिला परिषद से प्राप्त हुई और किन-किन पंचायतों में स्कूल भवनों का निर्माण करवाया गया ?

(3) कितने स्कूल भवनों का निर्माण कार्य पूरा करवा दिया गया और कितने स्कूल भवन अधूरे बने ?

(4) क्या यह भी सही है कि जिला परिषद, जालोर एवं पंचायत समिति, रानीवाड़ा द्वारा उक्त अवधि में सार्वजनिक कुओं एवं टांकों के निर्माण एवं मरम्मत हेतु पंचायतों को धनराशि दी गई ? यदि हां, तो किस-किस पंचायत को कितनी-कितनी ?

(5) क्या पंचायतों ने उक्त धनराशि से अपने-अपने क्षेत्र के सार्वजनिक कुए एवं टांकों की मरम्मत तथा नये निर्माण कार्य पूर्ण कराये हैं ? यदि हां, तो किस-किस पंचायत द्वारा ? यदि नहीं, तो क्यों ? और अब कार्य कब तक पूरे करवा दिए जायेंगे ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जिला परिषद जालोर के माध्यम से वर्ष 81-82 में 27,200|- रु. की राशि प्राप्त हुई थी। यह राशि जिन-जिन पंचायतों के स्कूल भवनों के निर्माण पर व्यय की गई है उसकी सूची सदन के पटल पर रखदी गई है।

(3) तीन स्कूल भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण तथा स्कूल भवन का कार्य अपूर्ण है।

(4) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

( ) जी हां। दो टांके व 5 कुओं के मरम्मत के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। जिनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

राज्य में पंचायतों को अनुदान

292. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुडामालानी): क्या सामुदायिक विकास एवं पंचायती मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार पंचायतों को अनुदान की राशि वर्तमान जनसंख्या के आधार पर 2.50 रु. से बढ़ाकर 5 रु की दर से देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) सरकार द्वारा पंचायतों को दिये जाने वाले अनुदान राशि का पंचायतें उपयोग किस-किस कार्यों में कर सकती हैं ? कृपया नियमों की सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए वर्तमान में अनुदान राशि की दर बढ़ाया जाना सम्भव नहीं है।

(सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

(2) पंचायतों को दिये गये अनुदान का उपयोग जिन जिन कार्यों में हो सकता है, उसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

तहसील सांगानेर व चाकसू की पंचायतों की आय के स्रोत

293. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसीलें, सांगानेर व चाकसू में ग्राम पंचायतों की आमदनी के स्रोत क्या-क्या हैं? क्या राज्य सरकार ने इसका सर्वे कराया है?

(2) क्या ग्राम पंचायत आमदनी के सभी संभावित स्रोतों व स्थानीय खनिज, नदी जल आदि का लाभ उठा रही है? क्या राज्य सरकार उन्हें इस कार्य में मदद कर रही है?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। राज्य सरकार द्वारा कोई सर्वे नहीं कराया गया है।

(2) जी नहीं, स्थानीय खनिज, नदी जल से कोई आय नहीं हो रही है यद्यपि राजस्थान पंचायत अधिनियम व नियमों में ग्राम पंचायत को कर तथा अन्य स्रोतों से आय बढ़ाने के अधिकार प्राप्त हैं और राज्य सरकार की जिन मामलों में पूर्वानुमति या स्वीकृति आवश्यक होती है, दी जाती है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

नगरपालिका एवं जिला परिषद् सेवा चयन आयोग का गठन

294. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या राज्य सरकार नगरपालिकाओं एवं जिला परिषदों के लिए सेवा चयन आयोग बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस आयोग का गठन कब किया जायेगा तथा क्या स्वरूप होगा? कृपया जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य में राजस्थान पंचायत एवं स्वायत्त शासन अधीनस्थ सेवा आयोग पहले से ही गठित है। अतः नया सेवा चयन आयोग गठित किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जैसलमेर जिले में चरागाह विकास हेतु दी गई राशि का अनियमित भुगतान

295. **श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी** (जैसलमेर): क्या भेड़ व ऊन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर के भेड़ व ऊन विभाग को 31 मार्च, 1982 को छः लाख रु. की धनराशि आवंटित की गई थी?

(2) क्या यह सही है कि उक्त राशि का उपयोग चारागाह विकास, भेड़ चराई, घास उत्पादन एवं तारबन्दी हेतु किया जाना था?

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)

(3) क्या यह सही है कि उक्त राशि का भुगतान विभाग द्वारा ठेकेदारों को करा दिया गया ?

(4) क्या यह सही है कि भुगतान होने तक मौके पर उठाई गई धनराशि का कार्य सम्पन्न नहीं कराया गया था ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। मार्च, 1982 तक विभाग द्वारा उक्त राशि में से कुल रुपये 2,81,352/- चारागाह विकास हेतु भुगतान संबंधित ठेकेदारों को किया गया।

(4) जी नहीं। अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

तहसील सीकर में भू-संरक्षण कार्य

296. **श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना)**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सीकर जिले की तहसील सीकर में जीणमाता व हर्ष के पहाड़ों में वर्षा के पानी से ग्राम बिडोली, भान्तरी, अर्जुनपुरा व मान्डोता में काफी वर्षों से भूमि का कटाव हो रहा है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार भू-संरक्षण विभाग से योजना बनवाकर इस कृषि भूमि को समतल करवायेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। भूमि को समतल कराने की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है और न ही कोई प्रस्ताव प्रस्तुत हुए हैं।

कृषि उपज मण्डी नोखा द्वारा दुकानों एवं सड़कों का निर्माण

297. **श्री सुरजाराम (नोखा)**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कृषि उपज मण्डी नोखा ने (जिला बीकानेर) 1981-82, 1982-83 मण्डी क्षेत्र में दुकानों एवं सड़कों का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो कितनी दुकानों का निर्माण किया एवं कुल कितना खर्चा मण्डी यार्ड बनाने में हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ये दुकानें किराये पर दे दी गई हैं ? यदि हां, तो कब दी गई ? क्या किराया निश्चित किया गया ? यदि नहीं, तो अब भी किराये पर न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

(3) कृषि उपज मण्डी, नोखा से पिछले सालों 1981-82, 1982-83 में कितनी-कितनी आय किन-किन साधनों से प्राप्त हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) मण्डी योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सड़कों की सूची सदन की मेज पर रखें। क्या इन सड़कों का कार्य शुरू कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष अनुसार निर्माण का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं, परियोजना कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही दुकानों को किराये पर देने की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

(कृषि मन्त्री)

(3) वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 का आय व्यय विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है।

(4) निम्न सड़कें स्वीकृत हैं :- (1) थावरिया से मेनसर 15 कि. मी. (2) साधासर से मसूरी 8 कि. मी.

कार्य आदेश जारी हो चुके हैं। शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

(भाग 1 का विवरण प्राप्त नहीं हुआ)

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार के तहत आवंटित राशि

298. **श्री रामसिंह विश्नोई** (*लूनी*) : क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केन्द्र सरकार से राज्य को पिछले दो वर्षों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत कितनी राशि प्राप्त हुई व इस राशि में से जिलेवार कितनी-कितनी राशि वर्षवार आवंटित की गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना के तहत आवंटित राशि में से निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होते हैं अगर हां, तो इसके लिए राज्य सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकार को पिछले दो वर्षों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत निम्न राशि प्राप्त हुई :—

वर्ष 1980-81 रु. 3,30,20,000

वर्ष 1981-82 रु. 4,68,00,000

इसके अतिरिक्त 7 करोड़ रुपये अग्रिम योजना सहायता के अन्तर्गत कार्यक्रम के अनुरूप कार्य चलाने हेतु प्राप्त हुये। वर्ष 1980-81 में राज्य सरकार का कोई हिस्सा नहीं था। वर्ष 1981-82 में 4 करोड़, 68 लाख रुपये राज्य सरकार ने लगाये थे। इस प्रकार राज्य को 2 वर्षों का जिलेवार कार्यक्रम परिशिष्ट (क) पर सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दिया है।

(2) जी हां, धनराशि राज्य की योजना सीमा के आधार पर व भारत सरकार द्वारा आवंटित धनराशि पर निर्भर करती है। आवंटित रकम से अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने में प्राथमिकता दी गई है।

(परिशिष्ट के लिए कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

जयपुर जिले में वृक्षारोपण कार्यक्रम

299. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पिछले 3 वर्षों में जयपुर जिले में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम पर कितनी धनराशि स्वीकृत व खर्च की गई ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उनमें से मदवार कितनी धनराशि पौधों की प्राप्ति पर, मजदूरी, खाद कीटनाशक, सिंचाई व अन्य रख रखाव पर व्यय की गई, कितनी वेतन व अन्य भत्तों पर ? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्रीमती विद्या पाठक)

(3) इस योजना के तहत लगाए पौधों में से कितने प्रतिशत पौधे जीवित हैं तथा शेष के नष्ट होने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 19 देखें)

अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. द्वारा घी का उत्पादन

300. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर-पूर्व) : क्या डेयरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. अजमेर में उसकी स्थापना से ही दि॰ 30-6-1979 तक घी के उत्पादन का प्रति के. जी. फेट के आधार पर कोई रेकार्ड नहीं रखा गया, जो कि इस तरह के संस्थान में रखना आवश्यक है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस तरह के रेकार्ड के अभाव में कितने दूध में से कितना क्रीम निकला और उस क्रीम से कितना घी बना, का अन्दाजा नहीं लग सकता और भ्रष्टाचार करने के अवसर उपलब्ध रहते हैं तथा इस तरह हानि या घाटे का पता नहीं लग सकता ?

(3) इस अव्यवस्था के लिए कौन-कौन उत्तरदायी थे और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. अजमेर में यद्यपि 1-8-77 से के. जी. फेट का रिकार्ड रखना प्रारम्भ किया गया था किन्तु नियमित रूप से यह रिकार्ड 1-7-78 से रखा गया।

(2) जी नहीं दूध क्रय, विक्रय व भुगतान आदि अभिलेखों के आधार पर उत्पादित क्रीम व घी का अन्दाजा लगाया जा सकता है।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 21 फरवरी, 1983)

मंत्रिमण्डल सदस्यों के विभिन्न शहरों में आवास

8. **श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) मंत्रिमंडल के सदस्यों के किन-किन शहरों में कितने-कितने मकान हैं ? क्या वे सम्पत्ति कर (वैल्थ टैक्स) देते हैं ?

(2) क्या वे भूमि व भवन कर देते है? यदि हां, तो कितना-कितना ?

(3) क्या उक्त मकानों का मूल्यांकन (वेल्यूएशन) हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हां, तो कितना-कितना ? कृपया पूर्ण ब्योरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वांछित सूचना संलग्न परिशिष्ट में अंकित है।

(मुख्य मन्त्री)

(2) वांछित सूचना संलग्न परिशिष्ट में अंकित है।

(3) वांछित सूचना संलग्न परिशिष्ट में अंकित है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 20 देखें)

(दिनांक 21 फरवरी, 1983)

थाना अशोकनगर क्षेत्रान्तर्गत चोरी प्रकरण

6. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि थाना अशोकनगर जयपुर में नवरतनमल जैन ने वर्ष 1980 से 1982 के मध्य में कई बार चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करायी थी? यदि हां, तो किस-किस प्रथम सूचना में पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा किन-किन व्यक्तियों के यहां से माल बरामद कर, उन्हे गिरफ्तार किया गया तथा कितने केस में न्यायालय में चालान पेश किये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1980 में एक पुलिस अधिकारी 48 घन्टे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने के पश्चात् भी उसे निलम्बित नहीं किया गया? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरण में सरकार ने जांच के आदेश दिये थे? यदि हो, तो जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें। यदि जांच नहीं की गई तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं, 80 से 82 तक एक मुकदमा सी. आर. नं. 428/81 अंतर्गत धारा 454, 380 ता. हि. का दर्ज हुआ। इस मुकदमें में 3-12-81 को एफ. आर. अदमपता दी गयी। पुनः प्रार्थी की सूचना पर 8-1-82 रघुराज बरनी के बरामदे से एक प्रेस पुरानी बरामद सूची (Open) जगह पर की गयी। इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं की गयी। मुकदमें में एफ. आर. अदमपता दिनांक 30-4-82 को दी गयी।

(2) जी नहीं।

(दिनांक 21 फरवरी, 1983)

अजमेर नगर में ऑटोरिक्शा निरीक्षण

7. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर की ट्रेफिक पुलिस द्वारा वहां पर चलने वाले ऑटोरिक्शा (थ्री व्हीलर) की चैकिंग की जाती रही है?

(2) यदि हां, तो माह जनवरी, 1983 में कितने ऑटोरिक्शाओं की चैकिंग की जाकर उनको किस-किस कमी के कारण कब कब जब्त किया गया और कब-कब छोड़ा गया? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि चैकिंग के बाद ऑटोरिक्शा वालों ने जब्त ऑटोरिक्शाओं को जमानत पर छोड़ने हेतु निवेदन किया लेकिन उन्हें नहीं छोड़ा गया? यदि हां, तो किस कानूनी प्रावधान के अन्तर्गत उन्हें जब्त कर सदर कोतवाली की सीमा में ले जाकर बन्द कर दिया?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) माह जनवरी, 1983 में 62 ऑटोरिक्शाओं को जब्त किया गया, सूची संलग्न है।

(3) मोटर व्हिकल्स एक्ट के अन्तर्गत जब्त ऑटोरिक्शाओं को रिलीज करने का अधिकार कानून में पुलिस अधिकारी को नहीं है। अदालत या परिवहन अधिकारी से रिलीज आदेश प्राप्त होने पर ही रिलीज किये जाते हैं। आदेश मिलने पर ऑटो रिक्शाओं को रिलीज कर दिया गया। ऑटो-रिक्शाओं को मोटर व्हिकल्स एक्ट की धारा 129 (ए) के अन्तर्गत जब्त किया था।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 21 देखें)

(दिनांक 25 फरवरी, 1983)

टोंक ज़िले में पिछड़े को पहले सूत्र के अन्तर्गत व्यक्तियों का चयन

115. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक): क्या विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) टोंक ज़िले में "पिछड़े को पहले" सूत्र के अन्तर्गत कौन-कौन से ग्रामों में कितने व्यक्तियों का चयन किया गया और कितनी अनुदान एवं ऋण राशि देकर लाभान्वित किया गया? कृपया पूर्ण ब्योरा सदन के पटल पर रखें।

(2) जिले में उक्त सूत्र के अन्तर्गत प्रेषित व्यक्तियों के आवेदन-पत्र कितने रद्द किये गये व क्यों एवं कितने व्यक्तियों के आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं?

उत्तर

(1) टोंक जिले में वर्ष 1981-82 व 1982-83 में पिछड़े को पहले सूत्र के अन्तर्गत 11757 गरीब परिवारों का चयन किया गया। इन चयनित परिवारों में से वर्ष 1981-82 व 82-83 में लाभान्वित परिवारों की स्थिति निम्न प्रकार है:—

(रु. लाखों में)

वर्ष	संख्या	अनुदान	ऋण
1981-82	1094	10.39	24.34
1982-83	1887	20.81	43.81

इनकी ग्रामवार सूचना संलग्न है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1981-82 में लघु एवं सीमांत कृषकों की सूची में से भी उन परिवारों को लाभान्वित किया गया था जिनके ऋण प्रपत्र पहले से बैंकों द्वारा स्वीकृत किये जा चुके थे।

(2) उक्त सूत्र के अन्तर्गत 5623 व्यक्तियों के ऋण प्रार्थना-पत्र बैंकों को भेजे गये जिनमें से 939 रद्द किये गये। रद्द करने का मुख्य कारण चयनित परिवारों पर अवधि पार ऋण बकाया होना व गांव छोड़कर बाहर चले जाना व कुछ के द्वारा ऋण लेने से इन्कार करना है। 1815 ऋण प्रार्थना-पत्र विभिन्न बैंक शाखाओं में अभी विचाराधीन हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 22 देखें)

(५६)

(दिनांक 25 फरवरी, 1983)

ग्रामीण क्षेत्र में पिछड़े को पहले योजना के तहत चयनित परिवार

114. **श्री बहादुरसिंह** (दानपुर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़े को पहले योजना के तहत चयनित परिवारों की महिलाओं के लिये पंचायतों के माध्यम से सिलाई मशीन उपलब्ध कराये जाने की योजना पर गत वर्ष 1981-82 व 1982-83 में कुल कितनी राशि व्यय की गई है ? कृपया जिलेवार सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह मशीनें चयनित परिवारों को ही दी गई हैं ? यदि नहीं, तो क्या अन्य परिवारों को भी दी गई हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) कृपया जिला बांसवाड़ा एवं भरतपुर में वितरित मशीनों की पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इस सम्बन्ध में 20 जिलों से सूचना प्राप्त हुई हैं जिसके अनुसार वर्ष 1981-82 एवं 82-83 में कुल 45.49 लाख रुपये व्यय हुये हैं। कुल मशीनें 7002 दी गई हैं। जिलेवार सूची संलग्न है। बाकी जिलों से सूचना प्राप्त होने पर सदस्य महोदय व विधान सभा को भेज दी जायेगी।

(2) चयनित परिवारों को दी गई है।

(3) इन जिलों से सूचना प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्त होने पर सदस्य महोदय को एवं विधान सभा को भेज दी जायेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 23 देखें)

सूचना

पत्रकार दीर्घा में पत्रकारों की अनुपस्थिति

श्री अध्यक्ष : जब प्रश्नकाल प्रारम्भ हुआ था उस वक्त माननीय सदस्यों ने मुझे सूचित किया कि प्रेस दीर्घा खाली है। मुझे यह बात कही गई कि इस घटना की जानकारी मंगवाई जाये। इस थोड़े समय में जो कुछ भी जानकारी मिली उसके अनुसार कोई समाचार जगत के सम्पादक, श्री अनिल वार्ष्णेय और पुलिस वालों के बीच क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, कुछ विवाद हुआ है। मैं विधिवत सरकार से इसकी जानकारी ले रहा हूं। शाम तक मैं माननीय सदस्यों को स्थिति से सूचित कर दूंगा।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : प्रेस को बुलाओ।

श्री अध्यक्ष : मैं अभी अंदर जाऊंगा तब इस संबंध में बात कर लूंगा टेलिफोन से। यथाशीघ्र जानकारी मंगाने की कोशिश करूंगा।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, सरकार की यह हालत है, लाठी चार्ज हुआ। असम वाले दिन जयपुर बंद था, आपका आदेश था, जानकारी मंगाकर सदन को जानकारी दिलायेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया था, मैं जानकारी ले लूंगा। सरकार ने दो तीन घंटे के बाद ही मुझे सूचित कर दिया था। मैंने यह कभी नहीं कहा था कि सरकार उसके संबंध में कोई वक्तव्य देगी या मैं सदन को सूचित करूंगा। ऐसी बात नहीं हुई थी। मैंने यह निवेदन किया था, सही स्थिति क्या है यह जानकारी ले लेंगे। वह जानकारी मैंने ले ली, उसी दिन ले ली,

(श्री अध्यक्ष)

लेकिन उसके बाद यह प्रश्न आया नहीं, इसलिये इसके बारे में यहां कोई व्यवस्था नहीं दी गई। इसको मैं स्थगन प्रस्ताव के रूप में मान कर के अंदर जाते ही तत्काल जानकारी लूंगा। उसके बाद मैं माननीय सदस्यों को स्थिति से अवगत करा दूंगा।

श्री नाथूसिंह : मैं निवेदन यह कर रहा हूं, सदन में जो भी चर्चा होगी जनता को उसकी जानकारी नहीं हो सकेगी। इसलिये आप प्रेस प्रतिनिधियों को बुलाकर उनसे बात कीजिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य। अभी तो मैं यहां बैठा हूं। मैं अंदर जाऊं तब तो कुछ करूं। अभी तो आपकी सेवा में हूं मैं, जो स्थगन प्रस्ताव माननीय सदस्यों के आये हैं उन पर व्यवस्था दे दूं। उसके बाद मैं मालूम करूंगा अंदर जाकर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): आप जो कष्ट कर रहे हैं उसके लिये तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तुरन्त इत्तला ली, यह सरकार मौन क्यों बैठी है

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन) : नहीं, अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी और मुख्य सचेतक जी दोनों गये हैं? बात करने के लिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहां गये हैं?

श्री प्रद्युम्नसिंह : पत्रकारों से बात करने के लिये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो हाउस को क्यों नहीं इत्तला दे रहे हैं?

श्री प्रद्युम्नसिंह : किस चीज की आपको हाउस में इत्तिला दें?

श्री अध्यक्ष : जानकारी ले रहे हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : जब दोनों बात करने के लिये गये हुए हैं, उसके बाद ही इत्तिला देंगे। जानकारी लेने गये हैं। किस बात की इत्तिला दें आपको ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जानकारी लेने गये हैं। अभी तक क्या कर रहे हैं वह, जानकारी लेने गये हैं तो ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अरे, तो वह गये हैं उनसे बात करने गये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या बात है, हाउस में इत्तिला देते वह।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, हमको पता लग गया, सदन को पता लग गया, जनता को पता लग गया, सरकार को अभी तक पता नहीं लगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बैठ जाइये। माननीय मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई-मंत्री) : प्रेस गैलेरी से बायकाट की सरकार को ही नहीं पूरे सदन को जानकारी है। मुख्य मंत्री महोदय प्रश्नकाल में ही बाहर जाकर प्रेस के प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे। अभी मुझे मालूम नहीं, बातचीत हो रही है या नहीं लेकिन उनसे मिल जरूर रहे थे। बातचीत चल रही है और जो भी निर्णय होगा वह अध्यक्ष महोदय को अभी बता दिया जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रेस गैलेरी से वाक आउट किया इससे कंसर्न नहीं है। प्रश्न यह है कि प्रेस वालों को पीटा गया है। इसके बारे में सरकार क्या कहना चाहती है ?

श्री परसराम मदेरणा : इस बारे में तो मेरी जानकारी नहीं है। अभी तथ्य सामने नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : तथ्यों की जानकारी कर रहे हैं।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : सरकार के पास जानकारी के सभी माध्यम मौजूद हैं······

श्री परसराम मदेरणा : प्रेस के रिप्रजेंटेटिव्स से बात करेंगे तो कोई भी इंसीडेंस या अप्रिय घटना हुई है वह तो चर्चा का विषय निश्चित तौर से होगी।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सरकार को निश्चित तौर पर इस बात की जानकारी कल हो गई थी। पत्रकारों ने कल अपना रिप्रजेंटेशन दिया था और आपने जानबूझकर उस बारे में चर्चा नहीं की।

श्री मेघराज तावड़ : सरकार ने इस बात की जानकारी की है। उसके बाद में पुलिस वालों ने उनको सांगानेरी गेट चौकी पर ले जाकर उनके साथ मारपीट की, उनको छोड़ा नहीं है।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का है कि हाउस चल रहा है, हाउस चलते हुए उनसे बात करें या नहीं करें, यह बात महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन जो भी महत्वपूर्ण घटना प्रेस वालों के साथ होती है उसकी वस्तु स्थिति की जानकारी सदन को देनी चाहिये।

एक माननीय सदस्य : आपको कल जानकारी हो गई थी, कल शाम को सूचना मिल गई थी तो कल से अब तक क्यों नहीं जानकारी ली ?

श्री अध्यक्ष : मैं इस बारे में मालूम करके····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल नहीं है। आप तो इस सारी सरकार का भार ढो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह भार तो आपने मेरे ऊपर डाल दिया। मैं क्या करूं !

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिये कह रहा हूं कि अब तो मुख्य सचेतक आ गये, वे जानकारी तो दें कम से कम कि पत्रकारों ने जो आपको जानकारी दी है, उनके साथ मारपीट की गई वह कहां तक सही है और इस संबंध में आपने क्या कार्यवाही की है। सदन में स्थगन प्रस्ताव आये हैं। मैम्बर्स चिन्तित हैं। आप जरा बता दें, क्या हुआ है।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, प्रेस के रिप्रजेन्टेटिव्स और मुख्य मंत्रीजी की बात हो चुकी है। मुख्य मंत्रीजी ने उनको आश्वासन दिया है कि मैं उच्च अधिकारियों से इस मामले की जांच करवा दूंगा। उनको कोई रात को थोड़ी-सी पुलिस की······

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप थोड़ी-सी, क्या कह रहे हैं। थोड़ी-सी क्या हुई है ? क्या हुआ है, यह बताइये ? सबको चिन्ता हो रही है।

श्री मेघराज तावड़ : इतना लाइटली ले रहे हैं माननीय मुख्य सचेतक जी...

श्री अध्यक्ष : जितनी मुख्य सचेतक जी को जानकारी है वह दे रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो फिर खड़े क्यों हो गये। गोविंदसिंहजी खड़े हो रहे हैं। उनको बोलने दीजिये, गृह मंत्रीजी को बोलने दीजिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पहले आपने मेरे को कहा, बोलिये, तो मैं बोल रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको नहीं कहा।

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : जब प्रेस ही नहीं तो सदन चलाने का फायदा क्या ? सदन की कार्यवाही का, सदन चला या नहीं चला, जनता को कैसे पता लगेगा ? सदन चला या नहीं चला, इसकी जानकारी कौन देगा ? जो कुछ हुआ उसकी जानकारी कौन देगा ?

श्री संपतराम (खैरथल) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसा कि अभी सिंचाई मंत्री महोदय ने कहा कि यह तो सदन को विदित ही है कि यहां पर प्रेस गैलेरी में नहीं है। मैं ऐसा मान कर चलता हूं कि यह स्थगन प्रस्ताव या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का मामला नहीं था। एक तरीके से सदन के कार्यकलापों को देखने के लिये प्रेस बहुत आवश्यक अंग है विधान सभा का, यहां इलेक्टेड बॉडी बैठती है। प्रेस पत्रकार एक पार्ट एंड पार्शल है। सदन की सारी कार्यविधि को देखते हैं। जितने कार्यकलाप यहां होते हैं वह प्रेस के माध्यम से पब्लिक के सामने जाते हैं। यह सरकार का नैतिक और कानूनी दायित्व है कि बगैर किसी ध्यानाकर्षण के भी सरकार को स्वयं स्टेटमेंट देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : वही तो कर रही है सरकार।

श्री संपतराम : सुनिये, साहब। अभी नहीं करना है। इसके साथ-साथ प्रोग्रेस क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है यह अलग प्रश्न है। सवाल यह है कि वस्तुस्थिति क्या है जिसकी वजह से आज प्रेस को इस विधान सभा के डेलीगेशन के संबंध में अपने आपको अलग हटाना पड़ा। इस संबंध में स्टेटमेंट राज्य सरकार को देना चाहिये। मै मानता हूं, चीफ व्हिप साहब ने फरमाया कि जो समस्या पैदा हो गई है उसको हल करने के लिये मुख्य मंत्री और भी वरिष्ठ नेता उनसे बात करेंगे और हल निकालेंगे। हल तो निकलता रहेगा लेकिन विधान सभा चाहती है कि वह कौन से मुद्दे हैं जिनकी वजह से आज प्रेस को यहां से गैरहाजिर रहने के लिये मजबूर होना पड़ा। इसका स्टेटमेंट चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, जो प्रेस ने बायकाट किया है और जो ऐसा इंसीडेंट कल समाचार जगत के सम्पादक और पुलिस कर्मचारियों के बीच में हुआ है उस संबंध में राज्य सरकार आज ही वक्तव्य देगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो ऐसा साइड ट्रेक कर रहे हैं कि मामले की इंपोर्टेन्स खतम करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : वह वक्तव्य की बात कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी समझ में आ गई वक्तव्य की बात। लेकिन जिस बात पर हाउस एजीटेटेड है, प्रेस एजीटेटेड है, मुख्य मंत्री जी बात करने के लिये गये हैं, मुख्य सचेतक जी ने बड़ा कष्ट करके उनके साथ बात की है, जो कुछ घटना उनके साथ हो गई उस घटना की हल्की-फुल्की बात करके उस बात का बिल्कुल महत्व कम करने की कोशिश की है यह सब कुछ हुआ है लेकिन मैं तो जानना चाहता हूं कि सरकार वक्तव्य दे क्यों नहीं रही है, यह बता दीजिये। घटना सही है या गलत, हम वक्तव्य नहीं चाहते।

श्री अध्यक्ष : सरकार ने कह दिया वक्तव्य दे रहे हैं।

श्री गोविंदसिंह गुर्जर (राज्य मंत्री गृह) : सरकार को पुलिस विभाग के द्वारा घटना की जानकारी मिल गई है। जैसा कि आपके सामने यह मसला आया, उस संबंध में जो विवरण मिला है उन तथ्यों को वेरीफाई कर रहे हैं कि सही हैं या नहीं। वह तथ्य ऐसे हैं कि सदन में बताने से उत्तेजना बढ़ेगी···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उत्तेजना बढ़े, इसमें कोई चिंता की बात नहीं···

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : क्या उत्तेजना बढ़ेगी ?

श्री त्रिलोक सिंह : सदन के सामने मामला आना बहुत जरूरी है। सदन को गुमराह करना चाहती है यह सरकार।

श्री यदुनाथ सिंह : मंत्री महोदय ने कहा कि उत्तेजना बढ़ेगी, इसका मतलब मामला बहुत गम्भीर है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उत्तेजना बढ़ेगी, इसका मतलब गंभीर मसला नहीं है ?

श्री गोविंदसिंह गुर्जर : मैं माननीय सदन के विपक्ष के नेता को कहना चाहता हूं कि अभी तो एक साइड की स्टोरी सामने आई है, उसको सदन के सामने रखने से कोई उपयोगिता नहीं होगी। हमें अभी इस बात का पूरा विश्वास नहीं है, जो पुलिस ने इत्तिला दी है उसको वेरीफाई कर रहे हैं। और प्रेस वालों का जो कथन है उसको मुख्य मंत्री जी खुद सुन रहे हैं। इसके बाद माननीय अध्यक्ष जी को सारी सूचना दे दी जायेगी और अध्यक्ष महोदय, जैसा आदेश देंगे वैसा हम कर देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह तो ठीक है लेकिन आपने कहा कि सही बात कहूंगा तो उत्तेजना बढ़ेगी। इसका मतलब, सही बात की जानकारी है आपको।

श्री गोविंदसिंह गुर्जर : मैंने ऐसा नहीं कहा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह 'उत्तेजना' शब्द क्यों प्रयोग किया गया ? किस सन्दर्भ में और किस आधार पर किया गया, कम से कम यह बता दें ताकि इसके न बताने के कारण जो उत्तेजना पैदा हो रही है वह शांत हो जाय। इसका मतलब, जो प्रेस ने आपको बात कही उस पर आपको विश्वास नहीं है ?

श्री गोविंदसिंह गुर्जर : प्रेस की बात तो बाद में आयेगी। हमारे पास पुलिस की बात आई है जो काबिल इत्मीनान नहीं है, इसलिये इसकी जानकारी ले रहे हैं। प्रेस वालों से भी पूछ रहे हैं, पुलिस वालों को भी बुला रहे हैं। फिर अध्यक्ष महोदय, जैसा आदेश देंगे वही कर देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप दोनों बातें बता दें।

श्री अध्यक्ष : जो स्थगन प्रस्ताव आये हैं उन पर मैं व्यवस्था दे दूं, तत्पश्चात् जो आपने आग्रह किया है उस पर सरकार की ओर से प्रतिक्रिया आ जायेगी।

श्री संपतराम : मिक्स कर दिया सवाल को, अध्यक्ष महोदय। आप देखिये इन्क्वायरी की बात अलग है। सवाल यह है, माननीय मंत्री महोदय से मैं गुजारिश करता हूं, आपके माध्यम से कि इन्क्वायरी का अलग प्रश्न है, आप वस्तुस्थिति को यहां पर रखें। वह रखने के बाद मुमकिन है कि सदन आपकी बात से इत्तफाक न करें। फिर आप इन्क्वायरी करवायेंगे लेकिन आपके पास जो तथ्य हैं वे बता दीजिये। इन्क्वायरी तो बाद में होती रहेगी।

श्री नाथूसिंह : आप दोनों का वर्णन रख दीजिये हाउस में।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री छीतरमल आर्य : अटरू क्षेत्र में वर्ष 1981-82 में स्वीकृत हैण्ड पम्प अभी तक न लगाने के कारण वहां पेयजल की समस्या के विषय में।

(2) सर्वश्री बालचन्द्र आर्यवीर, हीरालाल आर्य व अनंगकुमार जैन : बाड़मेर जिले से प्रतिदिन 5-6 सौ गायों को पाकिस्तान में रात्रि के समय तस्करी से भेजने के विषय में।

(3) श्री हंसराज शर्मा व श्री चुन्नीलाल जेलिया : बांध सुरवाला, जिला सवाई माधोपुर में काश्तकारों की डूब में आई जमीनों का मुआवजा न देने के विषय में।

(4) श्री भगवानदास शास्त्री : अजमेर नगर पश्चिम में पुलिस थाना के अधिकारियों के संरक्षण में चोरियां, अवैध शराब व गुण्डागिरी की घटनाओं के विषय में।

(5) श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : नगरपालिका, झुंझनूं के वार्डों का परिसीमन आपत्तियों की सुनवाई सुने बिना कर दिये जाने के विषय में।

(6) श्री मालाराम : खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1980-81 में करीब 40-50 गांवों में हुये पम्पों के काम न करने से पेयजल की समस्या के विषय में।

(7) श्री मेघराज तावड़ : इन्द्रा कॉलोनी विजयनगर, जिला अजमेर में पंचायतों द्वारा 478 गरीब परिवारों को भूमि का आवंटन होने के बाद उन्हें बेदखल करने के विषय में।

(8) श्री यदुनाथसिंह : भरतपुर जिले के बाहर की नहर की दीवार टूट जाने से पेयजल के खारा होने और पानी का संकट हो जाने के विषय में।

52

(श्री अध्यक्ष)

(9) श्री महावीर प्रसाद जैन : टौंक शहर में जाने व वहां से आने पर यात्रियों से 25 पैसे प्रति यात्री वसूल किये जाने के विषय में।

(10) श्री भूपाल सिंह : चित्तौड़गढ़ जिला सेशन कोर्ट जिला हैड क्वार्टर्स पर न होकर प्रतापगढ़ में होने से नागरिकों को असुविधा होने के विषय में।

(11) श्री नंदलाल मीणा : तहसील प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ के मौजा ग्राम राजपुरिया की कुछ भूमि पर मध्यप्रदेश सरकार से सीमा विवाद चलने से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

(12) श्री कैलाश मेघवाल : चित्तौड़ एवं निम्बाहेड़ा की सीमेन्ट फैक्ट्रियों में निर्मित सीमेन्ट में मिलावट होने से निर्माण कार्यों के स्तर में गिरावट व अन्य कठिनाइयों के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(13) श्री ललित किशोर चतुर्वेदी व सुश्री पुष्पा जैन : मुख्य न्यायिक दंडनायक, जयपुर, बुद्धमल भोजक द्वारा एक मुकदमे में बहस के पूर्व ही निर्णय लिखवा कर रख देने से उत्पन्न स्थिति के विषय में। इस प्रश्न की कानूनी व अन्य दृष्टियों से जांच की जा रही है और निर्णय बाद में दिया जायेगा।

(14) श्री गोपाल पचेरवाल : भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान द्वारा गत पदोन्नतियों में रोस्टर प्रणाली को काम में न लेने के विषय में। इस विषय में पूर्व में प्राप्त एक स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से तथ्यात्मक सूचना प्राप्त हो गई है जिसका अध्ययन किया जा रहा है और इस पर निर्णय बाद में दिया जायेगा।

निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोकमहत्व के नहीं हैं अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(15) श्री दाऊदयाल जोशी : पाक नागरिकों का राजस्थान में अवैध प्रवेश,

(16) श्री रामकंवार बैरवा : बिजली कर्मचारियों की गत हड़ताल के बाद उन्हें वेतन न मिलने के विषय में,

(17) श्री महाराम चौधरी : नागौर जिले के बहुत से गांवों में अकाल,

(18) श्री बंशीलाल पटवा : भीलवाड़ा जिले के अकाल राहत कार्यों में पूरा चुकारा न होने के विषय में,

(19) श्री गुलाबचन्द कटारिया : बाड़ी जिला धौलपुर में एक व्यक्ति द्वारा 5 किलो सोना जांच से बचने हेतु अन्य व्यक्ति के पास रख देने के विषय में। यह मैंने अस्वीकार किये हैं जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया है।

(20) श्री देवीसिंह भाटी ने तहसील कोलायत के कुछ गांवों में गेहूं, चीनी व केरोसीन तेल वितरित न होने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इसकी केवल एक ही प्रति दी है अतः इस प्रश्न पर विचार नहीं किया जा रहा है।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो गई है :—

(1) श्री हरीश शर्मा : कोटा स्थित खनिज विभाग के कार्यालय के द्वारा श्री राधेश्याम गुप्ता को लीज देने के उपरान्त उसे निरस्त करने के विषय में,

(श्री अध्यक्ष)

कोटा जिले की मंगलम सीमेन्ट मोडक के लिये अवाप्त भूमि का मुआवजा सम्बन्धित कृषकों को न देने के विषय में,

(2) श्री नंदलाल मीणा : राजस्थान तथा विशेष रूप से प्रतापगढ़ तहसील के विकलांगों को आरक्षण की सुविधा प्रदान न करने के विषय में,

(3) सर्वश्री बालचन्द्र आर्यवीर, अनंग कुमार जैन व हीरालाल आर्य : जयपुर स्थित महिला सदन में वहां की आवासनियों के साथ कुछ व्यक्तियों द्वारा रंगरेलियां मनाये जाने के विषय में,

इन स्थगन प्रस्तावों पर प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी का अध्ययन किया जाने के पश्चात मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(4) श्री भंवर लाल शर्मा : जयपुर शहर के नागरिकों को केरोसिन तेल उपलब्ध न होने के विषय में। इससे पूर्व भी राजस्थान में अन्य स्थानों पर केरोसिन तेल उपलब्ध न होने के विषय में कुछ अन्य स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। इस सम्बन्ध में मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार की ओर से दिनांक 7 मार्च को सदन में एक वक्तव्य दिया जाये।

(5) श्री हीरालाल आर्य : राज्य में अनुसूचित जन जाति के छात्रों के छात्रावासों को पंचायत समितियों को प्रदान करने के पश्चात उनकी व्यवस्था ठीक न होने के विषय में। इस विषय में कुछ अन्य प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं। मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार की ओर से इस विषय में एक वक्तव्य दिया जाये जिसकी तिथि बाद में तय की जायेगी।

अब मैं उन माननीय सदस्यों के नाम पुकारूंगा जिनको दो-दो मिनट अपने प्रस्तावों पर बोलने की अनुमति दी जा रही है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है आपने आज की व्यवस्था में...

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, मैं पहले अपना काम निबटा लूं उसके बाद दो मिनट और सुनूंगा...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने कहा था, अभी जो आपको क्वेश्चन आवर के बीच में दिया था पत्रकारों के सम्बन्ध में, आपने कहा था कि मैं इसकी व्यवस्था आज ही दूंगा। आज की व्यवस्था आज ही दूंगा। आज की व्यवस्था में शामिल करेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : विपक्ष के नेता महोदय से कहना चाहता हूं कि पत्रकार महोदय आ गये हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय नाथूसिंह जी से एक सूचना प्राप्त हुई है। यह कुछ देरी से प्राप्त हुई है। इस पर मैं व्यवस्था कुछ समय पश्चात दूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, तब भी जानकारी होनी चाहिये कि घटना क्या हुई थी?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था देने के पश्चात् इस विषय में क्या स्थिति है इस पर चर्चा की जायेगी·

श्री अध्यक्ष: मैंने यह निवेदन किया था कि मैं अन्दर जाकर पूछताछ करके उसके बाद··

(व्यवधान)

श्री बाऊदयाल जोशी : पाकिस्तानी नागरिकों का राजस्थान में अवैध प्रवेश। इसमें आपने कोई उदाहरण नहीं दिया है न कोई नाम दिया है। आम चर्चा है। कृपया एक दो मिनट में समाप्त करें।

श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तानी नागरिक वैध पारपत्र लेकर राजस्थान में प्रवेश कर गये हैं और उनमें से अधिकांश राजस्थान में ही रह रहे हैं। चिन्ता का विषय यह है कि पिछले सालों से 3522 पाकिस्तानी नागरिक अभी तक पाकिस्तान वापस नहीं लौटे हैं। 1977 में 363 व्यक्ति राजस्थान में ही रह गये। आज तक उनका कोई अता पता नहीं है कि वे राजस्थान के किस मोहल्ले में रह रहे हैं। 1978 में 450 व्यक्ति, 1979 में 751 व्यक्ति, 1980 में 958 व्यक्ति और 1981 में 1000 व्यक्ति राजस्थान में रह गये। यह संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। चिन्ता का विषय यह है कि वैध पारपत्रों के आधार पर राजस्थान में प्रवेश करने के बाद 3522 पाकिस्तानी नागरिक आज राजस्थान के भिन्न-भिन्न कोने में परमानेन्टली, हमेशा के लिये बस गये हैं। जिस प्रकार असम की समस्या खड़ी हो गयी है उसी प्रकार की समस्या राजस्थान में भी पैदा हो रही है। उनका मतदाता सूची में नाम जोड़ दिया गया है, इस बात की चिन्ता है। इस प्रकार का प्रस्ताव लोकसभा में भी तारीख 28 को नियम 377 के तहत रखा गया था। लोकसभा में भी इस बात के लिये चिन्ता प्रकट की गई थी। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की 644 मील लम्बी सीमा है। इस सीमा से अवैध रूप से जो पाकिस्तानी बिना पासपोर्ट के आते हैं वह संख्या अलग है। इस प्रकार राजस्थान में 12 से 15 हजार तक की संख्या में पाकिस्तानी नागरिक निवास कर रहे हैं। यह चिन्ता का विषय है। मतदाता सूची में उनके नाम जोड़ दिये गये हैं। राजस्थान में कहीं असम जैसी स्थिति नहीं हो जाये इसलिये मैं आपके माध्यम से गृह राज्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता है कि वे तुरन्त अवैध रूप से आये हुए पाकिस्तानियों को बाहर भेजें। इसके लिये एक विशेष पुलिस दस्ते का गठन करें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज इस पर विस्तृत चर्चा नहीं होगी।

श्री बाऊदयाल जोशी : पुलिस भी इनको रोकने में असमर्थ है। यह स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की मेरी मंशा यही है कि आप कृपा करके एक विशेष पुलिस दस्ते को नियुक्त करें तथा अवैध रूप से आये पाकिस्तानियों को वापस भेजें।

श्री अध्यक्ष : रामकंवार बैरवा। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : अध्यक्ष महोदय, बिजली कर्मचारियों ने 57 दिनों की हड़ताल की थी उसका वेतन उनको आज तक नहीं दिया गया है वेतन न मिलने से कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है और वे काम नहीं कर पा रहे हैं।

(श्री रामकंवार बैरवा)

दिन भर दफ्तर में इसी बात की चर्चा होती है कि अब क्या करना चाहिए। किसानों को जो बिजली कर्मचारियों की ओर से सहायता मिलती है नहर आदि सम्भालते हैं वहां पर वे बिलकुल मन से काम नहीं कर रहे हैं। अभी मैं दो दिन पहले गांव गया था तो...

श्री अध्यक्ष : किसानों से तो मेल जोल रखते हैं वे बेचारे और काम करते हैं।

श्री राम कंवार बैरवा : मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आपको यह प्रस्ताव सरकार को जानकारी के लिये भेजना चाहिए था क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण काम है। आपने इसको अस्वीकार कर दिया है। सरकार के पास नहीं भेजा है मैं तो आपसे सिर्फ यही निवेदन करूंगा, सरकार जल्दी से जल्दी उनको वेतन की स्वीकृति प्रदान करे।

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम चौधरी। नागौर जिले में बहुत से गांवों में अकाल राहत कार्य न खोलने के विषय में। नागौर से ही तो जालोर जिले में चारा आता है।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, नागौर तहसील की कुछ तहसीलों तक मेरा प्रस्ताव सीमित है। फलोदी के कई गांवों में बड़ी भयंकर स्थिति है उसके बारे में भी मैं निवेदन करूंगा। नागौर तहसील के जो पश्चिमी गांव हैं, उन गांवों के अन्दर पांच साल से लगातार अकाल पड़ रहा है और ज्यों ज्यों अकाल के साल बढ़ते जा रहे हैं त्यों-त्यों अकाल राहत के काम कम होते जा रहे हैं। हालत यहां तक पहुंच गई है कि सरकार द्वारा इन गांवों में अकाल राहत कार्य नहीं खोलने की वजह से लोग दूसरी जगहों पर काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिये चले गये हैं। बाहर जाने वाले आदमियों की भी इतनी दुर्गति हो रही है कि जिसको कोई ...

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है। आपने अलग स्थगन प्रस्ताव दिया है।

श्री महाराम चौधरी : इन गांवों में अकाल राहत कार्य नहीं खोलने से लोगों की स्थिति दयनीय हो रही है। पानी की व्यवस्था नहीं है, पाड़े और सांडों के लिये चारे, पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। अगर समय रहते कोई व्यवस्था नहीं करेंगे तो उनके पास खाने लायक भी कुछ नहीं रहेगा। आखिर में जाकर अप्रेल-मई में व्यवस्था करेंगे तो उसका कोई उपयोग नहीं रहेगा। अध्यक्ष महोदय, पेयजल के लिये कोई व्यवस्था नहीं है, पानी का स्तर कुओं में गिर गया है। इसलिये इन कुओं को गहरा खुदवा कर कोई व्यवस्था की जाय तो अवश्य ही पानी की व्यवस्था हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का मतलब यह है कि सड़क का कोई काम चालू नहीं है, तालाब का कोई काम चालू नहीं है। मजदूरों के लिये जो कोई थोड़े बहुत राहत कार्य की स्वीकृति दी गयी है वह राहत काम आज तक भी चालू नहीं हुए हैं। इतने बड़े-बड़े गांव और दूर दूर ढाणियों में रहने वाले आदमियों के लिये 5-7 जगह पर 100-200 आदमियों को मजदूरी दी है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री महाराम चौधरी : पड़ोस के जो जिले हैं उनकी भी हालत खराब है। अगर

(श्री महाराम चौधरी)

पास वाले जिलों में कोई काम मिल जाये तो वे वहां जाकर भी काम कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इन गांवों के अन्दर अकाल राहत कार्य जल्दी से जल्दी खोलने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : श्री बंशीलाल पटवा। भीलवाड़ा जिले में अकाल राहत कार्यों में पूरा चुकारा न होने के विषय में।

श्री बन्शीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा जिले में अकाल राहत के जितने कार्य पिछले वर्ष प्रारम्भ किये गये थे उनमें जहां पर विपक्ष के सरपंच थे, वहां पर पेयजल उपलब्ध कराने के नाम से जो कुइयां गहरी करायी गयी थी उनका चुकारा शेष है। हम निरन्तर अप्रोच करते रहते हैं, जिन श्रमिकों ने काम किया है, वे बराबर जिला अधिकारियों से मिलते रहते हैं, सिचाई विभाग में अलग पिछले कामों के भुगतान के लिये जाते रहते हैं। लेकिन आज तक उनका चुकारा नहीं हो सका है। कई इस तरह के मामले भी हैं, जहां पर कि 8–8 हजार रुपये कुइयां गहरी कराने के नाम पर खर्च किये गये है। उनका मिलीभगत करके चुकारा कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : आपके यहां कितने समय में एक कुई बन जाती है।

श्री बन्शीलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, यह कुइयों को बनवाने का मामला नहीं है, उनको गहरा करवाने का मामला है।

श्री अध्यक्ष : परन्तु कुई बन कितने में जाती है ?

श्री बन्शीलाल पटवा : 2–2, 3–3 हजार रुपये इस काम के लिये सैंक्शन हुए हैं। कुइयों के चुकारे के लिये पैसे का आवंटन हुआ था लेकिन वह नहीं मिल सका है। मेरे क्षेत्र में पंचायत समिति सुवाणा में यह चुकारा शेष है। इस तरह की विषम स्थिति खड़ी कर दी गयी है। मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि जहां पर इस तरह का चुकारा नहीं किया गया है वहां पर चुकारा किया जाय। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सुवाणा पंचायत समिति में हैड आफिस है, वहां पर एनीकट्स का काम हुआ है लेकिन एक भी मस्टर रोल का पेमेंट नहीं हुआ है सबका चुकारा शेष है। इसी प्रकार मालोड़ा में कुइयों का पेमेंट अभी तक शेष है। खराबड़ा व बरलोद के कुछ गांवों में भी अभी वह चुकारा शेष है। इस तरह से कई कुइयों का चुकारा नहीं हुआ है और कुछ इस तरह का पेमेंट हुआ है जो कि फर्जी है। उनका तो चुकारा कर दिया गया है। इस तरह की शिकायतें जिला अधिकारियों के समक्ष हुयी हैं, जिला प्रशासन को की गयी है। लेकिन आज तक जिला प्रशासन सोया हुआ है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जितने फर्जी चुकारे के रिप्रजेंटेशन आये हैं, पत्र आये हैं, आवेदन-पत्र आये हैं, शपथ-पत्र आये हैं उन की जांच करवायें। आज जहां पर सही काम हुआ है वहां पर चुकारा नहीं किया गया है। और दूसरी तरफ फर्जी मस्टर रोल का चुकारा कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें।

श्री बंशीलाल पटवा : इस सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि कार्यवाही करें ताकि चुकारा हो। जो फर्जी चुकारा हुआ है उसके सम्बन्ध में भी कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाबचन्द कटारिया। पांच किलो सोने के सम्बन्ध में।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, बाड़ी, जहां से हमारे मन्त्री महोदय हैं, आते हैं, में पिछले फरवरी महीने की 17 तारीख को··

(व्यवधान)

बाड़ी के एक सर्राफ श्री कन्हैयालाल के यहां कोई छापा पड़ने वाला था, उसको इसकी जानकारी मिली। उसने छापे से बचने के लिये अपना सोना अपने मिलने वाले बिरदीचन्द बजाज के यहां ले जाकर रख दिया। कुछ समय बाद जब उसने वापस जाकर अपना सोना प्राप्त करने के लिये अपने मित्र बिरदी चन्द बजाज को कहा कि भाई वापस लौटा दे तो उसने देने में आनाकानी की। अध्यक्ष महोदय, उसके लिये बड़ी असमंजस की स्थिति हो गयी कि सोना कैसे प्राप्त किया जाय। बिरदीचन्द, जिसने सोने को अपने संरक्षण में रखा और बाद में उसे हजम करने की कोशिश की, पहले ही पुलिस वालों से मिल गया और मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। लेकिन कन्हैयालाल, जिसका कि 5 किलो से अधिक सोना था, भी वहां के राजनैतिक नेताओं के संरक्षण में पहुंचा। हमारे मन्त्री जी के छोटे भाई ···।

श्री अध्यक्ष : आक्षेप लगा रहे हैं, मैं इस की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं बिलकुल सत्य कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैंने उसका नाम नहीं लिया है।

श्री अध्यक्ष: नाम न लेते हुए भी उसका नाम ले लिया है। मैं मानहानि कारक प्रश्नों को उठाने की इजाजत नहीं दूंगा। आपको कोई शिकायत हो तो··

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मेरे को यही शिकायत है उस सोने के सारे कांड को रफा दफा कर दिया, सोना आपस में बांटकर खतम कर दिया। श्रीमान्, जो सैन्ट्रल कस्टम अधिकारी हैं वे वहां पर डेरा डाले बैठे हैं, राजस्थान की जो सी.आई.डी. पुलिस है वह डेरा डाले बैठी है। यह कांड मामूली नहीं है। श्रीमान्, इनका कहना यह है कि इस कांड के सम्बन्ध में जिस पत्र वाले ने छापा था 25 तारीख की रात को, उस दिन उस पत्र के पास पहुंचे और कहा कि यह तेरा सब जला देंगे अगर तुझको पैसा चाहिए तो पैसा ले ले। हमको यह सारे अखबार जितना यह पुलिन्दा बना है वह दे दे। एकमात्र अखबार उदयभानु ने इसको प्रकाशित किया है और दूसरों की तो इसको प्रकाशित करने की हिम्मत तक नहीं हुयी है। उसके कारण लोगों का अनुमान यह है कि यह पांच किलो सोने की ही बात नहीं है। दो करोड़ रुपये की हेराफेरी हुई है। अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय··

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । कृपया समाप्त करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं इस बारे में...

श्री अध्यक्ष : किसी अन्य तरीके से उठायें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : और किस तरीके से लायें, कौन-सा तरीका है।

श्री अध्यक्ष: नियम पढ़ें। अगर पता नहीं तो मुझसे पूछ लें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : छोटे से अखबार ने इसके बारे में लिखा है। यहां यह मामला रफा-दफा करने की कोशिश की जा रही है स्वर्ण नियन्त्रण कानून...

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

आर्डर प्लीज।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जब्त किया जा सकता है...

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर। समाप्त हुआ भाषण। माननीय सदस्य।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : लोगों में इसको बांटकर खा गये।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। बैठ जायें। अंकित न हो। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, मैं इजाजत नहीं दूंगा। इस तरह के मानहानिकारक मामलों को एक्सपंज किया जाय। यदि माननीय सदस्य कोई इस तरह के विषय उठाना चाहते हैं, तो उसकी भी नियमों के अन्दर व्यवस्था है। आपको पूरी छूट है। इस तरह से इसको नहीं उठायें। कृपया नियमों का पालन करें।

श्री महावीरप्रसाद जैन (टोंक) : किसी का नाम थोड़े ही लिया है।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। नाम लेने का सवाल नहीं है, नाम लेने से ही मानहानिकारक होता है, यह जरूरी नहीं है। आॅर्डर प्लीज, आॅर्डर।

श्री महावीप्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, घटना तो...

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : ... उन्होंने तो पुलिस को इस बात की हिदायत दी कि...

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बैठ जायें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया: लेने वाले दूसरे लोग हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री हरीश शर्मा। कोटा स्थित खनिज विभाग के कार्यालय द्वारा श्री राधेश्याम गुप्ता को लीज देने के उपरान्त उसे निरस्त करने के विषय में। दूसरा, कोटा जिले की मंगलम् फैक्ट्री के बारे में।

(अनुपस्थित)

श्री नन्दलाल मीणा, प्रतापगढ़ तहसील में विकलांगों को आरक्षण की सुविधा प्रदान न करने के विषय में।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1981 न केवल राजस्थान में बल्कि राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विकलांग वर्ष के रूप में मनाया गया। राजस्थान में, अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1981 में विकलांगों के लिए सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के आधार पर राजस्थान में

(श्री नन्दलाल मीणा)

लगभग 80 हजार विकलांग पाये गये। परन्तु राज्य सरकार द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं, अध्यक्ष महोदय, उनके हिसाब से 52,867 विकलांग यहां हैं। उन विकलांगों के लिए किस प्रकार से राजस्थान सरकार ने साधन, पेंशन, छात्रवृत्ति, आवासीय भूखण्ड, कृषि आवंटन आदि की योजनायें बनायीं और उसके आधार पर उन लोगों को कितना प्रतिशत लाभान्वित किया, यह एक आश्चर्यजनक बात है। आज हम जानते हैं, कोई व्यक्ति अपने आप या स्वेच्छा से विकलांग नहीं बनना चाहता। उसकी मजबूरी होती है। प्राकृतिक प्रकोपों से विकलांग बन जाता है। कई बार ऐसा दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से हो जाता है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उन विकलांगों को सरकार आजीवन सहायता दे। दुर्भाग्य की बात है, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की यह सरकार 2 वर्ष तक विकलांग वर्ष मनाने के पश्चात् यह कहती है कि हमने विकलांगों के लिए बहुत कुछ किया है। अध्यक्ष महोदय, आंकड़ों के आधार पर ऐसा मालूम पड़ता है कि राजस्थान के केवल 14.95 प्रतिशत विकलांगों को ही सभी योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया। अध्यक्ष महोदय, खासकर इसलिए कहना चाहता हूं, आदिवासी क्षेत्र के अन्तर्गत जो भी जिले आते हैं, वहां सर्वेक्षण के आधार पर जो विकलांग पाये गये, अध्यक्ष महोदय, उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है। अध्यक्ष महोदय, सबसे दयनीय स्थिति तो डूंगरपुर जिले की है, जहां पर 1.41 प्रतिशत विकलांगों को सहायता दी गयी। अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ में 25 प्रतिशत विकलांगों को सहायता दी गई। मेरी प्रतापगढ़ तहसील, जिसमें पंचायत समिति हरलोद और पंचायत समिति प्रतापगढ़ आती है, के लिये प्रशासन गांवों की ओर बात कही गयी और यह कहा गया कि यहां पर विकलांगों का चयन किया गया, सारी सुविधायें दी गयीं। अध्यक्ष महोदय, प्रतापगढ़ तहसील में सिर्फ पंचायत समिति हरलोद के 2 अपाहिजों को 40-40 रुपया मासिक पेंशन दी गयी जबकि सर्वेक्षण के आधार पर पंचायत समिति प्रतापगढ़ के अन्दर 525 लोग विकलांग पाये गये। ...

श्री अध्यक्ष : लम्बी चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य। कृपया, यह आंकड़े बजट भाषण में ...

श्री नन्दलाल मीणा : 1.16 प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी गयी ...

श्री अध्यक्ष : समस्या की ओर आप ने ध्यान आकर्षित कर दिया ...

श्री नन्दलाल मीणा : आपसे निवेदन है, आपसे आशा करता हूं, अध्यक्ष महोदय, विकलांगों का सवाल है, राजस्थान का मात्र एक अखबार विकलांगों के लिये निकलता है "विकलांग चेतना", वह राजस्थान के जन-सम्पर्क निदेशालय के पास लम्बे समय से मान्यता के लिए विचाराधीन है. परन्तु अभी तक वह कुछ कर नहीं सका। मेरा आपसे यह निवेदन है, विकलांगों के लिए आखिर कौन व्यवस्था करेगा? अध्यक्ष महोदय, मैं तो आप से आशा करता हूं, सर्वेक्षण के आधार पर जो विकलांग बचे हुए हैं, उनके लिए युद्ध-स्तर पर सरकार कार्यक्रम बनाये। अपंग

(60)

(श्री नन्दलाल मीणा)

लोग दर-दर भटकते फिरते हैं, उनको भिक्षावृत्ति के लिए मजबूर होना पड़ता है। उन लोगों को राहत दिला सकें तो भला करेगा भगवान वरना इसका···

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर, अनंग कुमार-जैन, हीरालाल आर्य। इसमें मैंने जो उत्तर आया है उसका अध्ययन कर लिया है. उसके बाद में उसको अस्वीकार किया है। विभाग ने यह सूचित किया है कि बहुत अधिक सतर्कता बरतेंगे। अभी तो मेरे ख्याल से उसके बाद में इस सम्बन्ध में····

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : थोड़ा सा मुद्दा रखूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर के महिला सदन में कुंवारी कन्यायें मां बन रही हैं, इस प्रकार की घटना 25 नवम्बर और 5 नवम्बर को हुई··

श्री अध्यक्ष : सदन में नाम वगैरह किसी का नहीं लेंगे, बहुत ही मानहानिकारक और अपमानजनक मसला हो जाता है यह। आप तो घटना की ओर ध्यान आकर्षित कर दें।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, नाम नहीं लूंगा। वहां के कर्मचारियों की मिलीभगत से इस प्रकार की घटना वहां हो रही है, रंगरेलियां हो रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको मैं एक प्रमाण देना चाहता हूं···

14 जनवरी, 1982 को रशीदा नामक···

श्री अध्यक्ष : आप किसी का भी नाम नहीं लें, माननीय सदस्य।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : एक आवासिनी के साथ रंगरेलियां हुईं, उसके बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया। इस प्रकार की घटना महिला सदन में हो रही है। क्या इसी प्रकार समाज का कल्याण करेंगे ? उनको, माननीय अध्यक्ष महोदय, भर पेट भोजन नहीं दिया जाता है···

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षित कर दिया। इस पर ज्यादा गहराई से नहीं जायें।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : न उनके बिस्तर की सुव्यवस्था है। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर····

श्री अध्यक्ष : मैंने राज्य सरकार के जवाब का अध्ययन कर लिया। आपकी शिकायत हो तो मुझे बताना, मैं राज्य सरकार को और लिखूंगा। माननीय सदस्य, इस पर विस्तृत चर्चा नहीं होगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, एक···

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं···

श्री अध्यक्ष : ध्यान चला गया, सरकार का उत्तर आ गया, अपने प्रबन्ध को और सुदृढ़ कर रहे हैं।

डॉक्टर उजला अरोड़ा।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन): इसमें···

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर इजाजत नहीं दूंगा, माननीय सदस्य।

श्री अनंग कुमार जैन : मैं गृह राज्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा। एक मिनट।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक शब्द मैं कहना चाहती हूं। जिस समय आवासिनी आती है, उस समय उसकी मेडिकल जांच करके उस रिपोर्ट को दर्ज किया जाता है। इतना होने के बाद जब उसको 5 बजे, 6 बजे ताले में बंद कर दिया जाता है तो उसकी गर्भावस्था का क्या कारण है? क्यों इस तरह का अनाचार वहां किया जा रहा है? मान्यवर अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है, समाज कल्याण विभाग का उत्तरदायित्व है...

श्री अध्यक्ष : आपने लिखित में एक प्रस्ताव दिया, मैंने राज्य सरकार को भेजा। उसकी ओर से उत्तर आया. सरकार ने कहा कि हम व्यवस्था को और कड़ी कर रहे है। गलती हो जाय तो...

श्रीमती उजला अरोड़ा : वहां की परिचारिकायें और व्यवस्थापिकायें क्या करती हैं? क्या इन लड़कियों को किसी को सप्लाई करती हैं या अंदर किसी का प्रवेश है? यह बात बहुत आपत्तिजनक है। जब चेतराम जी समाज कल्याण मंत्री थे तब भरतपुर गये थे। इस तरह की घटनाओं पर नियन्त्रण जरूरी है।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, वहां अधीक्षिका के रहने के लिए कमरा बना है फिर भी वह वहां नहीं रह कर अन्य स्थान पर रहती है। इस प्रकार कर्मचारियों की मिलीभगत से सारे कांड होते हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। श्री अनंग कुमार।

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, महिला सदन इसलिए बनाया जाता है कि महिलायें जो घर से भाग जाती हैं या जिनको पुलिस लाती है, उनको वहां पर रखा जाय और उनकी सुरक्षा का इंतजाम किया जाय, लेकिन जयपुर का जो महिला सदन है, उसके अन्दर ठीक इसके विपरीत हो रहा है। वहां उनकी सुरक्षा के बजाय असुरक्षा रहती है। उनके साथ राज्य सरकार के उच्चाधिकारियों, जो राज्य सरकार में ऊंचे ओहदों पर हैं, के लड़कों के द्वारा रंगरेलियां मनाई जाती हैं। रात के 2 बजे उनके लड़के वहां पहुंचते हैं। वहां की अधीक्षिका की जिम्मेदारी है। 6 बजे ताले बंद होने के बाद रात को 2-3 बजे किस प्रकार से लोग वहां पहुंच जाते हैं? डॉक्टरी जांच से भी यह साबित हो चुका है कि वहां जो आवासीनियां हैं, उनमें से कई गर्भावस्था में पाई गई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक ही बात गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, इस मामले में कड़ी निगरानी रखी जाये और उचित व्यवस्था की जाय ताकि भविष्य में इस प्रकार की कार्यवाही वहां पर नहीं हो।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी द्वारा वक्तव्य। पहले वक्तव्य हो या पहले वह करवा दें।

व्यवस्था का प्रश्न

मंत्री के ववतव्य की प्रति का माननीय सदस्यों को अग्रिम वितरण

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, उसके पहले निवेदन करना चाहता हूं। मंत्री महोदय तो वक्तव्य दे देंगे लेकिन हमारे पास उसकी प्रतियां नहीं हैं। मंत्री महोदय यदि उसकी कुछ प्रतियां विरोधी दल के माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दें...

श्री अध्यक्ष : ऐसी प्रक्रिया पहले नहीं रही है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय यहां तो नहीं है लेकिन आप तो ऑल इण्डिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कान्फ्रेन्स में जाते हैं, वहां भी लोग कहते हैं कि इस प्रकार की प्रक्रिया हो, लोकसभा और राज्य सभा में है ...

श्री अध्यक्ष: मेरे ध्यान में नहीं आया । आप भी सी. पी. ए. की कांफ्रेंस में पधार कर आये थे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे सबने कहा था । सब जगह ऐसी व्यवस्था है । मैं ज्यादा प्रतियों के लिए नहीं कह रहा 2-4 प्रतियां अगर मिल जायं ...

श्री अध्यक्ष : तत्काल सम्भव नहीं होगा क्योंकि आपने ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी नहीं, लेकिन भविष्य के लिए ...

श्री अध्यक्ष : पूर्व में इस तरह की कोई परम्परा अपने यहां रही नहीं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लोकसभा और राज्य सभा में वक्तव्य की कॉपी मिल जाती है । अच्छा रहता है ।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1983

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य । पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इनको पता ही नहीं है कि विधेयक कौनसा है और क्या है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई ।

प्रभारी मंत्री जी ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करता हूं ।

शासकीय वक्तव्य

घना पक्षी विहार, भरतपुर में गोलीकाण्ड

श्री अध्यक्ष : भरतपुर गोलीकाण्ड के सम्बन्ध में मंत्रीजी द्वारा वक्तव्य ।

इस सम्बन्ध में 19 माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्तावों द्वारा और 3 माननीय सदस्यों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में सूचना दी थी । काफी विवादास्पद यह मुद्दा है । इसमें यह आवश्यक होगा कि समय सीमा निर्धारित की जाय । मैं इसके लिए डेढ़ घंटे की समय सीमा निर्धारित करता हूं । मैं माननीय सदस्यों से यह भी निवेदन करूंगा कि यह आवश्यक नहीं है कि जिन्होंने प्रस्ताव

63

(श्री अध्यक्ष)

दिए हैं वे सभी हिस्सा लें। जो तथ्य माननीय सदस्य पहले बोल चुके हैं या जो बातें कही जा चुकी हैं उनकी पुनरावृत्ति न करें। कोई खामी रह गई हो या कोई कमी रह गई हो विवाद में, तो उसकी पूर्ति करने की कृपा करें और यथासंभव भाषण बहुत छोटे होने चाहिए। डेढ़ घंटे के बाद में यह प्रकरण स्वतः ही समाप्त हुआ समझा जायेगा।

श्री गोविंदसिंह गुर्जर (राज्य मंत्री, गृह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भरतपुर में हुए गोलीकाण्ड के सम्बन्ध में प्रशासन द्वारा राज्य सरकार को उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर घटना के तथ्य इस प्रकार हैं...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, सुनाई ही नहीं देता है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय जरा जोर से बोलें और माइक के पास से बोलें।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी यहां पर क्यों नहीं आयें जब कि वे यहां पर मौजूद हैं ? क्या इस घटना को इतना छोटा समझा जा रहा है...

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी स्वयं वक्तव्य देने से क्यों कतरा रहे हैं ? क्या इस घटना को इतना तुच्छ समझा जा रहा है ? इस मामले को इतना छोटा समझा जा रहा है ? वह स्वयं यहां मौजूद हैं, सदन में क्यों नहीं आये ?

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : Chief Minister is directly responsible.

श्री राजबहादुर : He is directly responsible.

श्री नाथूसिंह : C.M. should reply.

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार (राजस्व विभाग) ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण में केवलादेव, घना को दिनांक 26-8-1981 को केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था। इस घोषणा के साथ ही उद्यान क्षेत्र से सम्बन्धित सभी हक-हकूक राज्य सरकार में निहित हो गये। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 की धारा 35 (7) के अनुसरण में वन विभाग द्वारा दिनांक 7-11-1982 से उक्त राष्ट्रीय उद्यान में पशुओं की चराई को पूर्णतः बन्द करने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 6-11-1982 को समस्त सम्बन्धित 14 गांवों एवं भरतपुर शहर के सम्बन्धित मोहल्लों में लाउडस्पीकर के माध्यम से इस बात की घोषणा की कि राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव, घना, में 7-11-1982 से चराई पूर्णतः बन्द कर दी जायेगी। उसी दिन केवलादेव घना से पशुओं के साथ शाम को वापस लौट रहे पशुपालकों को भी इस बारे में आवश्यक सूचना दी गयी। 7-11-1982 से चराई पूर्णतः वर्जित होने के सम्बन्ध में पैम्फलेट, हैण्ड बिल एवं पोस्टरों द्वारा भी व्यापक प्रचार किया गया।

दिनांक 6-11-1982 को ही चारे के दो डिपो भी कायम कर दिये गये और इसकी सूचना भी सभी प्रभावित व्यक्तियों को दे दी गयी।

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

दिनांक 7-11-1982 को प्रातः कानून एवं व्यवस्था के सिलसिले में अतिरिक्त जिला दण्डनायक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं सहायक पुलिस अधीक्षक को आवश्यक निर्देश दिये जाकर घना में तैनात किया गया।

(12-57 म. प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

दिनांक 7-11-1982 को प्रातः तीन हजार से अधिक ग्रामीणों की क्रुद्ध भीड़ हथियारों से लैस होकर अघापुर गेट पर एकत्र हो गयी। भीड़ में से कुछ लोगों के पास फायर आर्म्स भी देखे गये। बावजूद समझाइश के भीड़ ने उग्ररूप धारण कर पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। फिर अघापुर गेट का फाटक तोड़ दिया। लाउडस्पीकर के माध्यम से भीड़ को बार-बार डिस्पर्स होने की चेतावनी देने के उपरान्त भी भीड़ का वेग बढ़ता गया और वह पथराव करती रही। फाटक तोड़ने के बाद करीब एक हजार जानवरों को चरने के लिए उद्यान में घुसा दिया गया। वन चौकी तहस-नहस कर वहां पर रखे सामान को भी लूट लिया गया। लाउडस्पीकर पर चेतावनी देने के बाद भी भीड़ के नहीं हटने पर ए. डी. एम. ने अश्रु गैस प्रयोग का आदेश दिया। इसी बीच पथराव को जारी रखते हुए भीड़ में से करीब छः सौ लोग पुलिस पार्टी की ओर बढ़े तो स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ए. डी. एम. द्वारा भीड़ पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया गया परन्तु भीड़ का आगे बढ़ना जारी रहा तथा वह पथराव भी करती रही। इससे एडीशनल एस. पी., एस. पी. एवं अन्य पुलिस व वन कर्मचारी घायल हुए। इस परिस्थिति में लाउडस्पीकर को जीप के अगले भाग में फिट किया जाकर भीड़ को चेतावनी दी गयी कि यदि वह 5 मिनट में नहीं हटी तो गोली चलाने के आदेश दे दिये जायेंगे परन्तु भीड़ फिर भी पथराव करती रही और आगे बढ़ती रही। चेतावनी के तीन मिनट बाद भीड़ में से गोली चलायी गयी और इस तरह अत्यन्त गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गयी। उपस्थित अधिकारीगण आपस में मन्त्रणा कर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हिंसक भीड़ पर नियंत्रण पाने का गोली चलाने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं, अतः लाउडस्पीकर पर एक अन्तिम चेतावनी भीड़ को बिखरने की दी गयी परन्तु इसका भी कोई प्रभाव नहीं हुआ तो अन्तिम विकल्प के रूप में इस विषम स्थिति में अतिरिक्त जिलाधीश ने गोली चलाने का आदेश दिया।

इस घटना में जन समूह में से 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई व 24 घायल हुए। पुलिस एवं वन विभाग के 24 अधिकारी कर्मचारी भी घायल हुए। घायल व्यक्तियों को तुरन्त ही गाड़ियों से चिकित्सा सुविधा हेतु अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डाक्टरों को, घायलों को अतिशीघ्र चिकित्सा सुविधा देने के निर्देश दिये गये। जयपुर से डाक्टर वान्नू के नेतृत्व में डाक्टरों की एक टीम घायलों के उपचार के लिये भरतपुर गयी और मुख्य मंत्री सहायता कोष से आवश्यक धनराशि उपचार के लिये उपलब्ध करायी गयी।

मुख्य मंत्री अकाल बाढ़ सहायता कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 5000/- रुपये तथा प्रत्येक घायल को 500/- रु.

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

की वित्तीय सहायता दी गयी। साथ में 2000/- रु. की राशि घायलों की दवाइयों हेतु भी दी गयी।

इस घटना के सम्बन्ध में अब तक 66 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे पंजीबद्ध किये गये हैं। ये दो मुकदमे क्रमशः 289/82 एवं 290/82, दिनांक 7-11-1982 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147,148, 149, 253,332,395, 323, 307 एवं 147, 148, 149, 332, 323, 353, 395 के अन्तर्गत दर्ज किये गये हैं। अब तक 30 मुलजिमान गिरफ्तार किये जा चुके हैं। आगे अनुसंधान जारी है।

राज्य सरकार ने उक्त मामले की जांच हेतु श्री के. वी. शंकरन, भूतपूर्व सदस्य, राजस्व मण्डल को नियुक्त किया है। जांच का कार्य प्रगति पर है।

राज्य सरकार को इस दुखद घटना पर सख्त अफसोस है तथा मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना है।

श्री सभापति : माननीय श्री यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई)। सभापति महोदया, मुझे खेद है, कहते हुए, शुरू से लेकर आखिर तक इतना असत्य वक्तव्य इस सदन में आज तक नहीं दिया गया। सभापति महोदया, इस मामले में मुझे बड़ा दुःख है यह कहते हुए, माननीय गोविन्दसिंह जी, जो किसान वर्ग से आते हैं, स्वयं जाकर इस घटना के बाद घटनास्थल पर देखकर आये, उनको सारी जानकारी होते हुए भी पता नहीं किस दबाव में इस तरह का असत्य यहां एक प्रवचन दिया है। इसका मुझे गहरा खेद है। सभापति महोदया, आपको याद होगा, पिछले सदन में मैंने यह मामला उठाया था कि यह नेशनल पार्क घोषित हो चुका है। सरकार इसमें चराई बन्द करने के बारे में क्या विचार रखती है? तब सरकार के इन्हीं मन्त्री महोदय ने यह उत्तर दिया था कि बन्दूक की नोंक पर चराई बन्द कराया जाना सम्भव नहीं है। नेशनल पार्क घोषित होने के बाद, 10 मार्च, 81 को नेशनल पार्क घोषित हुआ, उसके 18 महीने बाद 7 नवम्बर, 82 तक कोई घटना उस घने के बीच में नहीं घटती है, कोई घटना उस घने में नहीं गुजरती है। राज्य सरकार ने उसका स्टे भी दिया, चराई रोकने का जो कदम उठाया था, उसका स्टे दिया और कहा कि चराई जारी रहेगी। उससे वहां के किसानों को लगा कि चराई जारी रहेगी। चराई घना के अन्दर हो या नहीं हो, इस पर अलग-अलग राय हो सकती है। मेरी राय आज भी यह है कि उस घने में चराई नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो पुलिस का एक्शन है, पुलिस ने जिस तरह से बर्बरतापूर्ण, नादिरशाहीपूर्ण तरीके से वहां पर जो कुछ किया, सभापति महोदया, आप गम्भीरता देखिये, कितना मिथ्या भाषण है। और इसका स्टेटमेंट और जो पहली एफ.आई.आर. पुलिस ने दर्ज की, दोनों कन्ट्राडिक्टरी हैं। तारीख 2 को और तारीख 5 को कुछ लोगों को बुलाया, एक एफ.आई.आर. में इन्होंने दर्ज किया है। उनसे कम्युनिकेशन किया कि सरकार चराई बन्द करने का निर्णय ले रही है। वहां पर लोगों ने कहा कि हमारा यह मौलिक अधिकार है, आपका, गवर्नमेन्ट का जो चराई बन्द करने का आदेश है,

66

(श्री यदुनाथसिंह)

उसकी हमको प्रति दीजिये, हम हाई कोर्ट में जायेंगे, सरकार के पास जायेंगे। वह लोग मन्त्री महोदय स्वयं के पास भी यहां जयपुर में आये। मन्त्री महोदय ने उनको सांत्वना भी दी कि हम आपकी इस बात पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। उसके बावजूद 7 तारीख को चराई पर ब्लेन्केट बेन लगा दिया। इतने सालों से चराई हो रही थी. नेशनल पार्क घोषित होने के बाद 18 महीने तक वहां पर चराई होती रही. कोई रोक टोक नहीं थी किसी प्रकार की और एकदम वहां पर ब्लेन्केट बेन लगा दिया गया। मन्त्री महोदय का यह बिल्कुल, मैं तो झूंठ कहूंगा, शब्द झूंठ को आप संसदीय मानते हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथसिंह : यह सरासर झूंठा वक्तव्य है। इनका यह कहना बिल्कुल गलत है कि आम पब्लिक को वापिस कम्युनिकेट किया। कोई पेम्फलेट नहीं छपा, कोई लाउडस्पीकर द्वारा किसी प्रकार का अनाउन्समेंट नहीं किया गया। क्या आप बता सकते हैं कि किसी अखबार में इसकी कोई विज्ञप्ति दी? किसी अखबार में यह बात छपी क्या कि 7 तारीख से हम चराई बन्द करने जा रहे हैं? आम आदमी को आपने किस तरह से कम्युनिकेट किया कि चराई वहां पर 7 तारीख से बन्द हो रही है? यह बात अगर आपकी मान भी ली जाय कि कुछ लोगों को बुला कर आपने वहां पर मीटिंग की और उनको कहा गया कि हम चराई बन्द करने जा रहे हैं तो यह आपका जनरल कम्युनिकेशन नहीं था, यह पर्सनल कम्युनिकेशन था। कुछ आदमियों को बुला करके, सलेक्ट करके आपने वहां कह दिया होगा। यह मान भी लिया जाय, अगर यह सत्य बात है तो भी आपका जनरल कम्युनिकेशन कोई नहीं हुआ। यह बिलकुल गलत है। वहां के प्रतिनिधि होते हैं, सरपंच। क्या किसी सरपंच को आपने चिट्ठी लिखी कि वहां पर सरकार चराई बन्द करने जा रही है? आप अपने लोगों को बताइये। माननीय सभापति महोदया, 7 तारीख की सुबह को जो ताण्डव हुआ, जलियांवाला बाग काण्ड की घटना से लोग उसकी तुलना कर देते हैं। मैं जलियांवाला बाग के काण्ड से भी बड़ी घटना उसको इसलिए मानता हूं, सभापति महोदया, जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने वहां पर लोगों को भूनने के बाद, जो बीच ऑफ लॉ की वजह से उसने बताया, उन घायलों का हिन्दुस्तान से बेस्ट मेडिसिन से और अपने देश इंग्लैण्ड से भी बेस्ट डाक्टरों से इलाज करवाया। यहां हुआ क्या, सभापति महोदया, यह कहते हैं, तीन चार हजार आदमियों की भीड़ थी। क्या, मन्त्री महोदय, आप बता सकते हैं, उन घायलों में से, उन मरने वालों में और पुलिस ने जिनको गिरफ्तार किया उनमें से कितने आदमी और गांवों के हैं? एक अघापुर गांव के आदमी हैं, जिनका भी आम रास्ता वहां से आने जाने का पड़ता है, एक दो आदमी तमाशबीन के तौर पर आपने पकड़ लिये, झूंठे पकड़ लिये जो सामने आ गये। लेकिन क्या सब लोग उस गांव के हैं? उस गांव की आबादी ही 800 है। तीन चार हजार आदमी कहां से आये? तीन चार हजार आदमी

(श्री यदुनाथसिंह)

देखते हुए तो किसी को गोली क्यों नहीं लगी ? सबसे बड़ा नैतिक और मौलिक प्रश्न, सभापति महोदया, इसमें यह है कि क्या वहां पर पुलिस को वापस हटने की जरूरत नहीं थी ? यह क्या जवाब हुआ कि 1000 जानवर अन्दर घुस गये । आपने जानवरों को अरेस्ट किया क्या ? कांजी हाउस एक्ट के तहत कार्यवाही की क्या ? उन जानवरों को क्यों नहीं अरेस्ट किया, जानवर अन्दर घुसे तो ? आप कह रहे हैं, आदमी अन्दर घुस रहे थे, फाटक लेकर भाग गये । वाह साहब, वाह फाटक लेकर भाग गये, रायफल की गोली धमाके से चली । कितनी गोलियां चलीं, यह भी आप अपने उत्तर में स्पष्ट करेंगे ? कितनी गोलियां चलीं ? इनका मिथ्या भाषण, सभापति महोदया, जो इनकी मेडिकल रिपोर्ट है उससे साबित है । सभापति महोदया, सब आदमियों की पीठ में गोली लगी और यह कह सकते हैं भीड़ आगे बढ़ रही थी । भीड़ आगे बढ़ रही थी तो पुलिस कहां थी ? एक तरह की छावनी वहां उस दिन बना रखी थी । आप एकदम, सडनली चराई बन्द करने गये तो उसका निश्चित तौर से विरोध होता । जो आदमी वहां पर सैकड़ों साल से चराई करा रहा था, उसका विरोध होगा । एकदम आप चराई बंद करेंगे और ब्लेन्केट बेन लगायेंगे तो । बिल्कुल ब्लेन्केट बेन लगाया, ब्लेन्केट बेन लगाने के बाद वहां पर फौजी अमले के तौर पर वन अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी, ट्रकों में लद कर पहुंचे । डेढ़ सौ आदमी घायल हुए जिनमें औरतें और छोटे-छोटे बच्चे हैं । माननीय सभापति महोदया, मरने वालों में, घायलों में छोटे-छोटे बच्चे और औरतें हैं । उनकी मां बहिनें हैं । इस तरह की दर्दनाक घटना हुई । पुलिस ने वहां पर सीधे जाते ही गोली चला दी । उस पर लाठीचार्ज किया और यह कहते हैं कोई लाठीचार्ज नहीं किया, कोई अश्रुगैस नहीं छोड़ी, यह झूठ है सफेद मिथ्या है, सकल मिथ्या है । मुख्य मंत्री जी का नैतिक दायित्व है कि मुख्य मंत्री जी वहां पर जाते । पर मुख्य मंत्री क्या जायेंगे ? सभापति महोदया, पशुपालक और किसानों का सबसे बड़ा विरोधी आदमी कोई अगर राजस्थान में है तो शिवचरण माथुर हैं । इन्होंने संवेदना का एक शब्द तक उस भरतपुर गोलीकांड में मरने वालों के लिये नहीं कहा । इनको आदमी मर चुके हैं, इनका थोड़ा भी दर्द नहीं है । ये एक शब्द भी नहीं बोले । बस में एक्सीडेंट होता है तो इनका स्टेटमेंट आता है, बस में आदमी मर गये, मुझे बड़ा खेद है । आपकी पुलिस, आप लोगों को भून रहे हैं लेकिन आपको अपने किये के ऊपर लज्जा नहीं आती खेद नहीं होता । सभापति महोदया, मौलिक प्रश्न यह है कि इनकी एफ आई आर गवाह है कि झूठे मुकदमे बनाये गये । सारे झूठे मनगढ़न्त मुकदमे लोगों पर बनाये जा रहे हैं । सभापति महोदया, असल घटना यह थी, रोज की तरह सात तारीख को सुबह जल्दी जब वह घने के अन्दर गये तो वहां उन्होंने देखा, घने का दरवाजा चुना हुआ है । ये झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं । मेरा चेलेन्ज है, किसी तरह की आप जांच करा लीजिये, दीवारें चुनी हुई थीं । ये कहते हैं दरवाजे ले गये । कौनसे दरवाजे ले गये ? दीवारें आपने चुना दी थीं । घने की सड़क आपने बीच में से काट दी थी । पुलिस को वापस

(श्री यदुनाथसिंह)

जाने का रास्ता नहीं था क्या ? पुलिस बाहर जा नहीं सकती थी क्या ? पुलिस रिट्रीट होती । पुलिस को रिट्रीट होने की कोई जगह नहीं थी क्या ? आपने वह स्पोट देखा है ? आप स्वयं देखिये, कितना खुला मैदान है । खुला मैदान पड़ा है । पुलिस जा सकती थी । बाद में उनको गिरफ्तार करती, अगर किसी ने लॉ ऑफ ब्रीच किया था तो । उसके बाद, सभापति महोदया, होता क्या है ? लोगों को भूना गया । गोलियां दनादन चल रही है । जैसा एफ.आई.आर. में इन्होंने लिखा है, मुझे पता है, जवाब में भी यही कहेंगे कि 12 गोलियां चलीं । 12 गोलियां चलीं, 9 आदमी तो घायल आपने गोलियों से बताये, 6 मरने वाले हैं । 9 और 6,15 । चार के दो-दो गोलियां लगी हैं यह मेडिकल रिपोर्ट बतायेगी । 18 गोलियां तो, श्रीमान्, यह सीधी–सीधी हो गई । आपने कोई भीड़ में से चलती हुई गोली एफ.आई.आर. में नहीं बताई है या पुलिस ने नहीं बताई है, जो यह कह देंगे कि जो वहां मौजूद थे उन्होंने गोली–काण्ड करवाया, पुलिस से बन्दूक छीन के दनादन गोली चलाई । यहीं तक नहीं सभापति महोदया, यहीं तक इनकी प्यास, नादिरशाही, हिटलरशाही शान्त नहीं हुई । वह पुलिस के दरिन्दे, सभापति महोदया, उन औरतों और बच्चों के पीछे गांव में घुसते चले गये । आज भी गांव में जाइये दीवारों पर आपको छेद मिलेंगे । उन लोगों के राइफल की, बन्दूक की संगीनें छेद दी गई, उनको मार दिया गया । आप बतायेंगे, गोलियां आगे से लगी या पीछे से लगीं ? कितनी-कितनी दूर से गोलियां लगीं हैं ? इसमें किसी जांच की आवश्यकता नहीं है । सभापति महोदया, कोई भी नैतिक सरकार होती तो तुरन्त ही उन बदमाशों को गिरफ्तार करती और उनका प्रोसीक्यूशन किया जाता, सीधा जेल में डालती । जो वहां के सरपंच के छोटे भाई थे उनको और घायलों को पुलिस पड़ा हुआ छोड़ गई । कीड़े-मकोड़ों की तरह सैकड़ों आदमी घायल पड़े रहे । पुलिस उनको पड़ा हुआ छोड़ गई । वहां के लोग ट्रेक्टर ट्रोली में ऊपर के रास्ते से घूमते हुए जब उन घायलों को ले जा रहे थे तो पुलिस पहुंचती है । पुलिस पहुंची इसलिए मैं कह रहा हूं वहां पर जो घटना होती है वह जलियांवाला काण्ड को भी मात देती है । सभापति महोदया, पुलिस वहां पहुंचती है, ट्रैक्टरों को वापस लाती है । ट्रैक्टर चलाने वालों को पेड़ से बांधती है, ढाई घन्टे तक उनको शान्ति कुटीर में रखा जो एक अय्याश गाह और ऐशगाह बना हुआ है उन अधिकारियों का आज भरतपुर में । अय्याश और ऐशगाह अगर कोई बना हुआ है भरतपुर में तो शान्ति कुटीर बना हुआ है । सभापति महोदया, उसमें लाते हैं वहां पर उनको बांधा जाता है, ठोकरें मारी जाती हैं । वह ड्राइवर सरदार है उसकी दाढ़ी नोंची जाती है, उसकी पगड़ी उछाली जाती है । आपको लज्जा नहीं आती है ऐसा भाषण देते हुए । आप ऐसा वक्तव्य इस सदन में देते हैं । आपकी आत्मा बिल्कुल नहीं रोई, ऐसा वक्तव्य देते टाइम । आपकी आत्मा ने धिक्कारा नहीं आपको इस तरह का वक्तव्य देते । ढाई घन्टे तक, सभापति महोदया, फिर वहां लोगों को पीटा गया, ठोकरें मारी गई । उनको पटके रखा गया । बहुत सम्भव था कि उन लोगों में से बाकी पांच लोग जो बाद में मरे हैं, वह न

(श्री यदुनाथसिंह)

मरते। पांच आदमियों की जान फिर भी बच सकती थी। इसमें लिखा है, सरदार आत्मा सिंह वहां भीड़ में मौजूद थे और एजीटेशन कर रहे थे। क्या आपकी आत्मा नहीं कहती। आपने भरतपुर में लोगों से बात नहीं की, गांव वालों से बात नहीं की, सरदार आत्मा सिंह वहां थे क्या? उस कांड में मौजूद थे क्या? सरदार आत्मा सिंह जी जाते हैं, उनको पता लगता है कि मेरे गांव में इतना दर्दनाक, भयंकर खौफनाक कांड हो गया। वह अस्पताल जाते हैं, बड़े-बड़े अधिकारी जाते हैं, डी.आई.जी. जाते हैं, कलेक्टर जाते हैं और पुलिस का अमला जाता है। अस्पताल को छावनी में परिवर्तित कर दिया गया। वह अस्पताल में जाते हैं, वहां उनके बाल पकड़ कर खींचते हैं, वह आपरेशन थियेटर में अपनी जान बचाने के लिए शरण लेते हैं, उसके बावजूद उनको बाल पकड़कर खींच कर लाया जाता है। सैकड़ों, हजारों आदमियों के बीच में वहां से उनको खींचकर लाया गया, उनकी बेइज्जती की गयी। जिन लोगों ने इसकी मांग की थी कि इसकी न्यायिक जांच हो, उनको जेल में ठूंसा गया। इसलिये कहता हूं, सभापति महोदया, यह जलियांवाला बाग कांड से भी बढ़ कर था। उसका पूरा हक था, वह मालिक था। आज नौकर मालिक पर गोली चला रहा है। उस समय मालिक अंग्रेज बना बैठा था, फिर भी जनरल डायर ने नैतिकता के आधार पर हिन्दुस्तान के अन्दर जो सबसे अच्छी चिकित्सा सम्भव थी वह चिकित्सा उस कांड के बाद घायलों को दी। यह तो जनरल डायर और मुसोलनी से गये बीते हैं। उसके बाद, सभापति महोदया, लगातार केस बनते चले गये, बनते चले जा रहे हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है। सभापति महोदया, मुख्य मन्त्री की ओर से वक्तव्य आये कि मृतकों को 5000 रुपया दे दिया और इतना घायलों को दे दिया। लज्जा आनी चाहिये। जिस ए.के. जैन ने गोली चलाई है, मैं घोषणा करता हूं, जमीन बेचकर 10 लाख रुपया दूंगा, मुझे अधिकार दिया जाय उसको गोली मारने का। मैं गोली मारूंगा। मुझे मुख्य मन्त्री को मारने को, गोली मारने का अधिकार दिया जाय, मैं 10 करोड़ रुपया दूंगा, सभापति महोदया।

श्री सभापति : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथसिंह : क्या संक्षेप में, सभापति महोदया। आप एक विलान्द भी बोलिये और कितना ही बोलिये, इन गूंगों, बहरों पर असर होने वाला नहीं है। यह तो पत्थर हैं पत्थर। पत्थर हैं। सभापति महोदया, आप एफ.आई.आर. को देखेंगी। मैं निवेदन करूंगा कि जो एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है उसको पढ़कर देखें। मैं जो पिन पाइंट प्रश्न करूंगा उनके उत्तर दें। पिन प्वाइंट प्रश्न मेरे यह हैं, गोली की फायरिंग रेंज क्या है? किस तरफ से किस साइड से लगी हैं? कितने नजदीक से गोलियां लगीं हैं? गोलियां आगे लगीं या पीछे लगी हैं? अघापुर गांव में किसी को गोली लगी है क्या? और जो मरने वाले हैं, जो घायल हैं और बाद में जो पकड़े गये हैं, जो 25 आदमियों की लिस्ट दी है, उनमें से कितने अघापुर से बाहर के हैं? यह बताने का कष्ट करें। यह सब झूठी कहानी है। 150 आदमी, जिनमें बच्चे हैं, पर और मवे-

(70)

(श्री यदुनाथसिंह)

शियों पर गोली चलाई। उसके बाद कहा, यह चोरी गया। आज तक तो नहीं बताया। राइफल गई, यह गया, वह गया। यह झूठी कहानियां हैं। यही कहते हुए, सभापति महोदया, मैं आसन से प्रोटेक्शन चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान का नागरिक, राजस्थान का किसान प्रोटेक्शन चाहता है। इस तरह खुली छूट पुलिस को नहीं दी जाये। इस तरह का प्रोटेक्शन अगर मुख्य मन्त्री महोदय देंगे तो यहां की पुलिस बिलकुल निरंकुश हो जायेगी। वैसे ही पुलिस निरंकुश हो चुकी है। रोज घटनाएं पुलिस कर रही है। तो, सभापति महोदया, मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि इसके बारे में किसी जांच की आवश्यकता नहीं है। खुला चेलेंज है मेरा, कोई भी मन्त्री, मुख्य मन्त्री स्वयं जाये और हमने आमन्त्रित किया था कि भरतपुर पधारें और अपने आप देखें, घटना की जांच करें। किसी जांच की आवश्यकता नहीं। कोई जांच की जरूरत नहीं थी, मेरा यही कहना है। यहीं नहीं सभापति महोदया, उस काण्ड के बाद तरक्की दी जा रही है हत्यारों को तरक्की दी जा रही हैं। हत्यारों को तरक्की दी गई। होना तो यह चाहिए था कि तुरन्त उनको गिरफ्तार किया जाता। मैं मांग करूंगा कि अगर थोड़ी भी नैतिकता मुख्य मंत्री और राजस्थान सरकार में बची है तो तुरन्त उन हत्यारों को वहां के डी. आई जी, एस. पी. और घटनास्थल पर अफसर मौजूद थे, उनको गिरफ्तार करके जेल की सींखचों में डाला जाए। मैं निवेदन करता हूं, सभापति महोदया, मैं आपका ही प्रोटेक्शन इसमें नहीं चाहूंगा, पूरे सदन का प्रोटेक्शन लेना चाहूंगा। इसकी जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं।

(व्यवधान)

मुख्य मंत्रीजी स्वयं जायं, आप जांच कर आयें, अगर नैतिकता के आधार पर जाना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदया, आप किसी को भेजें, आप स्वयं पधारें, आप देखें आप उसकी जांच करें, उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। उन लोगों को तुरन्त गिरफ्तार किया जाय और जेल के सींखचों में डाला जाय। यही मेरा निवेदन है।

(1.15 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष, महोदय सात नवम्बर को जो घटना भरतपुर के घने में घटी, वैसे दुखदायी घटना भरतपुर के 250 वर्ष के इतिहास में कभी नहीं घटी। ऐसी घटना घटी कि जिसने वहां के मानस को झकझोर दिया। हमारे लिए चिन्ता का विषय यह और है कि वह घटना उस जगह घटी, उस घने के पक्षी बिहार में घटी जो भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विश्व में विख्यात है। प्रश्न केवल इतना था कि उस नेशनल पार्क में पशुओं की चराई को रोका जाए। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि नेशनल पार्क में चराई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिये यह तो कानून से निर्णीत है कि वहां पर चराई बन्द करने का एक्ट प्रावधित करता है। मुझे इस संबध में कुछ नहीं कहना। प्रश्न केवल इस बात का है कि क्या सरकार के इस आदेश के इम्पलीमेंटेशन के संबध में 6 आदमियों की जानें जाना जरूरी था। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस समय रियासतों का मर्जर हो रहा था इण्डियन यूनियन में, उस दिन भरतपुर

(श्री हरिसिंह)

के दरवाजे में करीब एक लाख आदमियों की भीड़ थी। वह इस बात के लिए आये थे कि हम भरतपुर का मर्जर होने से रोकें। दूसरी तरफ केन्द्र सरकार के टैंक्स थे आर्मर कार थी और एक बटालियन सुसज्जित थी। लेकिन वहां का जो प्रशासन था उस समय का भी उसकी सूझबूझ के कारण एक सिंगल शॉट फायर नहीं हुआ। रियासतें मर्ज हो गई, जागीरें मर्ज हो गई, बड़ी-बड़ी जमींदारियां चली गई लेकिन कहीं पर भी एक आदमी की जान जाने की आवश्यकता नहीं आई। मैं यहां जानना चाहता हूं कि केवल एक चराई को रोकने के सम्बन्ध में क्या वह प्रशासन की कार्य क्षमता नहीं जायेगी कि वह चराई को रोकने में इस प्रकार की बंद-इन्तजामी करे कि 6 आदमियों की जानें वहां पर गई। मैं श्रीमन्, आपसे यहां यह भी निवेदन करना चाहता हूं सरकार ने अभी यह कहा कि 6 तारीख को उन्होंने इस बात की घोषणा की कि कल से चराई बन्द होगी। श्रीमन् यह जो क्षेत्र है, बृज का निकटवर्ती क्षेत्र है यहां के लोगों का आज से नहीं सदैव से गऊ चरा कर, पशुओं को चरा कर के जीवन निर्वाह करने का धन्धा रहा है। उनका हमेशा रहा है। यह इस धन्धे पर अपने आपको निर्भर करते चले आये हैं। तो आप एक दिन 24 घण्टे का भी नोटिस नहीं देना चाहते हैं, 6 तारीख को आप यह डिक्लेयर करते हैं कि कल सुबह चराई बन्द कर दी जायेगी। उसके बाद क्या यह जरूरी है कि 6 तारीख को नोटिस सभी पशुपालकों को मिल गया हो। आपने कहा कि आपने वक्तव्य के अन्दर कि शाम को जो पशुपालक मिले हमने उनको भी कह दिया जाते हुए कि आपकी चराई कल से बन्द होगी। लिहाजा यह बात स्पष्ट हो गई सरकार की ओर से, जो पशुपालक सदैव से वहां पशु चराया करते थे, उनको पहले जो प्रापर नोटिस दिया जाना चाहिए था, वह नहीं दिया। जहां तक सवाल इस बात का है, नेशनल पार्क एक्ट के संबंध में जो नोटिस मिलता है, वह एक गांव के आदमी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसे इस बात की जानकारी हो। हुआ क्या? अभी आपने जैसा बताया तीन हजार आदमियों की भीड़ थी, ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं घटना होने के बाद तुरन्त वहां मौके पर गया था। मैं अभी गया था और मेरे साथ कांग्रेस के जिला प्रमुख और हमारे जिला अध्यक्ष भी थे। हम जब शांति कुटीर में पहुंचे जिसकी कि भाई यदुनाथ सिंह जी चर्चा कर रहे थे वहां पर हमने यह देखा कि कुछ आदमी एक ट्राली के अन्दर पड़े हुए हैं, कुछ लोग जमीन पर थे। मुझसे एक व्यक्ति ने कहा, यहां पर कुछ आदमियों, जिनको चोटें आई हैं, रोके रखा है। मैंने जाकर उस ट्राली में देखा। श्रीमन्, आप उस दृश्य का अन्दाजा नहीं लगा सकते, जिनके गोली लगी है। एक बच्चा था 11-12 साल का, उसके हाथ में गोली लगी हुई थी, एक के शरीर में गोली लगी हुई थी। खून बह रहा था, वह ट्राली खून का एक पॉट बन गई थी। वहां पर जो अफसर तैनात थे, उनसे हमने कहा कि यह तो इन्सान का एक बर्थ-राइट है, मुलजिम ने कितना भी सख्त से सख्त जुर्म किया हो, उसको कम से कम अस्पताल में तो आप पहुंचाइये। उसके बावजूद 15-20 मिनट तक वह ट्राली वहां से रवाना नहीं हुई। उस ट्राली के व्यक्तियों की दशा का

(72)

(श्री हरिसिंह)

आप अन्दाजा नहीं लगा सकते । ऐसा मालूम पड़ता था कि जैसे मानवता भय से आतंकित होकर उस ट्राली के अन्दर सिमटी हुई बैठी है और सहायता के लिये करुण पुकार कर रही है । यह वहां का उस समय का दृश्य था । बड़ी मुश्किल से वहां से वह ट्राली गई । हमने वह दृश्य भी देखा जहां पर फाटक, आप बताते हैं, तोड़ा गया था, जहां पर ईंटें भी फेंकी गई थीं । वहां, श्रीमन्, तीन हजार आदमी इकट्ठे नहीं हुए । उस गेट के अन्दर यदि आप देखें, तीन हजार आदमी इकट्ठे होने का स्थान ही नहीं है । और फिर जो मरे हैं, आप उनको देखें, उसमें बिशनी नाम की एक नाइन मरी है, बच्चे मरे हैं । क्या इन लोगों से आशा कर सकते है कि इस प्रकार से वह हथियारबन्द होकर आये थे, इस तरह से आये थे कि उन्होंने मजबूर कर दिया कि जब तक उन पर गोली नहीं चलायेंगे, मौत के घाट उतारेंगे नहीं तब तक आप उनको कन्ट्रोल मुश्किल से नहीं कर सकते 250–300 आदमियों की भीड़ उस समय होगी, उन ढाई सौ-तीन सौ आदमियों की भीड़ को वहां का जो जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन का जो हैड है, उनको तो महीनों से इस बात की जानकारी थी कि घना के अन्दर चराई होती है तो उसे करना है। तो क्या वह इस बात की व्यवस्था नहीं कर सकते थे कि दूसरे आदमियों को घना लाकर उस चराई को बन्द करा सकें । जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, रियासत मर्ज हो सकती है भरतपुर में एक आदमी को मारे बिना तो घना के अन्दर चराई बन्द नहीं कर सकते बगैर 6 आदमियों की जानें लिये हुए । वहां का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मैं समझता हूं, इस बात के अन्दर अक्षम रहा है । उसको दोष दीजिये । आप उनको क्यों दोष देते हो, जिन्होंने गोली चलाई । वह तो एक सिपाही है, अनपढ़ सिपाही है । उन्हें हुक्म दिया गोली चलाओ तो वह गोली चला देंगे । उनका उसमें क्या दोष है ? उनको क्या ट्रेनिंग दी है कि उस प्रकार गोली चलाओ कि गोली चल भी जाय और आदमी भी नहीं मरे ? उन्हें क्या इस प्रकार के निर्देश दिये हैं कि इस प्रकार गोली चलाएं कि गोली जमीन पर लगे । ऐसी आपने ट्रेनिंग नहीं दी है । मैं तो रेस्पान्सि-बल समझता हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैड को जिसके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई थी कि आप इसमें चराई को बन्द करें । कहते हैं वार्तालाप कर रहे थे । क्या वार्तालाप कर रहे थे आप ? आपको सरकार ने आदेश इस बात का दिया था कि आर्डर लेकर अरेन्जमेंट करो चराई को रोकने के लिये । आपका आदेश था कि आप दूसरी व्यवस्था करो चराई को रोकने के लिये ।

पहले आपको चराई की वहां पर व्यवस्था करनी चाहिये थी । आपको लोगों को इसके लिए समझाना चाहिये था । आपको पहले वहां के लोगों को कोन्फिडेंस में लेना चाहिये थी । आपको पहले वहां के लोगों को मजबूरी बतानी चाहिये थी कि इसमें आपकी मजबूरी क्या है । अध्यक्ष महोदय, भरतपुर के अन्दर जो घना का क्षेत्र है, जो घना का पक्षी बिहार है वह भरतपुर का नाम देश में ऊंचा करता है, देश में ही नहीं बल्कि विश्व में भरतपुर का नाम ऊंचा करता है। इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं होनी चाहिये जिससे कि उसके नाम को आंच आ ये

(श्री हरिसिंह)

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं; हम यह नहीं चाहते हैं कि वहां पर चराई दुबारा प्रारम्भ हो। वहां पर चराई दुबारा प्रारम्भ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि इसमें क्या कर सकते हैं? अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें सरकार को दोषी मानें या वहां का जो प्रशासन है उसको दोषी कहें। लोगों के सामने यह सबसे बड़ा सवाल है। आप जो इन्क्वायरी करने की बात करते हैं वहां पर इस प्रकार की बात नहीं हुई जिसकी इन्क्वायरी करायें। वहां पर अध्यक्ष महोदय, 6 आदमियों की जानें गयीं उसमें सरकार क्या करने जा रही है? आप कहते कि शंकरन से इन्क्वायरी कराई जायेगी, तो इसमें शंकरन से इन्क्वायरी कराने से क्या होगा? आज स्थिति यह है कि लोगों का आपकी इन्क्वायरी में विश्वास नहीं है। वहां पर लोग सहयोग नहीं दे रहे हैं। वहां के जो दोषी अधिकारी हैं वह उसमें सहयोग नहीं दे रहे हैं। जनता का आपकी इस इन्क्वायरी में विश्वास नहीं है। आपके अधिकारियों में विश्वास नहीं है। इसके लिए आपको जुडिशियल इन्क्वायरी स्टार्ट करानी चाहिये। जुडिशियल इन्क्वायरी आप करायेंगे तो लोगों में विश्वास पैदा होगा कि उनको न्याय मिलेगा। श्रीमन्, जैसा मैंने सुना और मुझे मालूम हुआ है कि जुडिशियल इन्क्वायरी शुरू नहीं कराने का एक कारण यह है कि उससे कर्मचारियों का मोरल डाउन होता है। हम समझते हैं कि हम जिस फ्लोर पर खड़े हुए है क्या उसका तकाजा यह है कि कुछ अधिकारियों चार-पांच कर्मचारियों, जो क दोषी हैं, का मोरल हाई रखने के लिये लाखों आदमियों का मोरल डाउन करें? या आप चाहते हैं कि हम हमारा मोरल डाउन करें? यह नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए आपने एक रिटायर आई. ए. एस. अधिकारी से इन्क्वायरी कराने की बात की है तो वह एक आई. ए. एस. दूसरे आई. ए. एस. अधिकारी के खिलाफ क्या इन्क्वायरी करेगा और उसको वहां पर क्या सहयोग मिलेगा? जिन लोगों ने 6 आदमियों की जान ली है, मेरा निवेदन है कि आप मेहरबानी करके इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी करावें।

दूसरी बात, जिन लोगों की जानें गयीं हैं उनके परिवार वालों को आप रोजगार दें। जिन लोगों का आपने रोजगार छीना है उनको आप रोजगार दें। जिन लोगों की जानें गयी उनके पीछे जो पीड़ित लोग हैं उनको आप नौकरी दीजिये, कोई परमानेन्ट सर्विस दीजिये। उनको आप कोई आल्टरनेटिव धन्धा दीजिये चाहे आप उनको कोई फ्री लोन दें, चाहे आप उनको सबसिडी दें, चाहें आप उनको कोई धन्धा स्थापित करके दें, ताकि वह लोग अपना पेट पाल सकें। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को चाहिये कि इसके लिये बोल्ड स्टेप ले और राजस्थान के प्रशासन को बतायें कि इनकी अकर्मण्यता के कारण सरकार बदनाम हुई और वहां पर लोगों की जानें गयीं बस, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर आर्डर। श्री नाथूसिंह

श्री जगन्नाथसिंह (बयाना): अध्यक्ष महोदय, यह मेरे जिले का मामला है इसलिये इस पर बोलने का मुझे भी अवसर मिलना चाहिये।

(74)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री नाथूसिंह।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, अभी राज्य मन्त्री गृह जब अपना वक्तव्य दे रहे थे उस...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। कृपया आपस में बातें नहीं करें।

श्री नाथूसिंह : तो उस वक्त, अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगा कि शायद राज्य मंत्री महोदय अपनी अन्तर आत्मा से नहीं बोल रहे हैं। उस वक्त उनकी आत्मा नहीं बोल रही थी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप टिप्पणी नहीं करें। आप तो तथ्यों के बारे में बोलें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, तथ्यों पर ही आ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। भरतपुर में जो गोली काण्ड हुआ, मैं समझता हूं ऐसी शर्मनाक दुर्घटना भरतपुर के इतिहास में आज तक नहीं हुई होगी। अध्यक्ष महोदय, तीन तारीख को मीटिंग बुलाई गयी और उसमें कोई फैसला नहीं हो सका। उसके बाद में पांच तारीख को और मीटिंग हुई उसमें ग्रामीणों ने कहा कि पहले आप हमें चराई के लिये आल्टरनेटिव व्यवस्था करके दें तो उसके बाद में हम वहां पर चराई बन्द करेंगे। पर अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया उन लोगों ने यह भी कहा कि आप हमें कोर्ट में जाने के लिये इजाजत दीजिये और जब तक हाई कोर्ट से कोई फैसला नहीं होता है तब तक आप हमें घना को चरागाह के लिये काम में लेने दीजिये। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद में मीटिंग समाप्त कर दी गयी। उसके बाद कोई सूचना, ग्रामीण जनता को नहीं दी गयी जैसा कि यहां पर मन्त्री जी ने बताया, हमने गांव में घोषणा करवायी, हमने पर्चे बंटवाये, लाउड स्पीकर से घोषणा करवायी। अध्यक्ष महोदय, उस गोली काण्ड के बाद दो बार मैं वहां जाकर आया हूं स्वयं मन्त्री महोदय भी वहां पर जाकर आये हैं। मुझे भरतपुर में किसी गांव, शहर में एक भी व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि यहां पर सरकार के द्वारा कोई घोषणा की गयी थी या यहां पर पर्चे बंटवाये गये थे या पेम्पलेट बांटे गये या लाउड स्पीकर से घोषणा की गयी।

अध्यक्ष महोदय, अधिकारियों की हठधर्मी के कारण यह दुर्घटना हुई। मैं, अध्यक्ष महोदय, गृह राज्य मंत्रीजी, जो वन मंत्री भी हैं, से यह जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने सात तारीख को घना को बन्द करने के आदेश स्वयं ने दिये थे? यह स्पष्ट आपको मालूम हो जायेगा कि उन्होंने ऐसे कोई आदेश नहीं दिये थे और जब मन्त्री महोदय ने कोई आदेश नहीं दिये थे तो वहां के अधिकारियों ने अपने स्तर पर धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को खुश करने के लिए क्योंकि यह धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की इच्छा थी कि वहां पर पशुओं की चराई को बन्द किया जाय...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कोई अन्य व्यक्ति जो यहां पर नहीं है, के बारे में न कहें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो घटना से सीधे सम्बन्धित हैं वही तथ्य कहें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, वही कह रहा हूं,न उसके लिए हमारे मुख्य मंत्रीजी ने कोई आदेश दिये, गृह राज्य मंत्री ने आदेश दिये नहीं, मुख्य मंत्रीजी ने कोई आदेश दिये नहीं तो इसका मतलब यह हुआ कि अधिकारियों ने अपने लेवल पर ही आदेश दिये। उन्होंने उन लोगों को इसकी कोई प्री इन्फार्मेशन भी नहीं दी कि अगर वहां पर चराई करायी तो उनको गोली मार दी जायेगी। ऐसी स्थिति में गोली चलाना क्या जरूरी था? इसके पहले कि गोली चलायी जाती वहां पर लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता था पर यह सब नहीं किया...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप तथ्यों की बात करें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय मैं तथ्यों पर ही आ रहा हूं। वहां पर एक औरत विशनी, जो अपने बच्चे को पानी पिला रही थी, को गोली मार दी गई। वहीं पर एक औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही थी उसको गोली मार दी गई। इसके अलावा एक व्यक्ति जो 60-70 साल का था मन्दिर में पूजा कर रहा था उस बुजुर्ग को गोली मार दी गई। अध्यक्ष महोदय, भीड़ के पीछे पीछे पुलिस भागती गई और गोलियां चलाती गयीं। लोगों के घरों में जाकर गोलियां मारी हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसी शर्मनाक घटना हमारे राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुई। मैं, अध्यक्ष महोदय, गृह राज्य मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि घना को चराई के लिए बन्द करने के आदेश आपने दिये? क्या यह सही है कि घना बन्द करने से पहले डालमिया ने 400 बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है? वहां डेयरी चलाने के लिए चरागाह की जमीन में से दो सौ बीघा जमीन नाजायज रूप से डालमिया ने दबा रखी है। आपने उस कब्जे की जमीन पर पशुओं को चराने के लिए आल्टरनेट व्यवस्था की आप कर सकते हैं। वहीं पर 500 बीघा जमीन भूतपूर्व सैनिकों को प्लाट की हुई थी उसमें से कुछ लोग तो वह जमीन छोड़ कर चले गये, कुछ लोग जमीन बेच कर चले गये कुछ लोगों ने उस जमीन पर नाजायज कब्जा कर रखा है।

आपको घना को बन्द करना था तो उस जमीन में चरागाह की आल्टरनेटिव व्यवस्था करनी चाहिये थी। अध्यक्ष महोदय, जब हम वहां पर गोली काण्ड होने के दूसरे दिन गये तो हमने देखा कि पशुओं ने भी भूख हड़ताल कर रखी थी। वहां पर श्रीमती इन्दिरा गांधी भी गयीं। प्रेस की तरफ से पशुओं के ऊपर चिड़ियायें बैठी फोटुएं दिखायी गयीं। अध्यक्ष महोदय, पशुओं में कितना कोआपरेशन है अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जो घास वहां पैदा होती है वह घास साइबेरिया में एक पक्षी जो सारस होता है उसके गोबर से पैदा होती है जो पशु खाते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप गोली चलाने के तथ्यों के बारे में कहें उस तक ही सीमित रहें। आप दृष्टान्त न दें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं उस तक ही सीमित रहते हुए मन्त्री महोदय से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या फायरिंग होने से पूर्व और फायरिंग होने के बीच में कोई वार्निंग उन लोगों को दी गयी? नहीं

(श्री नाथूसिंह)

तो क्यों नहीं दी गई ? अगर दी गयी तो कितना समय था इसके बीच में ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस समय फायरिंग हुई उसके पहले क्या पब्लिक ने फायरिंग किया था? क्या उससे किसी आदमी की मृत्यु हुई थी। क्या यह सही है बिना किसी वार्निंग के ही पुलिस ने गोली चला दी या वार्निंग और गोली चलाने में गैप था ? जो लोग खड़े थे उन पर पुलिस ने गोली चलायी। क्या यह सही है कि जब गोली चल गयी तो एडीशनल एस. पी. को यह बताया गया कि फायरिंग गलत हो गया है तो उसने वहीं पर मानसिंह और श्री चांद. जो कि वन विभाग के कर्मचारी थे, को गोली मार दी ताकि यह कहा जा सके कि पब्लिक ने उन पर फायरिंग किया, क्या यह सही नहीं है ? अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा क्या यह सही नहीं है कि जिन लोगों को गोलियां लगी या जो लोग घायल हुए उन लोगों का जब ट्रैक्टर और ट्रॉलीज के अन्दर डालकर ले जाया गया तो उस ट्रैक्टर और ट्राली को पुलिस ने कब्जे में ले लिया ? जो लोग ले जा रहे थे उनको पीटा गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया और जो लोग बच सकते थे वह भी इसलिए मर गए कि उनको पुलिस ने कई घण्टों तक हॉस्पिटल नहीं ले जाने दिया। तो जिन लोगों को हॉस्पिटल नहीं ले जाने दिया उनके विरुद्ध आपने क्या कार्यवाही की ?

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं एक प्रश्न और पूछता हूं····

श्री अध्यक्ष : ज्यादा लम्बी चौड़ी प्रश्नावली प्रस्तुत नहीं करें।

श्री नाथूसिंह : बस अभी मैं समाप्त कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण मामला है। उस समय तुरन्त मुख्य मंत्री जी को वहां जाना चाहिए था। सारे लोग चले गए लेकिन मुख्य मंत्री जी नहीं गये। कोई घोषणा नहीं की। फायरिंग करने के पहले आस पास के गांवों के लोगों को बुलाकर क्या यह बात कह दी गयी थी कि 7 तारीख को चराई नहीं रोकी गई तो सरकार सख्त से सख्त कदम उठायेगी ? ऐसी कोई सूचना नहीं दी गयी, उसके पहले भिड़ते ही गोली चला दी। पुलिस गोली चलाने के पहले लाठी-चार्ज करती है अश्रुगैस छोड़ती है और उसके भी पहले चेतावनी देती है, अरेस्ट करती है। क्या गोली चलाने के अलावा कोई आल्टरनेट व्यवस्था नहीं बची थी जो गोली चलाने की नौबत आई ?

श्री अध्यक्ष : श्री भैरूंसिंह गुर्जर।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं जो बात कहूंगा, मुद्दों सहित और सबूत के साथ कहूंगा····

श्री अध्यक्ष : यह हम मानकर ही चलते हैं। इसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : घन पक्षी विहार में गोली काण्ड इसलिए हुआ कि वहां पर पशुओं की चराई होती थी और देश विदेश से जो पक्षी वहां आते थे उनकी शांति भंग होती थी। अध्यक्ष महोदय, इतनी सी बात को लेकर गोलियां चल गयीं। केवल शांति

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

की बात से ! मेरी बात ध्यान से सुनें। आज से पिछले सप्ताह वहां जाकर देखते और आज भी जाकर देखें तो मालूम होगा, अभी कल परसों में ही गवर्नमेंट ने आदेश दे दिये तो बात अलग है, लेकिन वहां पर उत्सव फिल्म की शूटिंग हो रही है। शशि कपूर अपनी पार्टी को लेकर शूटिंग कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, पक्षी विहार में क्या उससे पक्षियों की शांति भंग नहीं हो रही है ? छोटी-सी बात को लेकर गोली चला दी ! जब कि पशु वहां पर केवल चरते थे, चिल्लाते नहीं थे, गोलियां नहीं चलाते थे। उनको लेकर तो वहां पर इन्सानों पर गोलियां चला दी गयीं, और जहां शूटिंग हो रही है, गोलियां चलाई जा रही हैं शूटिंग में और उत्सव नाम का धूमधड़ाका होता है वहां पर गोलियां चलाने की जरूरत नहीं पड़ी आपको ? किसने परमिशन दी उसकी ? मैं दावे के साथ कहता हूं कि 50 हजार रुपया पुलिस वेलफेयर फण्ड में दिया गया। उसके ऊपर कितना दिया गया, यह तो मुझे पता नहीं लेकिन इनको फिल्म की शूटिंग करने की इजाजत इसीलिए दे दी गयी, अध्यक्ष महोदय····

अध्यक्ष महोदय, बयान में मंत्री महोदय ने कोई बात कही। 5 तारीख को डी. एल. ओ. ज. की मीटिंग हुई उसमें कोई निर्णय लिया गया। बात हुई 6 तारीख को, पशु चराने से किसी ने नहीं रोका। पशुपालकों को किसी ने कुछ नहीं कहा लेकिन 5 तारीख को ऐसी क्या जरूरत पड़ गयी कि उनके ऊपर गोली चला दी गयी ? मैं मंत्री महोदय से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या अक्टूबर के अन्तिम सप्ताह में दिल्ली में रेवेन्यु सैक्रेटरीज की कोई कान्फ्रेन्स हुई थी और वहां पर प्रधान मंत्री जी ने कोई सवाल पूछा था क्या ? और प्रधान मंत्री जी के सवाल पूछने के बाद जब आपके रेवेन्यू सैक्रेटरीज वापस आये तो वापस आ करके उन्होंने किसके साथ गुफ्तगू की ? कौन से मंत्री जी से आदेश लिए और किस प्रकार से वाइल्ड लाइफ के सम्बन्ध में वह आदेश वहां तक पहुंचे और पुलिस के जरिये आदेश वहां कब पहुंचे और गोलियां चलीं ? क्या मंत्री जी, जिनके पास वन विभाग भी है और गृह राज्य मंत्री जिनके पास गृह का भी चार्ज है से क्या किसी प्रकार की कोई इस बारे में बातचीत की गयी थी या उनसे किसी प्रकार की इजाजत ली गयी थी, इसके बाद गोली-कांड हुआ।

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है, माननीय सदस्य।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मैं उससे जोड़ रहा हूं कि मामूली जो पशु चरते थे उनसे तो पशुओं का अहित होता था लेकिन उस फिल्म से किसका हित हो रहा है ? उससे शांति भंग नहीं हुई ? और वहां पर गोलियां चला दी गयीं।

अध्यक्ष महोदय, बड़े दुख के साथ इस घटना को दोहराना पड़ रहा है कि इस प्रकार से उन निरीह और गरीब पशुपालकों को गोली से भून दिया गया जिस प्रकार पंजाब में जलियांवाला काण्ड हुआ था। पंजाब के अन्दर जिस प्रकार से आजादी की लड़ाई के अन्दर पुलिस ने, गोरे लोगों ने लोगों को भून दिया था उसी प्रकार से यहां पर निहत्थे लोगों को यह कह कर भून दिया गया कि

78

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

वह बन्दूक लाये थे। एक किशना नाम का व्यक्ति था, जिसका जिक्र चला उसको गोली मारने के बाद पुलिस और फोरेस्ट के आदमियों ने जाकर बन्दूक के बट से उसके मुंह पर चोटें की हैं। फोटो इस बात की एग्जाम्पल है कि उसके दांत टूटे हुए हैं फोटो के अन्दर उसके होंठ फटे हुए हैं। क्या वहां पर गोली लगी थी ?

इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं कि इस फोटो में पुलिस जबरदस्ती खींचकर ले जा रही है वहां के सरपंच को। निरीह लोगों के परिवार वाले रो रहे हैं। इन फोटोज में उन घायलों की भी फोटो है। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात तो 23 लोगों की मेडिकल रिपोर्ट मैं यहां पर प्रस्तुत करता हूं। उस मेडिकल रिपोर्ट में 3 तो मरे लोगों की है और 19 घायल लोगों की हैं। उनको गोलियां पीछे पीठ पर लगी हैं, आगे नहीं लगी हैं, यह डाक्टरी रिपोर्ट में है। इससे यह स्पष्ट नहीं होता क्या कि भागते हुए लोगों को पीछे से गोली मारी गयी है ? अध्यक्ष महोदय, भागते हुए लोगों को गोली मारी गयी है। इससे स्पष्ट है कि प्रशासन दोषी है। प्रशासन में कौन व्यक्ति दोषी है इस बात को जानने के लिए आपने इतना समय लगा दिया। 7 नवम्बर को काण्ड हुआ और आज तारीख हो गयी 4 मार्च। मुख्य मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इतनी शालीनता से, शांति से बैठे हैं और लोगों की जानें चली गयीं ! उन लोगों की, जो आपको और हमको वोट देते हैं, जो आपको और हमको यहां भेजते हैं चुनकर, उनकी हिफाजत के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए ! हम लोग यहां बैठकर उनके हितों की रक्षा नहीं कर सकें तो यह हमारे लिए निहायत शर्म की बात होगी, अध्यक्ष महोदय।

मैं आपसे निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, राज्य मंत्री जी वहां पर गये थे 9 तारीख को, और 7 तारीख को गोली-काण्ड हुआ। 9 तारीख को गये थे मैं भी उस समय वहां पर था और भरतपुर के सांसद भी वहां पर थे। मंत्री जी उस गांव में गये थे। उस गांव के लोगों को इन्होंने शायद आश्वासन भी दिया था इस बात का कि जो लोग इसमें पीड़ित हुए हैं, या जो मारे गए हैं उनके बच्चों को नौकरियां दी जायेंगी। एक को भी दी गयी क्या ? आज तक कितनों को दी गयीं मुझे बता दीजिए ? वहां पर इन्होंने यह आश्वासन दिया था कि इनकी चराई के लिए अतिरिक्त जमीन की व्यवस्था की जायेगी। कर दी गयी क्या ? डालमिया डेरी वालों ने सैकड़ों बीघा जमीन रोक रखी है। एक-एक व्यक्ति जो वहां पर है उसके पास दो दो सौ बीघा जमीन है, फौजियों को जो भूमि अलाट की गयी थी उसके ऊपर कब्जा किये हुए बैठे है। वह जमीन आप उनसे छुड़ा करके निरीह पशुपालकों को नहीं दे सके।

जांच कराने की जहां तक बात है, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इसकी आप जुडिशियल जांच तो नहीं करायें कृपा करके, वरना बहुत देरी हो जायेगी और तब तक वह लोग बैठे रहेंगे। यह बात उचित प्रतीत नहीं होती। लेकिन आप रेवेन्यू बोर्ड के मैम्बर से जांच करा रहे हैं, यह भी उचित प्रतीत नहीं होती। आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि तथ्य सामने हैं,

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

मेडिकल रिपोर्ट सामने है, फोटो सामने हैं फिर उसके बाद जांच की क्या आवश्यकता पड़ गयी ? आप स्वयं जाकर वहां लोगों से मिल लिए, आपने पुलिस और प्रशासन दोनों तरफ की बात सुन ली तो फिर अब जांच का मुद्दा बीच में आता कहां से है ? अगर जांच कराना आवश्यक ही समझते हैं तो आप जन प्रतिनिधियों की एक कमेटी बना दीजिए जिसमें सभी तरह के लोग हों। लोकल प्रतिनिधि और बाहर के प्रतिनिधि शामिल हों। उनको आप कहें कि 7 दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तीन-तीन, चार-चार महीने आप एक जांच में लगा देते हैं। उन लोगों के सहारे का क्या होगा आखिर ?

एक महत्वपूर्ण बात है, अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मेरा निवेदन यह था, और मैं स्पष्ट आरोप लगाना चाहूंगा उन तत्वों पर जिन्होंने जानबूझ कर यह काण्ड करवाया। उसके अन्दर जनसंघ और आर.एस.एस. के लोग थे और वही दुहाई दे...। वहां पर जनसंघ और आर.एस.एस. वालों ने मिलकर यह काण्ड कराया, भारतीय जनता पार्टी जिसको कहते हैं। आपसे मैं दावे के साथ कहता हूं कि प्रशासन में इनके लोग मिले हुए हैं। प्रशासन में आर.एस.एस.के लोग मिले हुए हैं

एक माननीय सदस्य : यह असत्य बयान है आपका।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : प्रशासन में जनसंघ के लोगों की व्यूह रचना थी...

एक माननीय सदस्य : अरे तो उनकी छुट्टी कर दो ना !

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के लिए, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को बदनाम करने के लिए इन लोगों ने मिलकर यह काण्ड करवाया। और उसके बाद जांच की मांग करते हैं ?

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए। काफी समय हो गया, माननीय सदस्य।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, इस घटना काण्ड के ऊपर एक विस्तृत रिपोर्ट मैंने तैयार की है उसकी एक प्रति मैं मुख्य मंत्री जी को और एक प्रति गृह मंत्री जी को दे देता हूं।

एक माननीय सदस्य : अरे नाम तो बताइये किसी का, जिसने यह काण्ड कराया। फर्जी भाषण कर रहे हैं।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, एक मुख्य मुद्दा छूट गया। जो कहा गया कि गांव में गोली नहीं चलाई गई है लेकिन यह गोलियां उस गांव के नजदीक मिली हैं। थ्री नाट थ्री की गोलियां हैं पुलिस की। जांच करा लीजिये। भरतपुर पुलिस की थ्री नाट थ्री की गोलियां हैं। यह भी मैं गृह मंत्री जी को दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री जगनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे जिले का मामला है...

श्री अध्यक्ष: अवसर दे दूंगा। सबको एक साथ तो नहीं दे सकता। आपका कोई प्रस्ताव नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रख लूंगा।

श्री जगनसिंह : भरतपुर जिले का मसला है। हम पीड़ित हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन कर दिया कि मैं आपको अवसर दे दूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर—ग्रामीण), : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी ने जो स्टेटमेन्ट दिया है वह बहुत तोड़ मरोड़ कर दिया है। यह बात सत्य है कि वहां कोई प्रचार-प्रसार नहीं कराया गया कि चराई बन्द कर दी जाय। मैं पूछना चाहती हूं कि इस तरह की गलत रिपोर्ट कैसे दी ? वहां पर कौन से पर्चे बंटवाये गये, वह सदन के पटल पर रखें। न कभी डुगडुगी पिटाई गयी, न कोई वहां पर पर्चे बांटे गए बल्कि उन लोगों को घेर कर मारा गया है। जो लोग उनको देख कर भागे उनके पीछे से गोली लगी है। सरकार उसकी जांच कराये।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, 26 फरवरी को, माननीय राज बहादुर जी यहां बैठे हैं, घना पक्षी विहार के बारे में इन्होंने यहां पर चिन्ता व्यक्त की थी कि आप क्या करने जा रहे हैं ? उससे पहले यदुनाथ जी ने की थी, भरतपुर के माननीय सदस्यों ने की थी लेकिन 18 महीने तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। अचानक वफादारी सूझी और जाकर लोगों को गोलियों से भून दिया गया। उनमें कुछ चराई कराने वाले थे, कुछ गांव वाले थे और कुछ गोली कांड देख कर दौड़े आये थे, उन्हें भी गोलियों से भून दिया।

मैं कहना चाहूंगी जब तक वहां पर वे अधिकारी बैठे हैं जिन्होंने गोली काण्ड किया है तब तक जांच ठीक नहीं हो सकेगी। उनको वहां से हटायें, सस्पेंड करें। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा था, कौन क्या है बेकार की बात कहने की जरूरत नहीं है। हम मांग करते हैं कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री राज बहादुर।

श्री राज बहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मेरे मस्तिष्क में जो प्रश्न उठता है वह यह है कि इस गंभीर वीभत्स घटना पर यहां चर्चा कर रहे हैं, अपने उद्गार यहां व्यक्त कर रहे हैं, अपनी दुखी आत्मा की जो भी अभिव्यक्ति हो सकती है वह कह रहे हैं लेकिन इसका कोई परिणाम निकलेगा नहीं। मुझे बड़ा सन्देह है, और मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सचमुच हमारी बातों पर ध्यान देने की उनकी तनिक सी भी इच्छा है क्या ? मुझे लगता है कि नहीं है। इसलिये कहना चाहता हूं कि इस घटना के बाद अगर मैं कभी किसी मुख्य मंत्री के घर पर गया तो केवल शिवचरण जी के यहां गया, उनके निवास स्थान पर गया और केवल इसलिये गया कि वस्तुस्थिति बताऊं और उनसे अपील करूं कि वे भरतपुर जायें। उनको बताऊं कि वस्तुस्थिति यह है। मैंने उनको चिट्ठी लिख कर दी थी। मैंने कहा था कि इसको साधारण मामला मत समझिये।

(श्री राज बहादुर)

आखिर भरतपुर जगह क्या है ? वृन्दावन का नाम आपने सुना है, पवित्र नाम है। लता वन का नाम आपने सुना है, काम वन का नाम आपने सुना है। उन्हीं वनों का यह एक वन है जिसमें हजारों वर्षों से गऊएं चरती हैं। यहां कोई मुझे कम्युनल मान लें मैं कम्युनल नहीं हूं, लेकिन गऊ हमारे राष्ट्र का चिह्न है, हमारी संस्कृति का आधार है। इसके लिये वहां के राजा-महाराजाओं ने भी हमेशा छूट दे रखी थी। हजारों वर्षों से मवेशी वहां चरते थे। हजारो वर्षों से, बीसियों पीढ़ी से उनका एक अधिकार सा बन गया था। क्या कारण हुआ कि अचानक आपने एक कठोर कदम उठाया ? कठोर कदम उठाने के पहले उनके बारे में कुछ सोचा तक नहीं। यह प्रशासनिक दृष्टि से बिलकुल अवांछनीय है और किसी तरह सराहा नहीं जा सकता है। आप इतने पुराने अधिकारों को छीनना चाहते थे तो आपने कुछ तो वैकल्पिक व्यवस्था की होती, कुछ तो सोचा होता कि भाई, ये मवेशी 10 हजार, 8 हजार, 6 हजार, 5 हजार जितने भी हैं, अगर इसको बन्द करते हैं और एक साथ सारे दरवाजे बन्द करते हैं तो तुम यहां आ जाओ, तुम्हें चारा यहां से मिलेगा लेकिन कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की। यह नोटिस की, पैम्फलेट्स की और लाउडस्पीकर की जो कथा है, माफ करिये, इस पर किसी को विश्वास नहीं आयेगा। विश्वास यह आता है, आम चर्चा भी है इसमें, मुख्य मन्त्री जी आप होशियार रहिये, इसमें प्रधान मन्त्री जी तक का नाम घसीटा जा रहा है। कहा जाता है कि प्रधान मन्त्री जी ने आज्ञा दी, डांट पिलाई कि आपने क्यों नहीं अपने मवेशी चरने दी। उस पर आपके एम. एम. के. वली, चीफ सैक्रेटरी साहब ने स्थानीय अधिकारियों से कहा और आपके जाने-अनजाने में, मैं नहीं बता सकता, यह घटना घटी। कुछ भी हो आपने वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की। लेकिन यह तो सोचते आप, गोली चलाने वालों से यह तो पूछा जाता, भाई, तुम्हें बचने को कोई स्थान नहीं था ? वास्ट मैदान पड़ा हुआ है, वहां पर पेड़ खड़े हुए हैं, किसी की आड़ ले सकते थे अगर भीड़ इतनी हिंसक हो गई थी पत्थर और गोलियां बरस रही थीं आप पर। क्या आप ईमानदारी से कह सकते हैं दिल पर हाथ रख कर कि जो फोर्स वहां इस्तेमाल हुई वह आवश्यकता से अधिक नहीं थी ? Was it not excessive, you suppose ? कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता इस बात को।

तीसरी बात, जो आदमी जख्मी हो गये और उपचार के लिए जान बचाने के लिये अपने भाई, अपने चहेते के साथ ट्रैक्टर में जा रहे थे, अस्पताल में उनको रोक दिया। उनकी मृत्यु न होती अगर वे नहीं रोकते। जान लेने वाले वे लोग जो हैं। ट्रक में रोक दिये गये। क्या अधिकार है आपका उन लोगों को रखने का जिन्होंने बर्बरता बरती, मेरी समझ में नहीं आता।

मैं इसी प्रसंग की थोड़ी सी कहानी सुनाना चाहता हूं कि यह कोई पहली बार विवाद नहीं हुआ था। मुझे थोड़ा समय देंगे, अध्यक्ष महोदय, मैं जरा इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इसके सम्बन्ध में पहले पहल मैंने एक प्रश्न रखा था 1980 में और उसके बाद मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा था कि जब आप इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर

(श्री राज बहादुर)

रहे हैं तो इसके लिये चराई का क्या इंतजाम कर रहे हैं। इस वन से, घना पक्षी विहार से कुछ मेरा भी सम्बन्ध रहा है। मैं वहीं का रहने वाला हूं, वहीं मेरा जन्म हुआ है और बचपन से लड़कपन से मैंने उस चीज को देखा है। यही नहीं, जब मुझे मौका मिला इस विभाग की सेवा करने का तो, अमेरिका में एक वाइल्ड लाइफ और बर्ड लाइफ की बड़ी भारी सोसायटी है उसे इंटर-नेशनल ओडोवन सोसायटी बोलते हैं उसका अधिवेशन मैंने यहां कराया। देश-विदेश के सब लोग यहां आये। उसका प्रचार-प्रसार हुआ। साथ में हमारी तत्कालीन प्रधान मंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने स्वयं घोषणा की कि किला सुरक्षित होगा, और इसको बढ़ावा दिया। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जब यह नेशनल पार्क घोषित किया गया, तो इसके साथ में जो प्रावधान है उसका पालन हुआ या नहीं हुआ? मैं पहले उन सवालों को यहां रखूं जो इस सम्बन्ध में पहले आये है। मेरा एक सवाल 3०1 नम्बर का 6-2-80 का था। उसके बाद 6-3-82 को माननीय यदुनाथ जी ने सवाल रखा था जिस पर बहुत लम्बी-चौड़ी चर्चा हुई थी, और हमारे विपक्ष के नेता महोदय ने भी उस चर्चा में भाग लिया था। मेरा हवाला देते हुए दूसरा सवाल जानवरों के विषय में किया था जो वहां चराई करते हैं। इसका जो जवाब दिया गया था, वह मेरा जवाब नहीं था, वह जवाब था श्री गोविन्दसिंह जी का, "जब से भरतपुर है तब से यह चरागाह है।" फिर गिनती दी है, इन्होंने खुद कहा है। फिर बन्द कैसे किया? आगे जाकर हरिसिंहजी, माननीय सदस्य ने एक प्रश्न पूछा "क्या यह सच है कि घना पक्षी विहार के अन्दर सदियों से हजारों परिवार अपना गुजारा करते हैं, पशुधन को चरा कर जीवन-यापन करते हैं इसलिए चराई बन्द करने से उनके साधन बन्द हो जायेंगे? क्या इस पर विचार किया गया है? सरकार से निवेदन है कि क्या उनके पशुधन के लिए आपने कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है?" मैंने नहीं कहा है। यह मांग दोनों ओर से आई कि वैकल्पिक व्यवस्था की जाय। और, क्या कर सकेंगे? चारों तरफ खेत हैं, लोगों की अलग-अलग खातेदारी हैं। उनमें से जमीन नहीं दे सकते हैं। आपको इसी में से जमीन निकालकर देनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। लेकिन जिद लगाए हुए हैं आपके फॉरेस्ट के ऑफिसर कि हम तो एक इन्च भूमि नहीं देंगे। भूमि क्या है, कितनी है वह बता दूंगा। कुल भूमि है 29 स्क्वायर किलोमीटर उसमें बर्ड सैंक्चुरी प्रॉपर का जो एरिया है वह 11 स्क्वायर किलो-मीटर है। उसमें कोने में बसने वाले लोग हैं जो कोने में ही चराई करते आये हैं। मुश्किल से दो-तीन किलो मीटर की बात है। 10 हजार मवेशियों के लिए विचार की बात है वह इन्तजाम हो सकता है। लेकिन जैसे कान में रांग डाल देते हैं तो कोई सुन नहीं सकता, वैसे ही यहां कोई सुनने को तैयार नहीं है इस बात को। कुछ बिगड़ेगा नहीं, आपके नेशनल पार्क का, कुछ बिगड़ेगा नहीं आपकी बर्ड सैंक्चुरी का। लेकिन नहीं, आपके आफिसर्स की जिद है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वह जिद भी अधूरी है और गैर कानूनी भी है। अधूरी तो यों है कि जो वैकल्पिक व्यवस्था की बात उसमें आई उसके सम्बन्ध में मेरा हवाला देते हुए कहा है कि

(श्री राजबहादुर) -

भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव रखा था जिसके जरिये से यह उठाया गया कि वहां चराई रोकी जा रही है, कि वहां के पशुपालकों का भविष्य अन्धकारमय हो जाता है, कि ये बातें मेरे समक्ष की गई हैं, कि जो बर्ड्स वहां आती हैं उनका सहारा वहां की घास है और वह घास किस तरह पैदा होती है यह मेरा कहना नहीं है, यह श्री गोविन्दसिंह जी कह रहे हैं कि यह घास वैसे पैदा होती है जैसे गोबर से घास पैदा होती है; और कि पशु वहां नहीं चरेंगे और सारा घास पैदा नहीं होगी तब पक्षी नहीं आयेंगे। यह खुद गोविंदसिंहजी ने कहा है।

(व्यवधान)

यह तो कहा ही था कि बन्दूक की नोक पर नहीं रोकूंगा, उस चराई को। फिर इसके अलावा बीच में झगड़ा हुआ। फिर इन्होंने एक कमेटी बनाई। कमेटी बनाने के बाद आपस में फैसला किया। क्या हुआ यह तो मैं नहीं जानता लेकिन मामला निपटा दिया गया। और मवेशी चरते रहे बराबर। फिर सवाल रखा गया है, मेहरबानी करके इतना तो करिये कि इसी घने में से कुछ जगह निकालिये। उसमें आपने फिर एक कमेटी बनायी। वह कमेटी क्या कहेगी, मैं अभी बता दूं आपको, वह ना करेगी, कि इसमें से एक इंच भी नहीं दे सकते। क्योंकि हमारी बात अड़ गयी यहां पर। "हमारा टट्टू यहीं अड़ा, खाने को मांग रही बड़ा।" यह बच्चों की सी जिद है। मैं कहता हूं, कोई वजह नहीं है कि आप इसको निकालें।

अब आप अपनी घोषणा देख लीजिए। मैं इसको लाइटली नहीं लेना चाहता। अगर कोई घोषणा होती है कि अमुक स्थान पक्षी विहार, यां कि नेशनल पार्क हो गया है तो उसकी सीमा दी जाती है, नाप-तोल दी जाती है, भई इतने मील तक इधर, इतने मील तक उधर इसकी सीमा होगी। मैं आपको पूरी घोषणा सुना देता हूं, यह है, 18-3-81 की; जिसका हवाला दिया था। इसमें पहला पैराग्राफ छोड़ देता हूं जान-बूझकर यह है, अतः वन्य जीव-संरक्षक अधिनियम, 1972 संख्या 93 की धारा 35 की उप-धारा 3 के अधीनस्थ शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार ने उक्त-धाने को राष्ट्रीय उद्यान, जिसको केवलादेव पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर के नाम से सम्बोधित किया जावेगा, के रूप में गठित करने का अपना आशय इसके द्वारा प्रेषित कर दिया है।"

मैं आपसे ध्यान चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है, इसका आशय प्रेषित कर दिया जावेगा। यह इसका रेलेवेन्ट सैक्शन 35 है उसको मुलाहिजा कर लें। उसका पहला भाग है आशा प्रकट करने के बाद, क्या क्या प्रक्रिया और कार्यवाही होगी, वह भी होता है। वह मैं पढ़ रहा हूं, Whenever it Declaration of National Park appears to the State Govt. that an area whether with in the sanctuary or not, is, by reason of its ecological, faunal floral geomorphological or zoological association or importance needed to be considered as a national

(श्री राज बहादुर)

park for the purpose of protecting propagating or developing wild life or its environment, it may by notification declare its intention to constitute such an area as a National Park."

इसमें भी, देखिये, आशय डिक्लेयर किया है। उसके बाद क्या कहना है "The notification referred to in sub-section (i) shall define the limits of the area which is intended to be declared as a National park."

लिमिट्स भी डिफाइन हो गयीं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप इसकी रिबेट कर देंगे? इसकी लिमिट, उपबन्ध हैं उत्तर भरतपुर जयपुर की पक्की सड़क। कोई मेजरमेण्ट नहीं है। किस माइल से और किस माइल तक है, यह भी नहीं है। कौन सी दिशा में है? जयपुर से भरतपुर की तरफ दो सड़क हैं। एक तो आगरा फतहपुर सीकरी से आती है जो भरतपुर के घना क्षेत्र में जाती है।

श्री अध्यक्ष : भरतपुर–जयपुर सड़क।

श्री राजबहादुर : जो आगरा से आती है जयपुर के लिए वह घना सेंक्चुरी के कोने तक आती है। वहां तक तो आती है पूरब-पश्चिम की तरफ और वहां से फिर मुड़ती है और उत्तर–दक्षिण को हो जाती है यह कहते हैं, भरतपुर–जयपुर की पक्की सड़क उत्तर में। उत्तर का मतलब है उधर हो गया जहां घना वर्ड सेंक्चुरी का नाम नहीं है। वहां से घना वर्ड सेंक्चुरी कम से कम एक किलोमीटर दूर है। उसके बाद पूरब में है पक्की दीवार कांटेदार तारों की। पक्की दीवार कहां से कहां तक है, किस खसरे में है, कौनसा खसरा है, किसमें आता है, इसमें कुछ डिफाइन नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह अगर कोई दूसरी जगह लगा दें।

श्री राजबहादुर : जी हां, कोई वह भी लग सकता है। दक्षिण में पक्की दीवार और पश्चिम में पक्की दीवार। आप अगर इससे पता लगा सकते हैं कि घना वर्ड सेंक्चुरी कहां है, तो कह दूंगा मेरे घर में हैं बासन दरवाजे में। वहां भी जयपुर की सड़क जाती है, उत्तर में भी सड़क जाती है पक्की दीवार भी चारों तरफ है।

यह तो यह हो गया। मैंने कहा, जब आपने डिफाइन नहीं किया, कोआर्डिनेट बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, कोआर्डिनेट को लिमिट्स को डिफाइन नहीं किया है तब तक आप कैसे करेंगे? How will you define it? इसलिए आपकी कोई आपत्ति ठीक नहीं है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट भी आपत्ति नहीं कर सकती कि इतना पोर्शन फलां काम के लिए, इतना इस काम के लिए, इतना इसके लिए सुरक्षित है मुश्किल से 29 किलोमीटर में से। यह बात कान में जाती नहीं है। मैं प्राइवेटली मन्त्री जी से मिला, मुख्य मन्त्री जी से इस बारे में बात कर चुका हूं। वह कहते हैं कि नहीं, साहब, अब तो मामला सैटल हो गया है, अब तो मामला ठण्डा हो गया है। अगर मामला ठण्डा हो गया है, माफ करें, आवेश में आ गया, लोग ठण्डे हो

(श्री राज बहादुर)

गये हैं, मामला ठण्डा हो गया है तो इम्पोजीशन क्या है ? एक काला धब्बा लगा है आपकी हुकूमत के ऊपर। एक अकथनीय घटना घटी है, कालोच की घटना। इसको जैसा चेयरमेन साहब ने कहा न कि आप तैयार नहीं हैं सुनने को, गौर करने को तैयार नहीं हैं। इसलिए मैं कहता हूं।

फिर आगे चलिये। अभी कानून पूरा नहीं हुआ है, अभी घोषणा हो नहीं हुई। अभी नेशनल पार्क घोषित नहीं माना जा सकता, यह मेरा कन्टेंशन है? आपके इस एक्ट के मुताबिक। आपकी घोषणा के मुताबिक और वह कैसे? दूसरा सेक्शन हो गया नं. 9

"The notification referred to in Sub-section (i) shall define the limits of the area.

(iii) Whether any area is intended to be declared as a national park, the provisions of sec. 19 to 26 (both inclusive) shall, as far as may be apply to the investigation and determination of any claims, and extinguishment of rights in relation to any land in such area as they apply to the said matters in relation to any land in a sanctuary.

4. When the following events have occurred namely the period for preferring claims as elapsed and all claims being any made in relition to any land intended to be declared as a National Park, have been disposed of by the State Govt.

यह इन्क्वायरी में है।...

All rights in respect of lands proposed to be included in the National Park have become vested in the State Govt.

जब यह नेशनल पार्क डिक्लेयर नहीं हुआ है, कोई प्रक्रिया नहीं हुई है, खाली एलान करने की हमारी इंटेन्शन है...

श्री अध्यक्ष : यह तो पहले से ही जाना माना हुआ है पार्क।

श्री राज बहादुर : जाना माना भी हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : बाउन्डरी के बाहर जमीन है, उसका क्या करेंगे।

श्री राज बहादुर : मैंने तो आपसे यह कहा था कि कानून की पूर्ति भी नहीं हुई है अभी नेशनल पार्क है कहां? किसके लिए कह रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : पहले से ही चलता आ रहा है यह। बहुत प्रसिद्ध है।

श्री राज बहादुर : यह तो खातेदार बने हुए हैं। माफ करिये, हमारे अफसरों पर यह जो आरोप लगाया गया है, मुझे भी दुःख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसी आम चर्चा है कि किस तरह वहां मछलियों का व्यापार होता है, किस तरह जानवरों का

(86)

(श्री राज बहादुर)

होता है, किस तरह पेड़ काटे जाते हैं, लकड़ियों का होता है और किस तरह से किसानों के लिए जो नहरें होकर जाती हैं, उसमें से पानी रोका जाता है, यह सारी चीजें हैं लेकिन मैं तो यह कहना चाहता हूं कि आपका नेशनल पार्क है नहीं फिर आपको किसकी रक्षा करनी चाहिए, क्या रक्षा करेंगे ? मेरा यह कहना नहीं है कि यह नेशनल पार्क नहीं है। यह जजमेंट है महाराजा भरतपुर का। उनकी बनाई एक छोटी सी जगह है जिसे कदम कुंज कहते हैं। कदम कुंज को भी इन्होंने हटाना चाहा। एक बहुत बड़ा तपस्वी वहां रहता है उसी घने में जिसमें बहुत अच्छा आश्रम उस जंगल में बनाया हुआ है, बाबा सीताराम। उसको और मंदिर को भी इन्होंने लेना चाहा। यह भी कहा कि निकल जाय वह यहां से, महाराज भी निकल जाओ, बाबा सीताराम भी निकल जाओ, सब निकल जाओ। बाबा सीताराम के पास हजारों लोग जाते हैं। वह बर्ड सैंक्चुरी से परे है, बाहर है वहां से, लेकिन है उस घने में ही। वह कदम कुंज महाराजा भरतपुर का एक कोने में है, बर्ड लेक के बिलकुल पास है। जो मंदिर है वह भी गेट के एक फर्लांग के अन्दर है। तो यह सब जगह हैं। जब महाराजा की प्रोपर्टी पर अटैक हुआ तो वह कोर्ट में गये। कोर्ट के जजमेंट की नकल का रेलेवेन्ट पोर्शन रख देता हूं। उसमें यह कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि चूंकि 19 से लेकर 26 का हवाला है, सैक्शन में इन्क्वायरी नहीं हुई है जो कि मैन्डेटरी है। उनका लफ्ज है मैन्डेटरी। मैं जजमेंट पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मैं टाइम नहीं लेना चाहता। शब्द यही है कि मैंडेटरी हुआ है लिहाजा इसको हम नहीं मान सकते। Government has been banned and stayed from interferring with his rights and the same applies to Baba Sitaram's Kuti and other situated thereon. तो मैं आपसे कहूंगा, आप किसी भी कानूनी तरीके से, किसी भी नैतिक या तार्किक ढंग से यह कह नहीं सकते कि इनका जो [illegible] हुआ है, वह ठीक हुआ है। मैं जहां तक इसकी वैधता का प्रश्न है, उसके बारे में अधिक न कह कर यह कहना चाहता हूं कि जब गोली काण्ड हुआ था उसी दिन इनसे कहा था कि मेहरबानी करें आप। मैंने याद भी दिलाया था टेलीग्राम में। सब पढ़कर सुना देता हूं। तकाजा मैंने किया था इनसे Deplore police firing [illegible] Bharatpur and persistent neglect demand for earmarking of grazing land मेरा तार था। उसी दिन 7 नवम्बर को Demand judicial enquiry and adequate compensation for victims families Demand reserving grazing land for the cattle from the forest मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई इन्क्वायरी नहीं हुई, इस बात का एग्जामिनेशन नहीं हुआ, लॉ मिनिस्टरी भी एग्जामिनेशन नहीं करती कि आखिरकार यह नोटिफिकेशन ठीक भी हुआ कि नहीं हुआ।

मेरी मांग तो यही है कि इतना बड़ा हत्याकांड, इतना बड़ा नरसंहार हो चुका है, इसको डीनोटिफाइड किया जाय। मैंने इसका ब्रीफ सम्बन्ध करना चाहा कि

(श्री राज बहादुर)

जहां इतनी गंदी बातें और घटनाएं घटें और लोगों की जानें ली जायें, प्राण लिये जायें वहां आप इसको कायम रखें। अगर आप नहीं संभाल सकते, आपके बस की नहीं है तो क्यों आप डील करते हैं। वरना come down to earth शान्ति के साथ सोचिये कि आप क्या कर सकते हैं, इसमें इस बारे में 3-4 मांग मैं करना चाहता हूं।

पहली मांग तो यह है कि ईयर मार्क करिए। मैंने जैसा आज से दो साल पहले असेम्बली में कहा, तार से कहा मिल कर कहा। मैं आपसे सिर्फ एक बार मिला हूं और उस समय भी जब घर जाकर यही कहा कि ईयर मार्क करिये। दूसरी बात मैं कहता हूं कि विथड्रा प्रोसीक्यूशन, करिये। जिन लोगों को गोलियां लगी है, जिनके भाई बन्धु मरे हैं, उन्हीं के खिलाफ आप मुकदमें चला रहे हैं? किस बात के? झूठी बात को लेकर उनको प्रताड़ित किया है। तीसरा जो लोग इसमें इन्वाल्वड थे, उनको प्रमोशन दिया है। अरे भई, जब आप इन्क्वायरी कराने जा रहे हो तो इतना तो करते कि जब तक इन्क्वायरी चलती तब तक प्रमोशन विथहेल्ड हो। अगर इन्क्वायरी के बाद दोषी पायेंगे तो Will you demote them? एडमिनिस्ट्रेशन की मामूली बात है; ए बी सी डी जैसी। Will you demote them as exhibits in Government? जब कोई गजेटेड आफिसर इन्क्वायरी को फेस करने जायेगा Let them face the enquiry. आपने उनको प्रमोशन एग्जम्प्ट कर लिया। आपको तो चाहिए था...

श्री अध्यक्ष : यह इन्क्वायरी आर. एस. आर. की थोड़े ही यह है तो इन्क्वायरीज एक्ट के अन्दर है।

श्री राज बहादुर : हुजूर, भले नहीं है इन्क्वायरी उस एक्ट के अन्तर्गत लेकिन यह घटना तो किसी कानून के अन्तर्गत नहीं है और हुआ क्या है? कहा यह गया कि हमने आपका हुक्म पालन कर दिया। पता नहीं क्या है, खबर है, अफवाह है, मैं कुछ नहीं कह सकता, I cannot vouchsafe its accuracy यह प्रधान मंत्री का आर्डर था, और वह आर्डर मिला दिल्ली में किसी मीटिंग में। चीफ सेक्रेटरी ने वहां से टेलीफोन किया और वहीं पर कर दिया। चूंकि वह आर्डर एक्जीक्यूट होना था, प्रमोशन मिलना था चाहे कितनी ही जानें गई हों चाहे कितना ही खून बहा हो। यह आपकी गवर्नमेंट की नेकनामी है और रपता रपता आपकी गवर्नमेंट की कब्र खोदने की बात है bit by bit, brick by brick, your edifice is falling चार छः महीने पहले, 9 अगस्त को क्या हुआ था भरतपुर में।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत लज्जा है मैं अपने मन की बात अपना करुण क्रंदन आपके सामने रखना चाहता हूं क्योंकि मैं भरतपुर का प्रतिनिधित्व करता हूं। बार बार एक से एक बुरी दुर्घटना, एक से एक बुरी चीज वहां पर हो रही है, एक के बाद एक बुरी घटना वहां पर हो रहा है। तरक्की तो जाने दीजिए, विकास का नाम जाने दीजिए नहर सड़ रही है, किला गिर रहा है, उद्योग नहीं पनप रहे, कुछ नहीं हो रहा और उसके उपरान्त यह हत्या। भाई जीने तो दो कम से कम। जिन्दा रहने दो, हमें, इतना तो करो। हमारी मवेशियों को जिन्दा तो रहने

(श्री राज बहादुर)

दो, इतना तो करो कम से कम। तुम्हारे बस का नहीं है सरकार चलाना तो तुम दुनिया को मारते क्यों हो? तो मेरी मांग है कि इस जूडिशियल इंक्वायरी को फेस करने वाले जो अफसर हैं उनको डिमोट किया जावे जब तक इंक्वायरी का फैसला नहीं हो तब तक के लिए इंक्वायरी भी आप की शिवशंकर साहब की, बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं, काफी नहीं है। हाई कोर्ट का जज हो और जज भी बाहर के हाई कोर्ट का हो, यहां का न हो, आपके असर का नहीं हो, उससे इंक्वायरी करवाइये, फिर देखिये कौन कसूरवार निकलते हैं।

श्री यदुनाथसिंह : नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, बाबूजी। क्या इंक्वायरी करायेंगे? इनको गिरफ्तार किया जावे। इनको सस्पेंड करो पहले।

श्री राजबहादुर : मैं लीगल आदमी हूं। मैं किसी दोषी को भी, चाहे कोई अपराधी ही क्यों न हो जब तक उसको इंक्वायरी का मौका नहीं दिया जावे तब तक उसको सजा नहीं मिल सकती। इसका हामी नहीं हो सकता इंक्वायरी होनी चाहिए लेकिन हाई कोर्ट का जज बाहर का हो।

इन शब्दों के साथ मुझे सचमुच लज्जा है। Why do I come to represent Bharatpur in this Assembly? Why do at all I come? इल्जाम यह लगाया जाता है I am power behind the throne. जातपात के आधार पर I do not know there is the throne. ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी का राज है। यह ब्यूरोक्रेसी की चरम सीमा का प्रत्यक्ष उदाहरण है। मैं अधिक न कहते हुए, आपका अधिक समय न लेते हुए एक बात फिर आपको कहता हूं कि आपका अभी तक कोई नेशनल पार्क नहीं है। कोई जवाब आपके पास नहीं है क्योंकि हाई कोर्ट का स्टे आपके खिलाफ मौजूद है। आप कदमकुंज को छू नहीं सकते, आप बाबा सीताराम को छू नहीं सकते। आपको फैक्ट्स भी मालूम नहीं हैं। मैं यह भी दावा करता हूं, आप कहते हैं कि फैक्ट्स मालूम है, लेकिन आपको फैक्ट्स भी मालूम नहीं हैं। आपने इंक्वायरी की तरफ ध्यान दिया ही नहीं, ध्यान किधर है। ध्यान जाये कहां से, फुरसत ही नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कुर्सी बचाने में लगे हैं।

श्री राजबहादुर : कुर्सी बचायें, न बचायें, यह मेरा कंसर्न नहीं है। कुर्सी बचे या नहीं बचे. My concern is people's welfare, people's well being, people's security. जो सरकार जन धन की रक्षा नहीं कर सके, जो सरकार जन धन को उल्टा मारे, जो सरकार जनता पर उल्टी गोलियां चलाये वह सरकार क्या सरकार कहलाने के लायक है? हर्गिज नहीं। मैं इन शब्दों के साथ अगर भावावेश में आया हूं, वैसे मैं कम आता हूं, लेकिन यह मामला ऐसा था जिसमें अपने को रोक नहीं सका। मैं, अध्यक्ष महोदय, आप से और सदन से क्षमा चाहता हूं।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय…

श्री अध्यक्ष : श्री जगनसिंह।

श्री जगनसिंह (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने घना कांड के बारे में जो वक्तव्य दिया है, यह निहायत तथ्यहीन है। और मन्त्री जी, यह हो सकता है क्योंकि आप दो दिन बाद गए हैं, मौके पर हो कर आए हैं। मैं आपसे दो तीन सवाल पूछूंगा।

एक तो यह है कि वह कौन से कारण हैं जो इतना बड़ा कांड होने के बाद भी हमारे मुख्य मन्त्रीजी अभी तक मौके पर नहीं पधारे? दूसरा, जो गोली से मरे व्यक्ति थे क्या उनके शव दाहक्रिया करने के लिए उनके स्वजनों को, व्यक्तियों को सौंप दिये थे या खुद ने उनकी दाहक्रिया की? तीसरा वह कौन सा कारण था कि आपने अचानक बगैर किसी पूर्व सूचना के वह बन्द किया।

अध्यक्ष महोदय, जिस दिन गोली कांड हुआ था मैं खुद उसी दिन मौके पर पहुंच गया था। मैंने खुद ने मौके पर जाकर देखा, मंत्री महोदय फरमाते हैं कि फाटक ले गए। मंत्री महोदय, आप खुद गए हैं और देखा है कि फाटक लोहे का था या ईंटों या पत्थरों से चुना हुआ था? अध्यक्ष महोदय, जहां उस फाटक पर हजारों की भीड़ मंत्री महोदय बताते हैं वहां कुछ बूढ़े, औरतें और बच्चों के अलावा ज्यादा से ज्यादा दस पर्सेंट ऐसे व्यक्ति होंगे जो जवान थे। वह कौनसा कारण था, वह कौन सा अज्ञात कारण था जिसकी वजह से वहां पर पुलिस ने गोली काण्ड किया? मैं एक सवाल मंत्री महोदय से पूछूंगा, जिस व्यक्ति ने फायरिंग का आदेश दिया और जिस फायरिंग से इतने आदमी, व्यक्ति हताहत हुए, मुझे यह बताया जावे कि वह व्यक्ति इससे पहले और कितनी बार ऐसे आदेश दे चुका है, किन किन जगहों पर, किस किस स्थान पर और कितनी बार आदेश दिये हैं?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है, माननीय सदस्य।

श्री जगनसिंह : अध्यक्ष महोदय, गांव में जाकर, मंत्री महोदय आप पधारे हैं; आपने देखा होगा कि कितनी लाशें थीं। मरने के बाद में आप उसके घर पधारे। उसकी छोटी सी बिटिया थी; उस बिटिया ने रो करके आपसे कहा था, मंत्री महोदय, मेरी मां को वापस कर दीजिए। मेरी मां को वापस कर दीजिए। मेरी मां को वापस कीजिए। आप करके आए? सरकार ने मां वापस की? मंत्री महोदय, जो बच्चा मरा था, जो जवान आदमी मरा था उसके छोटे छोटे से बच्चे बिलख रहे थे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं निवेदन करूंगा कि काफी चर्चा हो चुकी है। जो विचारणीय बिन्दु है उन पर आप अपने विचार व्यक्त करें। काफी तथ्य आ गए हैं, अन्य कोई नए तथ्य हों तो वह आप बता सकते हैं।

श्री जगनसिंह : अध्यक्ष महोदय, तीन महीने में भरतपुर में दो बार गोली काण्ड हुआ है, अध्यक्ष महोदय, हम पिटे बैठे हैं, हम मरे बैठे हैं। हमारा भरतपुर जिला रो रहा है। वह कौन सा कारण है कि जिले में तीन महीने में दो दो बार गोली काण्ड हो चुका है? छः छः आदमी मरे, बीस बीस आदमी घायल हुए। किन्तु मुख्य मन्त्री महोदय, एक बार भी उनको सांत्वना देने

(90)

(श्री जगनसिंह)

नहीं पधारे। उनके आंसू पोंछने नहीं पधारे। एक एक घर में चालीस चालीस पशु सूख कर कांटे हो गए। जिनका मुख्य धन्धा है दूध बेचने का, पशुपालन करने का, उनके पशु खड़े करने के लिए जगह नहीं है। उनके लिए बीस बीस और 25-25 मण भूसा इकट्ठा कर दिया और सरकार कहती है कि हमने व्यवस्था कर दी। एक आदमी मरता है उसके बदले में पांच हजार रुपये दे दिये, और गवर्नमेंट कहती है कि साहब हमने व्यवस्था कर दी। उनको सहायता दे दी। बच्चे उनके बगैर किसी नौकरी के डोल रहे हैं और आप कहते हैं कि हमने उनके लिए सहायता कर दी। आप नौकरी देंगे उन बच्चों को ? आप पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करेंगे। चारों तरफ पानी भर जाता है। हम पशु पालक हैं मैं भी पशुपालक का बेटा हूं, अध्यक्ष महोदय, हम चाहे भूखे रह जाय, हमारे बच्चे भूखे रह जायं, लेकिन हम मवेशी को भूखा नहीं रहने देते। वह मवेशी क्या करेंगे ? हम अपने बच्चों का पेट कैसे पालन करेंगे जब कि मवेशी बैठी भूखों मर रही है। 40-40 भैंस हमने कर्जा लेकर, लोन ले करके ली हैं, खरीदी हैं लोन ले करके, गवर्नमेंट कल को आदेश निकाल देगी कि लोन को कटाओ, लोन को वसूल करो, हमको मारेंगी, हमको पीटेंगी और हमारे पशुओं को कुर्क करेंगी फलस्वरूप हमारे बच्चे भूखों मरेंगे। हम कहां से देंगे गवर्नमेंट के लोन को ? हम कहां से खिलायेंगे अपने बच्चों को ? हमारे बच्चे भूखे रहते हैं लेकिन हमारी मवेशी भूखी नहीं रहती है। हमारे सामने हमारी मवेशी भूखी बैठी है। तो हमारा दिल रोता है, अध्यक्ष महोदय, हम खुद नहीं खाते हैं, हमारे बच्चों को नहीं खिलाते हैं, बच्चे रोते हैं, अध्यक्ष महोदय। यह नया इश्यू है अध्यक्ष महोदय। यह पुराना इश्यू नहीं है राजस्थान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक जिले में दो दो बार गोलीकांड हो जावें, अध्यक्ष महोदय। बच्चे तड़फ रहे हैं। अपने बच्चे को बचाने के लिए मां ऊपर गिरी और मां पर पीछे से गोली मार दी। यह दावे के साथ कहता हूं, अध्यक्ष महोदय, जो भी गोली लगी है वह कमर के ऊपर लगी है। मुझे बताइये कि अगर पब्लिक को भगाना होता, भीड़ को भगाने वाली बात होती तो उनके पैरों में गोली मार सकते थे, उनके ऊपर लाठी चार्ज कर सकते थे। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं मेडिकल रिपोर्ट मंगा कर देख लीजिए उन सब को कमर से ऊपर गोली लगी है और सब के पीठ पीछे गोली लगी है। साठ साल का जो बूढ़ा भजन कर रहा है उस बूढ़े के माथे पर लाठी का वार किया है आंखें फूट गई हैं। बुढ़िया के पीछे से छर्रे लगे हैं, अध्यक्ष महोदय। पचास पचास मीटर दूर गांव में दीवार पर गोलियों के निशान बने हुए हैं, अध्यक्ष महोदय वो कौनसे कारण थे कि वहां फाटक से दूर भागने के बाद गांव में जाकर गोलीकांड किया ? यह हमारे साथ सरासर अन्याय है। इससे ज्यादा बड़ा अन्याय नहीं हो सकता। एक ही कारण था मैं कहता हूं, छोटी-छोटी चिड़ियाओं के लिये आदमियों को मारा गया। हम मानते हैं, नेशनल पार्क घोषित होना चाहिये। एक्ट में भी आपने घोषित कर दिया, उसमें सहयोग करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन हम यह नहीं मान सकते, माननीय अध्यक्ष महोदय, चिड़ियाओं के

(श्री जगनसिंह)

लिये आदमियों को भून दिया जाय छोटी-छोटी बातों पर। हम जाते हैं वोट मांगने, अध्यक्ष महोदय, चिड़िया वोट नहीं देती है। मुख्य मन्त्री जी, चिड़िया वोट नहीं देती है। वोट देते हैं आदमी। उन व्यक्तियों के बीच में हम रहते है, उन व्यक्तियों से हम वोट मांगते हैं, उन व्यक्तियों की सुरक्षा की गारंटी देकर हम चुनकर यहां आकर बैठते हैं। अगर उन व्यक्तियों की सुरक्षा नहीं कर सकते, उनके लालन-पालन की और दूसरी व्यवस्था नहीं कर सकते तो हमारा यहां बैठना बेकार है। हमारे लिये बेकार है कि हम यहां आकर बैठें। अध्यक्ष महोदय, आप मौके पर होते, आप मौके पर जाकर देखते तो स्वतः ही रोते। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं, इतना बड़ा अन्याय आज तक की मेरी उम्र में मेरे देखते-देखते नहीं हो पाया। अध्यक्ष महोदय, जिस दिन वह लड़की अपने बाप को रो रही थी, अध्यक्ष महोदय, चार-चार आदमी उसको पकड़ रहे थे, उसको खींच रहे थे। बाप को रो रोकर मर रही था वह लड़की। तांगे वाला मरा, उसका बच्चा अन्दर बन्द किया। घर पर लाश पड़ी हुई थी। हिन्दू धर्म में भी यह होता है, अध्यक्ष महोदय, जो आदमी मर जाता है, उसकी लाश पर उसकी बीबी को सिन्दूर पोंछने का और चूड़ी फोड़ने का भी अधिकार है लेकिन हमारी पुलिस ने वह भी अधिकार नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, लाश पुलिस ने रात में ले जाकर अकेली जला दी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री जगनसिंह : वह चूड़ी फोड़ने के लिये तड़पती रही। अध्यक्ष महोदय, लाश को दूसरे दिन जाकर जलाया...

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये माननीय सदस्य।

श्री जगनसिंह : क्या करें, माननीय अध्यक्ष महोदय, रोने के अलावा हमारे पास में कुछ है नहीं। यह मानता हूं, आत्मासिंह सरपंच, जो इसमें मुख्य था, की गलती है, वह आदमी उन भोले-भाले व्यक्तियों को बहका कर बच्चे, बुड्ढे और औरतों को ले आया। जवान आदमी सब अपने खेतों में काम कर रहे थे। वहां जो कुछ कांड हुआ उस मामले में मैं नहीं जाना चाहता।

श्री यदुनाथसिंह : वहां था कोई? मेरी आत्मा जानती है।

श्री राजबहादुर : वहां यों तो बोलो मत उसका नाम। या कहो मैं था नहीं।

श्री जगनसिंह : बाबूजी, आप भी जब गोली कांड हुआ उसके छः दिन बाद भरतपुर आये। आप थे क्या? मुझे बता दीजिये। आप यहां तो बड़ा भारी नाटक करते हो, आप उनके बारे में खूब बोलते हो लेकिन उस टाइम आप नहीं मौजूद थे, उन गांवों में उनको सहयोग करने के लिये नहीं पहुंचे, मैं मजबूर होकर बोल रहा हूं।

श्री राजबहादुर : मैं हैदराबाद गया हुआ था। मैं हैदराबाद से लौटकर आया।

श्री यदुनाथसिंह : मैं जेल गया था।

श्री जगन्नसिंह : एम.एल.ए. साहब, आप जेल गये थे। माननीय यदुनाथ जी जेल गये थे, मानता हूं लेकिन इस विधान सभा के पिछले सत्र में इसी जगह से आपने विरोध किया था और कहा था पशुओं को रोका जावे।

श्री यदुनाथसिंह : आज भी कहता हूं मैं उस बात से मुकर नहीं रहा।

श्री जगन्नसिंह : इस बड़े नाटक में, मैं जाना नहीं चाहता। मेरे भाई हैं, माननीय सदस्य हैं, दूसरी बात है। मैं तो उसी दुःख के साथ पुनः निवेदन करूंगा, मुख्य मंत्री जी, जो आदमी मर गये, उनके बच्चों की····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री जगन्नसिंह : सर्विस की व्यवस्था करें। उनके चारे की व्यवस्था करें। जो इन्क्वायरी चल रही है वह अगर ठीक है तो उसको चलायें, नहीं तो मैं कहता हूं जो इतना बड़ा कांड कर चुके हैं उनको तुरन्त सस्पेंड किया जाकर उनके खिलाफ कार्यवाही की जावे, इंक्वायरी ढंग से करें।

एक माननीय सदस्य : इनको गोली मार दो।

श्री अध्यक्ष : कुमारी पुष्पा।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, किसी भी लोकतंत्री सरकार का पहला कर्त्तव्य होता है अपने राज्य की गरीब जनता को रोजी-रोटी मुहय्या करवाना। भरतपुर कांड जो हुआ, वह किस सिलसिले में हुआ उसके विस्तार में, उसकी पृष्ठ भूमि में जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी हाउस में माननीय सदस्यों ने जो तथ्य रखे वे निश्चित रूप से साबित होते हैं। भरतपुर में जो कुछ भी हुआ, पशु पालक इकट्ठे हुए, वह किसलिये हुए ? उन्होंने गेट को तोड़ने की कोशिश की वह किस लिये की ? अध्यक्ष महोदय, जैसा कि राज्य मंत्री गृह ने बयान दिया, पशुपालक बंदूक लेकर गये या कोई दूसरी चीज लेकर गये, जिसके फलस्वरूप पुलिस को गोली चलानी पड़ी। अध्यक्ष महोदय, अव्वल तो यह बिल्कुल गलत स्टेटमैंट है, गरीब पशु-पालक वहां इकट्ठे जरूर हुए लेकिन वह किसी हथियार के साथ इकट्ठे नहीं हुए थे।

श्री अध्यक्ष: पशुपालक लाठी तो रखते हैं पास में।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, लाठी रखना कोई जुर्म नहीं है। पशुओं को चराने के लिये अगर वह लाठी रखते हैं तो यह कोई जुर्म नहीं है। अध्यक्ष महोदय, पशु पालक वहां एकत्रित हुए क्योंकि डेढ़ साल से यह लोग बराबर अपने पशु उस उद्यान में चराते थे। अब यकायक चार पांच दिन के नोटिस पर उन्हें एलान कर दिया गया कि यहां पशु नहीं चरायेंगे, पशुओं की चराई बंद कर दी जायेगी। अध्यक्ष महोदय, अगर मामूली सा टेम्प्रेरी नौकर भी रखा जाता है, और उसे नौकरी से हटाना होता है तो भी कम से कम एक महीने का नोटिस दिया जाता है, अध्यक्ष महोदय, आप ही सोचिये, डेढ़ सौ वर्षों से जो लोग वहां अपने पशुओं को चराकर अपने बाल बच्चों का भरण-पोषण करते थे, जिनके पास पशुओं के अलावा रोजी-रोटी का कोई साधन नहीं था, उन्हें यकायक दो तीन दिन का नोटिस देकर यह कह दिया जाय कि आप आज से पशु नहीं

(सुश्री पुष्पा जैन)

चरायेंगे तो उनकी क्या हालत होगी। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट के लिये यदि हम अपने आपको उस अवस्था में रखें, हमारे बच्चों की, आपके बच्चों की मुंह की रोटी एकदम से कोई छीन ले तो आप पर क्या गुजरेगी ? मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि उन लोगों ने गोली चलाई क्यों नहीं, उन लोगों ने पुलिस वालों को भूना क्यों नहीं ? यह नहीं हुआ। उन गरीबों पर पुलिस वालों ने लाठियां चलायीं, गोलियां चलायीं, किसलिये ? पुलिस का जो वर्शन आया, जो गलत बेबुनियाद स्टेटमेंट आया जिस तरह उन्होंने केस रजिस्टर करके स्टेटमेंट पढ़ने के लिये आपको मजबूर किया वह सब सिर्फ इसलिये कि इसे उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। वह लोग इकट्ठे हुए, उनके बाल-बच्चे इकट्ठे हुए। उनको कह दिया आप इस गेट के अन्दर नहीं जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, वे लोग मजबूर थे, इसके अलावा सरकार ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था की नहीं थी, उनकी रोजी-रोटी के लिये, उनके पशुओं की चराई के लिये। सरकार ने अन्यत्र कोई व्यवस्था की होती, सरकार ने यदि यह कहा होता कि आज से आप राष्ट्रीय उद्यान में पशु नहीं चरायेंगे। दूसरी जगह पर चरायेंगे और उसके बावजूद यदि वे लोग वहां इकट्ठे होते, किसी बात का प्रतिरोध करते तो बात समझ में आती लेकिन आपने उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की। आपका पहला कर्त्तव्य उनके साथ है, आपका कमिटमेंट आपके राज्य की जनता के साथ है ना कि विदेशियों के, या सैलानियों के साथ है। आप जब उनके वोट लेकर यहां पर मुख्य मंत्री बन गये, मंत्री बन गये या हम सब विधायक बन गये तो अपने राज्य की जनता की सेवा के लिये आये हैं। हमारा पहला कर्तव्य उनके प्रति है विदेशियों के प्रति, सैलानियों के प्रति, पर्यटकों के प्रति हमारा दूसरा कर्त्तव्य है। अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए खेद होता है। मुख्य मंत्री जी, भरतपुर का गोलीकाण्ड हुआ उसके लिये निश्चित तौर पर आप उत्तरदायी हैं। इस उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करके यकायक उस पशु-चराई को बन्द किया उसके पीछे बहुत बड़ी शक्ति का हाथ है। आप चाहते हैं, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के आदेश से आप उसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित करें और . .

श्री अध्यक्ष : किसी का नाम न लें, माननीय सदस्या। आर्डर।

सुश्री पुष्पा जैन : पशुओं की चराई बन्द कर दें ताकि आपकी कुर्सी बरकरार रह जाय मुख्य मन्त्री जी, मैं कहना चाहती हूं, उन गरीबों की बददुआ लगी है आपको, जैसा कि कल वित्त मन्त्री जी ने कहा, आप इस बजट के बाद जाने वाले हैं। जाते जाते, मुख्य मंत्री जी, मैं कहना चाहूंगी कि यदि आपमें अब भी कोई नैतिक बल है · · ·

श्री अध्यक्ष : मानयीय सदस्य, तथ्यों तक ही अपने आपको सीमित रखें।

सुश्री पुष्पा जैन : यदि आप में थोड़ी भी नैतिकता है तो आप उन गरीबों की बददुआ मत लीजिये, उन अनाथ बच्चों की बददुआ मत लीजिये क्या कसूर किया था इन्होंने जो आपने उनको अनाथ बना दिया लावारिस कर दिया, दर-दर की ठोकरें खाने के लिये आपने उनको मजबूर कर दिया ?

(९५)

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्या।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं मुख्य मन्त्री से पूछना चाहूंगी, किसी व्यक्ति ने यदि कोई कत्ल किया होता तो क्या आप उसकी कोई जुडिशियल इनक्वायरी करवाते ? कोई जांच करवाते ? फिर इसमें ऐसी जांच की क्या आवश्यकता है ? पुलिस ने ज्यादती की है, कत्ल किये हैं, एक नहीं छः छः। कई लोगों को घायल कर दियो, अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं देखा है, मैं अस्पताल जाकर आई हूं, लोग मजबूर हैं। उनमें से कई बुजुर्ग लोग थे 80-90 साल की अवस्था के बीच में एक अन्धा व्यक्ति था, अंधा व्यक्ति क्या बिगाड़ रहा था पुलिस का ? वह व्यक्ति मौके पर मौजूद नहीं था। गांव में जाकर इन्होंने गोली मारी, छर्रे मारे, लाठियों से पीटा। एक बच्चा, जो दस साल का था। बेचारा वहां पर अस्पताल में पड़ा हुआ अपनी खोयी-खोयी आंखों से देख रहा था, मेरे मां-बाप भी जिन्दा हैं या मर गये। अध्यक्ष महोदय, यदि मुख्य मन्त्री में जरा भी नैतिक बल होता तो वह कम से कम वहां जाते तो सही, उनको जाकर सांत्वना तो देते।

श्री अध्यक्ष कृपया समाप्त कीजिये।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय आखिर में, मैं आपकी मार्फत मुख्य मन्त्री से कहना चाहूंगी, किसी जांच की आवश्यकता नहीं है, किसी इन्क्वायरी की आवश्यकता नहीं है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप अभी यहां पर जुडिशियल जांच के आदेश देने वाले हैं। कोई आवश्यकता नहीं है इस नाटक की। सीधे सीधे यह कत्ल का मामला है। आप इनका प्रोसीक्यूशन करवायें। यदि वह दोषी होंगे तो अपने आप अदालत उनको दंड देगी।

श्री अध्यक्ष: श्री मेघराज तावड़। संक्षेप में।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : हां, संक्षेप में।

माननीय अध्यक्ष महोदय आज मुख्य मंत्री जी ने जिस घटना को लेकर बयान दिया है, यह ऐसा गंभीर मसला है जो, हमको ही नहीं इंसानियत को हिला देने वाला राजस्थान की सरकार या माथुर साहब की सरकार का घिनौना कांड माना जायगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में आप से कहना हूं चाहता कि इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगरा से "अमर उजाला" दैनिक निकलता है उसकी रिपोर्ट करीब करीब सही है कि कितने घायल हुए, कितने मारे गये। काफी तथ्य उसमें आ चुके हैं। यही नहीं अध्यक्ष महोदय, जो लोग अस्पताल मे भर्ती हुए उनमें अधिकांश बूढ़े आदमी, औरतें और बच्चे थे। एक 11 साल का बच्चा मुझे सही नाम नहीं मालूम, शायद कोई विजय करके था, उसको मारा। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं। एक मुन्शीलाल, सिपाही और फॉरेस्ट गार्ड है प्रेमसिंह। कहा गया है कि इनको भी चोटें लगीं। इन लोगों को नाम मात्र को अस्पताल में कांउटर केस बनाने के लिए भर्ती करा रखा है। मुझे बताइये, कितनी चोटें आई थीं उनके ? हमने उनको देखा, उनके कोई चोट नहीं थी। फिर भी उनको भर्ती करवा रखा है। दूसरा आपका कहना है कि उन्होंने भी बन्दूक चलाई। मैं भी काश्तकार हूं किसान हूं, ढोर चराता हूं, हम साथ मे लकड़ी रखते हैं, छोटी सी लकड़ी लेकर जाते हैं। लट्ठ लेकर नहीं जाते।

श्री अध्यक्ष : आपके वहां तो बन्दूक और तीर भी रखते हैं।

श्री मेघराज तावड़ : हमारे उधर तीर रखते हैं लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यहां कोई तीर भी रखने वाला नहीं है। हमारे उधर तीर होते हैं तो पुलिस भी नजर नहीं आती, मैं यह भी सरकार को कह देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह घोषणा की गई थी कि वहां पर आल्टरनेट व्यवस्था की जायेगी। लेकिन कोई आल्टरनेट व्यवस्था नहीं की। उसके बाद अचानक जिस तरह से गोली काण्ड हुआ, मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ऊपर से ऐसे आदेश आये थे कि चराई को तुरन्त रोक दिया जाय? अध्यक्ष महोदय, रातों-रात चुनाई कर दी ईंटों से लोग पशु लेकर गये तो उनके लिये कोई रास्ता नहीं रखा। बिना किसी पूर्व सूचना के यह किया। जब के कलेक्टर और एस. पी. से मिले तो उन्होंने कहा कि आपके लि व्यवस्था कर रहे हैं। कोई व्यवस्था किये बिना अचानक रोक देना। मुख्यमंत्री जी, कौन सा ऐसा कोई आकाश टूट रहा था कि अचानक रास्ता रोक दिया? वे कहां जायेंगे? किसी आदमी को भी घर से निकालने के पहले भूमि एक्वायर करते हैं, पहले नोटिस देते हैं, लंबा टाइम देते हैं। तो उन काश्तकारों के लिए तो, अध्यक्ष महोदय, वहां आसपास इस लायक कोई जमीन भी नहीं है। वह पशु जायं कहां अचानक गोली काण्ड हुआ, वह क्यों किया गया? अध्यक्ष महोदय, मैं 9 तारीख की रात को वहां पहुंचा। मैंने एस. पी., डी. आई. जी. से कांटेक्ट करने की कोशिश की। 4-5 जगह टेलीफोन किये तब एस.पी. और डी.आई जी के कलेक्टर के वहां होने की सूचना मिली। मैंने वहां टेलीफोन किया कि बात करवाइये; तो पहले तो अकड़ कर जवाब मिला कि कौन बोल रहा है। मैंने कहा, तावड़ एम. एल. ए., सी. पी. आई. बोल रहा हूं तो फूल सिंह डी. आई. जी. के शब्द ये कि तुम यहां कैसे आ गये।

श्री अध्यक्ष : पहले से जान-पहचान के होंगे वो।

श्री मेघराज तावड़ : नहीं। यह है पुलिस का रवैया। जान-पहचान की जहां तक बात है तो मेरे नाम को सब जानते हैं। लेकिन लोगों को मारकर, नर संहार कर जिस तरह की उनको आवाज थी और जिस तरह से शराब पीकर बैठे हुए थे रात को, अध्यक्ष महोदय और जिस तरह से मुझ से बोले, उसमें मुझे शर्म महसूस हो रही थी। यह बात मैंने मुख्य मन्त्री जी को भी कही। बाबूजी माननीय राजबहादुर जी ने भी तार दिया। मैंने भी, मुख्य मन्त्री जी आपको तार भी दिया। राज्यपाल महोदय को भी तार दिया। आपको कोई विधायक, इस सदन का सदस्य किसी घटना की सूचना देता है तो क्या आपका दायित्व नहीं है कि जवाब दें। मुख्य मन्त्री जी ने मुझे कहा कि भाई, यह तो मालूम नहीं कैसे हुआ। आप भी सुनी हुई बात करते हो। तथ्य क्या है, यह जानने के लिए हम वहां जाकर आये और उसके बाद उनको व्यवस्था करने को कहा। लेकिन कोई गम्भीरता से मुख्य मन्त्री जी के मुंह से बात निकले, यह भी नजर नहीं आया। इससे साफ जाहिर होता है, माथुर साहब, आपका राज कोई इंसानियत का राज नहीं है। आपका राज राक्षसी राज है जो लोगों की जान लेने में कठोर पत्थर दिल की तरह से उन गरीब

(श्री मेघराज तावड़)

पशुपालकों के ऊपर इस तरह से बरस पड़े और उनकी कोई परवाह नहीं करे। माननीय गृह मन्त्री जी, आप तो गृह मन्त्री भी हैं और वन मन्त्री भी हैं, क्या आपको भी मालूम नहीं था कि उन लोगों को इस तरह से नर संहार होने के बाद भी राज्य सरकार की तरफ से ध्यान देने में कोई गंभीरता नहीं बरती जा रही है। माननीय चेतराम जी भी वहां पहुंचे। क्या ये लोगों के बीच गये? लोगों को, अध्यक्ष महोदय, गांव के उस इलाके से काफी दूर जाकर गोली मारी। एक आदमी हरिसिंह करके लाश को उठा रहा था उसको गोली मारी है, एक लाखन सिंह, वह भी लाश को उठा रहा था उसको भी गोली मारी। क्या मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे, किन लोगों के खिलाफ केस बनाया? कितने लोग अस्पताल में भर्ती थे, जैसी कि रिपोर्ट रखी है, मेरे पास डायरी में पूरे नाम हैं कि कहां किसके गोली लगी, उनमें कितने आदमी, औरतें और बच्चे थे। सब पूरा डायरी में मौजूद है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जो भी गोली लगी है, वह पीछे से मारी गई है। कोई भी जानकार इस बात को देख कर बता सकता है कि पुलिस ने किस तरह से भागती हुई भीड़ पर गोली चलाई। और आपने केस कैसे बनाये? जिन लोगों ने बन्दूकें ले जाकर घरों में गोली मारी, उनमें किन-किन के खिलाफ केस बनाया? उनकी बन्दूकें कहां से ली गई? अध्यक्ष महोदय, सामलिया पुत्र घमण्डी, चेतूराम पुत्र बीजा निवासी अघापुर, खोरी का नगर, इन तीनों आदमियों की यदि आपके पास मेडिकल रिपोर्ट है या एफ. आई. आर. है तो आप बता दें कि गोली कहां लगी। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं जो लोग अस्पताल में भर्ती थे, पुलिस वाले अस्पताल में भी जाकर उनके साथ मारपीट करने से नहीं चूके। मौके पर जो लोग गये, उनके साथ भी यही सलूक हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी, क्या धारा 144 लगाई थी? और लगाई थी तो कहां कहां किन इलाकों में लगाई गई थी? और इसके बाद माननीय यदुनाथसिंह जी ने और मैंने जब वे कोर्ट में आये थे, कोर्ट में भी पूछने की कोशिश की कि ये कौनसा गुनाह करके आये हैं...

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री मेघराज तावड़ : जिनको गिरफ्तार किया है? तो हमसे बात नहीं करने दी। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो गोली काण्ड हुआ, जब से माथुर साहब मुख्य मंत्री बने हैं उसके बाद भरतपुर में यह दूसरा जाटव काण्ड हुआ है। इसके पहले भी जाटव काण्ड हुआ था। मैं भी वहां गया था। जाटवों के मकान जल गये थे दुकानें भी जली हुई मैंने देखीं। क्या आप उन गरीब लोगों को अब कोई प्रोटेक्शन देना चाहते हैं? या राजस्थान की जनता को गोली से भूनकर आप राज करना चाहते हैं? यह कौन सा औरंगजेब का शासन और नादिरशाही थोपना चाहते हैं आप राजस्थान की जनता पर?

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास बहुत मसाला है लेकिन यह मामला ऐसा है....

श्री अध्यक्ष : यह काफी है।

श्री मेघराज तावड़ : यह भी कम है, अध्यक्ष महोदय । मैं यह पूछना चाहता हूं कि राजस्थान की पुलिस जिस तरह से आज पत्रकारों के साथ सुलूक करती है, उदयपुर के पत्रकार के साथ हुआ और जगह हुआ । तो क्या आपने पूरे अधिकार गोली मारने के उनको दे रखे हैं? मैं बता देना चाहता हूं, जो एस.पी., कलक्टर, डी.आई. जी. गोली मारने में तेज हैं वे गोलियां चला सकते हैं, इन्सान को मार सकते हैं इसलिये आप उनको प्रमोशन दे देते हो । तो, अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि ऐसी घटना की राजस्थान में कहीं पुनरावृत्ति न हो । इस संबंध में कहना चाहता हूं मुख्य-मंत्री जी से कि केवल वाहवाही लूटने के लिये राज मत करिये और वहां के पशुपालकों की अन्यत्र व्यवस्था कीजिये । वहां, अध्यक्ष महोदय, और कोई जमीन भी नहीं है । जो जमीन है, लोगों ने भी कहा है कि उसमें से आधी जमीन छोड़ दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : कृपया, बैठ जायं । काफी समय हो गया । श्री सम्पतराम ।

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पतराम, अब मैं एक और माननीय सदस्य को अवसर दूंगा और फिर इस चर्चा पर सरकार की ओर से उत्तर दिलाया जायेगा ।

श्री सम्पतराम (खैरथल) : अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर बहुत चर्चा हो चुकी है । मैं इस घटना के किसी भावनात्मक इश्यू को लेकर आपके सामने अपने विचार नहीं रखूंगा । मैं यह मानता हूं कि जो कुछ फायरिंग हुई है, उसमें सरकार ने इस तरह का व्यवहार किया है मानो कि यह पब्लिक की सरकार नहीं है, चुनी हुई सरकार नहीं है बल्कि एक ब्यूरोक्रेटिक सेट-अप है जो राज्य को चला रहा है । मैं जब यह धारणा सदन के सामने रखता हूं तो किस आधार पर रखता हूं, यह निवेदन करना चाहता हूं । प्रजातन्त्र का, अध्यक्ष महोदय, कोई कायदा होता है । सदियों से कोई परम्परा किसी जगह चली आ रही है हजारों बरसों से मवेशी वहां पर चर रहे हैं । आप जानते हैं गांव के भोले-भाले ग्वाला हैं, वे अपने मवेशियों को जिस जगह चराते थे उस जगह आपने नेशनल पार्क बनाया । इसके कारण आपने उनके मवेशियों को रोकने की कोशिश की । माननीय मन्त्री महोदय से मिलने एक से अधिक बार वहां के किसान, पशुपालकों के शिष्टमण्डल आये । वे आपसे मिले । आपको यह मालूम था कि वहां पर ग्वालों और लोकल ऑफिसर्स में जो आपसी वातावरण था वह ठीक नहीं था । सरकार का उत्तरदायित्व था कि वह मौके पर जिम्मेदार ऑफिसर को भेजती, माननीय सदस्यों, चुने हुए सरपंचों को विश्वास में लेती । पब्लिक के लोगों से सम्पर्क करती और नेशनल पार्क के इस सारे पहलू को स्पष्ट करती, उनकी जो मेन आपत्तियां थीं, शिकायतें थीं उनको सुनती और इन सारे मसलों को हल करती । क्या आप वहां मौके पर गये ? ग्वाला और बराती कैसे होते हैं अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं ग्वाला आप भी रहे हैं और मैं भी रहा हूं । बराती आप भी रहे हैं और मैं भी रहा हूं, माननीय मुख्य मन्त्री भी रहे हैं । यह दोनों जब मौके पर जाते तो स्थिति कुछ ठीक हो सकती थी । ग्वालों के साथ जो व्यवहार किया गया वह किसी तरह से उचित नहीं ठहरता है । आपने वसई की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जब कि आपको मालूम था कि ग्वाला हजारों

(श्री सम्पतराम)

बरसों से वहां मवेशी चरा रहा था। ग्वाला बन्दूक लेकर आ गया तो क्या कर रहा था आपका प्रशासन ? वहां पर फायरिंग क्यों की गयी ? अगर ग्वाला फायरिंग करता तो आप हट जाते। आपका एक आदमी मर जाता तो आप किसी को फांसी पर चढ़ा देते। सब कुछ हो जाता। कायदा यह होता है कि जब मॉब ज्यादा होता है, लोग ज्यादा होते हैं तो मैन पावर को मैन पावर से दबाना चाहिये। उनके पास लाठी होनी चाहिये थी, उनके पास टीयर गैस की व्यवस्था होनी चाहिये थी ताकि यह फायरिंग का काण्ड नहीं होता और इतना बड़ा जघन्य अपराध नहीं होता। यह जिम्मेदारी है सरकार चलाने वालों की। जब और बहुत-सी समस्याएं पैदा होती हैं तो क्या आप तलवार से, बन्दूक से हल करते हैं ? क्या आपका यह उत्तरदायित्व नहीं है कि वहां जाकर के लोगों से सम्पर्क करें, उन्हें इसके सारे पहलुओं को समझावें और इस प्रकार का हल निकालें ताकि इस प्रकार का घटना, दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो। आपने इन्क्वायरी करा ली, माथुर साहब, यही ठीक नहीं है, आपको इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी करानी चाहिये। मेरा निश्चित मानना है कि पुलिस की गलती है। वहां फायरिंग कर दी ग्वालों ने तो आप वापस क्यों नहीं आ गये ? आप बाद में तैयारी करते। आप जिले में मीटिंग करते। आपका डी. आई. जी. वहां पर बैठा था। आपका कलेक्टर वहां पर बैठा था। आपकी गवर्नमेंट जयपुर में थी। उनके पास फोन था। यह आपको करना था। मैन पावर के जरिये, ताकत के जरिये उनको हटाना था तो आप फुल फोर्स के साथ जाते। आपके पास टीयर गैस होनी चाहिये थी। आप पहले लाठी-चार्ज की हिम्मत करते तो यह फायरिंग की नौबत नहीं आती। यह उनकी निश्चित तौर से गलती थी। इस पहलू को बहुत से लोगों ने टच नहीं किया लेकिन मैं बड़े अदब के साथ कहता हूं कि इस तरह से ब्यूरोक्रेसी को आप ब्लैंक चिट मत दीजिये। निश्चित तौर पर यह उनकी गलती है। वहां पर पत्थर मार दिया, एडिशनल एस.पी. के पत्थर लग गया और फायरिंग करवा दिया। हम भी चुनावों में जाते हैं, हम भी मिनिस्टर रहे हैं। हमारे पर लोगों ने जूते भी फेंके हैं। हमारा लोगों ने पत्थरों से स्वागत किया है और माला पहनाई है। हमारे पास गनमैन था तो क्या उस गन मैन को यह कहते कि फायरिंग कर दो ?

श्री अध्यक्ष : काफी दफा अपन लोगों को भागना पड़ता था।

श्री सम्पतराम : बड़े ताज्जुब की बात है। आगे यह वक्त फिर आयेगा। तो, माथुर साहब, आपने ब्यूरोक्रेसी को जो छूट दी है वह किसी भी तरह से उचित नहीं है। यह फायरिंग नहीं हो सकती थी,...

(2.35 म.प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

वहां फायरिंग बच सकती थी। समस्या का हल हो सकता था। इसको मानवीय दृष्टिकोण से हल करने की कोशिश करनी चाहिये थी। वह प्रशासन ने नहीं किया। आप लोगों ने जयपुर में बैठ कर राज

(श्री सम्पतराम)

करना सीख लिया। क्यों नहीं गये मौके पर ? आप सरपंचों को, पंचायत समितियों के प्रधानों को बुलावे, उनको इसके सारे पहलू बताते और समझाते। उनकी समस्या को हल करते। जब आपको भगाना था तो किसी को मारने की नौबत ही नहीं आती, यदि यहां से सौ, दो सौ आदमी ले जाते और टीयर गैस छोड़ देते तो सारे लोग गाव छोड़ कर भाग जाते। लेकिन आपको सुझाये कौन? एक एस.पी. की नाक के ऊपर पत्थर लग गया और स्टेटमेन्ट बना दिया। मैं यह कहता हूं कि इस तरह की घटना है, इसमें और भी पहलू हैं जिनको माननीय सदस्यों ने छूआ है। मैं तो यह कहता हूं कि आपकी नकनीयती इसी में है और ईमानदारी इसी में है कि किसी को बचाइये मत। आप जुडिशियल इन्क्वायरी का आर्डर करिये। इस सारी घटना की जुडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिये, किसने एक्सेस फोर्स यूज किया, क्या करना वाजिब था, पुलिस को जो प्रिकाशन्स लेने चाहिये थे वह उसने लिये या नहीं, मजिस्ट्रेट को जो प्रिकाशन्स लेने चाहिये थे वह उसने लिये या नहीं, इन सारे पहलुओं की उससे जानकारी हो जायेगी और सही तथ्य आपके सामने आ जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): सभापति महोदया, सदन में अभी भरतपुर गोलीकाण्ड के सम्बन्ध में जितने भी माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रस्तुत किये हैं उससे यह तो स्पष्ट है कि भरतपुर में गोली चला कर बहुत ही अनुचित कार्य किया है। सभापति महोदया, मैं सबसे पहले भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री हरिसिंहजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने स्थिति को काफी स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है।

सभापति महोदया, श्री गोविन्दसिंहजी का वक्तव्य इस सदन में लगभग सभी माननीय सदस्यों ने सुना। इस वक्तव्य में उन्होंने एक बात कही कि गोली चलाने की आवाज आई। आपका मैंने लिखा हुआ वक्तव्य देखा है, उसमें लिखा हुआ था, गोली चलाई गई, और अभी सदन में पढ़ कर सुनाया उसमें कहा है, गोली चलने की आवाज आई। मैं गोली चलने की घटना का उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं कि गोली चलने की बात पुलिस द्वारा गोली चलाने का मुख्य आधार है। ऐसा लगता है कि गोली नहीं चलाई जाती तो शायद पुलिस की ओर से गोली नहीं चलती। अब इनमें से कौनसी बात सही है, गोली चलाई गई या गोली की आवाज आई। गोली चलाई गई, वह हवा में चलाई गई अलग-अलग वर्णन है। लेकिन मैं मुख्य मंत्री जी से एक बात जानना चाहूंगा कि गोली चलाने की घटना होने के बाद गोली चलाने वाले को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? जिसके पास बन्दूक थी उसको जब्त क्यों नहीं किया गया? आपके पास काफी पुलिस फोर्स था। आपने वहीं पर काफी लोगों को गिरफ्तार किया लेकिन हथियार जब्त नहीं किया, हथियार चलाने वाले को गिरफ्तार नहीं किया। अब आप यह अवश्य कहेंगे कि हमने हथियार जब्त किये। लेकिन जैसा माननीय गोविन्दसिंह जी ने कहा, प्रशासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर वे वक्तव्य दे रहे हैं। उनकी स्वयं की कोई जानकारी नहीं है। मुख्य मन्त्री जी की स्वयं की जानकारी नहीं है। प्रशासन द्वारा जो उनको सूचना उपलब्ध कराई गई, उसके आधार पर उन्होंने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

वक्तव्य दिया । तो प्रशासन द्वारा सूचना उपलब्ध कराई गई होगी कि हमने हथियार जब्त किया । मैं फिर कहना चाहूंगा, सभापति महोदया, भरतपुर के कई माननीय सदस्य यहां पर बैठे हैं, जो मेरी इस बात का समर्थन करेंगे कि घटना के दिन मौके पर किसी आदमी को हथियार सहित न तो गिरफ्तार किया गया और न उसके हथियार जब्त किये गये । जो हथियार जब्त करने की बात कही जा रही है वह दूसरे दिन हथियार जब्त किये गये । इससे अन्दाज लगा सकते है कि वहां गोली चलने की कोई घटना नहीं हुई । और यह अन्दाज नहीं, यह तथ्य है कि वहां कोई गोली नहीं चली, यदि गोली चलाने की बात होती तो जैसा मैंने कहा, उसका परिणाम उसी प्रकार का निकलता । सभापति महोदया, यदि किसी आदमी ने चलायी है तो यह सरकार भेजती क्यों है । अभी गोविन्दसिंह जी ने यहां पर बताया कि इस मामले के अन्दर जिन जिन धाराओं में केस रजिस्टर किये गये हैं, उन धाराओं में धारा 302 नहीं है । आपके वक्तव्य के अन्दर लिखा है--147, 148, 149, 353, 332, 395, 307 धाराओं में मुकदमे रजिस्टर किये गये हैं । सभापति महोदया, जो एफ. आई. आर. दर्ज है, उसमें इस बात का उल्लेख है कि इस धारा के अन्तर्गत मुकदमे दर्ज किये गये । मैं उस एफ. आई. आर. की सर्टिफाइड कापी आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं जिसके अन्दर है धारा 147, 148, 149, 353, 332, 395 और 302 । ये धारा 302 को डिस्ओन कर रहे हैं । अपने वक्तव्य में कर रहे हैं ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (राज्य मंत्री, गृह) : आप कौन सी एफ. आई. आर. पढ़ रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फर्स्ट ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : नम्बर ?

श्री यदुनाथ सिंह : 286 नं. की ।

श्री गोविंद सिंह गुर्जर : अरविन्द कुमार वाली ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां इसमें लिखा है कि अरविन्द कुमार, सहायक पुलिस अधीक्षक, भरतपुर । आपने मुझसे तो पूछ लिया । आपने किस एफ. आई. आर. का हवाला देकर बताया है ।

श्री गोविंद सिंह गुर्जर : इसी का किया है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसी का है । तो इस एफ. आई. आर. की कापी पर तो टिकट भी लगे हुए हैं आप वाली पर तो टिकट नहीं हैं ।

श्री गोविंद सिंह गुर्जर : मेरे पास जो कापी है उसमें धारा 302 ...

(2.40 म.प.)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं है न ? तो मैं वही सुना रहा हूं । कार्यवाही पुलिस । अब आप देखिये, तफतीश की जाती है, अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही पुलिस में पढ़ कर सुना रहा हूं, मंत्री महोदय कह रहे हैं कि मेरी एफ.आई.आर. के अन्दर 302 नहीं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

है। मेरे पास जो सर्टिफाईड कॉपी है, कोर्ट का स्टाम्प है और सब कुछ है-उसमें लिखा है: 'तस्दीक की जाती है कि उपरोक्त मामले की लिखित तहरीर मिनजानिब श्री अरविंद कुमार जैन, सहायक पुलिस अधीक्षक को एवं करतार सिंह सेवर व हाजिर थाना घना पक्षी विहार, भरतपुर ने आकर पेश की। जिसकी नकल उपरोक्त में अक्षर ब अक्षर की गयी है। मजमून रिपोर्ट उपरोक्त में मामला धारा 147, 148, 149, 153, 353, 332, 395 व 302 आई.पी.सी. का बनता है।'' यह मेरे पास कापी है। अब मैं जानकारी करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, 302 के नाम से यह सरकार बाहर क्यों निकलना चाहती है? 302 का कार्यवाही पुलिस में जिक्र किया हुआ है। 302 का केस रजिस्टर किया है। मैं इस बात का इसलिये उल्लेख करना चाहता हूं कि 302 के अन्तर्गत आपने किसी आदमी को आज तक गिरफ्तार किया है क्या? किसी भी एक व्यक्ति को आपने 302 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया है? अध्यक्ष महोदय, न 302 में गिरफ्तार किया न जिस समय घटना हुई उस समय किसी के पास से हथियार जब्त किये, न ही हथियार चलाने वाले गिरफ्तार हुए। मंत्री महोदय गोविंदसिंह गुर्जर कुछ कह रहे हैं, जिलाधीश ने जो वक्तव्य निकाला है वह कुछ कह रहा है। इस सदन में जो वक्तव्य दिया है वह अलग है। सदन में वक्तव्य दिया, गोली चलाने की आवाज आयी। एफ.आई.आर. में लिखा हुआ है गोली चलायी गई। सरकार की ओर से 12 दिन बाद जिला प्रशासन की ओर से जो विज्ञप्ति प्रकाशित की गई उसमें लिखा है कि एक बार गोली नहीं चलायी गयी, दो बार गोली चलायी गयी। इससे आप अंदाजा लगा लें, एक गलत बात सही सिद्ध करने में इनको कितनी गलत बात कहनी पड़ी। गोली चली नहीं। और गोली चली नहीं तो ये साबित करना चाहते हैं कि गोली चली और उसको साबित करने में गोली की घटना अपने आप रह गयी। गोली नाम की कोई चीज नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, मैं इस लिये कहता हूं कि मान लीजिये गोविन्द सिंह जी ने वक्तव्य दिया, वहां पर 3,000 आदमी थे। भरतपुर के माननीय सदस्य जानते हैं कि वहां पर तीन हजार आदमी एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। थोड़ी देर के लिये 3,000 आदमी के इकट्ठा होने की बात मान भी लें तो आदमी किस प्रकार के थे, कौनसे हथियार थे जो जब्त किये गये? बन्दूक तो आपने जब्त करली और कौन से हथियार थे जो आपने जब्त किये? गडरियों के पास लाठियां होती हैं। यह निश्चित बात है, कोई इन्कार नहीं कर सकता है। क्या आपने लाठियां जब्त कीं? और कौनसे हथियार जब्त किये जिनसे कि आदमियों को, पुलिस फोर्स को डर लग रहा था कि 200 आदमियों पर हमने अगर गोली नहीं चलाई तो ये गडरिये हमको मार डालेंगे? कोई हथियार नहीं थे। वे हथियार लेकर किस बात के लिये जाते। वे तो वहां पर अपने मवेशी को चराने आये थे। चार गेट के ऊपर लोग पशु ले गये और चार गेट से पशु उसमें प्रवेश कर गये। वहां पर पुलिस लगी हुई थी, वहां पुलिस ने फायरिंग नहीं किया। आधापुर गेट पर पुलिस ने फायरिंग किया। अब मेरी समझ में नहीं आता कि वे कौनसे हथियारों से लैस थे?

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा लेकिन उन हथियारबन्द लोगों की फौज में से जो पुलिस के शिकार हुए उनके बारे में जिक्र करना चाहूंगा। इन लोगों में 76 वर्ष तक की आयु 50 वर्ष से ऊपर के कौन-कौन हैं जो मारे या घायल हुए ? एक तो जो घायल पड़े हैं हास्पिटल में, गोली लगी है। उनका नाम बता रहा हूं। आप नोट कर लीजिये। कलवा गूजर उम्र 76 वर्ष। 76 वर्ष की उम्र के इस बूढ़े से 200 पुलिस के आदमी डर गये कि यदि इस बूढ़े को नहीं मारा गया तो यह हमको मार देगा। यह पुलिस है या तमाशा है। इसी तरह से जिसे आंखों से कम दिखता था, भूरी यह 51 वर्ष की है। किशोरी यह 76 वर्ष का है शिवराम 65 वर्ष का है, कमल सिंह गूजर यह 70 वर्ष का है, रामस्वरूप गूजर यह 70वर्ष का है, सुप्रिया जाट यह 52 वर्ष का है, नदेल जाटव यह 53 वर्ष का है। तूंगा जो अंधा है वह 76 वर्ष का है जगनसिंह गूजर 73 वर्ष का, रघुवीरसिंह 70 वर्ष का है। केतु जाटव 55 वर्ष का है, एक बुढ़िया पाचोया है 70 वर्ष की।

अध्यक्ष महोदय, पुलिस को और इस पुलिस के संचालक जो हैं उनको, मुख्य मंत्री, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि 70 वर्ष के लोगों के ऊपर आप यह चार्ज लगा रहे हैं। 70 वर्ष की उम्र वाले लोगों से डर कर अपनी जान बचाने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी। अध्यक्ष महोदय, यदि आप दूसरे फेक्ट्स देखें तो आपको पता लगेगा कि 44-45 से 50 की उम्र के 15-20 आदमी होंगे। घायलों को पीटा वह तो दूसरी बात है। अध्यक्ष महोदय, औरतों को मारा, बच्चों को वहां मारा बुड्ढों को वहां मारा। इस सरकार को कम से कम यह तो देखना चाहिए था कि आखिर वे पशुपालक ही तो थे, वे किसी की सम्पत्ति पर कब्जा करने नहीं आये थे, किसी का कत्ल करने तो नहीं आये थे, अपने मवेशियों को चराने के लिये गये थे। यह अधिकार उनको, माननीय गृह राज्य मंत्री जी, आपने दिया है और किसी ने नहीं दिया है। आपने इस सदन में घोषणा की थी कि बन्दूक की नोक पर चराई नहीं रोकी जा सकती है। क्या आपने इस घोषणा को वापस लिया है ? इस सदन में घोषणा की थी कि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होगी तब तक चराई बन्द नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, आप बतायें कि राज्य मंत्री का विश्वास किया जाय या वहां के कलेक्टर का विश्वास किया जाय। जनता ने राज्य मंत्री का विश्वास किया कि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होगी तब तक चराई बन्द करने की कार्यवाही नहीं होगी। बन्दूक की नोक पर चराई नहीं रोकी जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि मंत्री महोदय भरतपुर गये थे। भरतपुर जाकर आश्चर्य व्यक्त किया। उनका अखबार में एक बयान छपा है उसको मैं पढ़ कर सुनाना चाहूंगा "राज्य के गृह राज्य मंत्री श्री गोविन्दसिंह गुर्जर, जो मुख्य मंत्री के आदेश पर भरतपुर में गोली काण्ड की रिपोर्ट लेने आये, ने कहा कि घना में घटनायें घटने से पूर्व चरागाह का न खोला जाना आश्चर्य-जनक है" यह तो कमिटेड है इनको कमिटेड है हमें तो आश्चर्य लग रहा। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि वे मुख्य मंत्री को वस्तु स्थिति से अवगत करा कर ऐसे काण्डों की पुनरावृत्ति न हो, पशुपालकों को

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ग्रामीणों को पुलिस से भय से मुक्त कराने के लिये भय था, भय से मुक्त कराने के लिये तथा गोली काण्ड की न्यायिक जांच कराने का अपना पूरा प्रयास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह अपने प्रयास में फेल हो गये, इसमें कोई सन्देह नहीं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैंने इस प्रकार का कोई वक्तव्य नहीं दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो हमेशा यों कहते हैं. आपकी आदत है। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार की आदत है कि अखबारों में वक्तव्य दे देती है फिर मना कर देती है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैंने वक्तव्य नहीं दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो आपकी आदत है। मैं नहीं कहता। आप क्या जुडिशियल इन्क्वायरी करवाने के पक्ष में नहीं थे? क्या आपने लोगों से बात नहीं की कि जुडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिए।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : बिल्कुल नहीं कहा था। मैंने तो यह कहा था कि जुडिशियल जांच की जो आपकी मांग है, वह मैं मुख्य मंत्री महोदय के समक्ष रख दूंगा कि यह जनता की मांग है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जनता यह मांग करती है। आपने मेरी मांग का जिक्र किया होता तो ठीक था लेकिन जनता यह मांग करती है इस मांग को मुख्य मंत्री जी के सामने रखूंगा। मुझे खुशी है, अध्यक्ष महोदय, आपने जनता की मांग को मुख्य मंत्री के सामने रखा होगा। मुझे इस बात का दुःख है कि जनता की मांग राज्य मंत्री के मार्फत मुख्य मंत्री के पास गई। मुख्य मंत्री जी ने उस मांग को ठुकराया। मैं समझता हूं कि आपकी जगह कोई भी आदमी सम्मान वाला होता और जनता के प्रतिनिधि के रूप में आप मांग रखते तो आप उसी समय त्याग पत्र दे देते।

श्री गोविंद सिंह गुर्जर : मैं जानता था कि आप त्याग-पत्र की बात ही करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपसे नहीं मांगूंगा। इस मसले पर, इस महत्वपूर्ण मसले पर गृह राज्य मंत्री का त्याग पत्र मांग कर मैं इस मसले की इज्जत नहीं घटाना चाहता। यह इतना गम्भीर मसला है कि आपके त्याग पत्र से काम नहीं चलेगा।

श्री गोविंद सिंह गुर्जर : अगर मेरे त्याग पत्र देने से जिनकी मौतें हुई हैं उनको कोई लाभ हो सकता है तो मैं त्याग पत्र देने को तैयार हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं नहीं, बिलकुल नहीं, आपके त्याग पत्र से लाभ नहीं होगा। आप थोड़ा आगे इशारा करें। लाभ यहां से होगा।

मैं इसलिए कहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। मुख्य मंत्री जी को याद होगा, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि वे किसान पंचायत के सदस्य हैं, वे इसके सक्रिय सदस्य रहे हैं। किसान पंचायत इसलिए बनायी गई थी कि उस समय के राजा महाराजाओं और जागीरदारों से लैण्ड रिफार्म्स के मामले में संघर्ष

(104)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

किया जाय। संघर्ष किया गया, कई लोग मरे और भूमि सुधार के कानून बने, विजय सिंह पथिक भी उसके सदस्य थे। आजकल उस पंचायत का क्या काम है? आजकल उसका एक ही काम है, भेड़ पालकों और पशु पालकों का विरोध किया जाय। मुख्य मंत्री जी को मालूम है, जब ये मुख्य मंत्री नहीं बने थे और एम.एल.ए. भी नहीं थे तब भेड़ पालकों के खिलाफ एक संघर्ष समिति के संयोजक बने हुए थे। बेगूं थाने में, चित्तौड़ जिले में, इन्होंने भेड़ पालकों और गांव वालों के बीच में संघर्ष कराया। जब मरने-मारने की नौबत आयी, अध्यक्ष महोदय, उस समय मुख्य मंत्री भाग गये। पता ही नहीं लगा मुख्य मंत्री जी का, रातों रात ऐसे भागे कि पुलिस ने भी तलाश की लेकिन मुख्य मंत्री जी का पता नहीं चला। आज वा मुख्य मंत्री जी पशु पालकों के इतने खिलाफ हैं। इन्होंने जुडिशियल इन्क्वायरी को स्वीकार नहीं किया।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : आपके उस राज में भीलवाड़ा जिले के किसानों के कार्यकर्त्ता, नेता, जो कांग्रेस के थे, ने संघर्ष किया, भूख हड़ताल की, घेरने दिये और निरन्तर वहां पर विरोध किया उसको ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छा किया, मैं कब मना कर रहा हूं।

श्री रतनलाल ताम्बी : सारे जिले के किसानों ने रोटी-चटनी लेकर कई दिनों तक धरना देकर शासन की खिलाफत की, उसका विरोध किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छा किया, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मुख्य मंत्री जी का समर्थन किया है।

श्री रतनलाल ताम्बी : समर्थन नहीं। मैं भी वहां पर था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुख्य मंत्री जी जिस समय मारपीट हो गयी, उस समय क्यों भाग गये?

श्री रतनलाल ताम्बी : वहीं थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वहां कहां थे 8 मील दूर।

श्री रतनलाल ताम्बी : मारपीट की जिम्मेदारी प्रशासन की थी। मुख्य मंत्री जी ने तो किसानों की सब बातों की तरफदारी की है। हम सब लोगों ने भी की।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री) : आपने सेक्रेटेरिएट में एक बैठक बुलाई थी, उसमें मुझे भी याद किया था और मुख्य मंत्री जी को भी आमंत्रित किया था। अगर यह पहले काण्ड हो गया तो उस दिन कमेटी में जिक्र नहीं आया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, वह उसके बाद में आया। मैं बताता हूं, अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने कहा कि एक कमेटी बुलाई जाये। मुख्य मंत्री जी, आप बता दो, आपने जो कहा। मुख्य मंत्री जी ने कहा, कमेटी में दोनों बात बता देते हैं। मुख्य मंत्री जी ने कहा, पशुपालकों का अधिकार है, जंगल में पशु चरायेंगे। आपने कहा? कही नहीं यह बात?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने जो कुछ कहा, वह प्रासीडिंग्स में है । उस प्रासिडिंग की कापी मेरे पास है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने और मथुरा दास जी माथुर ने कहा कि••

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : विपक्ष के माननीय नेता इस समस्या को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं । मैं समझता हूं कि उसका सम्बन्ध इस वक्त इससे जोड़ना वह किस तरह उचित समझते हैं, वह खुद ही सोच लें । आप जानते हैं, भेड़ पालकों के कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या भेड़ों के जाने की समस्या केवल बिजोलिया की ही नहीं, करौली की भी समस्या है, कोटा की भी समस्या है, बूंदी की भी समस्या है, एक बहुत बड़े इलाके की समस्या है । आप पशु पालकों का विरोध करने वाली बात कहते हैं । दरअसल में जहां से वह जाते हुए निकलती हैं, वहां लोगों का कितना नुकसान होता है, समस्या का हल निकालने के लिए कई बार यह भी चर्चा चली है••••

श्री यदुनाथ सिंह : हल निकलवाने के लिए गोली चलवा देते हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : यह बात कहना गलत है कि पशु पालकों के मैं विरुद्ध हूं । सही मायने में भेड़ों के चरने की पूरी व्यवस्था हो, यह हमने कहा । साथ साथ यह भी कहा कि कृषि इलाके में अनधिकृत तरीके से भेड़ें जाती हैं वहां से किस प्रकार से उनको निकाला जाये, इसके लिए आप व्यवस्था करें आपको मालूम है 11 दिन आन्दोलन चला था, ऐतिहासिक आन्दोलन चला था । आप शासन में थे उस समय हमने बहुत शांतिपूर्ण ढंग से उस आन्दोलन को चलाया । मैं आपसे कह सकता हूं वह एक ऐसा ऐतिहासिक आन्दोलन था, बाहर की मदद के बिना किसान ने एक एक रोटी इकट्ठा करके 10 हजार किसानों को इकट्ठा किया था ।

श्री यदुनाथ सिंह : महरबानी करके इस पर जवाब दे दीजिये ।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, अध्यक्ष महोदय । यह कहना चाहता हूं, व्यवस्था दीजिए••••

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : यह गोली कांड भी ऐतिहासिक बन जायेगा ।

श्री मेघराज तावड़ : मैं विपक्ष के नेता से अपील करना चाहता हूं, आज गम्भीर मसला है, जो इसके बाहर की बातें हैं उनको छोड़ दीजिये, पर्टीक्यूलर केस में सरकार अपनी बात चबाना चाहती है । उसके जब आपके पास फैक्ट हैं तो उसको रख दें तो ज्यादा••••••

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं चबाने नहीं दूंगा । मैं केवल इसलिए कह रहा था कि जो शासन कर रहे हैं, उनकी मानसिक भूमिका क्या है••••

श्री शिवचरण माथुर : बिल्कुल साफ है••

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मंत्री जी की मानसिक भूमिका पशु पालकों के प्रति क्या है, इस बात की ओर मैंने संकेत किया था । मुझे खुशी है कि मुख्य मंत्री जी ने अपने स्पष्टीकरण में इस बात को स्वीकार कर लिया । पशु पालकों के विरोध का जो प्रश्न था, जंगल में पशुओं को वहीं चराया जाये, उनका उन्होंने उस वक्त नेतृत्व किया । मैं तो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बहुत सी बातें कहना चाहता हूं पर मुझे खुशी है कि सही बात को स्वीकार किया । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अघापुर गेट का यह कहते हैं कि 3 हजार की भीड़ थी उसमें बच्चे भी थे। बच्चे मारे गये, औरतें भी मरीं, बूढ़े भी मरे । मैं, मुख्य मंत्री जी,आपसे पूछना चाहता हूं 3000 की भीड़ यदि गेट में प्रवेश कर जाती तो क्या होता ? माननीय राज्य मंत्री जी ने यह स्वीकार किया कि एक हजार पशु उसमें घुस गये चरने के लिए । जहां तक चराई का प्रश्न था, जो उनका मकसद हो सकता था, लक्ष्य हो सकता था, वह तो उन्होंने पूरा कर लिया, मवेशी जितने साथ लेकर आये थे, वह सब अन्दर प्रवेश कर गये। अन्दर प्रवेश करने के बाद उनका मकसद क्या हो सकता था, क्या पुलिस से झगड़ा करने के लिए गये थे ? क्या गेट तोड़ने के लिये गये थे ? गेट भी तोड़ा तो केवल इस पर्पज के लिए कि गेट तोड़कर चराई के स्थान में मवेशियों का प्रवेश करा दें। मवेशी प्रवेश कर गये । पुलिस ने स्वयं स्वीकार किया कि एक हजार मवेशियों को प्रवेश करा दिया फिर भीड़ का लक्ष्य क्या हो सकता था ? क्या पुलिस वालों से उनकी जन्म जात दुश्मनी थी. क्या वन पालक से उनकी जन्म जात दुश्मनी थी ? अध्यक्ष महोदय, कोई दुश्मनी नहीं थी । जैसा सम्पतराम जी ने कहा और बाकी माननीय सदस्यों ने कहा, एक पुलिस अधिकारी की नाक पर पत्थर लग गया। अब उस नाक का सवाल है । उस नाक को बचाने के लिए गोली चला दी । गोली चला दी. उसमें लोग मारे गये। मैं यह कहना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी से कि 6 आदमियों की मौत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पुलिस टेक्टिकली कुछ समय के लिए वापस आ जाती, वापस हट जाती तो इस से ज्यादा कुछ नहीं होता कि मवेशी अन्दर घुसते । अध्यक्ष महोदय, मुकदमे बनाये जा सकते थे, जिन लोगों ने गेट तोड़ा उनके खिलाफ मुकदमे बनाये जा सकते थे, जिन लोगों ने पुलिस पर पत्थर बाजी की उन पर मुकदमे बन सकते थे, जिन लोगों ने जबरन मवेशियों को प्रवेश कराया उन पर मुकदमे बन सकते थे । वह अदालत में चालान होते और चालान होते तो शायद यह स्थिति नहीं आती । कोई न कोई रास्ता सरकार को निकालना पड़ता कि चराई की किस प्रकार से वैकल्पिक व्यवस्था की जाये । तीनों चीजें हो सकती थीं । फिर गोली कैसे चला दी, क्यों चला दी ? अध्यक्ष महोदय, गोली चलायी । मैं समझता हूं कि कोई भी इंसान हो वह एक बात तो निश्चित रूप से स्वीकार करेगा कि गोली चलने का काम अपने आप नहीं होता । पुलिस ने गोली चला दी । गोली चलने के बाद की माननीय सदस्य, जो भरतपुर से आये हैं हरिसिंह जी, ने एक ऐसी दर्दनाक घटना का उल्लेख किया, अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं मुख्य मंत्री जी उसको हजम नहीं कर सकते। आप गोली को हजम कर सकते हैं, गोली चलाने के अधिकार का समर्थन कर सकते हैं लेकिन यह क्या कि घायल व्यक्तियों की भरी हुई ट्रालियों को शान्ति कुटीर ले जायें, ड्राइवरों को पेड़ों से बांधा जाये, घायलों के परिवार वालों को पेड़ों से बांधा जाये,उनको पीटा जाये, 3 घण्टे तक हास्पिटल में नहीं ले जाने दिया जाये । मैं धन्यवाद दूंगा, यह और इनकी पार्टी के कुछ समस्या ग्रस्त माननीय सदस्य वहां पहुंच गये । उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि तुमने गोली चला दी वह तो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अन्याय कर दिया। गोली से घायल व्यक्तियों को तो हॉस्पिटल पहुंचाओ। किन्तु हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया। उसका परिणाम यह निकला, अध्यक्ष महोदय, एक मृतक है, डोजी, वहां के शब्द में डोजी शायद इस तरह से कहते हैं, मेरे पास डोजी है, उस डोजी को गोली लगने की अवस्था, घायल अवस्था में ट्राली में डाला गया। जब उसे हास्पिटल ले जाया जा रहा था, साथ में और भी घायल थे। डी.आई.जी और एस.पी. ट्राली रुकवा कर शांति कुटीर पर ले गये। ट्राली के ड्राइवर को मारा, घायल पड़े रहे और जब पब्लिक के कुछ लोगों ने, पब्लिक के नुमाइंदों ने उनको कहा कि इस ट्राली को हास्पिटल में भेजें। अध्यक्ष महोदय, ट्राली तो हास्पिटल में पहुंच गई लेकिन वह घायल आसमान में नहीं भगवान के घर पहुंच गये। आप और किसको बचा सकते हैं? यह कत्ल किसने किया, मर्डर किसने किया? मुख्य मंत्री जी, मैं कहना चाहता हूं यह मर्डर किया डी. आई.जी. ने, यह मर्डर किया एस.पी. ने, यह मर्डर कियो कलेक्टर ने। उन कातिलों को बचाना चाहते हैं? गोली चलाने का अधिकार आपको मिल गया। गोली चलाने का अधिकार जिन परिस्थितियों में मिला, क्या आपको घायल करके मारने का अधिकार मिला? अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं एक महिला मिशनरी को गोली लगी। मैं दावे से कहता हूं। मुख्य मन्त्री जी, त्याग पत्र देने को तैयार हो जायें अगर गलत हो तो मैं त्याग पत्र देने को तैयार हूं। गोली लगी उसके, गांव में गोली लगते ही महिला को प्यास लगी। वह कुएं की तरफ तड़फती हुई जा रही थी, उस समय पुलिस ने बन्दूक के कुंदे से उसको मारा। अध्यक्ष महोदय, ताज्जुब करेंगे उसका 11 वर्ष का बच्चा जब अपनी मां के ऊपर पड़ गया, पुलिस वालों को कहने लगा मुझे बचाओ, इस शिवचरण माथुर की निकम्मी पुलिस ने उसके ऊपर गोली चला दी। मैं कहना चाहता हूं, आप कहते हो हमने गोली नहीं चलवायी, लोगों ने गोली चला दी। क्या गोली चलाने की इस तरह की दर्दनाक घटनायें सुन कर सहम जाते हो? अध्यक्ष महोदय, मैं भरतपुर गया। मुख्य मंत्री जी और गोविन्दसिंह जी वहां थे। मैंने इनको टेलीफोन किया और कहा कि बाद में आप कहेंगे कि यह घटना सही नहीं है, बाद में आप कहेंगे कि गोली चलाना उचित था, बाद में आप कहेंगे कि भीड़ ने आक्रमक रुख अपनाया। आज आप मौके पर आ जाइये। मौके पर आकर देखिये गांव में चलिये गांवों में यदि चलेंगे तो आपको पता लगेगा कि वास्तविकता क्या है। लेकिन उस समय मुझे टेलीफोन पर कहा कि गोबिन्दसिंह जी वहीं है, राजेश पायलेट वहीं हैं, वह दोनों मुझे जो जानकारी देंगे उस आधार पर मैं निर्णय करूंगा। अध्यक्ष महोदय, आप वहां नहीं गये। यदि जाते तो पता लगता। वह वहां उस स्थिति में क्यों नहीं गये। शायद इसलिये नहीं गये कि इनके राज्य में भरतपुर में दो बार गोली चली, इसलिये शायद इनको यह पता होगा कि इनके जाने से प्रतिक्रिया क्या होगी, इसलिये वहां पर नहीं गये। लेकिन, मुख्य मन्त्री जी, मैंने उस दिन भी कहा था आप उसके बाद एक दिन भी इस मामले की जांच कर लेते कि भरतपुर में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ तो शायद आपको पता लग जाता। मैं इस आधार पर कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, वह कोई डाकू नहीं थे, बागी नहीं थे, उनके पास माडर्न पिस्तोल रायफल नहीं थीं। गरीब पशुपालक थे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उनके ऊपर पुलिस ने गोलियां चलाईं। गोलियों से व्यक्तियों को मारा। उसके बाद कौनसी ऐसी स्थिति हो गई थी जिस स्थिति के अन्दर मुख्य मन्त्रीजी वहां पहुंच कर कोई सांत्वना के शब्द भी नहीं कह सकते थे?

अध्यक्ष महोदय, घायलों की सूची, 24 घायलों की सूची है, वह तो अधिकृत है। लेकिन मेरे पास 42 घायलों की सूची है। उस 42 घायलों की सूची के अंदर, अध्यक्ष महोदय, यदि आप देखें, तो 42 में से 36 आदमी अघापुर के हैं ··

श्री मेघराज तावड़. पुलिस के डर से कई अस्पताल नहीं गये वह अलग ··

श्री भैरोंसिंह शेखावत: यह सही है, माननीय अध्यक्ष महोदय, 36 आदमी हैं एक ही गांव के हैं और यह कहते हैं कि आस-पास के गांव के इकट्ठे हो गये। आप पूरे अघापुर गांव को इकट्ठा करें, तो 3 हजार आदमी नहीं होते हैं। यदि 22 गांवों के आदमी, जैसा मन्त्री महोदय कह रहे हैं, 14 गांव के आदमी इकट्ठे हो गये, 3 हजार आदमी इकट्ठे हो जायं और यह कहें कि 14 गांवों के सारे के सारे लोग इकट्ठे हो गये, इसका मतलब यह है कि सरकार जो बात कह रही है उस बात में कोई दम नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और कही, वह यह कही कि सरकारी कर्मचारियों के बहुत चोटें आई हैं। मैं सैशन जज का जजमेंट आपको सुनाना चाहूंगा, जिससे मुख्य मन्त्री जी को और इस सदन को यह पता लग जायगा कि चोटें किस प्रकार की थीं। अध्यक्ष महोदय, जो बहस हुई जमानत के मामले में, जो मुलजिमों की तरफ से बहस हुई है उसकी 3 लाइनें पढ़ कर सुनाना चाहता हूं—"यह बहस हुई कि 25 व्यक्तियों की गिरफ्तारी मौके पर होना जाहिर है, मगर उनको केवल एक करतारसिंह सिपाही द्वारा भेजा जाना जाहिर आया है।" इसलिए मैं जिक्र करना चाहता हूं कि 25 आदमी जो पुलिस को मारना चाहते थे, जो पुलिस को घेरना चाहते थे, जिन्होंने पुलिस पर गोलियां चलाईं, जिनसे पुलिस डर गई और जिनसे डर कर आत्म-रक्षा के लिये गोली चलाई, केवल एक सिपाही ने। या तो वह पुलिस का सिपाही बहादुर था, इतना बहादुर था कि 25 के मुकाबले की उसको कोई चिंता नहीं थी, या जिन्होंने गोलियां चलाईं वह इतने कमजोर थे कि एक पुलिस के सिपाही की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सके।

अब जो दूसरा उनका आरग्यूमेंट है, अध्यक्ष महोदय, चोटों के बारे में जो जज साहब ने कहा वह भी सुन लीजिये। उन्होंने कहा कि मैंने पुलिस अधिकारी, अधिकारीगण तथा वन विभाग के कर्मचारियों एवं जिन जवानों के चोट आई हैं, उन सभी चोटों के प्रतिवेदनों, प्रपत्रों को देखा। इन आदमियों के किसी के भी गोली की चोट नहीं आई है। इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए एवं जिस प्रकार वन विभाग के पदाधिकारीगण के सामान को किसी द्वारा बल पूर्वक ले जाने के, गौर करते हुए जिन परिस्थितियों में घटना घटी, गोली चलने के आदेश दिये गये, उत्तेजित भीड़ के 6 आदमियों की जान गई, पुलिस कर्मचारियों, वन विभाग के कर्मचारियों के चोटें आई हैं, इन सब परिस्थितियों को देखते हुए, केस के गुणावगुण पर अधिक टिप्पणी न करते हुए अभियुक्त

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

प्रार्थीगण को जमानत पर छोड़ना उचित समझता हूं।" अब प्रतिवेदन माननीय सदस्य ने प्रस्तुत कर दिया, जो कर्मचारियों के चोटें आई हैं उनका प्रतिवेदन आपके समक्ष सदन में पेश करना चाहता हूं। कोई किसी के भी चोटें नहीं, यदि आप देखें तो बस एक चोट के बाद दूसरी चोट आ जायेगी तो उस चोट के कारण मौत हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। मैं कहना चाहता हूं कि न तो भीड़, जितनी संख्या माननीय मंत्री महोदय ने बताई, उतनी इकट्ठी हुई और न भीड़ के पास किसी प्रकार के हथियार थे, न वहां पर उन्होंने किसी प्रकार की गोली चलाई परन्तु पुलिस ने अनावश्यक रूप से बल प्रयोग किया, उस बल प्रयोग के कारण से 6 आदमियों को गोली से मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। एक आदमी अस्पताल में जाकर, भगवान जाने, बचता या नहीं बचता लेकिन उसको 3 घंटे रोक कर पुलिस ने उसका मर्डर किया। इन सब बातों को देखते हुए आप किस बात की जांच कराना चाहते हैं। आपने शंकरन साहब से जांच कराने के बारे में घोषणा की लेकिन कितने दिन बाद, 7 अगस्त को यह काण्ड हुआ, अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : 7 नवम्बर को।

श्री भैरोंसिह शेखावत : 7 नवम्बर को तो यह घटना हुई, अध्यक्ष महोदय, और लगभग 12 दिसम्बर या 22 दिसम्बर को आपने शंकरन साहब की नियुक्ति की घोषणा की। मैं पूछना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी से कि इस बीच में आपने मजिस्ट्रेटियल इन्क्वायरी कराई, उसका क्या हुआ? वह इन्क्वायरी कहां गई? इस इन्क्वायरी के आधार पर आप कहेंगे कि वह इन्क्वायरी कम्पलीट नहीं हुई। अब इसलिए शंकरन साहब की नियुक्ति कर दी। क्या करेंगे आप शंकरन साहब की नियुक्ति करके?

पहले संघर्ष हुआ था, 9 अगस्त को जो पहले संघर्ष हुआ था उसमें आपने शंकरन साहब की नियुक्ति की, उसकी रिपोर्ट नहीं आई। सीकर में जीण माता के मेले में जो गोली चली, उसकी जांच कराने के लिये अधिकारी नियुक्त किये, उसकी रिपोर्ट नहीं आई। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में माननीय सदस्यों को सुनकर ताज्जुब होगा कि पिछले सत्र में, जो सितम्बर में चला था, मुझे याद है, 19, 22 या 23 तारीख को मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि श्री महादेव सिंहजी के मामले में रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन से जांच करवायेंगे। मुख्य मंत्रीजी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सितम्बर निकल गया, अक्टूबर निकल गया, नवम्बर निकल गया, दिसम्बर निकल गया, जनवरी निकल गयी और आपने फरवरी में रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति की है। भरतपुर के तो गरीब आदमी हैं, विधायक के साथ कोई घटना हो जाय उसमें भी आप कान में तेल डाल कर 6-6 महीने सो जाते हो फिर यहां तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, यह जांच क्या करायेंगे, यह तो मुलजिमों को बचाने की बात है। अध्यक्ष महोदय, एक बात कही, मैं समझता हूं कि खाचरी से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही और एक श्री जगनसिंह ने आत्मासिंह का नाम लिया, उस आत्मासिंह ने यह सब कुछ

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करवाया। अध्यक्ष महोदय, एक बात कहना चाहता हूं बाबू राजबहादुर जी ने जिस तरह से नेशनल पार्क का डेस्क्रिप्शन दिया, जो उसमें कानूनी खामी रही, माननीय मन्त्री महोदय का जो पहले वक्तव्य हुआ, उन सारी बातों के आधार पर मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आत्मासिंह की जगह मैं होता, या माथुर साहब होते, आप अधापुर के सरपंच होते, माननीय मदेरणा साहब सरपंच होते और मैं सरपंच होता तो इस प्रकार का आन्दोलन करते कि पशुओं की चराई का हक नहीं छीना जाय। यदि आत्मासिंह ने कोई आन्दोलन किया, तो कोई अनुचित कार्यवाही नहीं की। आन्दोलन करने का हमें अधिकार है, हम आन्दोलन करेंगे लेकिन आज आत्मासिंह को टार्गेट बनाया जा रहा है। क्यों टार्गेट बनाया गया है? अध्यक्ष महोदय, किस बात के लिये टार्गेट बनाया गया है। मैंने कुछ दिन पहले मुख्य मन्त्री जी को टेलीफोन किया और यह निवेदन किया कि इस व्यक्तिको दुबारा गिरफ्तार किया गया है। अभी कोई 20 दिन पहले की बात है, इस आदमी को दुबारा गिरफ्तार किया गया है। तो मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि मैं पूछूंगा। मैंने डी. आई. जी को टेलीफोन किया कि इस आत्मासिंह को क्यों गिरफ्तार किया गया है? तो, अध्यक्ष महोदय, यदि मुख्य मन्त्री जी मेरे ऊपर विश्वास करें और यह सदन मेरे ऊपर विश्वास करें तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि डी. आई. जी ने मुझे स्पष्ट शब्दों में कहा कि आत्मासिंह ने पुलिस के खिलाफ मुकदमे बना रखे हैं इसलिये उसे एक बार नहीं कई बार गिरफ्तार किया जायगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरे 30 वर्ष के जीवन में, विधायक के नाते और मुख्य मन्त्री के नाते किसी अधिकारी को यह जुर्रत नहीं हुई कि इस प्रकार की वह बात कर लें डी. आई. जी. मुझे यह कहते हैं कि आत्मासिंह को इसलिये गिरफ्तार कर रहे हैं कि पुलिस के खिलाफ मुकदमे बना रखे हैं। मुख्य मन्त्री जी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की अधिकारियों की प्रवृत्ति यदि आपने नहीं रोकी तो इसके परिणाम कोई अच्छे नहीं होंगे। आत्मासिंह को पीटा गया, क्यों पीटा गया। अध्यक्ष महोदय, पुलिस के रेकार्ड को मुख्य मन्त्रीजी मंगा कर देख लें। पुलिस के रेकार्ड में लिखा हुआ है, इन्टेलिजेन्स की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि two Akali extremist अकाली घुस गये। अब सरदार होना ही अकाली बनना हो गया तब तो अकाली एक्सट्रीमिस्ट कहां, पशुपालकों में मैं समझता हूं कि बहुत समस्या हो गई। गोविन्दसिंह जी सबसे पहले अकाली हो गये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैं तो आधा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आधे हैं तो धीरे धीरे पूरे हो जायेंगे। अगर अकाली होना गुनाह है तो दो और आपके पीछे बैठे हैं। इसलिये अध्यक्ष महोदय, यदि आत्मा सिंह को पीटने का माध्यम केवल इतना बनाया जाय कि वह अकाली है, अकाली एक्सट्रीमिस्ट वह है। अधापुर में ऊधम कराना चाहते हैं। इसलिए इनके ऊपर माना जाय, अध्यक्ष महोदय, उस आदमी से मिलें और मुख्य मन्त्री जी मिल लें और मिलने के बाद इस नतीजे पर पहुंचें कि जिस प्रकार से उस व्यक्ति को

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हॉस्पिटल में एस. पी., डी. आई. जी. और कलेक्टर की मौजूदगी में पीटा गया, अध्यक्ष महोदय, इससे हर आदमी का सिर नीचा हो जायगा। वहां आपको कहूं, दाढ़ी पकड़ ली, उसके बालों में से कंघा निकाल लिया और कहा, तेरी दाढ़ी को जला देंगे। मुख्य मन्त्री जी, आत्मासिंह की दाढ़ी को जलाने का सवाल पैदा नहीं होगा। यदि किसी सिख की दाढ़ी को जलाया तो आपको भी खड़ा कर दिया जायगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, इस आधार पर, अध्यक्ष महोदय, पीटा गया, बुरी तरह से पीटा गया, तब मैं आज आपको कहता हूं वहां का एस. पी. और डी. आई. जी. उसकी जान लेने के लिए तैयार हैं, दोनों उसका मारेंगे। आप निश्चित मान कर चलिए मुख्य मन्त्री जी, आत्मासिंह का कत्ल होगा, पुलिस वाले उसका कत्ल करायेंगे। मैं इस आधार पर आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि आप उसमें सम्भल जायं। आप अफसरों को बचाने के अन्दर सारी व्यवस्था को खराब करने की कोशिश नहीं करें। अफसर नहीं बचेंगे, लोगों ने प्राइवेट इस्तगासे किये हैं। मैं कहना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी से, प्राइवेट इस्तगासों में आप परमिशन क्यों नहीं देते उनको प्रोसीक्यूशन करने की। प्रोसीक्यूशन की परमिशन दीजिये।

अन्त में, अध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, जो मारे गये उनको पूरा कम्पन्सेशन दिया जाय। मैं उस बात को फिर दोहराऊंगा जो राजबहादुरजी ने कही, जिन लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे चला रखे हैं उनको वापस किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहूंगा जो माननीय सदस्य नहीं कर पाये हैं। माननीय मुख्य मन्त्री जी वह पत्रावली देखें, मेरी देखी हुई है, यह घना में चार दीवारी क्यों खेंची गई? इसके पीछे कारण यह नहीं है कि मवेशी प्रवेश कर रहे हैं, इसका मूल कारण यह है, अध्यक्ष महोदय, वहां पर जंगली जानवर हैं। जंगली जानवरों में एक हजार वाइल्ड काउज हैं, आप जानते हैं गाय हैं जो किसी की पकड़ में नहीं आती।

श्री यदुनाथसिंह : नील गाय, रोच...

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं नील गाय अलग है। एक हजार के करीब नील गाय हैं, 800 के करीब चीतल हैं, सौ के करीब सांभर हैं और 90 के करीब काले हिरण हैं। यह सरकारी आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं हैं यह। पशु आस-पास की खेती को नष्ट किया करते थे। भारत सरकार से भी मिले, माननीय राजबहादुरजी जिस समय मन्त्री थे उन्होंने भी इस सम्बन्ध में पैरवी की और यह कहा कि ये जानवर लोगों की खेती नष्ट नहीं कर सकें इसलिए चारों तरफ चारदीवारी लगाई जाय। मैं समझता हूं अगर पत्रावली को देखेंगे तो उसमें यह बात निकलेगी। यह सवाल नहीं था कि चराई को रोका जाय। जैसा कि राजबहादुरजी ने कहा और गोविन्दसिंह जी ने कहा, मैं वह बात दोहराना नहीं चाहता, इस सदन में इन्होंने वक्तव्य दिया, अध्यक्ष महोदय, उस वक्तव्य में इन्होंने खुद स्वीकार किया कि यदि वह जानवर वहां नहीं चरेंगे तो उनका गोबर नहीं होगा और गोबर नहीं होगा तो घास वहां बिल्कुल खतम हो जायगी। यदि आप चाहें तो मैं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

एक मिनट में इनका खुद का वक्तव्य सुना दूं ताकि इनको जानकारी हो जाय। एक विशेषता है, विशेषज्ञ हैं इस बात के, जिस विभाग के मन्त्री भी हैं इन्होंने यह कहा है, माननीय यदुनाथसिंहजी ने जो प्रश्न पूछा उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि गत विधान सभा के समय जो विभाग द्वारा चराई बन्द करने का प्रयत्न किया तो वहां विभाग के कर्मचारी और पशु-पालकों में आपस में मुठभेड़ हुई। कलेक्टर ने अपने स्तर पर 24 तारीख तक उनको चराई की अनुमति दी, बाद में मुझे यह सूचना प्राप्त हुई। यहां भी विधान सभा में भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव के जरिये इस बात को उठाया, उसमें खास तौर से जो मुद्दे की बात थी वहां एक सहारा घास पैदा होती है। "यह मैं नहीं कह रहा हूं आप बोल रहे हैं, "वहां एक सहारा घास पैदा होती है जो बाहर से आने वाले पशुओं का मुख्य आहार है। यह सहारा घास पशुओं के गोबर से पैदा होती है। अगर पशु वहां नहीं चरेंगे तो सहारा घास पैदा नहीं होगी।" अध्यक्ष महोदय, जब सरकार की यह मान्यता है, यह मेरी मान्यता नहीं है, आपने जो कुछ भी कहा बड़ी एक्सपर्ट ओपीनियन के आधार पर कहा होगा। बाकी चिड़ियों से आपको मतलब नहीं, मुझे मतलब नहीं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मेरी निजी नालेज से कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : निजी नालेज से तो आप कह तो नहीं सकते।

एक माननीय सदस्य : आपने क्या कहा था जानवर कैसे जा रहे हैं, उस टाइम वह भी पढ़ें।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, निजी बात तो मन्त्री के नाते सदन में कही नहीं जा सकती। निजी बात नहीं कही है यह राज्य मंत्री के रूप में बोले हैं।

श्री गोविंद सिंह गुर्जर : राज्य मंत्री के रूप में मैंने इस संदर्भ में कहा था कि जो घास पैदा होती है वह गोबर से पैदा होती है। पशु चरते हैं उनके गोबर से पैदा होती है, यह मेरी जानकारी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यही तो मैं कह रहा हूं।

श्री गोविंद सिंह गुर्जर: मैं आपको जवाब दूंगा और बता दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं जवाब तो मुख्य मंत्री जी देंगे। आपको तो मौका ही नहीं मिलेगा।

मैं यह निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, मैं जो कह रहा था इन्होंने उसको ताईद कर दी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पशु नहीं चरेंगे तो गोबर कहां से आयेगा। मतलब गोबर गैस, मंत्री जी को कहेंगे गोबर लाओ।

श्री गोविंद सिंह गुर्जर : नहीं, वहां और भी जानवर हैं। उसमें और भी जानवर रहते हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह गोबर ट्रांसपोर्ट करने में करोड़ों रुपया और खर्च करेंगे।

श्री गोविंदसिंह गुर्जर : विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने खुद बड़ी सूची पढ़ कर सुनाई है इतने जानवर उसमें पहले से हैं उनका भी गोबर होता है, नील गाय है व्हाइट गाय हैं, दूसरे हैं . . .

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, फिर घना के लिए गोबर प्रोवाइड करने की योजना में कोई न कोई बात रखी जाय। अगर गोबर की वहां पर व्यवस्था नहीं की गई तो घास नहीं उगेगी और हमारी बर्ड सैंक्च्युरी, जो विश्व में प्रसिद्ध है खत्म हो जायेगी। मुख्य मंत्रीजी, आप कोई मन्त्री गोबर वहां ले जाने के लिये नियुक्त कर दें तो कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं यह निवेदन कर रहा था कि मन्त्री महोदय क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते हैं। मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूं; अध्यक्ष महोदय, शायद आपको जानकारी होगी कि राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के बाद और पहले वहां पर जानवर चराने के परमिट दिये गये?

श्री राजबहादुर : घोषित ही नहीं हुआ साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो भी हो, आप यह कहते हैं; घोषणा 2309 पशुओं की चराई के परमिट दिये गये। मैं आपसे यह आज निवेदन करना चाहता हूं किसी का भी परमिट कैन्सिल करने से पहले कम से कम उनसे तो कहेंगे कि तुम मवेशी नहीं ला सकते। वहां तो एक हजार मवेशी गये हुए थे आपने तो 2304 मवेशियों के सम्बन्ध में वहां पर आपने दे रखे थे परमिट। वह यदि अपने परमिट परमिशन से चराने गये तो इसमें आपत्ति कौनसी हो गई?

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहना चाहूंगा, मुख्य मन्त्रीजी अच्छी तरह से सुन लें, मुझे लगा है कांग्रेस के माननीय सदस्य जिस प्रकार से बोले हैं आप ज्यूडिशियल इन्क्वायरी की घोषणा कर देंगे। मैं अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं, ज्यूडिशियल इन्क्वायरी से काम नहीं चलेगा। इस मामले में तो क्लियर कट लोगों ने मर्डर किया, मर्डर के केसेज रजिस्टर होने चाहियें और बाबूजी ने जैसा कहा, मैं किसी आदमी को इन्क्वायरी के बिना सजा नहीं दिलाना चाहता, केस रजिस्टर होने के बाद जो इन्वेस्टीगेशन होगा, इसमें जो दोषी पाये जाते हैं उनका चालान होगा। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं ज्युडिशियल इन्क्वायरी कराने का मतलब है। आप फिर सारे मामले को वाश आउट करना चाहते हैं। कोई इन्क्वायरी से परिणाम निकलने वाला नहीं है, जो घायल हो गये उनको ट्रोली में ले जाकर मारा, मरने के लिए मजबूर किया। जिन लोगों पर गोलियां चलाई यह तो क्लियर कट मर्डर का केस है। इस मर्डर के केस को रजिस्टर कराया जाय और इनका चालान कराया जाय। मैं समझता हूं यही एक व्यवस्था है। अन्त में मैं चाहूंगा, आप एक बार आधापुर चलें और आधापुर की फौज को देखें। उस फौज को देखने के बाद में आपको अपने आप ही विश्वास हो जायेगा कि वह फौज गोली चलाने वाली नहीं है, यह फौज हथियार उठाने वाली नहीं है। आप एक बार अपनी आंखों से तो देख लें। खुद जाकर देखना नहीं चाहें,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अध्यक्ष महोदय, तो जो मृतकों के परिवार हैं उनके फोटो हैं मेरे पास, वह फोटो मुख्य मंत्रीजी देख लें। इनमें से कोई आदमी ऐसा है जो गोली चला सकता है, कौन आदमी ऐसा है जो पुलिस के डर से भाग सकता है या पुलिस को डरा सकता है, पुलिस को भगा सकता है।

मैं अन्त में, यही कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, यह मसला छोटा नहीं। मुख्य मन्त्रीजी पशुपालकों के प्रति आपका जो दुराग्रह है उस दुराग्रह को छोड़िये और मुख्य मन्त्री जी की हैसियत में इस बात का निर्णय करिये कि जिन लोगों ने गोलियां चलाई जो निरपराध मारे गये, मरने के लिये जिनको मजबूर किया गांव में, मन्दिर में घर में जिस तरह से लोगों को जाकर पीटा उन सबका प्रोसीक्यूशन होना चाहिये। उनका प्रोसीक्यूशन करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। मेरी यह मान्यता है कि पुलिस यदि चाहती तो गोली नहीं चलती। मेरी यह भी मान्यता है कि पुलिस को गोली चलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पुलिस यदि थोड़ी सी दूर पीछे हट भी जाती तो समस्या का समाधान हो जाता और शान्ति हो जाती। कोई कारण नहीं था, अध्यक्ष महोदय, वहां पर गोली चले। इस आधार पर कहना चाहूंगा कि आप उन्हीं लोगों को वहां रखे हुए हैं जिन्होंने गोलियां चलाई। शंकरन की नियुक्ति कर दी, उनसे आप इन्क्वायरी करा रहे हैं। वह लोग सबको डरा रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, आज भी लोगों में आतंक है इसलिये जो प्राइवेट इस्तगासे किये हैं उसमें गवाह देने के लिए नहीं जायेंगे। मुख्य मन्त्रीजी चरागाह का इन्तजाम कर रहे हैं। क्या चरागाह का इन्तजाम कर रहे हैं? आत्मासिंहजी की जमीन थी लेकिन उसको एक्वायर करो, एक्वायर करने के बाद में चरागाह के लिए उस जमीन को छोड़ो। अध्यक्ष महोदय, इससे मुख्य मन्त्री की हीन भावना का पता लगता है। मुख्य मन्त्री की इस भावना का पता लगता है कि आत्मासिंह इनकी पार्टी का नहीं, पार्टी विरोधी है इसलिये पहले तो इसको पिटवाओ, इसकी दाढ़ी में आग लगवाओ। इसके ऊपर झूठा आर्म्स एक्ट का मुकद्दमा बनाओ, जो कुछ इसका जरिया है उस जमीन का चालान करके उस जमीन के ऊपर कब्जा कराओ। मुख्य मन्त्रीजी, मैं कहना चाहता हूं घना क्षेत्र के बारे में बाबूजी और ये दोनों तो ज्यादा एक्सपर्ट हैं, मैं कह नहीं सकता, 11 स्क्वायर किलोमीटर का ऐसा हिस्सा है जिसमें मवेशी एक भी नहीं है ...

श्री यदुनाथसिंह : जानवर ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जानवर ही नहीं है। एक जानवर नहीं है। क्या 11 स्क्वायर मील के अन्दर जानवर को चरने की अनुमति नहीं दी जा सकती। आपने कहा, डिपो खुलवा दिये गये, डिपो में क्या, अध्यक्ष महोदय, आप और हम गाय भैंस ...

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : पुरानी घास है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तूड़े का ढेर लगा दिया कि वह खायें। वह क्या खायें। 22 गांव हैं जिनके सामने यह समस्या खड़ी हुई है। 22 के 22 गांव उजड़ गये। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी से कि उनकी चराई की व्यवस्था कराओ।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अभी जैसा माननीय सदस्य भैरोंसिंह जी ने कहा कि जनसंघ और आर. एस. एस. सरकार मिला हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में यह नहीं आता। यह चार्ज यदि पार्टी मीटिंग में वह लगाते तो अच्छा होता। यह हाउस में नहीं लगाना चाहिए। पार्टी मीटिंग में यह हथियार उनका प्रभावी हो सकता है। वहां पर यह भी कह सकते हैं कि मुख्य मंत्री और भैरोंसिंह जी मिले हुए हैं। वहां तो यह भी कह सकते है कि वास्तव में मुख्य मंत्री और यह दोनो मिलकर काम करते हैं, लेकिन सत्य क्या है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। इस बात को इस हाउस में कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हाउस में इसे कह कर इस बात को हल्का किया है। इस गम्भीर प्रश्न के ऊपर राजनैतिक दावपेंच खेल कर इसकी गम्भीरता को इन्होंने खतम किया है। मुख्य मंत्री जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप उठें, जो वास्तविकता है उसको परखें और वास्तविकता के आधार पर घोषणा करें। यह काण्ड केवल भरतपुर का नहीं, भरतपुर में पहले गोलीकाण्ड हो गया आपने कोई व्यवस्था नहीं की। दूसरा गोली-काण्ड हुआ लेकिन कोई व्यवस्था नहीं की। जितनी भी इस तरह की घटनायें हुई उनकी जांच करा कर आपने सदन की मेज पर जांच रिपोर्ट नहीं रखी। मैं कहना चाहता हूं कि जो दोषी है, जिन लोगों ने मर्डर किया है, उन मर्डरर का चालान करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड होना चाहिये और उनका प्रासीक्यूशन होना चाहिए। वरना तो मैं समझूंगा कि आप उन लोगों के ऐसे चक्कर में फंस गये हैं कि बाहर निकलने की आपमें कोई ताकत नहीं है। नहीं है, तो फिर दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। उस रास्ते को अपनाने के लिए मुख्य मन्त्रीजी इस सदन को मजबूर नहीं करें। इस सदन की भावनाओं को आपने देख लिया। इस पक्ष से भी बोले, उस पक्ष से भी बोले किसी ने सरकारी अधिकारियों की प्रशंसा नहीं की, किसी ने सरकार के कदम की सराहना नहीं की। मैं समझता था कि हरिसिंह जी कुछ कह जाते लेकिन उनकी आत्मा और जगनसिंह की आत्मा है। इन दोनों व्यक्तियों ने मौके पर जाकर घटना को देखा है। इन्होंने घटना का जिस प्रकार विवरण दिया है उसके बाद में कोई आधार नहीं है जुडिशियल इन्क्वायरी का। मैं इस-लिए निवेदन करना चाहता हूं कि उनके खिलाफ केस रजिस्टर करवाये जायं और उनके चालान करवाये जायं। यही इस सारी समस्या का समाधान है। यदि आप इसका समाधान करना चाहते हैं ऐसे तो तुरन्त घोषणा करिये ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ केस रजिस्टर किये जाकर इन्वेस्टीगेशन की जाय।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : मुख्य मंत्री जी जवाब क्यों नहीं देते हैं। हम नहीं सुनना चाहते आपको।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें।

श्री कैलाश मेघवाल : आप स्वयं दीजिये इसका जवाब। यह क्या बात है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मन्त्री) : बहुत सी जानकारी जो यहां माननीय सदस्यों द्वारा चाही गई थी उनकी तथ्यात्मक जान-कारी पहले वन मन्त्री जी दे देते उसके बाद

(श्री शिवचरण माथुर)

मैं आपसे निवेदन करता । इसलिए मैंने उनको बोलने के लिए निवेदन किया है । मैं समझता हूं, बहुत सी बातों का आपने यहां जिक्र किया है उनका उत्तर अगर उनके बयान में आ जाये तो · · ·

श्री यदुनाथसिंह : आपको घटना का पता नहीं है । हम इनका जवाब नहीं सुनेंगे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मन्त्री जी ने एक तो बात स्वीकार की कि इनको तथ्यात्मक जानकारी नहीं है । यही बात कही न आपने ? अध्यक्ष महोदय, जिस मुख्य मन्त्री को तथ्यात्मक जानकारी नहीं है वह मुख्य मन्त्री राज्य मन्त्री के भाषण सुनने के लिए नहीं बैठे है ।

श्री शिवचरण माथुर: He is competent to reply.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : Certainly he is competent, but we would like to hear the chief minister. अध्यक्ष महोदय, चीफ मिनिस्टर इग्नोरेंस शो करता है । चीफ मिनिस्टर को तथ्यात्मक जानकारी नहीं होना इस बात का द्योतक है कि जो कुछ इस सदन में बैठे हुए माननीय सदस्यों ने प्रशासन पर चार्ज लगाये वह सही हैं । मुख्य मंत्री जी लीपापोती करना चाहते हैं ।

श्री शिवचरण माथुर : यह आप मान सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: मान नहीं सकते यह आपने कहा है । प्रोसीडिंग्स गवाह है । इन्होंने कहा है कि तथ्यात्मक जानकारी नहीं है ।

श्री शिवचरण माथुर : मैंने यह नहीं कहा ।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : राजस्थान की जनता आपको सुनना चाहती है । आप बोलें ।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी से मैं कहूंगा कि उनकी सरकार है । स्वयं वह इस वक्त जवाब दें, यह उनका कर्त्तव्य है नैतिक दायित्व ही नहीं बल्कि वैधानिक कर्त्तव्य है । क्योंकि आपकी सरकार है You are heading the Government.

श्री शिवचरण माथुर : मेरी सरकार का प्रतिनिधि ही जवाब दे रहा है । उसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

श्री यदुनाथसिंह : नहीं सुनते ऐसे आदमी की बात । आप बोलिये, जो भी कहना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : वहां 6 आदमी मर गये, राजस्थान का मुख्य मन्त्री चुप है । हत्या के सवाल पर आप चुप हैं । यह सदन के नेता के लिए उचित नहीं है । इस बात का जवाब देना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मन्त्री से, अगर आपको तथ्यों की जानकारी नहीं है, राज्य मंत्री के द्वारा आप तथ्यों की जानकारी दिलवाना चाहते हैं तो जिस तरह से सतही तौर पर आपने कही हुई बात को दोहराया है, इससे सदन में मालूम पड़ गया होगा कि क्या जवाब देंगे । इसलिए, अध्यक्ष महोदय, विषय की

(श्री कैलाश मेघवाल)

गम्भीरता को देखते हुए, 6 आदमियों की हत्या की गम्भीरता को देखते हुए, पशु-पालकों की हत्या की गम्भीरता को देखते हुए, राजस्थान के मुख्य मंत्री को, इस सदन के नेता को बोलना चाहिए।

श्री शिवचरण माथुर : मेरी समझ में एक बात नहीं आती, आप घटनाओं के बारे में सरकार का उत्तर चाहते हैं · · ·

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सरकार ने हत्या की है। आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं। इतने बड़े इलाके में इतनी बड़ी हत्या हो जाये और मुख्य मंत्री बोलें नहीं, वहां जायें नहीं। नारायणपुर में प्रधान मंत्री गई थीं। आपको क्या हो गया है? आप क्यों नहीं जाते ?

श्री शिवचरण माथुर : जो भी वन राज्य मंत्री जी कहेंगे वह राज्य सरकार की तरफ से जवाब होगा। मैं समझता हूं कि आप सुनें इसको · · ·

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : हम नहीं सुनते, आपको जानकारी नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय सात नवम्बर, 1982 को जो भरतपुर में घटना घटी उसका हम सबको दुःख है।

श्री यदुनाथसिंह : आज पहली बार।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। शान्ति से सुनें, उत्तर आने दें।

श्री शिवचरण माथुर : कोई भी सरकार उस घटना को उचित नहीं ठहरा सकती। लेकिन प्रश्न यह है कि घटना के पीछे जो आधार उपस्थित हुआ उसकी पूरी जांच किये बिना उसकी पूरी जानकारी किये बिना, यदि कोई कदम उठा लिया जाये तो उसका क्या परिणाम होगा। केवल यह प्रश्न है।

यहां पर इस बहस में माननीय सदस्यों ने जो भाग लिया उसमें सबसे पहली बात यह कही गई कि घना अभयारण्य को नेशनल पार्क घोषित करने के लिए जो कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए थी वह कानूनी प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया। एक्ट के कुछ प्रावधान भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री राजबहादुर जी ने पढ़ कर सुनाये। मैं उनकी जानकारी के लिए और सदन की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि घना अभयारण्य को नेशनल पार्क घोषित करने के लिए जो कुछ आवश्यक कार्यवाही होनी चाहिए थी वह सब पूरी की गई है · · ·

श्री राजबहादुर : मैं इन्टरवीन करूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53) की धारा 35 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उक्त क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित करने के आशय की घोषणा अधिसूचना सं एफ 7 3/5/9 राजस्थान सरकार 8/72 दिनांक 10-3-81 द्वारा की गयी जो कि राजस्थान राजपत्र में दिनांक 2-4-1981 की जिल्द

(118)

(श्री शिवचरण माथुर)

33 के अंक 1 के भाग (ख) पृष्ठ संख्या 19'17) पर प्रकाशित की गयी। यह पहली अधिसूचना थी जो गवर्नमेंट गजट में पब्लिश हुई। उसके अनुसार भरतपुर के कलेक्टर को यह कहा गया कि जो भी क्षेत्र प्रभावित हो, इससे जो भी व्यक्ति प्रभावित हो उनसे आपत्ति मंगा ली जावे और आपत्ति देने के लिये दो महीने की अवधि निर्धारित की गयी थी। यह सभी कार्यवाही पूरी तरह की गयी। इसके लिये जो भी ग्राम पंचायतें थीं उनके नोटिस बोर्ड पर यह सूचना चिपकाई गयी। सभी को इत्तला कर दी गयी। इसमें यह चाहा गया, अध्यक्ष महोदय, अगर किसी भी व्यक्ति को कोई आब्जेक्शन हो या कोई आपत्ति देनी हो तो वह दो महीने की अवधि में अपनी आपत्ति पेश कर सकता है। पर, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि इस दो महीने की अवधि में किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति नहीं की। राज्य सरकार के पास कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के बाद राजस्थान सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन दिनांक 26-8-1981 को अंतिम रूप से प्रकाशित कराया गया जिसमें यह कहा गया कि घना का क्षेत्र नेशनल पार्क डिक्लेअर कर दिया गया है। इसमें चराई बन्द करने की घोषणा की गयी। अध्यक्ष महोदय, फिर यहां पर यह बात जो कही गयी कि कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी, वह गलत है। सभी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया को फोलो किया गया है। यहां पर जो कानूनी प्रक्रिया फोलो नहीं करने की बात कही गयी है वह तथ्यों से परे है। सरकार ने कानूनी रूप से ....

श्री राजबहादुर : सर्वेश्चन।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण रूप से प्रासीजर को फोलो किया गया था। सम्पूर्ण रूप से प्रासीजर फोलो करने के बाद में वहां पर चरागाह की चराई बन्द की गयी। लोगों को आगाह किया गया, लोगों को सूचित किया गया, अध्यक्ष महोदय, घना का क्षेत्र नेशनल पार्क डिक्लेअर करने के कारण चराई बन्द कर दी गयी है। इसके बाद में दिनांक 26-8-1981 को नोटिफिकेशन के बाद लोगों को लगातार यह कहा जाता रहा है कि यहां पर चराई बन्द हो गयी है। आप धीरे-धीरे अपनी वैकल्पिक व्यवस्था कर लें क्योंकि यह एक नेशनल पार्क डिक्लेअर हो गया है। भरतपुर के महत्व को देखते हुए भरतपुर की इम्पार्टेन्स को देखते हुए मैं समझता हूं कि यहां पर किसी भी माननीय सदस्य ने इससे इन्कार नहीं किया। घना को नेशनल पार्क डिक्लेअर करने से घना का राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महत्व बढ़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राजस्थान का एक निवासी होने के नाते और राजस्थान में जिस जिम्मेदारी के पद के ऊपर बैठा हूं उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भरतपुर के नेशनल पार्क का दुनिया में जितना महत्व है, वह न केवल हिन्दुस्तान में बल्कि दुनिया के चारों कोनों में अलग-अलग जगह बढ़ा है। अध्यक्ष महोदय, अलग-अलग जगह पर जहां-जहां इन्टरनेशनल सेमीनार हुई हैं वन्य जीवों के बारे में वहां पर दुनिया भर में भरतपुर का नाम हुआ है। भरतपुर की नेशनल बर्ड

(श्री शिवचरण माथुर)

सैंक्चुअरी का दुनिया भर में नाम हुआ है। अभी, अध्यक्ष महोदय, भरतपुर में एक सेमीनार हुई उसमें यह कहा गया है कि भरतपुर की बर्ड सैंक्चुअरी में हैवी डैक है, वहां पर जिस प्रकार की व्यवस्था है उसको सारी दुनिया में सराहा गया है। अध्यक्ष महोदय, भरपुतर में जो गेम्स सक्चुअरी है उसकी स्थिति को देखते हुए एक आर्थिक आधार भरतपुर के लिए बन रहा है। वह टूरिज्म की एक बहुत अच्छी जगह हो गई है जो आमदनी का एक बहुत अच्छा सोर्स भरतपुर के लिए हो सकती है। मैं समझता हूं कि इसके लिए किसी भी माननीय सदस्य द्वारा इन्कार नहीं किया जा सकता है। हम सभी लोग घना की सैंक्चुअरी का महत्व समझते हैं। घना सैंक्चुअरी को नेशनल पार्क घोषित किया है। आज सारी दुनिया में इसका स्थान है। तो मैं समझता हूं कि कोई भी कार्यवाही जो सरकार के द्वारा की गई है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर,आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो कार्यवाही की है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें। आर्डर, आर्डर। शांति से सुनिये।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य। कृपया शांत रहें।

श्री शिवचरण माथुर : तो, अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो कार्यवाही की है वह बिलकुल सही की है। घना को नेशनल पार्क डिक्लेअर करने के बाद भरतपुर का महत्व बढ़ा है दुनिया में इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो पहली बात यहां पर जो कही गई कि सरकार ने कानूनन कोई काम नहीं किया, यह तथ्यों से परे है। सारी कार्यवाही कानूनी आधार पर की गई है। उसी आधार पर चराई रोकने की बात की गई, कानूनी तरीके से अधिसूचना जारी की गई।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : क्वेश्चन।

श्री शिवचरण माथुर : बाबूजी, आप मुझे बोलने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री नाथूसिंह : घना में चराई बन्द करने के आदेश कब दिये? किसी ने आदेश नहीं दिये।

श्री शिवचरण माथुर : जहां तक यह बात कही गयी कि सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि...

श्री अध्यक्ष : आप तो टैक्निकल बात बताइये। फायरिंग वाली बात बताइये, समय काफी हो गया है।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं तो आधार बता रहा था। अब सवाल

(श्री शिवचरण माथुर)

हुआ उस घटना के पहले लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिये कहा गया था पर वह लोगों के द्वारा नहीं की गयी थी। यह कहा कि कोई सूचना नहीं दी गयी थी। मैं आपकी जानकारी के लिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि दिनांक 2 को वहां पर मीटिंग हुई और • • •

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, बीच में बाधा नहीं डालें। आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर। आप बाधा नहीं डालें।

श्री डाऊदयाल जोशी (कोटा) : आप उन लोगों की वकालत करते हैं। अगर आपके बच्चों को मारा जाय, आपकी औरतों को मारा जाय तो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष ; आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज। आप, माननीय सदस्य, कृपया बैठ जावें। कृपया शान्त रहें। मुख्य मन्त्री जी उत्तर दे रहे हैं।

श्री यदुनाथसिंह : यह गलत कह रहे हैं। हम गलत बात नहीं सुनना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर। माननीय सदस्य, अगर कोई सूचना मुख्य मन्त्रीजी गलत दे रहे हैं तो आप उसको रिफ्यूट कर सकते हैं। उसका भी एक तरीका है। यह वाद-विवाद करने का कौनसा तरीका है। जब आपके नेता और आपके दल के माननीय सदस्य बोल रहे थे तो इधर के माननीय सदस्य इधर बैठे बैठे सुन रहे थे।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर प्लीज। आपको भी सुनना चाहिये। अपनी अपनी बात यथासम्भव कारगर ढंग से रखने की हर व्यक्ति कोशिश करता है। आप सुनिये। उसके बाद जो कुछ भी इस सम्बंध में निर्णय होगा वह होगा।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कई पैम्फलेट बंटवाये गये उनको पढ़ कर सुना रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : यह तो बाद में छपे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री शिवचरण माथुर : आम सूचना आम सूचना। यह सभी को सूचित किया जाता है कि···

(व्यवधान)

आम सूचनार्थ सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि घना पक्षी विहार को राज्य सरकार द्वारा आदेश संख्या सच एण्ड सच वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53) के अधीन प्रदत्त

(श्री शिवचरण माथुर)

शक्तियों का प्रयोग करते हुए केवलादेव पक्षी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में 1 जुलाई, 1981 से केवलादेव पक्षी राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में समस्त मवेशी चराई एवं अनधिकृत प्रवेश बन्द किया जा रहा है। अतः समस्त ग्रामवासीयान जो कि राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्रों से लगे हुए हैं, दिनांक 1 जुलाई, 1981 से अपने मवेशी इस राष्ट्रीय उद्यान में चराई हेतु न लायें। यह पहली सूचना है, अध्यक्ष महोदय।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह कौनसी तारीख की है। इसमें तारीख तो कोई होगी। अध्यक्ष महोदय, बाद में छपे हुए पढ़ रहे हैं।

श्री शिवचरण माथुर : यह सूचना नोटिफिकेशन के बाद की है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : इसमें तारीख नहीं है। अध्यक्ष महोदय, बाद में छापी गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय फर्जी कागज पढ़ रहे हैं। आन एपाइन्ट ऑफ आर्डर। यह कोई अधिकृत डाक्यूमेंट नहीं है जो रेफर कर रहे हैं। यह तो बाद में छापा गया है। आप तो प्रेस का नाम बतायें। कौनसी तारीख को छपा है?

श्री शिवचरण माथुर : प्रेस का नाम नाथ प्रिन्टर्स है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : तारीख बता दें।

श्री अध्यक्ष : तारीख नहीं है। यह मान ले इसमें तारीख नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : आप यह तो मानते हैं कि गजट नोटिफिकेशन हुआ वह तो सही है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उसके लिए हमने माना है। 2-4-1981 को हुआ है।

श्री शिवचरण माथुर : वही सूचना है ना।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज। सब तथ्य सामने हैं। मैं समझता हूं, इस प्रश्न के ऊपर सब बातें मैंने भी ध्यान से सुनी, पूरी चर्चा सुनी, नोटिस भी निकाल दिये, बन्द भी कर दिया, गांव वालों ने कानून भी तोड़ दिया। लेकिन जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा, उसके बाद भी क्या यह आवश्यक था कि पुलिस इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना ले? क्या ऐसी स्थिति आ गयी थी जो फायरिंग की स्थिति हो? दो तरह के बल हैं सरकार के पास, एक नागरिक बल है जिसको पुलिस फोर्स बोलते हैं और दूसरी मिलिट्री फोर्स होती है। मिलिट्री फोर्स में छोटे से छोटा हथियार बंदूक होता है जिसको मिलिट्री काम में लेती है। ज्यों ही कोई खतरा पैदा हो मिलिट्री बन्दूक को काम में लेती है। पुलिस फोर्स के अन्दर जो कमर के बांधने का पट्टा और ढोल होता है उससे लगाकर राइफल तक काम में आती है। कभी डंडा काम में आता है, कभी घोड़ों को दौड़ा कर लोगों को बिखेरने की कोशिश करते हैं। जब स्थिति बेकाबू हो जाय, उपद्रव ज्यादा हो जाय तो उस समय दूसरा कानून लागू करके फोर्स को काम में लेते हैं। यह नीति का प्रश्न है। जो चर्चा हुई और जो माननीय सदस्यों ने कहा,

(122)

(श्री अध्यक्ष)

मान लें कि गांव वालों ने नासमझी करके कानून तोड़ करके अन्दर प्रवेश करा दिया। यही बात है ना? तो उसके बाद में पुलिस आत्म रक्षा के लिये गोली चलाती है। पुलिस का वैसे कोई अधिकार नहीं है। अधिकार केवल एक स्थिति में है, उनको यह डर हो कि उनको संगीन चोटें आ जायेंगी अथवा कोई व्यक्ति मर जायेगा या कोई उनके पास और आर्म्स हैं तो आर्म्स को छीन सकते हैं या इस तरह के घेरे में या इस तरह के कोने में आ गये कि उनको यह अन्देशा हो गया था। तो विचारणीय विषय जो होगा यह होगा कि क्या वहां ऐसी स्थिति थी कि पुलिस को वहां से विथड्रा करने का, हटाने का कोई रास्ता नहीं था और सिवाय इसके कोई विकल्प नहीं था कि वह गोली चलाती? इस मुद्दे पर आप कह दें, नोटीफिकेशन हुआ है, कानून का पालन हुआ है, यह हुआ है वह हुआ है इनको छोड़ दें।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, जब आपने फर्मा दिया तो मैं समझता हूं कि मुझे बहुत अधिक भूमिका में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले इस घटना के बाद में कलेक्टर ने एक मजिस्ट्रीयल इन्क्वायरी के आर्डर किये। उसके बाद में यह बात आई कि मजिस्ट्रीयल इन्क्वायरी काफी नहीं है तो राज्य सरकार ने एक रेवेन्यू बोर्ड के मैम्बर द्वारा इन्क्वायरी कराने का आर्डर निकाला। उसमें खास तौर से जो टर्म्स एण्ड रेफरेन्सेस थे वह मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपने जो पूछा उसका जवाब नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : उसी पर आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आने दीजिए उत्तर। आर्डर, आर्डर।

श्री शिवचरण माथुर : आपने यहां पर जिक्र किया...

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि इस संबंध में नीति क्या है सरकार की? दो विकल्प हैं एक तो पुलिस बल में प्रतिष्ठा का प्रश्न है, थोड़ी चोटें आने का भी प्रश्न है। दूसरे यह है कि एक इंच भी हमको पीछे नहीं हटना है क्योंकि उन्होंने हमला कर दिया है, उन्होंने कानून तोड़ा है इसलिए मैक्सीमम फोर्स काम में ले सकते हैं। इसके बारे में क्या नीति है? जो नीति है उसके अनुसार यह ठीक हुआ या गलत हुआ, इसका जवाब दे दें, किस्सा खतम।

श्री शिवचरण माथुर : मैं इसलिए कह रहा हूं। वहां पर पुलिस का कहना है कि हमने सैल्फ डिफेन्स में गोली चलाई। अब उसकी इन्क्वायरी करने के लिए हमने इस बात को मानते हुए कि सैल्फ डिफेन्स में

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री शिवचरण माथुर : जो उन्होंने कहा वह बात सच है या नहीं इसकी जानकारी करने के लिए जो हमने टर्म्स एण्ड रेफरेन्स में बात रखी हैं उसको मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :

"Circumstances leading to firing by police"...

श्री अध्यक्ष : What do you think as a Head of the Government ?

मान लीजिए कि आपके सामने यह घटना गुजर रही है । एक तरफ भीड़ है, नादान लोग हैं और पुलिस को भागने का रास्ता है और बल काम में लेने की आवश्यकता नहीं है तो भागना पसन्द करेगी या प्रतिष्ठा का सवाल आ जायेगा कि नहीं इधर पब्लिक है, इसने कानून तोड़ दिया, यह कर दिया इसलिए हम तो गोली चलायेंगे। उसमें से आप कौनसा पसन्द करेंगे ? गवर्नमेंट की क्या नीति होगी ?

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं वहां मौजूद था नहीं···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गये क्यों नहीं ?

श्री शिवचरण माथुर: और जाता तो भी जानकारी नहीं कर सकता था··

श्री अध्यक्ष : नीति इसमें क्या होगी ? आप तो इसमें नीति बता दीजिए कि आप क्या करते ?

श्री शिवचरण माथुर : मैं इस बात को निश्चित रूप से मानता हूं कि जब तक बिलकुल आवश्यक नहीं हो जाये पुलिस को बल प्रयोग नहीं करना चाहिए। बल प्रयोग करने का भी एक आधार होना चाहिए, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। लेकिन प्रश्न तो यह है कि जानकारी करने के लिए कोई प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी । मैं वहां था नहीं । अगर मैं जाता भी तो घटना के बाद में ही जाने वाली बात आती है। उस समय जाने का सवाल नहीं है। इसलिए बिना मौके पर हुए और बिना जाने हुए अगर कोई एक्शन आर्डर कर दिया जाये तो उसका क्या परिणाम होगा, अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं। इसलिए मैं सिद्धान्ततः इस बात को स्वीकार करता हूं कि पुलिस को जब तक बिलकुल अत्यन्त आवश्यक नहीं हो जाये सेल्फ डिफेन्स में तब तक इस प्रकार का बल प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह बहुत स्पष्ट बात है। इसको मैं स्वीकार करता हूं। ······

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो इस घटना के बारे में बता दीजिए ।

श्री शिवचरण माथुर : अब सवाल यह है कि पुलिस के बल प्रयोग करते समय कैसी घटना घटी, क्या आवश्यकता थी। इसी बात की जानकारी करने के लिए पहले एक मजिस्ट्रीयल इन्क्वायरी आर्डर की गयी । उसके बाद में समझा गया कि मजिस्ट्रीयल इन्क्वायरी उपयुक्त नहीं है और लोग सन्तुष्ट नहीं होंगे इसलिए हमने एक बहुत बड़े सीनियर आफिसर को नियुक्त किया। मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, जिस व्यक्ति को हमने नियुक्त किया उनकी निष्पक्षता के बारे में राजस्थान में एक छाप है। यहां तक कि जब आपकी सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार, तब भी एक एक फायरिंग हुआ था······

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इर्रेलेवेन्ट। आप हैड आफ दी स्टेट होने के नाते ऐसी बात करते हैं······.

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री·

(श्री अध्यक्ष)

यदुनाथसिंह जी, इस तरह का बर्ताव नहीं करें। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

कृपया बैठ जायें, माननीय सदस्य !

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन) : रोल में 24-4-81 को फायरिंग हुआ दो आदमी मरे, दो घायल हुए तब शंकरन को लगाया...

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (हारची) : आपने किसी को सस्पेण्ड किया, एक को भी...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बिराज जायें। मुख्य मंत्रीजी ..

श्री भैरूंसिंह गुर्जर: इन्क्वायरी, इन्क्वायरी। किसी को सस्पेण्ड किया क्या, यह बताइये, एक को भी सस्पेण्ड किया। आपको जानकारी नहीं, आप बीच में खड़े हो गए। एक को भी सस्पेण्ड कराया क्या ? इन्क्वायरी इन्क्वायरी, इन्क्वायरी। सस्पेण्ड किया क्या किसी को ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराज जायें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : खून खराबा हो गया और सस्पेण्ड एक भी नहीं हुआ। इन्क्वायरी चल रही है, इन्क्वायरी चल रही है। क्या होता है इन्क्वायरी से।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुख्य मंत्री जी वक्तव्य दे रहे हैं। कृपया शांति से सुनिये।

(व्यवधान)

अब आपके मन चाहे ढंग से तो...

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : यह चाहें कि जो यह चाहते हैं वह मैं कह दूं। वह तो मैं कभी कहूंगा नहीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री अहमद बक्श सिंधी (विधि मंत्री) : और आप बाधा डालेंगे तो हम भी आपको बोलने नहीं देंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें।

श्री शिवचरण माथुर : या तो आप यह व्यवस्था कर दें कि मैं बोलूं उसके बाद ही कोई बात कहना चाहें तो कहें...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बीच में व्यवधान न डालें। नहीं तो मैं तत्काल मुख्य मंत्री जी का भाषण समाप्त कर दूंगा और अगला कार्य जो सूची में है उसको ले लूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मुख्य मंत्री जी को ही समाप्त करो ना, भाषण क्यों समाप्त कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

(व्यवधान)

अब मैं यह मान कर चलूं कि मुख्य मंत्री जी जो कहना चाहते हैं उसको आप सुनने को तैयार नहीं। तो मैं समाप्त करा देता हूं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जवाब तो दे दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य,जवाब दे रहे हैं। आर्डर प्लीज। धीरज रखिये। जवाब सुन लीजिए शांति से। यह क्या तरीका है कि अपनी बात तो कह दें और सरकारी पक्ष से कहा जाये तो उसमें बाधा पैदा कर दें, विघ्न डालें।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, इससे आपको सरकार की नीति का अन्दाजा लग जाता है। मैं कह रहा था। आपने कहा था कि एक स्टेट के हैड होने के नाते क्या महसूस करता हूं इसलिए मैं पढ़ कर आपकी अनुमति से सुनना चाहता हूं।

(i) Circumstances leading to firing by the Police at Aghapur near Kevladev National Park Ghana Bird Sanctuary.

(ii) Extent of firing—Extent of firing used by Police was justified ?

(iii) Role of Police and district administration...

हमने रोल आफ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन्क्वायरी का एक मुद्दा बनाया है...

(iii) Role of Police and district administration and maintenance of the law and order in the context of the incident.

(iv) Measures necessary to prevent recurrence of such incidents.

मैं समझता हूं इन चार के अलावा और कौनसी बात बच गई।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : जहां तक नीति का सवाल है, आपने एक बहुत रेलेवेन्ट सवाल रखा है। मैं समझता हूं उसका जवाब मुझे देना चाहिये। कोई भी हैड आफ दी स्टेट के तौर पर, हैड आफ दी गवर्नमेंट के तौर पर यह कभी नहीं चाहता कि इस प्रकार की घटना घटे। मैं यह भी नहीं कहता कि जनता पार्टी के वक्त पर जब 4-5 घटनाएं घटीं उसमें भैरोंसिंह जी की हैड आफ दी स्टेट के तौर पर इच्छा थी या कभी उनका इरादा था लेकिन घटनाएं तो उनके वक्त में भी घटी हैं और कोई एक-

(श्री शिवचरण माथुर)

दो नहीं 4-5 घटनाएं घटी हैं । उस वक्त फायरिंग से 9 आदमियों की डैथ हुई । उस समय भी इन्क्वायरी का आर्डर किया है। उस समय आपने जुडिशियल इन्क्वायरी का आर्डर नहीं किया । उस समय आपने इनिशियल रोल में······

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप मेरे पद चिन्हों पर चल रहे हो, तब तो ये जो कह दें इनका चार्ज सही है ।

(व्यवधान)

मेरे ख्याल से छबड़ा है··· ।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : हमने हाउस कमेटी की मांग की थी ।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने जो सन्तोष प्रकट किया···।

श्री परसराम मदेरणा : जिस समय आप पावर में थे ।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिह गुर्जर : जिन मंत्रियों को जानकारी नहीं है वे कृपया बैठे रहें !

श्री राजबहादुर : जो भुगतने वाला है उसकी पहले सुने । मैं पहली बात जानना चाहता हूं उस घना वन में, सैंक्चुअरी में से कोई जंगल का टुकड़ा चराई के लिये छोड़ेंगे या नहीं···!

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह कह तो दिया है ।

(व्यवधान)

बाधा नहीं, माननीय सदस्यगण ।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैंने राज्य की नीति के सम्बन्ध में, सरकार की नीति के सम्बन्ध में स्पष्ट किया कि हमारी किसी को बचाने की नीयत नहीं है । जब दोष मालूम पड़ जायगा तो सख्त से सख्त पनिशमेंट देने की बात करना चाहता हूं लेकिन जब तक दोषी नहीं पाया जाय तब तक न फांसी पर लटकाने का मुझे अधिकार है और न ही जनतन्त्र में रहने वाले लोगों का है ।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : बचाया जा रहा है ।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, आज जिन माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किये और जो भावनाएं यहां पर दर्शायी गईं, मैं उनको ध्यान में रखते हुए यह घोषणा करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार इस घटना की जांच के लिये एक जज की नियुक्ति करेगी, एक जज को मुकर्रर करेगी, इसकी जांच करवायेगी और उसमें···

(व्यवधान)

हाई कोर्ट के किसी जज को नियुक्त करेगी ।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : पहले हटाइये लोगों को वहां से । वे तंग कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई ।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, चर्चा इस तरह से समाप्त नहीं हो सकती है

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह जुडिशियल इन्क्वायरी की घोषणा की है, मैं मुख्य मंत्री से जानना चाहूंगा . . .

(व्यवधान)

एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवराम।

श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क): इन्क्वायरी के चक्कर में मत डालो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी करना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री को मालूम है कांग्रेस पार्टी के कई सदस्यों ने आज से पहले जुडिशियल इन्क्वायरी की मांग की थी, बाबूजी ने टेलीग्राम दिया। और भी संघर्ष समितियों ने जुडिशियल इन्क्वायरी की मांग की थी। उस समय आपने मांग को स्वीकार नहीं किया। आज कौनसे कारण हैं जिसके कारण आप जुडिशियल इन्क्वायरी की घोषणा कर रहे हो।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : और हम जुडिशियल इन्क्वायरी नहीं चाहते हैं। हम जुडिशियल इन्क्वायरी नहीं चाहते हैं। पहले उनको सस्पेंड किया जाय। फिल्म शूटिंग चल रही है, उस शूटिंग को बन्द कर दिया क्या?

(व्यवधान)

जो वहां पर फिल्म की शूटिंग चल रही है और जो शूटिंग कर रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाय। उनके खिलाफ आप कुछ नहीं कर रहे हो। 15 दिन से घना की ऐसी तैसी करके रख दी है। फिल्म इन्डस्ट्री वालों को गिरफ्तार करो। लोगों पर गोली चला दी और उन फिल्म इन्डस्ट्री वालों के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं . . .

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा समाप्त कर दी गई है, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : हम जुडिशियल इन्क्वायरी नहीं चाहते। हम जुडिशियल इन्क्वायरी नहीं चाहते। हम उनको सस्पेन्ड करने की मांग करना चाहते हैं। उसके बाद इन्क्वायरी हो। पहले सस्पेन्ड हो, उसके बाद इन्क्वायरी हो . . .

(व्यवधान)

श्री जगन्नसिंह : हम तत्काल कार्यवाही चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक घन्टे का समय बच गया है माननीय सदस्य, अब।

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : वे हत्यारे बैठे हुए हैं।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : हमें मेडिकल एण्ड हैल्थ के डाक्टर की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं है। तीन महीने तक क्यों देरी की?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो ।

अनेक माननीय सदस्य : XXX

श्री अध्यक्ष : विधि मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य । विधि मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री राजबहादुर : उनसे पहले मेरी बात सुनिये। पहले मेरी बात सुन लीजिये । मैं उस क्षेत्र का हूं ।

श्री अध्यक्ष : विधि मंत्री जी ।

श्री अहमदबक्श सिंधी : अध्यक्ष महोदय, जब मुख्य मन्त्री जी ने जुडिशियल इन्क्वायरी का एलान कर दिया "...

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : नहीं चाहिये, नहीं चाहिये ।

श्री अहमदबक्स सिंधी : चाहिये, चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विधि मंत्री जी को सुनिये माननीय सदस्य । माननीय सदस्य, बैठ जायें । माननीय तावड़, बैठ जायें । उनकी बात तो पूरा सुनिये न ।

(व्यवधान)

श्री अहमदबक्श सिंधी : जब जुडिशियल इन्क्वायरी का एलान कर दिया गया तो मैरिट के ऊपर जाना बेकार होता है ।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : कोई जुडिशियल इन्क्वायरी नहीं होगी । बेकोर हत्याएं की हैं ।

(व्यवधान)

श्री अहमदबक्श सिंधी : और किसी आदमी को बिना इन्क्वायरी के सजा नहीं दी जा सकती । यह कानून है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो ।

श्री यदुनाथसिंह : XXX

श्री दाऊदयाल जोशी : XXX

श्री राजबहादुर : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य ।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी (जैसलमेर) : XXX

श्री नाथूसिंह : XXX

श्री राजबहादुर : XXX

श्रीमती उजला अरोड़ा : XXX

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : XXX

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य । श्री राजबहादुर शान्त रहें ।

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री राजबहादुर : पहली बात तो यह है कि जो हाई कोर्ट के जज के जरिये से इन्क्वायरी होगी, उस दौरान जिन अफसरों पर यह अभियोग है शुबाह है, जिन आफिसरों के खिलाफ यह शिकायतें हैं. उन आफिसरों को तो कम से कम भरतपुर से तो हटाया जाय। एक दूसरी बात यह कहता हूं कि इन्क्वायरी के बाद भी निकल आया कुछ मान लीजिए लेकिन जो उनकी मुख्य मांग है इस जंगल में से एक टुकड़ा······

श्री अहमदबक्श सिंधी : You are putting the cart before the horse.

श्री राजबहादुर : नहीं नहीं। वह मेरी मांग है।

श्री अध्यक्ष : इस बात की विस्तृत चर्चा नहीं हो सकती। आपने पहले जो बात की है, उस बात पर मुख्य मंत्री जी से पूछ लेते हैं।

एक माननीय सदस्य : स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : पेन्शन देंगे, नौकरी देंगे, चराई का क्या प्रबन्ध होगा, यह उनका···

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री राजबहादुर : और केस विथड्रा करें जो केस चलाये हैं उनके खिलाफ······

श्री अध्यक्ष : वह चर्चा में नहीं आयेगा।

श्री राजबहादुर : ठीक है। अगर आपकी मर्जी है कि यही हो···।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : जुडिशियल इन्क्वायरी की मांग तो वहां की जनता ने भी की थी, संघर्ष समिति ने भी की थी। जो गवर्नमेंट ने जुडिशियल इन्क्वायरी के आर्डर किये हैं, यह सराहनीय कदम है। जुडिशियल इन्क्वायरी तो होनी चाहिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ···और वह बैठे रहेंगे क्या जिन्होंने हत्याएं की हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री राजबहादुर जी ने कुछ कहा है, उसके बारे में···

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। शान्त रहें। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री भैरूसिंह गुर्जर : देवेन्द्र सिंह जी, नहीं जानते तो बैठे रहो आप।

श्री सम्पतराम (खैरथल) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है।

श्री अध्यक्ष : आप उत्तर आने दीजिए।

श्री सम्पतराम : नहीं साहब, वह भी साथ में ही दे देंगे। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन···

श्री अध्यक्ष : अब मैं क्वेश्चनों की इजाजत नहीं दूंगा। एक वयोवृद्ध सदस्य हैं, उन्होंने पूछ लिया, उसका उत्तर अगर चाहे तो गवर्नमेण्ट की ओर से दिया जा सकता है वरना चर्चा समाप्त की जाती है। अब इस पर वाद विवाद नहीं होगा।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्य। सभी प्रश्न आ गये, उनका उत्तर भी आ गया।

श्री सम्पतराम : मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, वाद विवाद बिल्कुल नहीं करूंगा। एक लफ्ज मैं पूछूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी उचित समझें तो जवाब दे दें, वरना नहीं दें। पहले जो स्टेट राज्य मंत्री जी कह रहे थे, मैंने आपके माध्यम से एक सवाल पूछा था कि जब इसके ऊपर आप सरकार की तरफ से जवाब दें तो इसका उत्तर तैयार करके लाना। वह यह है कि अभी माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो टर्म्स एण्ड रेफरेन्स पढ़े हैं वह ठीक हैं, हर एक इन्क्वायरी में ऐसा ही होता है, उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पर्टीकुलरली पुलिस को······

श्री शिवचरण माथुर : लिखा है पुलिस।

श्री सम्पतराम : इसके बारे में आपने जिक्र किया है वही कह रहा हूं, पहले ही कह रहा हूं। आपने कहा है। इसके मायने यह है कि इन्क्वायरी आपने इंस्टीट्यूट कर दी। आपने स्पेसिफिक टर्म्स एण्ड रेफरेन्स में जिक्र किया है कि पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहां तक दोषी है। जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो तब तक आपने उन दोनों पुलिस अधिकारियों को प्रमोशन कैसे दे दिया ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : अलग नहीं है, अध्यक्ष महोदय। अलग नहीं है। इसी से सम्बन्धित प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री नाथूसिंह : XXX

श्री अध्यक्ष : बैठ जायें कृपया।

श्री दाऊदयाल जोशी : आपने उनको दण्डित नहीं किया। उनको प्रमोशन दे दिया।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : लोगों का खून इस तरह से नहीं पीने देंगे, मुख्य मन्त्री जी।

श्री यदुनाथसिंह : हत्यारे वहां रहेंगे, हत्यारों के रहने इन्क्वायरी कराना चाहते हो।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह गलत तरीका है, उनको हटाने के बाद कोई बात हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझे बाध्य होना पड़ेगा। मुझे नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु···

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। बाधा न डालें सदन की कार्यवाही में।

श्री यदुनाथसिंह : वह खून पीकर रह रहे हैं। मैं लोगों के जीने की मांग को यहां रख रहा हूं।

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नियमों का ध्यान रखें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, बैठ जायें। अंकित न हो।

श्री यदुनाथसिंह : XXX

श्री अध्यक्ष : मुझे बाध्य न कीजिए।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : XXX,

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। अव्यवस्था फैला रहे हैं। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। कृपया बैठ जायें।

श्री यदुनाथसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कभी अव्यवस्था नहीं फैलाता, हत्यारे वहां पड़े हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। माननीय सदस्य बाध्य न करें। अब मैं नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करूंगा।

श्री यदुनाथसिंह : क्या नियम हैं, यह कौन सा नियम है।

श्री अध्यक्ष : अब मैं नाम से सम्बोधित करूंगा। आर्डर प्लीज। कृपया बैठ जायें। अव्यवस्था न फैलायें। अब मैं माननीय श्री यदुनाथसिंह को ...

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। बैठ जायें। मैं नाम से सम्बोधित करता हूं। कृपया सदन से ...

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर, बैठ जायें। माननीय सदस्य श्री यदुनाथसिंह बाध्य न करें मुझे।

(व्यवधान)

बहिर्गमन कर जायें।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। कृपया माननीय सदस्य बैठ जायें।

(व्यवधान)

कृपया सदन से बाहर पधार जायें। माननीय सदस्य, अव्यवस्था फैला रहे हैं। कृपया बाहर पधार जायें।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं जायेंगे।

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं इस तरह से नहीं होने देंगे।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही मैं आधा घण्टे के लिए स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 4.10 बजे आधे घण्टे के लिये स्थगित हुई।)

विधान सभा की बैठक म. प. 4.38 बजे पुनः प्रारम्भ हुई

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

शासकीय वक्तव्य

घना पक्षी विहार, भरतपुर में गोलीकाण्ड

श्री अध्यक्ष : आय व्यय बजट 1983-84 पर सामान्य वाद विवाद।

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय हमने आपके सामने सारी समस्याएं रख दीं

(व्यवधान)

आप थोड़े बिल्कुल हलके मन हो ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, मामला गंभीर है । जिस गंभीरता से सारा प्रश्न माननीय सदस्यों ने यहां रखा, इसे मुख्य मंत्री जी अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनावें। एक तरफ मुख्य मंत्री जी की प्रतिष्ठा और दूसरी तरफ गरीब लोगों के साथ अन्याय, यह दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकतीं । आपकी यह इच्छा है कि सदन की कार्यवाही चले । सदन की कार्यवाही में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित न हो । हम कोई बाधा उपस्थित नहीं करना चाहते । एक इजाजत चाहता हूं जो मांग आपके सामने रखी है वह मांग जब तक स्वीकार न हो तब तक हम आपके कमरे में बैठने की आप से अनुमति चाहते हैं ।...

श्री अध्यक्ष : आज तो मांग है ही नहीं । आज तो सामान्य वाद विवाद ..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके कमरे में बैठने की इजाजत चाहता हूं ।

घना के गोलीकाण्ड के सम्बन्ध में अभी आपके सामने जो कुछ भी कागज पत्र दिखाने थे वह सब हमने आपको दिखाये । मुख्य मंत्री जी ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया । जुडिशियल इन्क्वायरी का उन्होंने घोषणा कर दी । कब होगी जुडिशियल इन्क्वायरी ? गवाहों और गरीबों पर रोज डण्डे बरसाये जा रहे हैं । वहां पर लोगों के साथ अन्याय हो रहा है । वहां कोई निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती । मांग तो केवल इतनी सी थी कि दोषी अधिकारियों का चालान हो । यदि आप चालान नहीं करें तो कम से कम उन्हें उस स्थान से हटावें, सस्पेन्ड करें । हटावें । इसके लिये यदि मुख्य मंत्री जी तैयार नहीं हैं तो, अध्यक्ष महोदय, क्या किया जावे । विधान सभा के अंदर बोलें तो आप कहेंगे सदन की गरिमा घट रही है....

श्री अध्यक्ष : चार घंटे का समय दिया ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चार घंटे की बहस का सवाल नहीं है । 6 आदमियों के प्राण गये हैं । एक, एक आदमी के लिए एक एक घंटा भी नहीं दिया ..

श्री अध्यक्ष : यहां पर चर्चा ही हो सकती है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चर्चा बहुत अच्छी हुई । आपने अनुमति दी । आपकी सहानुभूति है । आपके मन में क्या हो रहा है, वह भी हमें अच्छी तरह से मालूम है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि सदन में बैठेंगे तो सदन की प्रतिष्ठा घटेगी और आपको कोई न कोई एक्शन लेना पड़ेगा । मैं समझता हूं कि आपके कमरे में बैठेंगे तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी । हम भी अपनी समस्याएं आपके सामने कहते रहेंगे । आप भी यहां रहिये और हम भी यहां हैं । मुख्य मंत्री जी जाते हैं तो जाने दीजिये । इतना ही कह कर मैं अपने दल के साथ आपके कमरे में जाने की अनुमति चाहता हूं । मुख्य मंत्री जी अपनी प्रतिष्ठा बना कर रखें तो देखेंगे ।

श्री लच्छूराम (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का गोलीकांड हुआ है उसमें 6 आदमी मारे गये हैं । हम केवल

(श्री लच्छूराम)

इतनी-सी मांग करते हैं कि जुडिशियल इन्क्वायरी के साथ साथ जो आफिसर वहां मौजूद हैं जो इस काण्ड के समय मौजूद थे उनका स्थानान्तरण कर दिया जाये। सरकार इस पर भी सहमत नहीं होती तो यह दुःख का विषय है। मैं अपने दल के साथ आपके कक्ष में बैठने की इजाजत चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपका भी यही फैसला है तो फिर भाषण की क्या आवश्यकता है...

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष, यह बहुत गंभीर मसैला था इसलिये मुख्य मंत्री जी ने जुडिशियल इन्कवायरी कराने की बात कह दी। लेकिन जो दोषी अधिकारी हैं, जो वहां पर मौजूद थे उनको हटाने के बारे में प्रश्न को उन्होंने प्रेस्टिज पाइंट बना लिया। अगर मुख्य मंत्री जी अधिकारियों को वहां से हटा दें तो इसमें मुख्य मंत्री जी की कौन सी नाक कटती है। पहले तो नाक उन अधिकारियों की कटी। अब वे मुख्य मंत्री जी की नाक काट रहे हैं। यह सरकार इस तरह से प्रेस्टिज पाइंट बना ले, ऐसे गंभीर मामले में जिसको लेकर इतना हंगामा हुआ तो हम लोग और क्या कर सकते हैं। आपके समक्ष अपने अधिकारों की रक्षा की बात करने हैं। यह सरकार ऐसी बात को सुनने के लिये तैयार नहीं है। हम यहां पर बोलें तो आप यह समझते हैं कि इससे बाधा उपस्थित होती है। तो मैं यह चाहता हूं कि आपके कमरे में जाकर बैठें।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर विषय के ऊपर चर्चा हुई हाउस में। काफी समय दिया शासन ने भी। मुख्य मंत्री ने भी सदन की भावना को देखते हुए यहां जुडिशियल इन्क्वायरी की घोषणा की। सदन की यह आम राय थी कि जब जुडिशियल इन्क्वायरी होगी तो जो अधिकारी वहां नियुक्त थे और जिनकी वजह से गोलीकाण्ड हुआ वही अधिकारी जुडिशियल इन्क्वायरी के दौरान वहां मौजूद रहेंगे तो, अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि गांव के पटवारी और थानेदार के खिलाफ जांच हो रही हो तो निश्चित तौर से वह लोगों को प्रभावित करते हैं तो हमारे सदन की आम तौर पर सारे विपक्षी दल और सत्ता पक्ष का यह राय है कि जुडिशियल इन्क्वायरी हो रही है. उस दौरान कम से कम जो अधिकारा उस काण्ड में सम्मिलित थे जिनकी वजह से गोलीकाण्ड हुआ, अगर उन्हें स्थानान्तारित कर दें तो क्या परेशानी होगी। अध्यक्ष महोदय, इसके पूर्व अगस्त में भरतपुर में गोलीकाण्ड हुआ था तो एस. पी. का स्थानान्तरण किया गया। अध्यक्ष महोदय, उस समय तो स्थानान्तरण को आपने न्यायोचित समझा। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कोई जिद की बात नहीं है। सारे सदन की यह भावना है कि जब तक जुडिशियल इन्क्वायरी हो तब तक अगर स्थानांतरित वहां से कर दें इन अधिकारियों को तो इसमें कोई प्रेस्टिज इश्यू नहीं है। यह मामला बहुत गम्भीर है। निश्चित तौर पर अगर स्थानान्तरण नहीं हुआ तो फिर ऐसा माहौल बनेगा और फिर गोलीकाण्ड हो सकता है। परन्तु इस भावना को मुख्य मंत्री जी नहीं समझ रहे हैं।......

श्री अध्यक्ष : कृ... स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं अपना स्थान छोड़ कर आपके चैम्बर में जाकर बैठूंगा। आपसे विचार विमर्श करूंगा। हमारी जो भावना है आपके समक्ष प्रकट करूंगा।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी। (अनुपस्थित)

श्री रामनारायण डूंडी।

श्री रामनारायण डूंडी (बिलाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का बजट वित्त मंत्री जी श्री बृज सुन्दर शर्मा ने एक तारीख को इस सदन में पेश किया। मैं वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आज से पूर्व इस सदन में कई बजट रखे गये मगर जिन परिस्थितियों के अन्दर यह बजट रखा गया है, राजस्थान में पांच साल से लगातार अकाल की स्थिति बनी हुई है, करोड़ों रुपयों का ओवर ड्राफ्ट चल रहा है, अनेकानेक विकास के काम प्रगति के पथ पर चल रहे हैं, ऐसे वक्त के अन्दर वित्त मंत्री महोदय ने राजस्थान का जो बजट पेश किया, किसी प्रकार के टैक्सेज, किसी प्रकार की मूल्य वृद्धि न कर राजस्थान के विकास का एक समुचित चित्र, आने वाले वर्षों में, राजस्थान का विकास समुचित रूप से हो यह बात आपने बजट में रखी है, उसके लिये मैं बार बार उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के विकास और बहबूदी के लिए वित्त मंत्री महोदय ने एक हजार प्राथमिक पाठशालाएं, 600 मिडिल स्कूल और 250 सब्जेक्ट खोलने की घोषणा बजट में की है। उसी के साथ साथ ऐड पोस्ट, डिस्पेन्सरी ज और जनता जनार्दन के रात दिन काम में आने वाली अन्य प्रकार की संस्थाओं की घोषणा की। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ साथ राजस्थान की जो महती आवश्यकता है उस आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए सिंचाई और विद्युत के लिये, जहां एक ओर 416 करोड़ का बजट इन्होंने पेश किया है वहां दूसरी ओर करीब 916.38 करोड़ सिंचाई विद्युत पर अलग से प्रावधान राजस्थान सरकार की मौजूदा सरकार ने रखा है। यह इस बात का द्योतक है कि यह सरकार कर्मोन्नत सरकार है और गांवों के विकास में निरन्तर अग्रसर है।

इसी के साथ, अध्यक्ष महोदय, अकाल की भयंकर स्थिति लगातार चार, पांच वर्ष से चली आ रही है। पिछली बार भी सरकार ने समुचित व्यवस्था की और इस बार भी समय पर सरकार ने कार्य शुरू किये हैं। इरिगेशन के कार्य शुरू किये। सड़कों के कार्य शुरू किये करोड़ों रुपया इन पर खर्च हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा, इरिगेशन और बिजली के सम्बन्ध में खास तौर से कि आज राजस्थान एक बहुत ही पिछड़ा और समय समय पर अकाल और प्राकृतिक आपदाओं से जूझता राजस्थान है। राजस्थान के पास असामान्य रूप से खनिज सम्पदा है सिंचाई के स्रोत हैं। अन्डर ग्राउंड पानी है। मगर एक निश्चित समय, निर्धारित करके यदि राजस्थान की सरकार इसके लिये कार्य करे तो मैं समझता हूं कि जो बेरोजगारी है, जो पिछड़ापन है वह मिटा सकते हैं। राजस्थान के अन्दर सत बारहमासी जो नदियां हैं, और जो सत बारहमासी नहीं हैं, ऐसे नाले हैं, जगह जगह वहां पर एनीकट्स बनाये जा सकते हैं और छोटे छोटे बांध बांधे जा सकते हैं वह बांधे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा,

(श्री रामनारायण हूडी)

अध्यक्ष महोदय, इस अकाल की स्थिति के अन्दर इरिगेशन को प्राथमिकता दी गयी है। एनीकट्स खडीन छोटे और मध्यम प्रकार के बांधों का निर्माण किया जा रहा है। मगर इस संबंध में मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि एनीकट्स पक्के बनायें। जिस प्रकार से हम जल्दी में अकाल की स्थिति में काम शुरू करते हैं उसमें लेकूना रह जाता है। पूरे राजस्थान का व्यापक सर्वे करवा कर, सारा एस्टीमेट तैयार करवा कर के इन कार्यों को किया जाय। जहां-जहां पर आवश्यकता है वहां पर परियोजना शुरू की जाय और पक्के कार्य करवाये जायें। हम फेमिन में इन कार्यों को कराते हैं उनमें मजदूरों को लगाना अत्यावश्यक है मगर इसके साथ साथ काम पक्के हों, मजबूत हों यह भी अपने आप में बहुत जरूरी और आवश्यक है। मेरा निवेदन है कि जितने भी इरिगेशन के काम हैं उनको ज्यादा से ज्यादा किया जाय मगर इसके साथ साथ उनको पक्का भी किया जाय।

साथ ही बिजली के संबंध में निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, खास तौर से जोधपुर जिले के संबंध में 220 के बी की लाइन 1982-83 तक कम्पलीट होनी चाहिए थी वह नहीं हुयी है। अध्यक्ष महोदय, जोधपुर से बाड़मेर और जोधपुर में बिजली की आवश्यकता है, उसको देखते हुए तथा सिंचाई के जो साधन हैं उनको देखते हुए बहुत भारी लोड बिजली का है। जब तक बिजली बराबर वोल्टेज में मुहय्या हम नहीं करा पाते हैं तब तक इससे किसानों को एक तरह का बहुत भारी नुकसान होगा। इस बार तो तीन चार पांच घन्टे बिजली मिली। बिजली पर माननीय ऊर्जा मंत्री महोदया ने विस्तृत रूप से अपना वक्तव्य पढ़ा फिर भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, यदि हम राजस्थान का विकास बहुत ही दृढ़ता से करना चाहते हैं यहां की जनता को सुख और सुविधा उपलब्ध करा कर उनका विकास करना चाहते हैं, उत्पादन ज्यादा करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम हमें बिजली का लेना होगा। चाहे किसी प्रकार से हमें उस पर खर्च करना पड़े मगर एक निश्चित समय के अन्दर जितनी लोगों की डिमाण्ड है उसके अनुपात में 70 प्रतिशत तक बिजली उपलब्ध कराते हैं। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे गंगानगर का एरिया हो, चाहे बिलाड़ा का एरिया हो, चाहे जयपुर का एरिया हो या अन्य कोई एरिया हो हम अनाज का उत्पादन बहुत ज्यादा कर सकते हैं। मगर दुर्भाग्य की बात है कि हमारी आवश्यकता के अनुसार हमें बिजली नहीं मिल रही है। आज हमारे कुओं की क्षमता 24 घंटे पानी देने की है। हम 10-10 इंच के पाइप से या 7-7, 8-8 इंच के तीन चार पाइपों से भी निरन्तर लगातार पानी ले सकते हैं, लेकिन बिजली के अभाव में किसानों की फसलें सूख रही हैं। ऐसे वक्त के अन्दर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार अगर एक फसल के बजाय दो फसल पैदा करवाना चाहती है तो काफी मात्रा में बिजली के स्रोत पैदा करे ताकि आने वाले वर्ष में हम प्रदेश का विकास कर सकें। अध्यक्ष महोदय, नागौर के अन्दर कोयला निकला है, पलाना के अन्दर कोयला निकला है और बाड़मेर के अन्दर कोयला निकला है। तो रॉ मेटीरियल हमारे पास है। ज्यादा से ज्यादा रॉ मेटीरियल को काम में लेकर स्थानीय स्तर पर बिजली उत्पादन करें तो...

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटे के लिए और बढ़ा दिया जाय। (विराम)

श्री लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : बैठक का समय सदन की अनुमति से आधा घंटे के लिये बढ़ाया गया।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री रामनारायण डूंडी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि निश्चित समय के अन्दर बिजली का उत्पादन हमारी डिमाण्ड के अनुसार करें जिससे कि जिस प्रकार गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक का विकास हुआ है उनके विकास की गति को देखते हुए हमारे पास अगर बिजली होती तो हमारे उद्योगों का विकास होता, हमारी खेती का उत्पादन बढ़ता। हमारे छोटे मोटे कारखाने जो बिजली के अभाव के कारण बन्द हो जाते हैं वे बन्द नहीं होंगे।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षत्र के अन्दर आज हालत बड़ी नाजुक है। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं कि दूर दराज स्कूलों के अन्दर अध्यापकों की भारी कमी है। दूसरी और शिक्षा के क्षेत्र में डे बाई डे स्तर गिरता जा रहा है। यह जरूर है कि कुछ जगह पर स्तर ऊंचा उठ रहा है। जो अंग्रेजी के स्कूल हैं उनका स्तर ऊंचा उठ रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि अध्यापकों को बाध्य करें कि दूर दराज के गांवों के बीच जायें और बच्चों को पढ़ायें। एक तरफ, अध्यक्ष महोदय, बड़ी बड़ी बिल्डिंग वाले स्कूल हैं जिनमें बच्चे पढ़ते हैं। जिनके पास हर तरह के साधन मौजूद हैं, उनमें अंग्रेजी और जाने कितने प्रकार के विषय पढ़ाये जाते हैं। दूसरी तरफ झोंपड़ी में पढ़ने वाले बच्चे हैं। वहां पर पढ़ाने के लिये अध्यापक भी समय पर मौजूद नहीं होते हैं। मैं चाहूंगा कि शिक्षा के क्षत्र में सुधार लाने के लिए अध्यापकों को लगाया जाय और शिक्षा का विस्तार किया जाय। हर कस्बे के अन्दर, गांव के अन्दर सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी स्कूल खोले जायं ताकि हर छात्र को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल सके, उनको एडमिशन प्राप्त हो सके। साथ ही वित्त मंत्री से निवेदन है और साथ ही शिकायत भी है कि 1000 प्राइमरी स्कूल खोले जा रहे हैं, 600 प्राइमरी स्कूलों को उच्च प्राथमिक स्कूलों में बदला जा रहा है और 250 नये सब्जेक्ट्स खोले जा रहे हैं उसके लिये तो धन्यवाद देना चाहता हूं। मगर सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने का इस बजट के अन्दर प्रावधान नहीं रखा जा रहा है। एक भी स्कूल केवल यह बात कहकर कि 82-83 में 400 के अगेंस्ट 464 स्कूल खोल दिये हैं, नहीं देना ठीक नहीं है। मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, आपको पता ही होगा कि गांवों के बच्चों को हायर सैकण्डरी के लिये, सैकण्डरी के लिये शहरों के स्कूल में जाना पड़ता है वहां इन लड़कों को एडमिशन नहीं मिलता है, क्योंकि शहरों में भीड़ बढ़ती जा रही है। शहर में एक एक स्कूल के अन्दर हजार हजार तीन तीन हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं इसलिये गांवों के लड़कों को एडमिशन नहीं मिलता है। अध्यक्ष महोदय, इस बार जब एडमिशन हो रहे थे तो मैं

(श्री रामनारायण डूडी)

जोधपुर में था। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लड़के स्कूल में प्रवेश लेना चाहते थे क्योंकि हमारे यहां पर वाणिज्य का सब्जेक्ट नहीं था। चाहे भोपालगढ़ के, चाहे हरिया ढाणी, चाहे रणसी गांव, चाहे बासवाणा से जितने विद्यार्थी निकले थे क्योंकि यह सब्जेक्ट हमारे गांव के अन्दर नहीं थो इसलिए उनको हायर सैकण्डरी में प्रवेश नहीं मिला। उनको प्राइवेट केण्डीडेट के रूप में इम्तिहान देना पड़ा मेरा यह निवेदन है कि सैकण्डरी हायर सैकण्डरी का प्रावधान करके यदि स्कूल खोलें और ज्यादा गांवों में खोलें तो गांवों के विद्यार्थी जो पढ़ना चाहते हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही जिस प्रकार की उन्होंने बात की है केवल 25-26 स्कूल ही लक्ष्य से ज्यादा खोलें हैं। उसके अगेंस्ट में बिलकुल नहीं खोलना ठीक है क्या? इसके क्या मायनें हैं? इसलिये निवेदन करूंगा वित्त मंत्रीजी से और मुख्य मंत्रीजी से कि हायर सैकण्डरी और सैकण्डरी स्कूलों का प्रावधान करें ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को शहरों में नहीं आना पड़े। साथ ही 10+2 प्रणाली का पिछले बजट मे प्रावधान नहीं था। यह शिक्षा नीति लागू करना चाहते हैं या राजस्थान से 10+2 प्रणाली को आप उठा रहे हैं? यदि नहीं उठा रहे हैं तो यह कब तक लागू करेंगे, इसका जिक्र इस बजट भाषण में नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी ओर मैं ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाहूंगा। आज हमारे जो गांवों के अन्दर कार्य चल रहे हैं एन.आर.टी. के तहत, उसके लिये मेरा निवेदन है कि बहुत ही अच्छी गति से चल रहे हैं. अच्छे चल रहे हैं, मगर गांवों के अन्दर इस बार, अध्यक्ष महोदय, एन.आर.टी. के कार्यक्रम सैंक्शन हुए थे उनमें जहां 30 हजार की आवश्यकता थी वहां 15 हजार आपने दिये, इस कारण वह इनकम्पलीट काम की श्रेणी में आ जाते हैं, काम स्टोप हो जाता है और फिर शुरू करना पड़ता है। इतने समय में कितना लेबर चार्ज लगा और कितना बकाया रहा। मेरा निवेदन है कि विकास के कार्य हम जो प्राथमिकता के तौर पर, मांगते हैं एक दो तीन चार स्कूल बनाना चाहते हैं या पंचायतघर बनाना चाहते हैं, मेरा निवेदन है, उनके लिये पूरा पूरा पैसा दिया जाये ताकि एक पंचायत घर बनना है तो पंचायत घर बन जाये और स्कूल बनना है तो स्कूल बन जाये।

साथ ही जो प्रशासन गांवों की ओर कार्यक्रम रखा गया उसके लिये मैं मुख्य मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। वास्तव में प्रशासन गांवों की ओर में लाखों लोगों, गरीब जनता के रिकार्ड की दुरुस्ती का काम हुआ है। पहले रिकार्ड दुरुस्ती के लिये गांवों से चलकर तहसील स्तर तक जा कर एस.डी.एम. हैडक्वार्टर पर जा कर एक वकील की मार्फत अपना रिकार्ड दुरुस्त करवाता था। बटवारे के मामले इसके अन्दर नहीं थे। मगर वह भी बहुत ही लाजिमी थे। उनको रखा गया, बहुत बढ़िया कार्यक्रम चला, हजारों काश्तकारों के बटवारे वहीं चौपाल पर हो जाते थे। इनके साथ ही साथ म्यूटेशन वगैरह के काम हुए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मुख्य मंत्रीजी को जिन्होंने प्रशासन गांवों की ओर कार्यक्रम चलाकर गरीब जनता का कार्य किया। साथ ही मैं वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत ही सुन्दर शानदार बजट भाषण रखा। जयहिन्द।

138

शासकीय वक्तव्य

पत्रकार वीर्धा में पत्रकारों की अनुपस्थिति

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी वक्तव्य देना चाह रहे हैं····

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, कल रात को जौहरी बाजार की एक दुकान के सामने एक पत्रकार बन्धु के साथ घटना घटित हुई, उसको लेकर आज प्रातः प्रेस में रोष काफी व्याप्त था। मैंने प्रेस प्रतिनिधियों से बातचीत की थी। मैंने उनको आश्वस्त किया था कि इसकी प्रारम्भिक जांच मैं करवा लूंगा और उसके बाद में जो कार्य-वाही अपेक्षित होगी वह हम लोग करने की कोशिश करेंगे। मुझे कहना है कि मैंने प्रारम्भिक जांच करवायी उसके आधार पर एक हैड कांस्टेबल अलाउद्दीन और कांस्टेबल गजानंद को सस्पेंड कर दिया है। इसकी विस्तृत जांच आगे करवाई जायेगी यही मुझे निवेदन करना है।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, हमारा जो बजट इस वर्ष प्रस्तुत किया गया, उसका चारों तरफ स्वागत हुआ। सभी को आशंका थी कि बजट में कई प्रकार के टैक्स लगेंगे। कुछ दिन पहले बाजार में चीजों के भाव भी दुकानदारों ने बढ़ा दिये थे। किन्तु हमारा विरोध करने वाले, आलोचना करने वाले भी इस बजट को देखकर काफी ठंडे पड़ गये। सभी लोगों ने इसका स्वागत किया। इसके साथ मैं भी इसका स्वागत करती हूं। मेरा कहना है कि, मंत्री महोदय, इस बजट को बनाने में आपने महिलाओं की सलाह जरूर मानी होगी, ऐसा मुझे लगता है, इसलिए इतना अच्छा, संतुलित बना सके हैं।

एक माननीय सदस्य : चूड़ियों पर छूट नहीं दी।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : ऐसी छोटी बातों में महिलायें नहीं पड़ती है। बड़ी बातें देखती हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम एक बड़े आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं, काफी ओवर ड्राफ्ट है, घाटा है। कई तरह की परेशानियां हैं पिछले कई वर्षों से हमारा इसी प्रकार का घाटा चलता आ रहा है। इस घाटे से निकलने के 3 ही तरीके हो सकते हैं, एक तो बचत की जाये; दूसरा अपव्यय रोका जाये और तीसरा हम आय को बढ़ायें। जब बचत का प्रश्न आता है, अगर कोई पूछे कि बचत कहां से की जा सकती है तो मेरा उत्तर होगा, कौनसा स्थान कौनसा विभाग कौनसी जगह ऐसी है जहां पर कि बचत नहीं की जा सकती हो बशर्ते कि चीफ मिनिस्टर से लगाकर मन्त्री, अधिकारी और हम एम. एल. ए. कुछ करना चाहें, फर्म विल हो कुछ करने की, चीप पॉपुलेरिटी में न पड़ें, हार्ड वर्क करें तो बजट में बहुत कुछ बचत की जा सकती है। फर्म विल की आवश्यकता है। दूसरा अपव्यय का सवाल है। अध्यक्ष महोदय, बहुत ही अपव्यय राज्य में, काम में, जगह जगह, कदम कदम पर हो रहा है। उदाहरण के तौर पर इधर हम एक एक यूनिट बिजली के लिये तरसते हैं उधर हम देखते हैं कि दिन भर स्ट्रीट लाइट जला

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

करती है। मैं छोटी-छोटी बातों को लेती हूं। इसी तरह पानी को देख लीजिये, गांवों में पानी पीने के लिए आदमी तरसता है, शहरों में नालियों में पानी बहता है, नल टूटे पड़े हैं। इसी तरह सारे विभागों में, सभी जगह अपव्यय हो रहा है। जहां आय बढ़ाने का प्रश्न है, हम उसी आय को बढ़ाना पसंद करेंगे जिसमें टैक्स नहीं लगे। टैक्स पहले भी काफी लग चुके हैं। नान टैक्स की आमदनी में हमारे राजकीय उपक्रमों से जो आमदनी होती है, वह श्रेष्ठ मानी जाती है, लेकिन राजकीय उपक्रम ज्यादातर घाटे में जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन बोझिल है, बड़ा भार है, उनके उपर उनको ठीक तरह से चलाने के लिए, उनका खर्चा घटाने के लिए, उनको सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए बहुत बड़ी ताकत, परिश्रम और मेहनत की जरूरत है। कोई भी मुल्क हो, बिना हार्ड वर्क के किसी भी मुल्क का विकास नहीं होगा। जब मुल्क विकास करने लगता है तो वहां की जनता को, प्रतिनिधियों को, राज्य के अधिकारियों को, सबको हार्ड वर्क करना पड़ता है, कई तरह की कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, तभी जाकर एक मुल्क का विकास आगे बढ़ सकता है। जब तक यह हम नहीं अपनायेंगे तब तक विकास करके देश को आगे बढ़ाना मुश्किल है। आज सरकारी आय में एक बात और भी होती है, सैन्टर से कई प्रकार की ऐड मिला करती है, कई प्रकार की स्कीमें होती हैं उन से राज्य सरकार को जो कुछ प्राप्त होता है उससे विकास का काम आगे बढ़ता है। अगर मैं अपने राज्य का पिछले कई वर्षों का सिंहावलोकन करने की दृष्टि से देखूं तो कहना पड़ेगा कि सैन्टर में जितनी प्रकार की स्कीमें हैं, उन्हें पूर्णतया लेने में हम पीछे रहते आये हैं। आज की बात नहीं है हम शुरू से ही पीछे रहे हैं। जब मैं पार्लियामेंट में मेम्बर थी, मैं देखा करती थी, दूसरे राज्यों के लायजन आफिसर किस तरह से सचेष्ट रहते हैं। इन्डस्ट्री में मैंने देखा, उधर सैन्टर से स्कीम नहीं बनती, उससे पहले पता लगाकर अपने कागजात तैयार रखते थे। स्कीम आती, फटाफट अपने कागजात रखते और ऐड और जिस तरह के प्रावधान होते थे उनका फायदा उठा लेते थे। हमारा राज्य इस मामले में पीछे रहता आया है। इसके दो उदाहरण देना चाहती हूं। डेयरी डवलपमेंट में स्कीम को एक्सटेन्ड नहीं करके प्रोजेक्ट में 10 करोड़ रुपये हम प्राप्त नहीं कर पाये हैं। एक तो यह मामूली बात है इस तरह से अनेकों बातें कही जा सकती हैं।

मैं कृषि के ऊपर अपनी बात विशेषतौर से रखना चाहूंगी, जो इन्डियन कौंसिल एग्रीकल्चर की है वह करोड़ों रुपये की सहायता (ऐड) कृषि अनुसंधान के लिए, कृषि विकास के लिए सभी राज्यों को देती है। लेकिन हम गागर में से 2-4 बून्द भी मुश्किल से प्राप्त कर सके हैं। वह इसलिए कि हमारे पास हमारी कृषि यूनिवर्सिटी नहीं है। कृषि यूनिवर्सिटी के नाम से उदयपुर में यूनिवर्सिटी स्थापित की थी लेकिन नाम मात्र की रही। उसका नाम मात्र था वह भी उड़ा दिया गया। अगर आज हमारी यूनिवर्सिटी, कृषि यूनिवर्सिटी हो तो करोड़ों-करोड़ों रुपये हम उस कौन्सिल से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे राज्य प्राप्त कर रहे हैं। महाराष्ट्र तो अपने ढंग से दो कृषि यूनिवर्सिटी चला रहा है। हमारे पड़ोसी राज्य करोड़ों रुपये ले रहे

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

हैं लेकिन हम उनसे वंचित रह पा रहे हैं। उसके चेयरमैन स्वामिनाथन ने एक दफा नहीं कई बार पत्र लिखे है कि आप इस यूनिवर्सिटी को कृषि यूनिवर्सिटी का रूप दे दें तो हमारी जितनी स्कीमें हैं, जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनसे आपका राज्य भी फायदा उठा सकेगा। लेकिन अफसोस है कि राज्य सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे सकी। आज जो हम ले रहे हैं उससे करीब 15 गुना ऐड हरियाणा और पंजाब ले रहा है। इस ऐड को नहीं लेने से हमें क्या नुकसान हुए हैं। कृषि यूनिवर्सिटी न बनाने से हमें भयंकर नुकसान है। आज हमारी स्थिति यह है कि हमारी अपनी लेबोरेट्रीज हैं वह बहुत कम लेबोरेट्रीज हैं, और हैं तो वह वैल इक्विप्ड नहीं हैं। इस कारण हम अनुसंधान कार्य नहीं कर पा रहे हैं। अनुसंधान नहीं कर पा रहे हैं तो हम कृषि आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इस समय पेस्टीसाइड को देखने के लिए राज्य भर में केवल एक लेबोरेट्री है। एक लेबोरेट्री है वह भी फुल फ्लेज्ड नहीं है और वैल इक्विप्ड नहीं है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि जो कीटनाशक दवाइयां बाजार में हमें मिल रही हैं वह सब-स्टेन्डर्ड मिल रही हैं, मिलावटी मिल रही हैं और नकली मिल रही हैं। और तो और चूहे मारने का जहर भी, श्रीमन् हमें स्टेण्डर्ड का नहीं मिल रहा है। इसी तरह हमारी दूसरी फसलों पर पेस्टीसाइड छिड़का जाता है, किसान का पैसा खर्च होता है, बर्बाद भी हो जाता है लेकिन उसके उचित, उपयुक्त हमें लाभ नहीं मिल पा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आप किसान हैं, जमीन के बारे में आप काफी जानते हैं। आप जानते हैं कि हमारे यहां कितने प्रकार की मिट्टी है और मिट्टी का प्रयोग करना कितना आवश्यक है, जबकि दूसरे राज्यों में हरएक जिले में एक एक मिट्टी की प्रयोगशाला, लेबोरेट्री है। हमारे यहां पर पूरे राज्य में केवल 5 लेबोरेट्रीज हैं, पांचों रीजन में जबकि हमारे सोइल में कितना फर्क है, कहीं पथरीली जमीन है, कहीं रेतीली जमीन है, कहीं कुछ और तरह की है। हमारे यहां कई प्रकार के सोइल हैं, सेण्डी सोइल से लगा कर हैवी सोइल, ब्लेक कॉटन तक अनेक प्रकार का सोइल है जिसका हम परीक्षण नहीं कर पाते हैं, उसके ऊपर काम नहीं कर पाते हैं, उपयुक्त हम उसके ऊपर काम नहीं कर पाते हैं।

तीसरा हमें सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, अध्यक्ष महोदय आपसे बढ़कर उसके बारे में कोई दूसरा जानकार नहीं है, हमारे राजस्थान में खार की जमीन, ऊसरी जमीन, सेलाइन जमीन कितनी जबरदस्त है। इस देश में जितनी ऊसर की सेलाइन जमीन राजस्थान में है किसी अन्य राज्य में नहीं हो सकती है। इस समय हमारे पास 7 लाख हैक्टेयर, 7 लाख बीघा नहीं, 7 लाख एकड़ नहीं, 7 लाख हैक्टेयर जमीन ऐसी है, जो सेलाइन है, अनकाइन्ड है, उसके रिसर्च के लिए हमारे पास कोई सुविधा नहीं है जबकि दूसरे राज्यों, जिनमें नाममात्र की सेलाइन जमीन है, उत्तर प्रदेश और बिहार ने इस प्रकार की लेबोरेट्रीज कायम करके हजारों बीघा जमीन को ठीक किया हैं आज विज्ञान का युग है। आज समुद्र के खारे पानी से भी कृषि की जा रही है। समुद्र के पानी से रबर प्लान्ट उगाया जा रहा है, समुद्र के पानी से बीट रूट पैदा किया जा रहा है, तो आज सेलाइन से क्या हमारे राजस्थान में हरा-भरा नखलिस्तान नहीं हो सकता खारे

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

पानी से हमारे यहां के छोटे रूप से रबर प्लान्टेशन का प्रयोग करके, लेकिन हमारे पास लेबोरेट्री नहीं है। अगर वह हो तो इस तरह से अपने राजस्थान को, अपने डेजर्ट को नखलिस्तान में बदल करके अरबों-खरबों की कमाई हमारे किसानों को दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, आज हमारे यहां रिसर्च की आवश्यकता है हमारी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए आज जो थोड़ी-बहुत नकल उधर से मांग करके अपन लेते हैं तो पंजाब और हरियाणा की नकल से हम चल नहीं सकते। वहां पर 5 या 6 किस्म की क्रोप का पैटर्न सिंचाई से होती है, जबकि राजस्थान में 24-25 किस्म का क्रोप पैटर्न है आबू में कुछ और पैदा होता है, बाड़मेर में कुछ और ही फसल पैदा होती है तो कोटा की तरफ और तरह की चीजें पैदा होती हैं। पंजाब और हरियाणा में होमनयूनियस है लेकिन हमारे यहां वैराइटीज कई प्रकार की हैं, इसलिये हमें आवश्यकता है कि हमारी अपनी जरूरत, हमारी भौगोलिक स्थिति इन सबको देखते हुए हम अपनी लेबोरेट्रीज में अपने ढंग के प्रयाग करें। यह तभी हो सकता है जबकि हमारे पास पैसा हो। पैसा एग्रीकल्चर कौंसिल देने को तैयार है लेकिन मुझे अफसोस यह है कि हमारे यहां के वैज्ञानिकों ने एक स्पेशल स्कीम बनाई थी सेलाइन जमीन को ठीक-ठाक करके बनाने की। 2 करोड़ 33 लाख रुपये की वह स्कीम सचिवालय में या डायरेक्टर एग्रीकल्चर के पास 2 साल से पड़ी है जबकि आगे उसके लिये रुपया देने के लिये तैयार है। स्कीम बनी पड़ी हैं लेकिन यहां से वह स्कीम आगे नहीं बढ़ी। नहीं तो इसके ऊपर बहुत कुछ कर सकते थे। मेरा यह निवेदन है कि इस समय हमारे पास 5 रीजनल रिसर्च सब स्टेशन है—गंगानगर, बांसवाड़ा, दुर्गापुरा, कोटा और मण्डोवर में इन सभी को हम स्ट्रेन्थन करें, इनमें अच्छी तरह से लेबोरेट्रीज कायम करें। इन सेंटरों की जो आज या 10 साल पहले स्थिति थी, उसमें आगे तरक्की न होकर हम पीछे गये हैं। आपकी जानकारी के लिये बताऊं, अध्यक्ष महोदय, वर्ल्ड बैंक की टीम ने क्या रिपोर्ट दी? लिखकर आपको सरकार को दी है, उसने लिखा है कि पहले राजस्थान 20 साल आगे था लेकिन इन पिछले 7 सालों से राजस्थान रिसर्च के मामले में 10 साल पीछे पड़ गया है। और तो और हमारे यहां के वैज्ञानिकों के पास लाइब्रेरी में किताबें भी नहीं है कि जिनको पढ़कर कुछ कर सकें। केवल 5 जरनल आते हैं। हम इस मामले में काफी पीछे पड़ गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि हम इस यूनिवर्सिटी, को, जो उदयपुर में है, को एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का रूप दे दें। यह 5 सब स्टेशन्स हैं जहां पर लड़कों को एग्रीकल्चर की, लेबोरेट्री की तालीम हो, परीक्षण हो। जो टीचिंग स्कूल हैं उससे दूर रहने में भी फायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है। वहां पर परीक्षण हो। हम अपना एक स्वतन्त्र इन्फास्ट्रक्चर कायम करें। जैसे पंजाब ने एक लायजन आफिसर दिल्ली में बैठा रखा है, इन बातों की बराबर उससे स्कीम लेकर आमदनी लेने को फायदा उठाने को उसी प्रकार हम भी कुछ इस प्रकार की चीजें रखें। कौंसिल का यह कहना है, उसने लिख कर दिया था कि पूरा पूरा, काफी खर्चा यूनिवर्सिटी बनने पर दिया जायगा। गवर्नमेंट को एक शर्त लगा

(142)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

दी है कि 5 साल तक वह उसे चलाये। केवल रेकरिंग खर्च करें टीचर्स वगैरह का, बाकी सभी कुछ सामग्री वहां से मिल जायेगी। इसलिये मैं ज्यादा समय न लेकर यही निवेदन करना चाहती हूं, हम अपने यहां की यूनिवर्सिटी को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रूप में मंजूर कर लें ताकि अपने किसानों की दरिद्रता को दूर कर सकें, कृषि के अनुसंधान में हम आगे बढ़ें। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही सोमवार, 7 मार्च, 1983 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 5.20 बजे सोमवार दिनांक 7 मार्च,1983 के म.पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

---

(143)

परिशिष्ट 1

प्रपत्र 'क'

तारांकित प्रश्न संख्या 263 की सूची

प्रस्तावित बयाना बांध के निर्माण से डूब में आने वाले ग्रामों की सूची:—

1. महुरावर
2. सबला का नगला
3. पीपहरा
4. बंतिया का नगला
5. बन्दा का नगला
6. मैता का नगला
7. मदनपुर
8. पाट
9. ग्यानी का पुरा

———

(१५५)

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न संख्या 265 की सूची

जिला	वित्तीय वर्ष 80-81 में स्वीकृत नवीन डिस्पेन्सरी के नाम	वित्तीय वर्ष 81-82 में स्वीकृत नवीन डिस्पेन्सरी/एडपोस्टों के नाम	
		डिस्पेन्सरी	एडपोस्ट
1	2	3	4
अजमेर (4)	1. रामगढ़ 2. फतेहगढ़ 3. जुनिया 4. बेग्रवाड़ा	(2) 1. श्रीनगर रोड (हरिजन बस्ती अजमेर शहर) 2. राजीयावास	(1) 1 चान्द गेट (ब्यावर शहर)
अलवर (4)	5. नागलवाली 6. माजरा 7. बीजवाड़ चौहान 8. हमीरगढ़	(1) 3. कालवाड़ी	
बून्दी (2)	9. बासी 10. गोठड़ा	(1) 4. देहीखेड़ा	
बीकानेर (3)	11. पूगल 12. कुदसू 13. सीटी डिस्पेन्सरी बीकानेर (नत्थूसर गेट)		
भीलवाड़ा (3)	14. महुग्रा 15. महेन्द्रगढ़ 16. चान्दरवास	(2) 5. अन्ताली 6. सिंगोली	
बाड़मेर (2)	17. शिव 18. धोब	(1) 7. अजीत	(2) 2. टेटरा 3. पादेरा
बांसवाड़ा (2)	19. चन्दूजी का खेड़ा 20. शेरगढ़		

1	2	3	4
भरतपुर (15)	21. धनवाड़ा		
	22. मलीपुर		
	23. बल्लभगढ़		
	24. धरसोनी चक		
	25. निठार		
	26. सरसेना		
	27. मुठियाललिता		
	28. रणवीरगढ़		
	29. बाछरेण		
	30. जीवद		
	31. बीजवाडी		
	32. सिघाडा		
	33. हुन्तरा		
	34. गोपालगढ़		
	35. बासी पहाड़पुर		
चित्तौड़ (1)	36. धमाना	(3) 8. केली	(1) 4. रावतड़ा
		9. केबदुन्दा	
		10. चिकारड़ा	
चुरू (3)	37. सोमाली	(4) 11. सोसरिया	
	38. भालेरी	12. सादूबड़ी	
	39. मैसली	13. लोहासन बड़ा	
		14. तोलियासर	
डूंगरपुर (2)	40. कुम्रा	(1) 15. नई बस्ती, सागवाड़ा	
	41. सावंली		
गंगानगर (7)	42. जेठराना	(2) 16 रतावलली	
	43. फफेना	17. दौनगढ़	
	44. हुकमाबाद		
	45. चक मेड 17		
	46. चक महाराज का		
	47. हनुमानगढ़ जंक्शन		
	48. लक्खवाली		

1	2	3	4
जयपुर (6)	49. बरकत नगर जयपुर शहर	(4) 18. घाटगेट बस्ती रेगरान	(1) 5. भाकरोटा
	50. ज्योति नगर जयपुर शहर	19. बघाल	
	51. आन्धी	20. लदेरा	
	52. धानोता 7	21. गुढ़ा सुरजन	
	53. मानपुर माचेडी		
	54. कल्याणपुरा		
जैसलमेर (2)	55. रामदेवरा		
	56. रामगढ़		
जालोर (3)	57. करडा		
	58. रेवतड़ा		
	59 पादरली		
झालावाड़ (1)	60. सरोल कलां	(1) 22. रीछवा	
झुंझुनूं (1)	61. सती मन्दिर झुंझुनूं	(4) 23. भगेरा	(1) 6 बडानिया
		24 चन्दाना	
		25. सावलोद	
		26. टीबा बसई	
जोधपुर (5)	62 सेतराबा	(3) 27. बावड़ी	
	63 बारां कलां	28. खारिया मीठापुर	
	64 लोरडिया	29. केलनसर	
	65 नागौरी गेट, जोधपुर शहर		
	66. प्रतापनगर, जोधपुर शहर		
कोटा (1)	67. अयाना		
नागौर (4)	68. मकराना औद्योगिक क्षेत्र	(2) 30. गोटन	(3) 7. सिणोद
	69. मेड़ता रोड	31. भडसीया	8. जसनगर
	70 आसनीयावास		9. झाडोली
	71 बन्दू		

1	2	3	4
पाली	72. हरियामाली		(1) 10. भीमाना
(3)	73. जोजावर		
	74. नारलाई		
सवाई	75. मेहन्दीपुर बालाजी (2)	32. काचरोदा	(1) 11 गठमोरा
माधोपुर	76. महुस्वा	33. सिवाली	
(7)	77. साथा		
	78. बालाहेडी		
	79. रसीदपुर		
	80. कोट		
	81. महू इब्राहिमपुर		
सीकर	82. महरोली		(2) 12. बिलारा
(2)	83. घोद		13. दादीया
सिरोही	84. तंवरी		(2) 14. वीरवाडा
(1)			15. पासोलिया
टोंक	85. धुम्रा कलां		
(3)	86. नासरदा		
	87. भवराना		
उदयपुर	88. पीपली अहरान		
(5)	89. कोटडी		
	90. साकरोदा		
	91. सगतडा		
	92. गढमोर		
धौलपुर	93. खानपुरा	34. अफजलपुर	
(6)	94. जस्सुपुरा	35. बड़ीका	
	95. बिपरपुर		
	96. पंचगांव		
	97. चितौड़ा		
	98. बरोला		

(148)

परिशिष्ट 4

तारांकित प्रश्न संख्या 268 की सूची

शीत प्रकोप से मारे गये पशुओं की सूची

कोटा	7500 करीब
बून्दी	7352
भीलवाड़ा	1000 करीब भेड़ व मेंढे
सिरोही	89
	15,941 करीब

झालावाड़ उदयपुर सवाई माधोपुर	जिला पशुपालन अधिकारी की सूचना के अनुसार रिपोर्ट निल है।

[redacted]

परिशिष्ट 4

तारांकित प्रश्न संख्या 270 का विवरण

पैट्रोल एवं रख रखाव पर हुये व्यय का विवरण

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति	जनवरी 1982	फरवरी 1982	मार्च 1982	अप्रेल 1982	मई 1982	जून 1982	जुलाई 1982	अगस्त 1982	सितम्बर 1982	अक्टूबर 1982	नवम्बर 1982	दिसम्बर 1982	योग
1.	सज्जनगढ़ (दो जीपें)	796.80	—	1540.83	1311.20	132.60	133.43	132.60	5013.04	385.05	—	—	5216.40	14661.95
2.	कुशलगढ़ (दो जीपें)	—	—	4585.63	—	—	1666.98	772.87	—	—	—	—	2513.85	9539.33
3.	बागीडोरा (एक जीप)	712.65	2800.00	1078.24	—	118.20	—	—	698.10	75.00	1046.80	998.00	2602.83	10129.82
4.	पीपलखूंट (एक जीप)	676.70	1235.95	441.60	511.30	489.35	2811.60	403.10	418.25	—	—	—	479.10	7466.94
5.	घाटोल (दो जीपें)	मासिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है।												17967.00
6.	आनन्दपुरी (एक जीप)	1022.50	1117.50	1064.50	1424.40	2327.30	2027.60	1566.95	17000.00	1975.40	1096.00	954.00	—	31576.15
7.	तलवाड़ा (दो जीपें)	914.24	712.43	1380.26	109[illegible].25	4194.51	4475.33	17383.51	1915.9[illegible]	1471.72	2943.71	1315.64	208.20	38018.79
8.	गढ़ी (एक जीप)	532.05	164.52	340.82	57.51	932.35	1550.70	1204.56	681.72	1710.30	1413.05	1321.10	1013.85	10922.53

परिशिष्ट 5

तारांकित प्रश्न संख्या 272 का विवरण

(क) नौकायन प्रतियोगिता के सम्बन्ध में व्यय का अब तक का प्राप्त विवरण

विभाग का नाम	शिक्षा विभाग द्वारा आवंटित राशि	सूचित व्यय
सिंचाई विभाग	15,00,000	22,53,000
सार्वजनिक निर्माण विभाग	4,00,000	5,57,312
चिकित्सा विभाग	20,000	20,000
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (यातायात उप समिति)	1,25,000	1,98,082
अतिथि सत्कार उप समिति व पर्यटन विभाग	1,50,000	×4,40,660
जन सम्पर्क विभाग	50,000	42,132
सामान्य प्रशासन विभाग	1,88,466	2,85,515
राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल	—	15,507
दूर संचार व्यवस्था	5,95,076	+4,86,990
एन.सी.सी. विभाग (समारोह के सम्बन्ध में)	30,000	30,000
जिलाधीश, जयपुर	10,000	सूचना प्राप्त नहीं हुई
कार्यालय व्यय	50,000	2,381

× इसमें से प्रतियोगियों के आवास व भोजन के व्यय की राशि विशिष्ट आयोजन समिति, नई दिल्ली से प्राप्त होगी जो तय होनी है।

+ इस व्यय में से रु. 4.00 लाख विशिष्ट आयोजन समिति, नई दिल्ली से प्राप्त होने हैं।

(ख) नवम् एशियाई खेलों के दिल्ली में उद्घाटन समारोह में राजस्थान की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

	आवंटित राशि	
(1) शिक्षा विभाग	×6.97 लाख	250 छात्राओं द्वारा घूमर नृत्य प्रस्तुत करने के संबंध में
(2) राजस्थान संगीत नाटक अकादमी	×2.79 लाख	80 व्यक्तियों द्वारा डांडिया नृत्य प्रस्तुत करने के संबंध में।

× अभी वास्तविक व्यय की सूचना प्राप्त होना शेष है।

151

नौकायन प्रतियोगिता के सम्बन्ध में की गई व्यवस्थायें

नवम् एशियाई खेल के अवसर पर रामगढ़ में आयोजित की गई नौकायन प्रतियोगिता की व्यवस्था एवं संचालन के सम्बन्ध में विभिन्न उप समितियों का निर्माण किया गया और उन्हें पृथक् पृथक् व्यवस्था सौंपी गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

उप समिति	कार्य
(1) निर्माण उप समिति :	झील पर दर्शकों के बैठने, प्रतियोगियों के उपयोग तथा नावों के रखने तथा अन्य व्यवस्था के संबंध में सिंचाई एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यों का समय पर एवं आवश्यकतानुसार कार्य करवाना ।
(2) अतिथि सत्कार उप समिति :	प्रतियोगियों तथा उनके साथ आने वाले अधिकारियों, विशिष्ट अतिथियों आदि के आवास एवं भोजन की व्यवस्था करना ।
(3) सुरक्षा उप समिति :	प्रतियोगिता के सम्बन्ध में रामगढ़ झील प्रतियोगियों के ठहरने के स्थान पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करना ।
(4) प्रचार उप समिति :	आयोजन के सम्बन्ध में आवश्यक प्रचार कार्य करना तथा प्रेस, रेडियो, टेलीविजन से समन्वय रखना ।
(5) चिकित्सा उप समिति :	रामगढ़ झील पर तथा प्रतियोगियों एवं विशिष्ट अतिथियों के ठहरने के स्थान पर तथा जयपुर में आवश्यक उपचार व्यवस्था के लिये प्रबन्ध करना ।
(6) स्वागत एवं प्रोटोकोल उप समिति :	प्रतियोगियों, विशिष्ट अतिथियों एवं टीमों के साथ आये अधिकारियों आदि के यथा स्थान पर स्वागत हेतु स्वागत कक्ष स्थापित करना तथा उस कार्य से संबंधित व्यक्तियों को मार्ग-दर्शन देना आदि–आदि ।
(7) यातायात उप समिति :	जयपुर से रामगढ़ तथा रामगढ़ से जयपुर जाने/लाने आदि के सम्बन्ध में आवश्यक वाहनों की एवं उनके संचालन की व्यवस्था करना ।
(8) समारोह उप समिति :	प्रतियोगिता के उद्घाटन तथा समापन समारोह के सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था करना ।

परिशिष्ट 6

तारांकित प्रश्न संख्या 17 की सूचियां

जालोर जिले के मूल्यांकन प्रमाण-पत्र के अभाव में दानदाताओं द्वारा निर्मित भवनों की सूची :—

1. क्षय निवारण केन्द्र में 20 शैयाओं का वार्ड ।
2. राजकीय चिकित्सालय, सरत तहसील जालोर ।
3. राजकीय चिकित्सालय, झाब तहसील सांचोर ।
4. राजकीय चिकित्सालय, करडा, तहसील भीनमाल ।

भू-आवंटन हेतु विचाराधीन मामलों की सूची :

पाली : 1. मरुधर केसरी प्राकृतिक चिकित्सालय ग्राम भूठा 12-3-81 से विचाराधीन है ।

2. रोटरी संस्थान सेठ रतनलाल कन्हैयालाल रांका नेत्र चिकित्सालय, जैतारण 15-4-82 से विचाराधीन है ।

3. पारसमल मेहरा मेमोरियल चेस्ट अस्पताल, पीपलिया कलां 3-12-82 से विचाराधीन है ।

जैसलमेर : दो-प्रकरण शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर, के पास विचाराधीन हैं ।

153

परिशिष्ट 7

तारांकित प्रश्न संख्या 26 की सूची

आधुनिकीकरण खण्ड, सिंचाई, टोंक में वर्ष 1981–82 एवं 1982–83 में स्वीकृत कार्यों के विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य समाप्ति की निर्धारित दिनांक	व्यय	समय पर कार्य पूर्ण न हो सकने का कारण	ठेकेदार/अधिकारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही का कारण
1	2	3	4	5	6
	वर्ष 1981-82				
	353 एम. आई. डब्ल्यू.				
1.	बन्ध श्योकदानपुरा का मिट्टी का कार्य चैन 77 से 115 तक	5–7–81	113948.00	कार्य पूर्ण हो चुका है	--
2.	,, ,, चैन 72 से 77	5–7–81	175623.00	,, ,,	—
3.	,, ,, चैन 23 से 55	6–11–81	251623.00	,, ,,	—
4.	बन्ध सूथडा की मुख्य नहर का निर्माण कार्य चैन 150 से 195	12–11–81	—	कार्य चालू नहीं किया	ठेकेदार के विरुद्ध अनुबन्ध की धारा 2 व 3 सी की कार्यवाही इस कार्यालय के पत्रांक 8763–64 दिनांक 21–1–81 द्वारा की गई है।

5.	बन्ध सूथड़ा की मुख्य नहर निर्माण कार्य चैन 0 से 70	27-11-81	—	कार्य चालू नहीं किया	कार्यालय के पत्रांक क. 12537-38 दिनांक 28-1-82
6.	बन्धमासी मुख्य नहर चैन 590 पर पुलिया निर्माण कार्य	5-12-81	—	,,	कार्य शुरू नहीं किया गया क्योंकि नहर चल रही थी।
7.	बन्ध श्योदानपुरा की दायीं मुख्य नहर चैन 0 से 50 का निर्माण कार्य	24-3-82	78825.00	कार्य पूर्ण हो चुका	फाइनेल बिल शेष है।
8.	—,,— चैन 50 से 110	24-3-82	70010.00	,,	,,
9.	—,,— चैन 110 से 190	24-3-82	69236.00	,,	,,
10.	—,,— बायीं मुख्य नहर चैन 0 से 95	2-5-82	144034.00	,,	,,
11.	बन्ध कासीर की मुख्य नहर का निर्माण कार्य	14-3-82	—	कार्य शुरू नहीं हुआ	काश्तकारों द्वारा कार्य करने में बाधा उत्पन्न की जा रही है।
12.	बन्ध सूथड़ा की मुख्य नहर चैन 120 से 183 का निर्माण कार्य	24-3-82	110777.00	कार्य प्रगति पर है	—
13.	—,,— चैन 0 से 60	24-3-82	—	,,	—
14.	द्वितीय टाईप क्वा. में बिजली फिटिंग का कार्य	10-3-82	7723.00	कार्य पूर्ण हो चुका है	बिल आना शेष है।
15.	बंध श्योदानपुरा की मुख्य नहर चैन 50 से टैल पर 3 पुलियों का निर्माण कार्य	19-4-82	7723.00	अपूर्ण	कार्य पूर्ण करने हेतु ठेकेदारों को नोटिस दिये गये।
16.	बंध श्योदानपुरा की मुख्य नहर चैन 30 से 50 पुलियों का निर्माण कार्य 512 चन्दलाई फिश फार्म	14-4-82	2881.00	,,	,,
17.	बंध चन्दलाई का फिश फार्म पर नर्सरी टैंक का निर्माण कार्य	23-11-81	56444.00	कार्य पूर्ण हो चुका है	—

1	2	3	4	5	6
18.	रियेरिंग टैंक का निर्माण कार्य 333 मेन्टीनेन्स	18–1–82	100938.00	,,	—
19.	रेस्ट हाउस टोडा बाउण्ड्रीवाल का निर्माण	24–6–81	10330.00	,,	—
20.	बन्ध गनेता सागर का आवश्यक मरम्मत कार्य	10–7–81	45588.00	,,	—
21.	नया तालाब मेन्दीया का मरम्मत कार्य	25–6–81	33085.00	,,	—
22.	बन्ध दातासागर के सिल्लूस का कार्य	30–6–81	177722.00	,,	—
23.	मोहम्मदगढ़ का मरम्मत कार्य	30–6–81	33522.00	,,	—
24.	बन्ध शिवसागर मोरला का निर्माण कार्य	1–7–81	37154.00	,,	—
25.	बन्ध टूनी सागर का मरम्मत कार्य	31–7–81	16848.00	,,	—
26.	बन्ध मोती सागर की मुख्य नहर का लाइनिंग कार्य चैन 60 से 100	16–8–81	104922.00	,,	—
27.	बन्ध गलवा मुख्य नहर पर सी. डी. कार्य चैन 965	26–7–81	11948.00	,,	फाइनल बिल शेष है।
28.	बन्ध आगरा बिलासपुरा की मोरी निर्माण कार्य	27–7–81	—	कार्य शुरू नहीं किया।	ठेकेदारों के विरुद्ध अनु. की धारा 2 व 3 की कार्यवाही इस कार्या. के प. 1385–86 दि. 13–5–82 द्वारा की गयी है।

29.	बन्ध लसाडिया का मरम्मत कार्य	7-8-81	26800.00	कार्य पूर्ण हो चुका है	—
30.	खेडली सागर का मरम्मत कार्य	7-8-81	1478.00	,,	—
31.	बन्ध डोरं डी सागर की पुलिया निर्माण कार्य चैन 632 से 1180	22-8-81	15913.00	,,	—
32.	बंध कण्डेल सागर का मरम्मत कार्य	19-8-81	8567.00	,,	फाइनल बिल शेष है।
33.	खेडली सागर की नहर का मरम्मत कार्य	26-9-81	3902.00	,,	—
34.	बंध दाखिया की नहर का मरम्मत कार्य	1-10-81	3110.00	,,	—
35.	बंध हथेना की नहर का मरम्मत कार्य	2-10-81	3169.00	,,	फाइनल बिल शेष है।
36.	बंध बगड़ी की नहर का मरम्मत कार्य	20-10-81	6767.00	,,	—
37.	बंध पराना की नहर का मरम्मत कार्य	2-10-81	—	कार्य शुरु नहीं किया	ठेकेदार को नोटिस दिये जा चुके हैं।
38.	बंध बोरखाण्डी की नहर का मरम्मत कार्य	2-10-81	6845.00	कार्य पूर्ण हो चुका है	—
39.	बंध दौलतसागर की नहर का मरम्मत कार्य	16-10-81	32613.00	,,	—
40.	,, चैन 160 से 245	11-11-81	39418.00	,,	—
41.	बंध दाखिया का मरम्मत कार्य	6-11-81	48886.00	,,	—
42.	बन्ध सुलतानसागर लावा की नहर का मरम्मत कार्य	29-9-81	2685.00	,,	—
43.	बंध रामसागर मौरला की बेडबार की मरम्मत कार्य	17-3-82	72988.00	,,	—
44.	बंध हथोना की वेस्ट वियर का कार्य	26-2-82	13502.00	,,	—
45.	बंध सदपुरा की बेडबार का मरम्मत कार्य	24-3-82	38968.00	कार्य प्रगति पर है	—

157

1	2	3	4	5	6
46.	बंध शिवसागर लावा का मरम्मत कार्य	27–3–82	61409.00	कार्य पूर्ण हो चुका है	--
47.	बंध पराना का मरम्मत कार्य	27–3–82	12871.00	कार्य अपूर्ण है	ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।
48.	बंध बनेडिया पुराना का मरम्मत कार्य	12–3–82	30819.00	कार्य पूर्ण हो चुका है	—
49.	बंध सदापुरा का मरम्मत कार्य	12–3–82	24905.00	,,	—
50.	बंध खाडलिया का निर्माण कार्य	12–3–82	23262 00	,,	—
51.	बंध बिवोलाय का मरम्मत कार्य वेडवार का	18–4–82	48354.00	,,	--
52.	बंध रामपुरा की वेस्टवियर का मरम्मत कार्य	18–4–82	33055.00	,,	–
53.	बंध सालगियावास का मरम्मत कार्य	20–4–82	41826.00	,,	—
54.	बंध हरचन्देड़ा की वेस्ट वियर का मरम्मत कार्य	5–4–82	38835.00	कार्य अपूर्ण है	ठेकेदार के विरुद्ध अनु. की धारा 2 व 3सी के अनुसार क्र. 6666–67 दि. 23-9-82 से कार्यवाही की जा चुकी है।
55.	बंध भवानी सागर डिग्गी का मरम्मत कार्य	10–5–82	109739.00	कार्य पूर्ण हो चुका है	--
56.	बंध लाम्बा हरिसिंह डाउन स्ट्रीप वेस्ट वियर का मरम्मत कार्य	17–4–82	—	कार्य शुरू नहीं हुआ है	ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।
57.	बंध लाम्बिया जनारदार का मरम्मत कार्य	18–4–82	16443.00	कार्य पूर्ण हो चुका है	—
58.	बंध संग्राम सागर का मरम्मत कार्य	19–5–82	118.00	,,	फाइनल बिल शेष है।
59.	बंध आसोलाव का मरम्मत कार्य	19–5–82	57128.00	,,	--
60.	टोडारायसिंह अनुभाग के लिये चैनेज स्टोन सप्लाई	14–4–82	6251.00	,,	--

61. चैनेज स्टोन सप्लाई मालपुरा अनुभाग	14-4-82	5793.00	कार्य पूर्ण हो चुका है	—
62. बंध रामसागर गनवर पर साइफन का कार्य मध्य नहर	19-4-82	9532.00	,,	फाइनल बिल आना शेष है।
63. बंध दण्डनगर की मरम्मत कार्य	19-5-82	47620.00	,,	,,
64. बंध खांडली सागर का मरम्मत कार्य	19-4-82	8563.00	कार्य अपूर्ण है	बन्ध में पानी भरा है।
65. बंध कण्डेल सागर का मरम्मत कार्य	19-4-82	38304.00	कार्य पूर्ण हो चुका है	फाइनल बिल आना शेष है।
66. बंध मोतीसागर मुख्य नहर चैन 40 से 60 पर लाइनिंग कार्य	19-5-82	--	कार्य चालू नहीं किया	ठेकेदार के विरुद्ध इस कार्यालय के पत्रांक 7762-63 दि. 17-9-82 के द्वारा कार्यवाही की जा चुकी है।
67. बंध भावती का निर्माण कार्य	4-5-82	—	,,	,, प. 5601-दि. 31-7-82
68. बंध चौरू सागर का मरम्मत कार्य	19-4-82	40953.00	कार्य पूर्ण हो चुका है	फाइनल बिल आना शेष है।
69. बंध चान्दसी सागर का मरम्मत कार्य	14-4-82	44973.00	,,	फाइनल बिल आना शेष है।
70. बंध रिजोन्दा का मरम्मत कार्य	19-4-82	—	कार्य अपूर्ण है	ठेकेदार के विरुद्ध प. 2995/-66 दि. 10-6-82 द्वारा अनु. की धारा 2 व 3 की कार्यवाही की जा चुकी है।
71. बन्ध रतनपुरा का मरम्मत कार्य	19-4-82	20730.00	कार्य पूर्ण हो चुका है	—
72. बन्ध धोलाई का मरम्मत कार्य	19-4-85	13131.00	,,	फाइनल बिल आना शेष है।
73. बंध गलवानिया की बाईं पास कटिंग का कार्य	19-5-82	64791.00	कार्य प्रगति पर है	—
74. बंध हेदरीपुरा का मरम्मत कार्य	19-4-82	—	अब यह कार्य अकाल राहत में लिया गया है।	—

158

(159)

1	2	3	4	5	6
	289-बाढ़ से क्षतिग्रस्त				
75.	बंध मांसी की माइनर विलायतीपुरा, किशनपुरा, मेहलोद, इस्लामपुरा का मरम्मत कार्य	26–10–81	2394.00	कार्य पूर्ण हो चुका है	—
76.	बन्ध रुचोलिया, आजमपुरा पीपल, इस्लामपुरा का मरम्मत कार्य	16–10–81	23047.00	,,	—
77.	बंध टोरडी की माइनर चैन 160 से 1130 का मरम्मत कार्य	16–10–81	31142.00	,,	—
78.	बंध टोरडी की मिडिल केनाल मय 5 माइनर का मरम्मत कार्य	16–10–81	12315.00	,,	—
79.	टोरडी की नोर्थ केनाल चैन 400 से 720 का मरम्मत कार्य	16–10–81	18133.00	,,	—
80.	— ,, —चैन 0 से 395	16–10–81	27395.00	,,	—
81.	बंध गलवा की माइनर नं. 4,5,6,7 का मरम्मत कार्य	11–10–81	54283.00	,,	—
82.	बंध मासी की मुख्य नहर चैन 795 से 1000 का मरम्मत कार्य	16–10–81	20407.00	,,	—
83.	बंध गलवा की माइनर नं. 1,2 का मरम्मत कार्य	11–10–81	37048.00	,,	—
84.	बंध बोरखाण्डी खुर्द का मरम्मत कार्य	11–11–81	40976.00	,,	फाइनल बिल आना शेष है।

85. बन्ध सुलतान सागर का मरम्मत कार्य	26-11-81	81788	,,		—
86. बन्ध सांखली का मरम्मत कार्य	2-11-81	23873	,,	फाइनल बिल आना शेष है।	
87. बन्ध अरनियामाल का मरम्मत कार्य	1-11-81	28008	,,		—
88. बन्ध लवावर का मरम्मत कार्य	1-11-81	22922	,,		—
89. बन्ध मासी मुख्य नहर चैन 568 पर विगवाल एवं मिट्टी का कार्य	11-11-81	65195	,,		—
90. बन्ध लुहारा नार्थ का मरम्मत कार्य	6-11-81	37231	,,		—
91. बन्ध लुहारा साउथ का मरम्मत कार्य	6-11-81	35852	,,		—
92. बन्ध सांखना का मरम्मत कार्य	6-11-81	44633	,,		—
93. बन्ध गलवा मुख्य नहर चैन 310 से 1130 का मरम्मत कार्य	1-12-81	144447	,,		—
94. बन्ध गलवा मुख्य नहर चन 1130 से 1290 का मरम्मत कार्य	9-11-81	127973	,,		—
95. बन्ध गलवा मुख्य नहर ब्रांच केनाल चैन 0 से 568	16-11-81	73879	,,		—
96. बंध गलवानिया की वेस्ट केनाल का मरम्मत कार्य	11-11-81	29979	,,		—
97. बंध मासी मुख्य नहर चैन 0 से 795 का मरम्मत कार्य	17-11-81	51618	,,		—
98. बंध हरीपुरा का ऐकोडेक का निर्माण कार्य	16-11-81	34846	,,		—
99. बंध गलवा की मुख्य नहर चैन 0 से 310	11-11-81	34523	,,		—

160

1	2	3	4	5	6
100.	बंध चान्दसैन की नार्थ केनाल का मरम्मत कार्य	7–10–81	14506	कार्य पूर्ण हो चुका है	—
101.	बंध प्रतापसागर डिग्गी चैन 0 से 65 का मरम्मत कार्य	5–12–81	–	कार्य चालू नहीं किया	ठेकेदार के विरुद्ध अनु.की धारा 2 व 3सी के अनुसार क्र.। 12665–66 दि. 5–2–82 द्वारा कार्य. की जा चुकी है ।
102.	बंध चान्दसैन की साउथ केनाल का मरम्मत कार्य	27–11–81	–	यह कार्य अकाल राहत में पूर्ण करवा लिया है।	—
103.	बन्ध मोहम्मदगंज का मरम्मत कार्य	6–1–82	41185	कार्य पूर्ण हो चुका है	बिल आना शेष है ।
104.	बन्ध मोहम्मद गंज का मरम्मत कार्य	6–1–82	63275	,,	—
105.	बंध गलवा की वाज़ोलिया बालीथल जोटकिया माइनर नं. 13 का मरम्मत कार्य	16–11–81	78995	,,	—
106.	बंध रुस्तमगंज का मरम्मत कार्य	15–1–82	39858	,,	—
107.	बंध सोयला का मरम्मत कार्य	15–2–82	10086	अपूर्ण	पहले बंध में पानी होने एवं अब फसल खड़ी होने के कारण
108.	हरचन्देडा का मरम्मत कार्य	15–1–82	32169	कार्य पूर्ण हो चुका है	फाइनल बिल आना शेष है।
109.	बंध बिसनपुरा का मरम्मत कार्य	15–1–82	20795	,,	—

110.	बंध हरभवता का मरम्मत कार्य	20–1–82	43717	कार्य पूर्ण हो चुका है	फाइनल बिल आना शेष है।
111.	बंध वजीरपुरा का मरम्मत कार्य	5–1–82	27860	,,	—
112.	बंध बालापुरा का मरम्मत कार्य	29–2–82	60667	,,	फाइनल बिल आना शेष है।
113.	बंध मेघसागर डिग्गी मरम्मत कार्य	29–2–82	64141	,,	—
114.	बंध देवपुरा	29–1–82	11041	अपूर्ण	ठेकेदार के विरुद्ध अनु. की धारा 2 व 3 सी के अनुसार क्र. 13722–23 दि. 28–2–82 के द्वारा कार्य. की जा चुकी है।
115.	बंध गोठडा का मरम्मत	14–4–82	258395	कार्य प्रगति पर है	—
116.	बंध बनेठा का मरम्मत कार्य	29–3–82	371586	कार्य पूर्ण	—
117.	बंध दौलत सागर पार्ट प्रथम	29–3–82	272482	कार्य पूर्ण हो चुका	—
118.	बंध नागफनी लेन सागर 6 से 65	14–4–82	250597	कार्य अपूर्ण है	बंध में पानी भरा है।
119.	बंध गलवा की वेस्ट वियर डाउन स्ट्रीट प्रोटेक्शन कार्य	29–3–82	125160	कार्य प्रगति पर है	—
120.	बंध मांसी	29–3–82	142591	कार्य पूर्ण हो चुका	—
121.	बंध दाखिया का मरम्मत कार्य	17–3–82	59839	कार्य अपूर्ण	ठेकेदार के विरुद्ध अनु. की धारा 2 व 3 की कार्य. प. 5146–47 दि. 24–7–82 द्वारा की जा चुकी है।
122.	बंध चन्दलाई का रेस्टोरेशन एवं मरम्मत का कार्य	4–6–82	489640	कार्य अपूर्ण	ठेकेदार के विरुद्ध धारा 2, 3 कार्यवाही प्रस्तावित की गयी है।

(163)

1	2	3	4	5	6
123.	बंध दौलत सागर का मरम्मत कार्य	24–3–82	149021	कार्य पूर्ण हो चुका है	—
124.	विजय सागर लावा का मरम्मत कार्य	18–3–82	39000	,,	—
125.	बंध प्रताप सागर डिग्गी	27–3–82	61929	,,	—
126.	बंध मासी का रेस्टोरेशन कार्य	18–5–82	72356	,,	—
127.	बंध नागफनी की मरम्मत का कार्य 3 से 32 एवं चैन 1 से 3 पर वेस्ट वियर की मरम्मत कार्य	19–6–82	—	कार्य अपूर्ण है	बंध में पानी भरा होने के कारण चालू नहीं हुआ ।
128.	बंध गलवा का चेगनी माइनर का कार्य	5–4–82	11846.00	,,	ठेकेदार के विरुद्ध पत्र सं. 7616–67 दि. 13–9–82 द्वारा अनु. की धारा 2 व 3 की कार्यवाही की जा चुकी है ।
वर्ष 1982–83					
1.	बंध गलवा डिस्ट्रीब्यूटर माइनर नं. 7 चैन 150 से 180 का लाईनिंग कार्य	31–5–82	25367.00	कार्य पूर्ण हो चुका है	फाइनल बिल बनाना शेष है ।
मद 533 एम. आई. डब्ल्यू/ आधुनिकीकरण					
2.	कासीर की बाइ पास कोटिंग व गाइड बंध का निर्माण कार्य	27–6–82	77102.00	,,	,,
3.	बन्ध सूथडा मुख्य नहर चैन 60 से 120 का निर्माण कार्य	13–7–82	56066.00	कार्य प्रगति पर है नोटिस दिये जा रहे हैं	—

4.	बंध शोहदरा की चैन 16/76 मिट्टी का कार्य	22-8-82	141027.00	कार्य प्रगति पर है	नोटिस दिये जा चुके हैं।
5.	बंध मासी मुख्य नहर चैन 1407 से 1517 तक एक्सटेन्शन कार्य	9-10-82	28330.00	,,	—
6.	बंध मासी इस्लामपुरा माइनर चैन 100 से 135 एक्सटेन्शन कार्य	9- 9-82	—	काश्तकारों द्वारा मिट्टी नहीं खोदने देने के कारण कार्य चालू नहीं हुआ है	—
7.	द्वितीय टाइप क्वाटर में सेनेटेरी फिटिंग का कार्य	27-9-82	—	कार्य पूर्ण हो चुका है	बिल आना शेष है।
8.	बंध शोहदरा की लिफ्ट केनाल चैन 15 से 75 का निर्माण कार्य	20-12-82	4059.00	कार्य प्रगति पर है	—
9.	बंध मासी की केनाल चैन 250 पर पुलिया निर्माण कार्य	19-12-82	—	,,	—
10.	बंध मासी केनाल चैन 340 पर पुलिया निर्माण कार्य	19-12-82	—	,,	—
11.	बंध मासी चैन 885 पर काजवे का निर्माण कार्य	17- 2-83	—	,,	—
12.	बंध मासी केनाल चैन 952 पर काजवे का निर्माण कार्य	17- 2-83	—	,,	—
13.	बंध मासी केनाल चैन 850 पर काजवे का निर्माण कार्य	17- 2-83	—	,,	—
14.	बंध मासी केनाल चैन 567 पर काजवे का निर्माण कार्य	18- 2-83	—	,,	—

1	2	3	4	5	6
15.	बंध सिरोही केनाल व पक्का कार्य का निर्माण कार्य	4– 4–83	—	कार्य प्रगति पर है	—
मद–512 फिश फार्म					
16.	बंध चन्दलाई फिश फार्म पर स्टोकिंग निर्माण कार्य	7– 4–83	—	,,	—
17.	बंध चन्दलाई फिश फार्म पर कुएं का निर्माण कार्य	23–3–83	—	,,	—
मद–333 एम. एण्ड. आर.					
18.	बंध हालोलाव की फीडर का मरम्मत कार्य	24–6–82	28363.00	कार्य पूर्ण हो चुका है	फाइनल बिल आना शेष है।
19.	बंध बगड़ी की वेस्टवीयर का मरम्मत कार्य	28–6–82	57515.00	,,	,,
20.	बंध गनवर सप्लाई कट फीडर का मरम्मत कार्य	30–6–82	18914.00	कार्य अपूर्ण है	नोटिस दिये जा रहे हैं।
21.	बंध सुखपुरा का मरम्मत कार्य	24–7–82	35870.00	कार्य पूर्ण हो चुका है	—
22.	बंध किरावलसागर की वेस्टवीयर का मरम्मत कार्य	16–11–82	—	कार्य प्रगति पर है	—
23.	बंध खेडलीसागर की साउथ केनाल की नाकाबन्दी व मरम्मत कार्य	16–11–82	6923.00	,,	—
24.	बंध चान्दसेन की साउथ केनाल की नाकाबन्दी व मरम्मत कार्य	13–10–82	8814 00	कार्य पूर्ण हो चुका है	—

25.	बंध चान्दसेन की नार्थ केनाल की नाकाबन्दी व मरम्मत कार्य	13-10-82	12798.00	,,	—
26.	बंध गलवा की माइनर नं. 1, 2, 3 बिजोलिया, झोटकिया की नाकाबन्दी व मरम्मत कार्य	19-10-82	18623.00	,,	—
27.	बंध ढिपरू सागर की नाकाबन्दी व मरम्मत कार्य	13-10-82	3339.00	,,	—
28.	बंध मोतीसागर केनाल चेन से 795 टेल पर नाकाबन्दी व मरम्मत कार्य	31-11-82	38251.00	,,	—
29.	बंध मासी की मुख्य नहर चेन 0 से 795 का मरम्मत कार्य	23-10-82	21138.00	,,	—
30.	बंध दाखिया केनाल की नाकाबन्दी व मरम्मत कार्य	23-10-82	30562.00	,,	—
31.	बंध गलवा मुख्य नहर चेन. 610 से 1290 तक नाकाबन्दी व मरम्मत कार्य	23-10-82	19605.00	,,	—
32.	बंध दौलतसागर की राइट केनाल की नाकाबन्दी व मरम्मत कार्य	23-10-82	7476.00	,,	बिल आना शेष है।
33.	बंध दौलतसागर की लेफ्ट केनाल की नाकाबन्दी व मरम्मत कार्य	23-10-82	5007.00	,,	,,
34.	बंध टोरडीसागर की नोर्थ केनाल की नाकाबन्दी व मरम्मत कार्य	31-10-82	37501.00	,,	फाइनल बिल आना शेष है।
35.	बंध बगड़ी नहर का नाकाबन्दी व मरम्मत कार्य	13-10-82	4362.00	,,	—
36.	बंध गनेतासागर नहर का नाकाबन्दी व मरम्मत कार्य	19-10-82	6028.00	,,	—

166

1	2	3	4	5	6
37.	बंध बनोडिया नया नहर की नाकाबन्दी व मरम्मत कार्य	12–10–82	4618.00	कार्य पूर्ण हो चुका है	—
38.	बंध मासी की कचौलिया, लोरवाड़ा, प्राजमपुरा, पीपल की अलीमपुरा की नाकाबंदी व मरम्मत कार्य	23–10–82	16901.00	,,	—
39.	बंध हरिपुरा केनाल की नाकाबन्दी व मरम्मत कार्य	13–10–82	7866.00	,,	—
40.	बंध पनवाडसागर केनाल की सीलड क्लेरेन्स मरम्मत कार्य	23–10–82	14955.00	,,	—
41.	बंध मानसागर केनाल की नाकाबन्दी व मरम्मत कार्य	23–10–82	11482.00	,,	—
42.	बंध संग्रामसागर निवारिया की नहर की नाकाबन्दी व मरम्मत कार्य	23–10–82	12345.00	,,	—
43.	बंध दूनीसागर केनाल की मरम्मत व नाकाबन्दी कार्य	23–10–82	2945.00	,,	—
44.	बंध गलवा माइनर नं. 6, 7, 8 पावेडरा माइनर, मरम्मत व नाकाबन्दी कार्य	23–10–82	9696 00	,,	फाइनल बिल आना शेष है।
45.	बंध बनेठा नहर चेन 0 से 20 पर मरम्मत कार्य	23–10–82	18414.00	,,	—
46.	बंध चन्दलाई की नहर पार्ट द्वितीय का मरम्मत कार्य	23–10–82	11360.00	,,	—

47.	बंध गलवा मुख्य नहर चैन 0 से 610 पर मरम्मत व नाकाबन्दी कार्य	23–11–82	32478.00	,,	—
48.	बंध मालपी घावास नहर की नाकाबन्दी व मरम्मत कार्य	13–10–82	—	कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया।	नोटिस दिया जा रहा है।
49.	बंध टोरडीसागर की मध्य नहर की नाकाबन्दी व मरम्मत कार्य	3–11–82	44168.00	कार्य पूर्ण हो चुका है	—
50.	बंध मासी मेन केनाल चैन 795 से टेल की मरम्मत कार्य	23–10–82	24113.00	,,	—
51.	बंध मासी माइनर विलायतीपुरा, गहलोत इस्लामपुरा किशनपुरा का नाकाबन्दी व मरम्मत कार्य	13–10–82	10237.00	,,	—
52.	बंध चंदलाई की नहर पार्ट प्रथम चेन 0 से 110 का मरम्मत व नाकाबन्दी कार्य	3–11–82	23003.00	,,	—
53.	बंध झिराना केनाल का मरम्मत कार्य	13–10–82	2179.00	,,	—
54.	बंध निमेडा केनाल का मरम्मत कार्य	13–10–82	2853.00	,,	—
55.	बंध टोरडी सागर की साउथ केनाल की आउटलेट का मरम्मत कार्य	25–10–82	18991.00	,,	बिल आना शेष है।
56	बंध टोरडी सागर की मध्य नहर का मरम्मत कार्य	25–10–82	5322.00	,,	—
57.	बंध हरदेडो की नहर का मरम्मत कार्य	21–10–82	7413.00	,,	—
58.	बंध हथोना का मरम्मत कार्य	21–10–82	13112.00	,,	फाइनल बिल आना शेष है।

1	2	3	4	5	6
59.	बंध पराना नहर का मरम्मत कार्य	20–10–82	4125.00	कार्य पूर्ण हो चुका है	—
60.	बंध लाम्बाहरिसिंह की नहर का मरम्मत कार्य	21–10–82	—	,,	फाइनल बिल आना शेष है।
61.	बंध किरावलसागर नहर का मरम्मत कार्य	25–10–82	—	,,	—
62.	बंध गलवा ब्रांच केनाल चैन 0 से टेल का मरम्मत कार्य	5–11–82	25212.00	,,	फाइनल बिल आना शेष है।
63.	बंध मोरभाटियान की सप्लाईकट का रेस्टोरेशन व मरम्मत कार्य	7–11–82	13527.00	,,	—
64.	बंध गलवानिया की खेड़ली गलवानिया, बेलनगंज माइनर का मरम्मत व नाकाबन्दी कार्य	23–10–82	17845.00	,,	—
65.	बंध टोरडीसागर की साउथ केनाल की मरम्मत व नाकाबन्दी कार्य	7–11–82	17898.00	,,	फाइनल बिल आना शेष है।
66.	बंध लुहारा साउथ की केनाल की मरम्मत व नाकाबन्दी कार्य	3–11–82	—	,,	,,
67.	बंध लुहारा नार्थ केनाल की मरम्मत व नाकाबन्दी कार्य	4–11–82	—	,,	,,
68.	बंध खेड़लीसागर की नहर की मरम्मत व नाकाबन्दी का कार्य	4–11–82	5337.00	,,	—
69.	बंध डागरथल की नहर का मरम्मत व नाकाबन्दी का कार्य	4–11–82	3766.00	,,	—
70.	बंध बोरखण्डी कलां की नहर की मरम्मत व नाकाबन्दी कार्य	4–11–82	4081.00	,,	—

71.	बंध गलवानिया माइनर खेडली बेलनगंज, चेतानी का मरम्मत कार्य	11–11–82	—	,,	फाइनल बिल आना शेष है।
72.	बंध मोतीसागर की डाउनस्ट्रीम का प्रोटेक्शन का कार्य	17–3–83	—	कार्य प्रगति पर है	–
	मद–289 बाढ़ से क्षतिग्रस्त				
73.	बंध गलवानिया की रेस्टोरेशन एवं मरम्मत कार्य	29– 5–82	48331.00	,,	–
74.	बंध देवपुरा का मरम्मत कार्य ठेकेदार द्वारा छोड़ा गया कार्य	19– 6–82	6729.00	कार्य अपूर्ण है	ठेकेदार के विरुद्ध अनुबन्ध 2 व 3 के अनुसार इस कार्यालय प. 5547–48 दि. 31-7-82 कार्यवाही जारी है।
75.	बंध देवपुरा का ठेकेदार द्वारा छोड़ा गया कार्य	31–11–82	—	कार्य प्रगति पर है	,,
76.	बंध गलवा की चेतानी माइनर सी. डी. कार्य ठेकेदार द्वारा छोड़ा गया कार्य	5–11–82	28625.00	कार्य पूर्ण हो चुका है	फाइनल बिल आना शेष है।
77.	बंध दौलत सागर पर मुर्रम सप्लाई का कार्य	17– 2–83	—	कार्य प्रगति पर है	,,
78.	बंध गलवा पर मुर्रम सप्लाई का कार्य	17– 2–83	—	,,	,,
79.	बंध गोठड़ा पर पीचिंग का कार्य	21– 3–83	—	,,	,,

(171)

परिशिष्ट-8

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

बाड़मेर व जैसलमेर में पशु।

चोरी के मामले

273. **श्री अमीन खां (शिव)** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में वर्ष 1982 से 31-1-1983 तक कितने-कितने पशुओं की चोरियां हुई और उनमें से कितने-कितने बरामद हुए ?

(2) उक्त मामलों में से कितनों में अपराधियों के विरुद्ध न्यायालयों में चालान पेश किए गए ? कृपया थानावाइज सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में सन् 1982 से 31-1-83 तक 1116 पशु चोरी गये। उनमें से 622 पशु बरामद हुए।

(2) उक्त मामलों में 90 व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किये गये सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

जिन व्यक्तियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं, की थानावाइज सूची

बाड़मेर :

क्रम. सं.	नाम थाना	एफ.आई.आर. संख्या	पशु चोरी सं.	पशु बरामद सं.	व्यक्तियों के चालान
1.	शिव	7	25	24	8
2.	गिराव	8	281	280	2
3.	बाड़मेर	18	72	7	8
4.	बायतू	2	13	2	2
5.	गिडा	7	30	26	12
6.	धोरीमना	12	34	28	6
7.	गुढ़ामालानी	4	2	1	1
8.	बालोतरा	8	9	7	2
9.	शिवाना	2	2	1	1
10.	मंडली	7	6	5	6
11.	सिन्दरी	8	3	2	8
12.	चौहटन	12	11	9	5
13.	सेढवा	1	85	85	4
14	बरवासर	4	20	11	6
15.	बीजराड	4	3	2	3
16.	गडरा रोड	3	2	—	—
17.	रामसर	5	123	—	—
	योग ..	112	721	490	69

जैसलमेर :

क्रम. सं.	नाम थाना	एफ.आई.आर. संख्या	पशु चोरी सं.	पशु बरामद सं.	व्यक्तियों के चालान
1.	जैसलमेर	8	159	2	2
2	सम	2	6	3	1
3.	मोहनगढ़	3	91	63	4
4.	नाचना	3	108	60	7
5.	सांगड़	8	31	4	7
	योग ..	42	395	132	21

छापी बांध (झालावाड़) हेतु स्वीकृत राशि

274. श्री भैरूंलाल (मनोहरथाना) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ की छापी बान्ध परियोजना के लिये वर्ष 1982-83 में स्वीकृत धनराशि में से कुछ धनराशि का हस्तान्तरण अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, कोटा द्वारा अन्य स्थानों पर किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार छापी बांध हेतु वर्ष 1982-83 की स्वीकृत धनराशि को इसी परियोजना पर खर्च करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां।

ग्राम ठाठरी (जयपुर) में मदिरापान से मृत्यु

275. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि 23 दिसम्बर, 1982 को जिला जयपुर के ठाठरी ग्राम में देशी शराब के ठेके से खरीद की हुई विषैली शराब पीने से कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई ?

(2) क्या उक्त काण्ड के अपराधी पकड़े गये ? यदि हां, तो सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

(3) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) अवैध शराब की रोकथाम हेतु विशेष आबकारी धावे किये जा रहे हैं।

राज्य एवं राज्य के बाहर के मेडिकल कॉलेज

276. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश से कितने विद्यार्थियों को राज्य के बाहर के मेडिकल कॉलेज में भेजा जाता है तथा अन्य प्रान्तों के कितने विद्यार्थियों को राजस्थान के मेडिकल कॉलेजेज में प्रवेश दिया जाता है तथा इस हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

(2) इस वर्ष श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में किन-किन छात्रों को किस-किस आधार पर भेजने का निर्णय लिया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पिछले वर्षों में 5-5 विद्यार्थियों को एम. बी., बी. एस. के लिये आदान-प्रदान के आधार पर प्रवेश दिया जाता रहा है। सीटों को जम्मू एवं कश्मीर सरकार की सहमति के आधार पर घटाया-बढ़ाया जाता है। प्राप्त आवेदनों में पात्रता के आधार पर जम्मू एवं कश्मीर भेजा जाता है। बी.डी.एस. की संख्या भारत सरकार तय करती है। आवेदकों का चयन पात्रता के आधार पर किया जाता है।

(2) उम्मीदवार की पात्रता के आधार पर चयन किया जाता है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(173)

राजस्थान सरकार द्वारा जम्मू एवं कश्मीर में एम०बी०,बी०एस० कोर्स के लिये मनोनीत किये गये छात्रों की सूची

वर्ष-1982

नाम व पता 1	मेडिकल कॉलेज 2
1. डा० अनु भण्डारी, द्वारा डा० बी० एम० भण्डारी, जयपुर	मेडिकल कॉलेज, जम्मू
2. डा० प्रीति माथुर, द्वारा ले० कर्नल जे० पी० माथुर पी-2,5, जय दुर्गा कम्पलेक्स (केन्ट जम्मू)	,,
3. श्री सन्तोष त्रिवेदी, पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार त्रिवेदी, एफ-23 रमेश मार्ग सी-स्कीम, जयपुर	,,
4. श्री राणा हरीजीत सिंह, पुत्र श्री सतवन्त सिंह, अतिरिक्त अधीक्षक (ए० सी० डी०), जयपुर	,,
5. श्री संजय शर्मा, पुत्र श्री डी० डी० शर्मा. गोपी का बेरा मण्डोर, जोधपुर	,,
6. श्री वसीम अहमद, पुत्र श्री अब्दुल मजीद एसिसटेन्ट रेजीडेन्ट इंजीनियर, आर० एस० ई० बी० सी०, उदयपुर	,,
7. श्री सुरेन्द्र कौल, पुत्र श्री श्रीकृष्ण कौल (करिहार), हब्बा का दल, श्रीनगर	,,
8. कु० दुर्गेशनन्दनी, पुत्री श्री कौल० परमार, जयपुर	,,

1	2
9. कु० कल्पना थानवी, पुत्री श्री डी० के० थानवी, डी० आई० जी०, जयपुर	मेडिकल कॉलेज, जम्मू
10 श्री प्रकाश झा पुत्र श्री जी० एन० झा, महाराजा कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ साईन्स, जयपुर	"
11. श्री मोहम्मद इस्लामुदीन, पुत्र श्री मोहम्मद सिद्दीकी, झुन्झुनू	"
12. श्री ज्योति आसोपा, पुत्र श्री एच० एस० आसोपा, स्टेशन रोड, बीकानेर।	"

कृषि उपज मंडी द्वारा सड़क निर्माण

277. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या कृषि उपज मण्डी समिति, बालोतरा से मूंगड़ा और मेवानगर, वरिया, सइली डामर सड़कों का निर्माण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

मंडी समिति के पास धनराशि उपलब्ध न होने के कारण सड़कों का निर्माण करना सम्भव नहीं हो सका है।

जैसलमेर ज़िले के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

278. श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जैसलमेर जिले के समस्त पशु चिकित्सालय में अधिकारियों, कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं ?

(2) क्या उक्त पदों में कुछ रिक्त हैं ? यदि हां, तो कितने-कितने और कब-कब से ?

(3) क्या सरकार रिक्त पदों को शीघ्र भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले के समस्त पशु चिकित्सा संस्थाओं में विभाग द्वारा नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों के 24 एवं अन्य कर्मचारियों के 140 पद स्वीकृत हैं।

(2) जी हां। स्वीकृत पदों में से 12 अधिकारियों एवं 30 कर्मचारियों के पद वर्तमान में रिक्त हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। रिक्त पदों में से सहायक पशु चिकित्सकों के पदों को छोड़कर शेष तकनीकी पदों को भरने हेतु नियुक्ति आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं। अतकनीकी पदों में से जिनके लिये भर्ती पर रोक नहीं है, यथाशीघ्र भर दिये जायेंगे।

जैसलमेर जिले में रिक्त पदों की सूची

क्र. सं.	नाम संस्था	बी.ए. एस.	बी. ए.	एल. एस. ए.	लेब टेक्नि-शियन	सईस	ड्राइवर	स्वीपर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	न.प. चि. एवं रोग निदान केन्द्र, जैसलमेर	—	—	—	1	—	1	—
2.	खुर्रा नियन्त्रण अधि., जैसलमेर	—	—	—	1	—	—	—
3.	पशु चिकित्सालय, जैसलमेर	—	1	1	—	—	—	—
4.	पशु चिकित्सालय, रामगढ़	—	—	—	—	—	—	—
5.	पशु चिकित्सालय, मनियाना	1	1	—	—	—	—	—
6.	पशु चिकि., नाचना	—	1	—	—	—	—	—
7.	पशु चिकि. न. प. चि. ई., पोकरण	—	—	1	—	—	—	—
8.	आरक्षण क्षेत्र, जैसलमेर	—	—	1	—	—	—	—
9.	पशु औषधालय, लाठी	—	—	—	—	—	—	1
10.	पशु औषधालय, देवीकोट	—	1	—	—	—	—	—
11.	पशु औषधालय, साकड़ा	—	1	—	—	—	—	—
12.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, सतो	1	—	—	—	—	—	—
13.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, खुड़ी	1	—	1	—	—	—	1
14.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, देवा	1	—	—	—	—	—	1
15.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, मोहनगढ़	1	—	1	—	—	—	—
16.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, लुहारकी	1	—	—	—	—	—	—
17.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, सतयाया	1	—	1	—	—	—	—
18.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, चान्दन	—	—	—	—	—	—	1
19.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, फलसूंड	—	—	1	—	—	—	—
20.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, राजमवाई	1	—	1	—	—	—	1
21.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, डागरी	1	—	1	—	—	—	1
22.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, बडोड़ागांव	1	—	—	—	—	—	1
23.	पशु स्वा. केन्द्र, झिझिनियाली	1	—	1	—	2	—	1
24.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, नोख	—	—	1	—	—	—	—
25.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, सम	1	—	—	—	1	—	—
	योग. .	12	5	11	2	3	1	8

जैसलमेर जिले में कब से पद रिक्त हैं, की सूची

क्र.सं.	संस्था का नाम	वी.ए.एस.	दिनांक	वी.ए.	दिनांक	एल.एस.एफ.	दिनांक	लेब टे.	दिनांक	सईस	दि.	ड्राईवर	दिनांक	स्वीपर	दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	न.प.चि.ई. एवं रोग निदान केन्द्र, जैसलमेर	—	—	—	—	—	—	1	स्थापन से ही	—	—	1	स्थापन से ही	—	—
2.	खुर्रा नियन्त्रण अधिकारी, जैसलमेर	—	—	—	—	—	—	1	11/81	—	—	—	—	—	—
3.	पशु चिकित्सालय, जैसलमेर	—	—	—	—	1	3/82	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	पशु चिकित्सालय, रामगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	पशु चिकित्सालय, मनियाना	1	4/80	1	12/81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	पशु चिकित्सालय, नाचना	—	—	1	9/81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	न.प.चि.ई., पोकरण	—	—	—	—	1	5/82	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	आरक्षण क्षेत्र, जैसलमेर	—	—	—	—	1	1/81	—	—	—	—	—	—	—	—

176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.	पशु चिकित्सालय, लाठी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3/81
10.	पशु औषधालय, देवीकोट	—	—	1	4/78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	पशु औषधालय; सानड़ा	—	—	1	8/80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, सतो	1	8/82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, खुड़ी	1	9/80	—	—	1	8/80	—	—	—	—	—	—	1	5/81
14.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, देवा	1	7/81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	स्थापना से ही
15.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, मोहनगढ़	1	1/82	—	—	1	स्थापन से	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, लोहार की	1	7/82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, सतयाया	1	12/80	—	—	1	स्थापन से	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, चांदन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7/80
19.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, फलसूंड	—	—	—	—	1	3/82	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, राजमथाई	1	स्थापन से	—	—	1	3/81	—	—	—	—	—	—	1	5/81
21.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, डागरी	1	,,	—	—	1	1/81	—	—	—	—	—	—	1	6/81
22.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, वडोडागांव	1	,,	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	स्थापना से
23.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, झिझिनियाली	1	,,	—	—	1	स्थापन से	—	—	2	स्थापना से	—	—	1	1
24.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, नोख	—	—	—	—	1	,,	—	—	—	—	—	—	—	—
25.	पशु स्वास्थ्य केन्द्र, सम	1	—	—	—	—	—	—	—	1	7/81	—	—	—	—

पीपल्दा एवं सुल्तानपुर क्षेत्र में मिट्टी के चेक डेम्स की मरम्मत

279. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा),

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा एवं सुल्तानपुर क्षेत्र में भूतपूर्व महाराजाओं द्वारा कटाव रोकने हेतु बनाये गये मिट्टी के चेक डेम्स स्थान-स्थान पर टूट गये ?

(2) क्या सरकार जनहित में टूटे हुए चेक डेम्स की मरम्मत का कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के आदेश प्रदान करेगी ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार के पास उक्त चेक डेम्स की मरम्मत हेतु कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है और उस पर कुल कितनी धनराशि व्यय की जावेगी तथा कार्य कब शुरू किया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। बांधों की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) इन बांधों का सर्वेक्षण किया गया है तथा प्राक्कलन बनाया गया है जो विचाराधीन है।

(3) निश्चित लाभ लागत का अनुपात एवं धनराशि की उपलब्धता आदि कारणों पर विचारोपरान्त इन कार्यों के बारे में विचार सम्भव होगा।

पीपल्दा क्षेत्र में निम्न गांवों में भूतपूर्व महाराजाओं द्वारा बनाये गये बन्धे तालाब स्थित हैं :—

1. कमलदा
2. विजयपुरा
3. जलोद तेजाजी
4. अचलगढ़
5. चैनपुरा
6. टिकोड
7. भोजखेड़ी
8. कमरिया
9. पीपल्दा खुर्द
10. अमयाना
11. माल बंमोरी
12. जाहनोद
13. पाटून्दा
14. इटावा
15. नोनेरा
16. डडवाडा खेड़ली
17. बांगरोद
18. बेजपुरा
19. फतीपुरा
20. सुमेरपुर
21. खातोली
22. खेरदा
23. रोजोदा
24. तालार
25. सोलवाली
26. गाइपुरा
27. छीतरी

(179)

(वन मन्त्री)

28. पटपडा
29. श्रीनाल
30. तसाया
31. मान्दा
32. गणेशगंज
33. प्रेमपुरा
34. मुगेना
55. मून्डली
36. विनायका
37. टोरबी
38. प्रयानी
39. कून्डली
40. दौलतपुरा
41. रामपुरिया
42. निमोला

जिला परिषद्, कोटा द्वारा स्थानान्तरण

280. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद),

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या पंचायत एवं सामुदायिक विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि स्थानान्तरणों पर प्रतिबन्ध होते हुए भी कोटा जिला परिषद् द्वारा माह नवम्बर-दिसम्बर, 1982 में शिक्षकों के स्थानान्तरण एक समिति से दूसरी समिति में भारी मात्रा में किये गये हैं? यदि हां, तो कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त स्थानान्तरणों को शीघ्र निरस्त करने के आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

281. **श्री हरीसिंह** (कुम्हेर): क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 1-4-1982 से 31-1-1983 तक कितनी राशि व्यय हुई है ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) भरतपुर जिले में उक्त अवधि में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम पर जो राशि खर्च हुई है कृपया उसकी विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 1-4-82 से 31-1-83 तक 4,35,91,278.44 रुपये व्यय हुए हैं, जिसकी जिलेवार सूची परिशिष्ट "क" पर सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) भरतपुर जिले में उक्त अवधि में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम पर कोई राशि खर्च नहीं हुई है। इसलिये चाही सूची प्रस्तुत करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

180

परिशिष्ट "ख"

राजस्थान सरकार

विशिष्ट योजना संगठन (रा. ग्रा. रो. का.)

क्रम सं.	नाम जिला	दिनांक 1-4-82 से 31-1-83 तक का खर्चा
1.	अजमेर	34,64,136.20
2.	अलवर	1,81,822.94
3.	बांसवाड़ा	5,04,000.00
4.	बाड़मेर	20,78,461.00
5.	भरतपुर	—
6.	भीलवाड़ा	10,81,443.71
7.	बीकानेर	39,65,000.00
8.	बून्दी	02,28,699.44
9.	चित्तौड़गढ़	10,84,687.28
10.	चूरू	12,05,963.06
11.	धौलपुर	64,506.00
12.	डूंगरपुर	10,95,885.60
13.	गंगानगर	04,29,095.56
14.	जयपुर	10,38,696.13
15.	जैसलमेर	06,21,524.52
16.	जालोर	07,28,000.00
17	झालावाड़	11,41,750.00
18.	झुन्झुनू	10,38,500.00
19.	जोधपुर	27,14,000.00
20.	कोटा	04,15,237.00
21.	नागौर	33,31 600.00
22.	पाली	00,89,688.00
23.	सवाई माधोपुर	29,54,000.00
24.	सीकर	15,39,720.00
25.	सिरोही	19,400.00
26.	टोंक	27,62,300.00
27.	उदयपुर	37,60,000.00
28.	वन विभाग	60,53,162.00
		योग..4,35,91,278.44

(181)

जयपुर में इन्डोर स्टेडियम का निर्माण

282. **श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई) : क्या खेल कूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जयपुर में इन्डोर स्टेडियम की आधारशिला रख दी गई है? यदि हां, तो कब और किस स्थान पर? उक्त स्टेडियम की अनुमानित लागत क्या है?

(2) क्या इसके स्थान में परिवर्तन किया गया है या किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?।

(3) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

उत्तर

(1) जी हां। यह दिनांक 26-8-79 को सवाई मानसिंह स्टेडियम के दक्षिणी-पश्चिमी भाग की भूमि पर रखी गई थी। उस समय स्टेडियम के निर्माण के प्रथम चरण की अनुमानित लागत रु. 1,10,00,000|- आंकी गई थी।

(2) जी नहीं।

(3) धनाभाव के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका।

अजमेर नगर के व्यापारियों से ट्रेन में लूटमार

283. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर-पश्चिम) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर के 3 व्यापारियों को 18-12-1982 को जवाई बांध व मारवाड़ जंक्शन के मध्य 4 डाउन ट्रेन से रात्रि के दो बजे चलती ट्रेन में पुलिस की वर्दी पहने लोगों ने लूट-मार की? यदि हां, तो यात्रियों को लूटने वाले कितनी संख्या में थे? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पुलिस सब-इन्सपेक्टर की वर्दी तथा सादी वर्दी पहने लुटेरों ने उपरोक्त व्यापारियों को बदमाश कह कर शौचालय में बंद कर 7800/- रुपये छीन लिये?

(3) क्या यह सही है कि नकली वर्दी पहने लुटेरों ने मारवाड़ जंक्शन स्टेशन पर भी तीनों व्यापारियों को डब्बा बदल कर दूसरे डब्बे में बैठा दिया? यदि हां, तो क्या लुटेरे उपरोक्त स्टेशन पर घूमते दिखाई देने के बाद गायब हुए? यदि हां, तो वे पकड़े गये अथवा नहीं? कृपया पूर्ण जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यात्रियों का लूटने वाले संख्या में चार थे।

(2) जी हां। अभी तक अनुसंधान से लूटने वालों का नाम, पता मालूम नहीं हुआ है।

(3) जी हां। अभियुक्त अभी पकड़े नहीं गये हैं। अन्वेषण जारी है।

तहसील सांगानेर में आदर्श स्कूल

284. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर): क्या विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे:-

(श्रीमती विद्या पाठक)

(1) क्या यह सही है कि मांडा योजना के अन्तर्गत तहसील सांगानेर के ग्राम रोपाड़ी में एक आदर्श स्कूल बनाने का निर्णय वर्ष 1981-82 में लिया गया था।

(2) क्या यह भी सही है कि उसके लिये 1-12-1981 को जिलाधीश, जयपुर के आदेश की अनुपालना में चारागाह भूमि खसरा नं. 162 में आवंटित भी कर दी गई थी ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त शाला भवन निर्माण के निमित्त राज्य सरकार द्वारा 50 हजार रुपये की राशि भी 12-1-1982 के एक चैक द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित कर दी गई थी। यदि हां, तो क्या उक्त भवन बनकर तैयार हो गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। निर्णय वर्ष 1980-81 में लिया गया था।

(2) जी हां।

(3) जी हां। भवन अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि सिविल जज, जयपुर शहर से अस्थाई स्थगन आदेश जारी है।

सहायक आबकारी अधिकारी के पद पर पदोन्नति

285. श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) दिसम्बर, 1982 में सहायक आबकारी अधिकारी के पद पर ग्रेड, प्रथम आबकारी निरीक्षकों की पदोन्नति किस नियम के अन्तर्गत की गई है।

(2) क्या सहायक आबकारी अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु उच्च न्यायालय द्वारा स्टे दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसी स्थिति में पदोन्नति देने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या जिन लोगों की पदोन्नति की गई है उनसे भी वरिष्ठ निरीक्षक पदोन्नति से वंचित रह गये हैं ? यदि हां, तो क्यों।

उत्तर

(1) पदोन्नति नहीं की गई है।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

घनी आबादी एवं ग्रामीण क्षेत्र में रेफरल अस्पताल

286. श्री सुरजाराम टाक (नोखा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की यह योजना है कि प्रति वर्ष घनी आबादी, ग्रामीण क्षेत्र में एक एक रेफरल हास्पिटल खोला जायेगा ?

(2) यदि हां, तो बीकानेर जिले में अभी तक कितने रेफरल हास्पिटल कहां-कहां खुल चुके हैं ?

(3) क्या सरकार नोखा प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा केन्द्र को क्रमोन्नत कर रेफरल हास्पिटल में बदलने का विचार रखती है। यदि हां, तो कब तक ?

(183)

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(3) जी नहीं।

भीनमाल में नई कृषि उपज मण्डी का निर्माण

287. श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीनमाल में नई कृषि उपज मंडी का निर्माण कार्य पूर्ण हुए काफी समय हो चुका है परन्तु अभी तक व्यापार नई मंडी में स्थानान्तरित नहीं किया गया है। यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार भीनमाल कृषि उपज मंडी का व्यापार नई मंडी के प्रांगण में स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) दिसम्बर, 82 में निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है। अतः इस अवधि से पूर्व नवीन मंडी प्रांगण में सम्पूर्ण सुविधाओं के अभाव में व्यापार स्थानान्तर करने का प्रश्न ही नहीं था।

(2) जी हां, शीघ्र ही व्यापार स्थानान्तरण की कार्यवाही की जावेगी।

नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा केशोपुरा कच्ची बस्ती में तोड़-फोड़

288. श्री कमलेन्द्र सिंह (वल्लभनगर) : क्या नगर आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा नगर में नगर विकास न्यास द्वारा केशोपुरा कच्ची बस्ती को उजाड़ते समय वहां से कितनी निर्माण सामग्री (पत्थर) ट्रकों में भरकर ले जाया गया ? यह पत्थर आज कहां और किसके अधिकार में हैं ? क्या यह सही है कि उन पत्थरों को अधिकारियों ने ठेकेदारों को देकर इसकी मूल्य राशि ऊपर ही हजम करली है और इसमें न्यास अध्यक्ष और न्यास सदस्य भी शामिल हैं ? यदि हां, तो दोषी लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या इस बस्ती में स्थित दुर्गा माता का प्राचीन चबूतरा भी तोड़ कर मूर्ति न्यास अध्यक्ष ले गया है ? यह मूर्ति इस समय कहां है ? क्या मूर्ति बदल दी गई है ?

(3) केशोपुरा कच्ची बस्ती में रहने वाले किस सम्प्रदाय (जाति) विशेष के लोग थे ?

उत्तर

(1) जी नहीं। कोटा नगर विकास न्यास द्वारा केशोपुरा कच्ची बस्ती में कोई पत्थर नहीं उठाया गया है। पत्थर की राशि हजम करने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(2) जी नहीं, केशोपुरा कच्ची बस्ती में दुर्गा माता का कोई प्राचीन चबूतरा नहीं तोड़ा गया है, न ही कोई मूर्ति न्यास द्वारा उठायी गई है।

(3) केशोपुरा कच्ची बस्ती में रहने वाले विभिन्न सम्प्रदाय के लोग हैं। किसी एक विशेष जाति के नहीं हैं।

जोबनेर में दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना

289. **श्री उम्मेदसिंह** (डीडवाना) : क्या डेयरी विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार जोबनेर में दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं।

उदयपुर श्मशान को लकड़ी की समस्या का स्थाई हल

290. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या वन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि परिषद उदयपुर ने वन विभाग को जिलाधीश के मार्फत यह पत्र भेजा था कि श्मशान की लकड़ी की समस्या का स्थाई हल करने के लिये विभाग वहां अपनी टाल प्रारम्भ करे ? यदि हां, तो कब एवं विभाग ने अब तक क्या किया ?

(2) क्या यह सही है कि नगर परिषद श्मशान पर लकड़ी रखने का ठेका देती है ? क्या वहां पर्याप्त लकड़ी आज भी नहीं मिलती ? विभाग अपने मूल्य पर वहां लकड़ी उपलब्ध क्यों नहीं कराना चाहता ?

(3) क्या यह सही है कि विभिन्न श्मशानों की लकड़ी गुलाब बाग, किशनपोल व गोवर्द्धन विलास से ही मंगानी पड़ती है, जो शहर के विस्तार के कारण 6 से 10 कि.मी. दूर है ? यदि हां, तो इस समस्या का समाधान विभाग कब तक करना चाहता है ?

उत्तर

(1) जी हां। आयुक्त, नगर परिषद् ने दि. 26-7-80 को जिलाधीश, उदयपुर को पत्र लिखकर उसकी प्रति उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, उदयपुर को पृष्ठांकित की थी।

विभाग द्वारा उदयपुर में श्मशान घाट पर लकड़ी की बिक्री हेतु विभागीय विक्रय केन्द्र खोलने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि उदयपुर में विभाग के दो विक्रय केन्द्र एवं राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ का एक विक्रय केन्द्र कार्यरत है, जहां पर पर्याप्त मात्रा में लकड़ी उपलब्ध है और वर्तमान में श्मशान घाट पर लकड़ी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं।

(2) जी हां। नगर परिषद्, उदयपुर केवल अशोक नगर में नदी के किनारे स्थित मुख्य श्मशान पर हो जलाऊ लकड़ी रखने हेतु ठेका देती है। वहां वर्तमान में पर्याप्त मात्रा में लकड़ी उपलब्ध है। शेष भाग के उत्तर अनुसार।

(3) जी नहीं, श्मशान घाट पर ही नगर परिषद के ठेकेदार द्वारा लकड़ी उपलब्ध कराई जाती है फिर भी आवश्यकतानुसार विभागीय विक्रय केन्द्रों पर श्मशान घाट हेतु लकड़ी अलग से सुरक्षित है। वर्तमान में श्मशान के लिए लकड़ी की कोई समस्या नहीं है।

पंचायतों को अधिक कारगर बनाना

श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह (गुढा) एवं श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पिछले वर्ष बीकानेर में हुए पंचायती राज सम्मेलन के दौरान सम्मेलन में आए हुए प्रतिनिधियों को बताया था कि उन्हें कई प्रकार के अधिकार सरकार देने जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि इतने लम्बे समय से कोई भी कारगर अधिकार न मिलने के कारण पंचायत राज मृत प्राय: हो गया है? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया और इसमें इतनी देरी करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक सक्षम तथा प्रभावी बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा जनवरी, 82 व अप्रेल, 82 में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये थे। इन निर्णयों की क्रियान्विति में जो कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है तथा जो कार्यवाही अपूर्ण है उसका विवरण क्रमश: परिशिष्ट "क" व "ख" के रूप में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं।

पंचायती राज के नवजीवन के सम्बन्ध में मंत्रिमण्डल द्वारा दिनांक 23-1-82 व 26-4-82 को लिये गये निर्णयों की अनुपालना में पूर्ण की गई कार्यवाही का विवरण

1. विभिन्न विभागों द्वारा निम्न योजनाओं/कार्यक्रमों को पंचायत समितियों को क्रियान्विति के लिये हस्तांतरित करने संबन्धी आदेश जारी किये जा चुके हैं :--

विभाग का नाम	योजना/कार्यक्रम का नाम
1. विशिष्ट योजना संगठन	(1) एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम
	(2) स्वनियोजन हेतु ग्रामीण युवक प्रशिक्षण (ट्राइसम योजना)
	(3) समग्र ग्राम विकास योजना
	(4) ग्रामीण विकास केन्द्र परियोजनाएं
	(5) कृषि पुनर्वित एवं विकास निगम द्वारा पुनर्वित प्राप्त लघु सिंचाई कृषि एवं सम्बद्ध परियोजनाएं जो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से संबंधित हैं।
	(6) गोवर गैस कार्यक्रम
2. कृषि विभाग	(1) कृषि आदानों पर राजकीय अनुदान
3. पशुपलान विभाग	(1) ग्रामीण पशु औषधालय
	(2) चारा विकास योजना

विभाग का नाम	योजना/ कार्यक्रम का नाम
4. शिक्षा विभाग	(1) अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम
5. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	(1) हैल्थ गाइड योजना (2) स्थानीय दाइयों के समन्वय तथा प्रशिक्षण
6 वन विभाग	(1) मिश्रित वृक्षारोपण योजना (2) पौध उगाने की योजना (3) पौधशाला योजना (4) कृषि वानिकी योजना (5) वृक्षों की अवैध कटाई व वन्य जीवों की क्षति की सूचना व रोकथाम।
7. सार्वजनिक निर्माण विभाग	(1) 2.00 लाख रुपये तक की लागत के सभी नागरिक निर्माण कार्य। अग्रलिखित कार्यों के निर्माण पंचायत समितियों के निर्माण विभाग के सुपुर्द होंगे :— (क) नई प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शालाओं के भवन व कमरे। (ख) पटवार भवन (ग) पंचायत भवन (घ) उप केन्द्र (ङ) पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने वाली छोटी सड़कें व पुलिया।
8. उद्योग विभाग	(1) औद्योगिक क्षमता का सर्वेक्षण एवं कार्यकारी योजना का निर्माण। (2) लघुतर औद्योगिक क्षेत्रों का विकास (3) ग्रामीण विपणन। (4) ग्रामीण दस्तकारों को 2000/- रुपये तक के ऋण की स्वीकृति। (5) खादी तथा ग्रामोद्योग मण्डल के माध्यम से उनकी स्वीकृति अनुदान प्रणाली के आधार पर 5000/- रुपये तक ऋण एवं सहायता की स्वीकृति। (6) लघु औद्योगिक इकाईयों को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति इकाई 1000/- रुपये तक की विद्युत अनुदान।

विभाग का नाम	योजना/कार्यक्रम का नाम
9. जन जाति क्षेत्रीय विकास विभाग	(क) कृषि
	(i) फसल उगाना
	(ii) प्रदर्शन
	(iii) खाद व बीज का वितरण
	(ख) शिक्षा
	(i) प्राथमिक स्तर पर छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन राशि का वितरण।
	(ii) पुस्तकों एवं यूनिफार्म का वितरण (प्राथमिक शालाओं में)
	(ग) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
	(i) हैण्ड पम्प्स और ग्रामीणपम्प एवं टैंक योजना का संधारण।
	(घ) सार्वजनिक निर्माण विभाग
	(i) आश्रम स्कूल एवं छात्रावासों का निर्माण (2.00 लाख रुपये तक)
	(ङ) खादी एवं घरेलू उद्योग और उनके लिये प्रोत्साहन राशि
	(च) छोटे सिंचाई तालाबों का संधारण।
	(छ) एकीकृत ग्राम विकास
	(ज) पशुपालन विभाग
	(i) चारा विकास योजना
	(ii) भेड़ पालकों को प्रशिक्षण
	(iii) भेड़ विकास के लिये भेड़ों का वितरण
	(झ) समाज कल्याण
	विकलांग कल्याण कार्यक्रम तथा वृद्धावस्था व विधवा पेंशन
10. समाज कल्याण विभाग	(1) पंचायत समिति द्वारा नियन्त्रित शालाओं में विकलांग छात्रों में छात्रवृत्ति का वितरण।
	(2) ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे छात्रावासों का प्रबन्ध एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे छात्रावासों की देखभाल।
	(3) ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान स्थानीय आवास गृह एवं संस्था की देखभाल।
	(4) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित आश्रम स्कूल और निराश्रित बालगृह।
	(5) विधवा व वृद्धावस्था पेन्शन

(2) विभिन्न विभागों द्वारा निम्न योजनाओं/कार्यक्रमों को ग्राम पंचायतों को क्रियान्वयन के लिये हस्तांतरित करने सम्बन्धी आदेश जारी किये जा चुके हैं :--

विभाग का नाम	योजना/कार्यक्रम का नाम
1. कृषि विभाग	(1) ग्रामीण हाट व्यवस्था।
2. वन विभाग	(1) ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षों की अवैध कटाई व वन्य जीवों को क्षति की सूचना व रोकथाम।
	(2) आरक्षित वन स्थापित करने हेतु क्षेत्र के चयन तथा आरक्षित वन क्षेत्रों में पौध रोपित किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत से परामर्श।
3. जन स्वास्थ्य अभि-यांत्रिक विभाग	(1) हैण्ड पम्पों का संधारण।
	(2) परम्परागत पेयजल साधनों का संधारण एवं परिचालन।

(3) निम्न विभागों द्वारा हस्तांतरित योजनाओं से सम्बन्धित स्टाफ एवं बजट का स्थानान्तरण किया जा चुका है :--

क्र.सं.	विभाग का नाम	स्टाफ की स्थिति	बजट की स्थिति
1	2	3	4
1.	विशिष्ट योजना संगठन	कोई स्टाफ स्थानांतरित नहीं किया जाना है।	विशिष्ट योजना संगठन ने प्रति पंचायत समिति एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिये एक लाख रुपये तथा ट्राइसम योजना के लिये 20 हजार रुपये रिवाल्विग फण्ड के रूप में पंचायत समितियों को देने के आदेश जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को दे दिये हैं। इसके अलावा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के सम्बन्ध में होने वाले पी. ओ. एल. के व्यय के लिये प्रति पंचायत समिति 5000/- रुपये देने के आदेश भी अभिकरणों को दे दिये हैं। करीब सभी जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा उपरोक्त राशियां पंचायत समितियों को हस्तांतरित करने की कार्यवाही समय-समय पर की जाती है।

189

1	2	3	4
2.	कृषि विभाग	कोई स्टाफ हस्तांतरित नहीं किया जाना है।	कोई राशि हस्तांतरित नहीं की जानी है।
3.	पशुपालन विभाग	स्टाफ का हस्तांतरण किया जा चुका है।	आवश्यक धनराशि का पंचायत समितियों के निजी खातों में हस्तांतरण किया जा चुका है।
4.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	कोई स्टाफ हस्तांतरित नहीं किया जाना है।	बजट का हस्तांतरण बकाया है।
5.	वन विभाग	कोई स्टाफ हस्तांतरित नहीं किया जाना है।	कोई बजट हस्तांतरित नहीं किया जाना है।
6.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	कोई स्टाफ हस्तान्तरित नहीं किया जाना है।	सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अभी तक यह नहीं बताया है कि किस पंचायत समिति को किस-किस कार्य को कितनी राशि स्वयं के बजट से तथा कितनी राशि डिपोजिट वर्क्स को हस्तांतरित की जानी है।
7.	उद्योग विभाग	स्टाफ का हस्तांतरण किया जा चुका है।	बजट का हस्तांतरण किया जा चुका है।
8.	जन जाति क्षेत्रीय विकास विभाग	कोई स्टाफ हस्तान्तरित नहीं किया जाना है।	आवश्यक बजट का हस्तान्तरण किया जा चुका है।
9.	समाज कल्याण विभाग	सम्बन्धित स्टाफ पंचायत समितियों को हस्तांतरित किया जा चुका है।	समाज कल्याण विभाग द्वारा 34 लाख रुपये के विभिन्न पंचायत समितियों को हस्तांतरण की कार्यवाही पूरी हो चुकी है तथा पी. डी. खातों में राशि हस्तांतरित की जा चुकी है।

(4) विभिन्न विभागों द्वारा निम्न योजनाओं/कार्यक्रमों का जिला परिषदों द्वारा प्रभावी समन्वय एवं पर्यवेक्षण किये जाने के लिए आवश्यक आदेश जारी किये जा चुके हैं।

विभाग का नाम	योजना/कार्यक्रम का नाम
1	2
1. शिक्षा विभाग	(1) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का समन्वय एवं पर्यवेक्षण (2) स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी भेजे गये प्रस्तावों का परीक्षण।

1	2
2. कृषि विभाग	कृषि विस्तार कार्यक्रमों की क्रियान्विति में समन्वय तथा उसकी समीक्षा।

(5) विभिन्न विभागों द्वारा निम्न योजनाओं/ कार्यक्रमों की पंचायत समितियों द्वारा प्रभावी समीक्षा किये जाने के लिये आवश्यक आदेश जारी किये जा चुके हैं :—

विभाग का नाम		योजना/ कार्यक्रम का नाम
1		2
1. कृषि विभाग	(1)	कृषि विस्तार कार्यक्रम।
2. कृषि (सहकारिता) विभाग	(1)	सहकारी ऋण वितरण एवं विपणन।
	(2)	सहकारी गोदामों का निर्माण एवं प्रबन्ध।
3. ऊर्जा विभाग	(1)	ग्रामीण विद्युतीकरण।
4. राजस्व (वन) विभाग	(1)	पंचायत समिति क्षेत्रों में वन विभाग द्वारा लिये जा रहे कार्यक्रम।
5. सार्वजनिक निर्माण विभाग	(1)	पंचायत समिति क्षेत्रों में बनाई जाने वाली सड़कें एवं भवन अथवा पहले से बनी हुई सड़कें एवं भवन।
6. कृषि (भू-जल) विभाग	1.	भू-जल विभाग द्वारा कुओं को गहरा करवाये जाने अथवा नलकूप लगाये जाने का कार्यक्रम।
	2.	भू-जल विभाग द्वारा बोरिंग, अनुसंधान एवं अन्य विभागीय नलकूपों का संचालन।
	3.	ग्रामीण क्षेत्रों में भू-जल स्रोतों का अर्द्ध विस्तृत एवं विस्तृत सर्वेक्षण।
7. कृषि (डेयरी-विकास) विभाग	1.	डेयरी विकास विभाग द्वारा नये दुग्ध मार्गों का खोलना तथा सहकारी समितियों की सदस्यता में वृद्धि तथा समग्र ग्रामीण विकास के अन्तर्गत कमजोर वर्ग के लोगों को दुधारू पशु के लिये ऋण देने के साथ समन्वय।
	2.	दुग्ध सहकारी समिति के माध्यम से ग्रामीण विकास केन्द्रों का निर्माण।
8. उद्योग विभाग	1.	ग्रामीण क्षेत्र में हाथकर्घा/हस्तशिल्प कार्यक्रम का आयोजन एवं क्रियान्वयन।
9. समाज कल्याण विभाग	1.	ग्रामीण क्षेत्रों में सभी महिलाओं एवं बच्चों के पोषाहार का कार्यक्रम।

1	2
10. शिक्षा विभाग	1. पंचायत समिति क्षेत्रों मे उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम ।
11. खाद एवं नागरिक रसद विभाग	1. अनिवार्य वस्तु अधिनियम/अनिवार्य वस्तुओं के राशन और मूल्य वृद्धि नियंत्रण पर निगाह ।
12. जन सम्पर्क विभाग	1. ग्रामीण सूचना प्रसारण एवं जन सम्पर्क ।

(6) सम्बन्धित विभागों द्वारा निम्न निर्णयों का क्रियान्वयन किया जा चुका है :-

क्र.सं. निर्णय का विवरण	की गई कार्यवाही का विवरण
1. सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग का नाम बदलकर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग कर दिया जावे ।	मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा आवश्यक आदेश दिनांक 22-6-82 को जारी किये जा चुके हैं ।
2. प्रधानों/प्रमुखों का मासिक भत्ता क्रमशः 400/-रु. व 600/ रुपये कर दिया जावे ।	आवश्यक आदेश दिनांक 27-2-82 को जारी किये जा चुके हैं
3. प्रत्येक जिला परिषद को फर्नीचर हेतु 20,000/- रुपये आवंटित किया जावें ।	समस्त जिला परिषदों का उनकी मांग एवं आवश्यकता के अनुसार धनराशि का आवंटन किया जा चुका है। कुल 3,67,000 रुपये की राशि का आवंटन किया गया है। कुछ जिला परिषदों की अतिरिक्त मांगें अभी विचाराधीन हैं ।

क्र. सं.	निर्णय का विवरण	की गई कार्यवाही का विवरण
4.	जिला परिषदों के लिये 20.91 लाख रुपये की लागत से 27 कारें खरीदी जावें एवं 23 वाहन चालकों के पद सृजन किये जावें। इसके अतिरिक्त जिला परिषदों को पी.ओ.एल. के लिये 3.24 लाख रुपये का आवंटन किया जावे।	जिला परिषदों के लिये 27 एम्बेसेडर कारों की खरीद की जा चुकी है। 26 जिला परिषदों को कारें उपलब्ध करवादी गई हैं। जिला परिषद् धौलपुर का गठन हो जाने पर उन्हें भी कार दे दी जावेगी। 23 वाहन चालकों के पद सृजित किये जा चुके हैं तथा इनके लिये आवश्यक धनराशि जिला परिषदों को उपलब्ध करवादी गई हैं। पी. ओ. एल. के लिये 2.34 लाख रुपये की धनराशि का आवंटन जिला परिषदों को किया जा चुका है।
5.	जिन जिला परिषदों के भवन अन्य कार्यालयों हेतु अथवा अन्य किसी उपयोग में आ रहे हैं उन्हें तत्काल खाली करवाया जाकर वापिस जिला परिषदों को सौंपने के लिये सम्बन्धित जिलाधीशों को निर्देशित किया जावे।	जिन जिला परिषदों के भवन अन्य कार्यालयों हेतु अथवा अन्य किसी उपयोग में लिये जा रहे हैं उन्हें तत्काल खाली करवाया जाकर वापिस जिला परिषदों को सौंपने के लिये सम्बन्धित जिलाधीशों को निर्देशित किया जा चुका है।
5.	50 एकड़ से कम सिचाई की क्षमता वाले अथवा सिचाई करने वाले तालाबों तथा एनीकट्स की मरम्मत का कार्य सहायता एवं एन.आर.ई.पी. कार्यों के अन्तर्गत किया जावे।	सहायता विभाग द्वारा दिनांक 22-4-82 को यह आदेश जारी किये जा चुके हैं कि ऐसे समस्त सिचाई कार्यों को जिनसे सिचाई के साधनों का विकास विस्तार व सुधार सम्भव हो सके, पेयजल स्रोतों सम्बन्धी कार्यों को प्रथम प्राथमिकता देने के पश्चात, सहायता कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जावे। विशिष्ट योजना संगठन द्वारा दिनांक 31-1-83 को यह आदेश जारी किये जा चुके हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में 50 एकड़ से कम सिंचाई की क्षमता वाले अथवा सिचाई करने वाले तालावों, नाड़ी व एनीकट्स की मरम्मत के कार्यों को व्यापक रूप से व प्राथमिकता के आधार पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कराया जावे।

क्र.सं. निर्णय का विवरण	की गई कार्यवाही का विवरण
7. प्रत्येक पंचायत समिति में वर्ष 82-83 में कोर स्टाफ के अन्तर्गत निम्न पदों का सृजन किया जावे :— (1) 118 पंचायत समितियों में कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के आर. ए. एस. विकास अधिकारी।	वर्ष 82-83 में कृषि प्रसार अधिकारियों के 60 पदों का सृजन किया जा चुका है शेष 61 पंचायत समितियों में इन पदों का सृजन अगले वर्ष कराया जायगा क्योंकि कृषि विभाग के अनुसार ऐसी कोई पंचायत समिति नहीं है जहां कृषि सम्भावनाएं नगण्य हों, शेष पदों का सृजन आदेशानुसार किया जा चुका है।
(2) 118 पंचायत समितियों मे विशेष चयन पद्धति द्वारा चयनित विकास अधिकारी।	नव सृजित पदों में से निम्न प्रकार से पदों की पूर्ति की जा चुकी है :—
(3) पशुपालन प्रसार अधिकारी 60 पद।	
(4) कृषि प्रसार अधिकारी का एक एक पद सभी पंचायत समितियों में (उन पंचायत समितियों को छोड़कर जहां कृषि संभावनाएं नगण्य हैं।	
(5) प्रसार अधिकारी पंचायत 59 पद।	

क्र. सं.	नाम पद	नव सृजित पदों की संख्या	पूर्ति किये गये पदों की संख्या
1.	पशुपालन प्रसार अधिकारी	60	60
2.	कृषि प्रसार अधि.	60	60
3.	प्र.अ. पंचायत	59	—
4.	कनिष्ठ अभियन्ता	124	116
5.	लेखाकार	113	60
6	सहकारी प्रसार अधिकारी	236	110
7.	प्रगति प्र.अ.	236	217
8.	ग्राम सेवक	919	919

क्र.सं.	निर्णय का विवरण	की गई कार्यवाही का विवरण
	(6) कनिष्ठ अभियन्ता 124 पद । (7) लेखाकार 118 पद (8) सहकारी प्रसार अधिकारी 236 पद । (9) प्रगति प्रसार अधिकारी 236 पद । (10) वाहन चालक 1 पद । (11) ग्राम सेवकों के पद– जैसलमेर जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये एक ग्राम सेवक कम सचिव, 4000 से अधिक आबादी वाली प्रत्येक पंचायत के लिये एक ग्राम सेवक कम सचिव तथा शेष ग्राम पंचायतों में प्रत्येक दो ग्राम पंचायतों के लिये एक ग्राम सेवक कम सचिव के पद । [23-1-82 (ड)] (26-4-82-2 व 3)	
8.	5482 अध्यापकों की कमी को दो वर्षों में क्रमबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरा किया जावे ।	वर्ष 82-83 में शिक्षा विभाग द्वारा पंचायत समिति प्राथमिक शालाओं के लिये अध्यापकों के 2000 पदों का सृजन किया जा चुका है ।

परिशिष्ट—ख

पंचायती राज के पुनर्जीवन के सम्बन्ध में मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 10/82 दिनांक 23–1–82 एवं आज्ञा संख्या 87/82 दिनांक 26–4–82 की क्रियान्विति में बकाया कार्यवाही का विवरण

क्र.सं	उस विभाग का नाम जिस द्वारा क्रियान्विति की जानी बकाया है	मंत्रिमण्डल की आज्ञा का विवरण	बकाया कार्यवाही का विवरण	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1.	विशिष्ट योजना संगठन	1. जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों (डी.आर.डी.ए) का प्रशासनिक नियन्त्रण तो जिला परिषद को हस्तान्तरित नहीं किया जावे, परन्तु अभिकरणों की गतिविधियों व जिला परिषदों के बीच समुचित समन्वय स्थापित किया जावे। (26–4–82) 1 (अ) (घ)	जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों की गतिविधियों व जिला परिषदों के बीच समुचित समन्वय का स्थापित किया जाना।	जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों की गतिविधियों एवं जिला परिषदों के बीच समुचित समन्वय स्थापित करने संबंधी निर्देश विकास आयुक्त महोदय द्वारा सचिव विशिष्ट योजना संगठन से परामर्श करने के पश्चात जारी किया जाना तय किया जा चुका है। परामर्श किया जाकर प्रारूप बनाया जा चुका है। सक्षम स्तर पर अनुमोदित कर दिये जाने के पश्चात आवश्यक निर्देश जारी किये जावेंगे।

	2. पंचायत प्रसार अधिकारियों के सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया कि इस पद का नया नामकरण इस तरह से किया जावे व इसके दायित्व इस तरह रखे जावें कि उसके आधार पर भारत सरकार से इन पदों के लिये वांछित अनुदान मिल सके। [26-4-82 (3) (ग)]	पंचायत प्रसार अधिकारियों के पदों के लिये भारत सरकार से वांछित अनुदान का प्राप्त किया जाना।	पंचायत प्रसार अधिकारी के पद का नया नामकरण कर भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को 29-10-82 को भेज दिया गया है।
8. कृषि विभाग	1. कृषि विस्तार योजना संबंधी प्रस्तावों के बारे में निर्णय लिया गया कि सितम्बर, 1982 तक तो वर्तमान व्यवस्था ही जारी रहे, मगर साथ ही इस योजना की क्रियान्विति में जिला परिषद् के साथ भी समन्वय किया जावे। सितम्बर, 82 के पश्चात् इस योजना को पंचायती राज को हस्तान्तरित करने हेतु विस्तृत रूप-रेखा बनाकर प्रस्तुत की जावे। [26-4-82 (आ) (क)]	सितम्बर, 82 के पश्चात कृषि विस्तार योजना का पंचायती राज को हस्तान्तरण करने हेतु विस्तृत रूप-रेखा का बनाया जाना एवं प्रस्तावों को मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना।	कृषि विस्तार योजना को पंचायती राज को हस्तान्तरित किये जाने हेतु कृषि विभाग द्वारा मंत्रिमण्डल ज्ञापन तैयार किया जा रहा है।
	2. पौध संरक्षण इकाइयां योजना सम्पादन हेतु पंचायत समितियों को	"पौध संरक्षण इकाइयां" योजना का पंचायत समितियों को हस्तान्तरण।	कृषि विभाग ने पौध संरक्षण इकाइयों योजना पंचायत समितियों

1	2	3	4	5
		हस्तान्तरित करदी जावे। [23-1-82 (क) (2)]		को हस्तान्तरित करने के संबंध में एक नोट बनाया था जिस पर विकास आयुक्त ने अपनी टिप्पणी दे दी थी। उसे देखते हुए कृषि विभाग ने मंत्रि-मण्डल ने ज्ञापन बनाया है जो निर्णय हेतु मन्त्री के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
		3. ग्रामीण विपणन (हाट) योजना ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित करदी जावे। [26-4-82 (आ) (ख)]	ग्रामीण हाट की व्यवस्था, सुपुर्दगी की प्रक्रिया, ग्रामीण हाट चलाने, कर आदि की व्यवस्था, कर्मचारी, पर्यवेक्षण, पंचायत समिति से तालमेल एवं पंचायतों या पंचायत समिति द्वारा निर्माण किया जावे तो उसकी प्रक्रिया का निर्धारण।	ग्रामीण विपणन (हाट) योजना को ग्राम पंचायतों का हस्तान्तरण करने संबंधी आदेश कृषि विभाग द्वारा जारी किये जा चुके हैं। दिनांक 27-7-82 को कृषि उत्पादन सचिव के कक्ष में हुई एक बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि ग्रामीण हाट व्यवस्था, सुपुर्दगी की प्रक्रिया, ग्रामीण हाट चलाने, कर आदि की व्यवस्था, कर्मचारी, पर्यवेक्षण, पंचायत समिति से तालमेल एवं पंचायतों या पंचायत समिति द्वारा निर्माण किया जावे तो उसकी 'प्रक्रिया' आदि के सम्बन्ध में

		एक नोट श्री के. एस. चोरसिया उप निदेशक, कृषि (मानिटरिंग) बनायेंगे तथा उप विकास आयुक्त (प्रशा–3) से परामर्श करेंगे जिसे विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग देखकर सचिव, कृषि उत्पादन को भिजवायेंगे। उपरोक्त विषयों पर निर्देशों को अंतिम रूप देने के बाद पंचायत समितियों/पंचायतों को निर्देश प्रसारित किये जायेंगे। उपरोक्तानुसार परामर्श किया जा चुका है। परन्तु उपरोक्त नोट अभी तक कृषि विभाग से प्राप्त नहीं हुआ है।
34. कृषि आदानों पर राजकीय अनुदान योजना को पंचायत समितियों को सम्पादन हेतु हस्तान्तरित कर दिया जावे। [26-4-82 (आ) (ग)]	कृषि आदानों पर राजकीय अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में हिदायतों का प्रसारण।	दिनांक 27–7–82 को कृषि उत्पादन सचिव के कक्ष में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि कृषि आदानों पर राजकीय अनुदान के सम्बन्ध में हिदायतें कृषि विभाग द्वारा शीघ्र ही जारी की जायेंगी। कृषि विभाग द्वारा वांछित हिदायतें अभी तक जारी नहीं की गई हैं।

(१९९)

1	2	3	4	5
3.	पशुपालन विभाग	1. जिला स्तरीय पशुपालन योजनाओं को जिला परिषदों द्वारा सम्पादित किये जाने के सम्बन्ध में परीक्षण किया जाकर प्रस्ताव प्रस्तुत किये जावे। [23-1-82 (क) (3)]	जिला स्तरीय पशुपालन योजनाओं का जिला परिषदों द्वारा सम्पादित किये जाने के सम्बन्ध में परीक्षण किया जाकर प्रस्तावों का मन्त्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना।	अभी तक पशुपालन विभाग द्वारा आवश्यक प्रस्ताव मन्त्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
4.	शिक्षा विभाग	1. अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम को सम्पादन हेतु पंचायत समितियों को मय स्टाफ एवं बजट के हस्तान्तरित कर दिया जावे। [26-4-82 (1) (इ) (ख)]	अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी स्टाफ एवं बजट का पंचायत समितियों को हस्तान्तरित किया जाना।	इस योजना को पंचायत समितियों को हस्तान्तरित किये जाने सम्बन्धी आदेश शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये जा चुके हैं। केन्द्रों को अनुदेशकों के साथ पंचायत समितियों को हस्तान्तरण प्रारम्भ किया जा चुका है। पर्यवेक्षकों एवं बजट को पंचायत समितियों को हस्तान्तरित किया जाना अभी बकाया है।
		2. प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में आवश्यक समन्वय एवं पर्यवेक्षण जिला परिषदों द्वारा किया जाये तथा स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा प्रौढ़ शिक्षा संबंधी भेजे गये प्रस्तावों का परीक्षण जिला	प्रौढ़ शिक्षा संबंध में जिला परिषदों द्वारा समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिये शिक्षा विभाग द्वारा मार्गदर्शन निर्देशों का जारी किया जाना तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रस्तावों	प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम जिला परिषदों द्वारा समन्वय एवं पर्यवेक्षण किये जाने तथा स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में भेजे प्रस्तावों का जिला परिषदों द्वारा प्रौढ़

परिषदों के माध्यम से किया जावे। [26-4-82 (1)ई(ग) 23-1-82(क) (5)]	की स्वीकृति आदि की प्रक्रिया के लिये शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तावों का भिजवाया जाना।	शिक्षा के संबंध में भेजे गये प्रस्तावों का जिला परिषदों द्वारा परीक्षण किये जाने के संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यक आदेश जारी किये जा चुके हैं परन्तु दिनांक 24-7-82 को विकास आयुक्त के कक्ष में हुई एक बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में जिला परिषदों द्वारा समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिये शिक्षा विभाग द्वारा मार्गदर्शक निर्देश अभी तक जारी नहीं किये गये है तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रस्तावों की स्वीकृति आदि की प्रक्रिया के लिये शिक्षा विभाग द्वारा विकास आयुक्त को नोट नहीं भिजवाया गया है।
3. जिला परिषदों को उच्च प्राथमिक शिक्षा को हस्तान्तरित करने के प्रस्ताव का अधिक विस्तार से परीक्षण किया जाकर एक विस्तृत ब्ल्यू प्रिन्ट 3 महीने में प्रस्तुत किया जावे। [23-1-82क(5)]	जिला परिषदों को उच्च प्राथमिक (मिडिल शिक्षा) को हस्तान्तरण करने के प्रस्ताव का अधिक विस्तार से परीक्षण किया जाकर एक विस्तृत ब्ल्यू प्रिन्ट का प्रस्तुत किया जाना।	शिक्षा विभाग को लिखा जा चुका है परन्तु शिक्षा विभाग से इस संबंध में अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

२०१

1	2	3	4	5
		4. शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा को जिला परिषदों को हस्तान्तरण करने के मामले का परीक्षण किया जाकर मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किये जावें। [26-4-82 (इ) (क)]	शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा को जिला परिषदों को हस्तान्तरण करने के मामले को परीक्षण किया जाकर मन्त्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तावों को प्रस्तुत किया जाना।	शिक्षा विभाग को लिखा जा चुका है परन्तु अभी तक शिक्षा विभाग से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
		5. ग्रामीण प्राथमिक शिक्षा व उसके गुणात्मक स्तर की देख-रेख हेतु प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में एक पृथक इकाई बनाई जावे। [26-4-82 (इ) (क)]	निर्णयानुसार पृथक इकाई का गठन।	शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं। अभी तक निर्णयानुसार पृथक इकाई का गठन नहीं किया गया है।
		6. ग्रामीण शालाओं (पंचायत समिति शालाओं सहित) हेतु अलग बजट हैड सृजित किया जावे। [26-4-82 (इ) (क)]	निर्णयानुसार अलग बजट हैड का सृजन।	शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं। अभी तक निर्णयानुसार अलग बजट हैड का सृजन नहीं किया गया है।

5. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	1. हैल्थ गाइड योजना एवं स्थानीय दाइयों के साथ समन्वय तथा प्रशिक्षण योजना मय स्टाफ व बजट के सम्पादन हेतु पंचायत समितियों को हस्तान्तरित करदी जावें । [23-1-82 (क) (6)]	हैल्थ गाइडों के भत्ते की राशि एवं दाइयों की जन्म के रजिस्ट्रेशन एवं कार्यवाही के लिये देय भत्ते की राशि का पंचायत समितियों को हस्तान्तरण ।	दोनों योजनाओं को पंचायत समितियों को हस्तान्तरित किये जाने सम्बन्धी आदेश चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किये जा चुके हैं । हैल्थ गाइडों के भत्ते की राशि जो कि भारत सरकार से त्रैमासिक प्राप्त होती है, का त्रैमासिक हस्तान्तरण पंचायत समितियों को किया जाना है जो अभी तक नहीं किया गया है । दाइयों को जन्म के रजिस्ट्रेशन एवं कार्यवाही के लिये देय भत्ते की राशि पंचायत समितियों को हस्तान्तरित होनी है जो अभी नहीं हुई है ।
	2. "प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सहायक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्रामीण औषधालय एवं ऐड पोस्ट्स, परिवार कल्याण कार्यक्रम एवं प्रोत्साहन राशि का विवरण" योजनाओं के क्षेत्र में प्रेरित करने, प्रेरणा धनराशि वितरण करने व स्थानीय पर्यवेक्षण संबंधी कार्यों को पंचायत समितियों को सौंपे जाने संबंधी प्रक्रिया के बारे में आवश्यक प्रस्ताव प्रदत्त किये जावें । [23-1-82(क)(6)]	निदेशानुसार प्रस्तावों को तैयार करना एवं मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करना ।	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग को लिखा जा चुका है । अभी तक प्रस्तावों के मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

1	2	3	4	5
6.	वन विभाग	जिला एवं अन्य सड़कों के वृक्षारोपण कार्यक्रम को पंचायतों को हस्तान्तरित कर दिया जावे और तदनुसार योजना आगे बनाई जावे। [26–4–82(ई)(क)(3)]	मंत्रिमंडल के निर्णयानुसार योजना का बनाया जाना एवं उसका पंचायतों को हस्तान्तरण।	अभी तक योजना बनायी जाकर बजट व स्टाफ के साथ ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित नहीं की गयी है।
7.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	जिन 124 पंचायत समितियों में कनिष्ठ अभियन्ताओं के पद स्वीकृत नहीं हैं उनमें एक-एक कनिष्ठ अभियन्ता की नियुक्ति की जावे। [26–4–82(2)(ङ)]	8 पंचायत समितियों में कनिष्ठ अभियन्ताओं की नियुक्ति।	मंत्रिमण्डल की आज्ञा के अनुसार वर्ष 82–83 मे 124 कनिष्ठ अभियन्ताओं के पदों का सृजन किया जा चुका है। इनमें से 116 पदों की पूर्ति की जा चुकी है। शेष 8 पदों की पूर्ति के लिये प्रस्ताव सार्वजनिक निर्माण विभाग से आने शेष हैं।
8.	उद्योग विभाग	जो भी योजनाएं पंचायत समितियों को हस्तान्तरित की जानी हैं उन योजनाओं से सम्बन्धित पंचायत समिति स्तर के स्टाफ को भी पंचायत समितियों को हस्तान्तरित कर दिया जावे। [23–1–82(ज)]	3 खादी पर्यवेक्षकों एवं 12 उद्योग प्रसार अधिकारियों का पंचायत समितियों को हस्तान्तरण।	उद्योग विभाग द्वारा प्रत्येक पंचायत समिति को एक खादी पर्यवेक्षक एवं एक उद्योग प्रसार अधिकारी उपलब्ध करवाया जाना है। उद्योग विभाग 233 खादी पर्यवेक्षकों व 224 उद्योग प्रसार अधिकारियों का हस्तान्तरण किया जा चुका है। 3 खादी पर्यवेक्षकों व 12 प्रसार अधिकारियों का स्थानान्तरण किया जाना बकाया है।

9. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	1. हैण्ड पम्पों का संधारण तथा परम्परागत पेयजल साधनों का संधारण एवं परिचालन योजनाएं, क्रियान्विति के लिए मय स्टाफ व बजट के हस्तान्तरित कर दी जावे। [23-1-82(क) 10]	हैण्ड पम्पों एवं परम्परागत पेयजल साधनों का सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरण, फिटरों के पदों का हस्तान्तरण तथा चालू हैण्ड पम्पों के रख-रखाव के लिए 150/- रु. प्रति हैण्ड पम्प प्रति वर्ष के हिसाब से राशि का ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरण।	चालू हैण्ड पम्पों को ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित करने का कार्य चालू है। खराब हैण्ड पम्पों की मरम्मत की जा रही है। खराब हैण्ड पम्प मरम्मत के पश्चात ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित कर दिये जावेंगे। एक सौ पचास रुपया प्रति हैण्ड पम्प प्रतिवर्ष के हिसाब से धनराशि का भुगतान ग्राम पंचायतों को किया जा रहा है। फिटरों के पद सृजन व उनके हस्तान्तरण का मामला विचाराधीन है।
	2. "ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाएं" की समीक्षा पंचायत समितियों द्वारा की जावेगी। [23-1-82(ख)]	पंचायत समितियों द्वारा समीक्षा के लिए आदेशों का प्रसारण।	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को लिखा जा चुका है परन्तु उस विभाग द्वारा इन योजनाओं की पंचायत समितियों द्वारा समीक्षा किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी नहीं किये गये हैं।
	3. (1) साधारण पी. एण्ड. टी. जलदाय योजनाओं का संचालन एवं	आज्ञानुसार परीक्षण किया जाकर प्रस्तावों का प्रस्तुत किया जाना।	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को लिखा जा चुका है। निर्णयानुसार परीक्षण कर मंत्रिमण्डल के समक्ष

1	2	3	4	5
		संधारण तथा		प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के संबंध में उस विभाग से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
		(2) महत ट्यूब वेल योजनाओं का संचालन (जहां विद्युत उपलब्ध हो), योजनाओं को जिला परिषदों को सौंपने अथवा इन योजनाओं के संबंध में जिला परिषदों द्वारा जन-स्वास्थ्य अभियांन्त्रिकी विभाग के जिला स्तरीय मैकेनिकल व मेन्टीनेन्स विंग के समन्वय व पर्यवेक्षण की भूमिका संबंधी मसलों का परीक्षण किया जाकर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे। [23-1-82 (क। 10)]		
10.	समाज कल्याण विभाग	1. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा बनाई जा रही ग्रामीण परियोजनाएं (भारत सरकार की अनुमति प्राप्त होने पर) पंचायत समितियों को हस्तान्तरित करदी जावे। [26-4-82 (1) (उ) (ग)]	आदेशानुसार योजना का पंचायत समितियों को हस्तान्तरण।	भारत सरकार की स्वीकृति मंगाने के लिये समाज कल्याण विभाग द्वारा लिखा जा चुका है परन्तु अभी तक वांछित स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

11. सहकारिता विभाग	सभी 236 पंचायत समितियों में एक-एक सहकारिता प्रसार अधिकारी की नियुक्ति की जावे। [(26-4-82 (2) ग)].	126 सहकारिता प्रसार अधिकारियों के पदों की पूर्ति।	मंत्रिमंडल की आज्ञानुसार 236 सहकारिता प्रसार अधिकारियों के पदों का सृजन किया जा चुका है। इनमें से 110 पदों की पूर्ति की, जा चुकी है। शेष 126 पदों की पूर्ति के लिये प्रस्ताव सहकारी विभाग से मांगे जा चुके हैं जो आने शेष हैं।
12. कार्मिक विभाग	राज्य की 236 पंचायत समितियों में से 118 पंचायत समितियों में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के साधारण वेतन शृंखला के अधिकारियों को विकास अधिकारियों के पदों पर लगाया जावे। इन अधिकारियों को 100-/ रुपया प्रति माह विशेष वेतन भी देय होगा। [(23-1-82 (ड) 26-4-82(2) (क)]	118 कनिष्ठ वेतन शृंखला के राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की विकास अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति।	अभी तक कोई नियुक्ति नहीं की गई है। फिलहाल 25 अधिकारियों का पदस्थापन किया जा रहा है।
13. वित्त विभाग	प्रत्येक पंचायत समिति में कार्यभार को दृष्टिगत रखते हुए या तो लेखाकार का पद सृजित किया जावे या कनिष्ठ लेखाकार का। [26-4-82(3) (घ)]	58 लेखाकारों के पदों की पूर्ति।	मंत्रिमण्डल की आज्ञानुसार 118 पंचायत समितियों में लेखाकारों के पदों का सृजन किया जा चुका है। इनमें से 60 पदों की पूर्ति की जा चुकी है। शेष 58 पदों का पूर्ति बकाया है।
14. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	1. वृक्षों का अवैध कटाई व वन्य-जीवों को हानि संबंधी सूचना वन विभाग को देना पंचायत समितियों	मंत्रिमण्डल के निर्णयानुसार पंचायत समिति की जिम्मेदारी निश्चित करने के लिये नियमों में	ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षों की अवैध कटाई तथा वन जीवों को हानि संबंधी सूचना वन विभाग को देने के लिए

207

1	2	3	4	5
		का कर्त्तव्य होगा। [26–4–82(1)(ई)(ग)]	संशोधन।	ग्राम पंचायतों व पंचायत समितियों की जिम्मेदारी निश्चित करने संबंधी आदेश ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी किये जा चुके हैं। नियमों में संशोधन की प्रक्रिया जारी है।
		2. दो लाख रुपये तक की लागत के सभी नागरिक निर्माण कार्य पंचायत समितियों को हस्तान्तरित कर दिये जावें। निम्न निर्माण कार्य भी पंचायत समितियों को हस्तान्तरित कर दिये जावे— (क) नई प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शालाओं के भवन व कमरे। (ख) पटवार भवन। (ग) पंचायत भवन। (घ) उपकेन्द्र। (ङ) पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने वाली सड़कें व पुलिया। [23–1–82(क)(8)]	पंचायत समितियों को हस्तान्तरित निर्माण कार्यों के संबंध में पंचायत समितियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण।	इस संबंध में निर्देशों का प्रारूप बनाया जा रहा है।

3. सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता को सिद्धान्ततः स्वीकार किया गया। तनुदसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किये जावें। [(26–4–82)(8)]	आज्ञानुसार प्रस्तावों का निर्माण एवं उनका मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना।	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा प्रस्ताव बनाये जा चुके हैं। आगे की कार्यवाही शेष है।
4. प्रशिक्षण संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण करने एवं नये केन्द्रों के स्थापन से सम्बन्धित प्रस्तावों को सिद्धांततः स्वीकृत किया गया। तद्नुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किये जावें। [26–4–82(9)]	आज्ञानुसार प्रस्तावों का निर्माण व उनका मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना।	इस विभाग द्वारा इस कार्य के लिये एक समिति का गठन किया गया था जिसके प्रतिवेदन के आधार पर विभाग द्वारा प्रस्ताव बनाये गये हैं। यह प्रस्ताव राज्य स्तरीय स्थायी समिति के निर्माण के पश्चात मंत्रि-मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे।
5. 118 पंचायत समितियों में विशेष चयन पद्धति से व्यक्तियों का चयन कर विकास अधिकारी के पद पर लगाया जावे। [(23–1–82)(ङ)]	विशेष चयन पद्धति द्वारा 118 अधिकारियों का चयन कर विकास अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति का किया जाना।	इस हेतु नियम जारी किये जा चुके हैं। इन पदों की पूर्ति के लिये नियमानुसार चयन की कार्यवाही की जा रही है।
6. प्रत्येक पंचायत समिति में एक प्रगति प्रसार अधिकारी की नियुक्ति की जावे। [26-4-82(2)(घ)]	प्रगति प्रसार अधिकारी के 19 पदों की पूर्ति।	236 प्रगति प्रसार अधिकारियों के पदों का सृजन किया जा चुका है। इनमें से 217 पदों की पूर्ति की जा

208

1	2	3	4	5
				चुकी है। शेष पदों की पूर्ति ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा शीघ्र की जा रही है।
		7. ग्राम सेवकों संबंधी प्रस्तावों के बारे में निर्णय लिया गया कि विकास आयुक्त द्वारा इस विषय में पृथक से प्रस्तुत नोट के अनुसार कार्यवाही की जावे। [26-4-82 (2) (च)]	ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत के रिक्त पदों की पूर्ति।	मंत्रिमण्डल के निर्णयानुसार ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत के नये पदों का सृजन किया जा चुका है। पूर्व में सृजित पदों को शामिल करते हुए कुल 3943 पदों का सृजन किया गया है। इन पदों की स्थायी पूर्ति हेतु ग्रुप सचिवों के समायोजन तथा कृषि विभाग से वापस प्राप्त 950 ग्राम सेवकों के समायोजन के आदेश जारी किये जा चुके हैं। समायोजन की प्रक्रिया जारी है।
		8. जिन 118 पंचायत समितियों में पंचायत प्रसार अधिकारियों के पद नहीं हैं, उनमें इन पदों को दो चरणों में भरा जावे। [26-4-82 (3) (ग)]	वर्ष 1982–83 में सृजित 59 पंचायत प्रसार अधिकारियों के पदों की पूर्ति।	वर्ष 1982–83 में पंचायत प्रसार अधिकारियों के 59 पदों का सृजन किया जा चुका है। पंचायत समितियों में पूर्व में स्वीकृत पंचायत प्रसार अधिकारियों के 118 पदों की अवधि विशिष्ट योजना संगठन द्वारा नहीं बढ़ाई गई है। इस कारण वर्ष 82-83 में सृजित 59 पदों के विरुद्ध कोई नियुक्तियां नहीं की गई हैं।

9. वर्ष 1982–83 में 45 लाख रुपये की लागत से 50 पंचायत समितियों के लिए डीजल जीपें खरीदी जावें एवं 100 पंचायत समितियों को 25 लाख रुपये के खर्च पर जीपें किराये पर लेने की अनुमति प्रदान की जावे। [26-4-82 (4)]	डीजल जीपों की खरीद एवं पंचायत समितियों को जीपें किराये पर लेने की अनुमति का दिया जाना।	50 नई जीपें खरीदने के लिए 45 लाख रुपये की धनराशि पूरक मांगों में स्वीकृति की जा चुकी है। 100 पंचायत समितियों के लिए 9 माह की अवधि के लिए जीपें किराये पर लेने के लिए वित्त विभाग द्वारा 22.50 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध करवा दी गई है। किराये के लिये उपलब्ध धनराशि का प्रयोग नई जीपों की खरीद में करने का मामला विचाराधीन है। 50 जीपों का सप्लाई आदेश दिया जा चुका है। 25 जीपें विभाग में प्राप्त हो चुकी हैं शेष जीपें शीघ्र ही प्राप्त होने की सम्भावना है।
10. प्रत्येक पंचायत समिति को एक लाख रुपये के हिसाब से, कुल 236 लाख रुपये फ्री फण्ड (मैचिंग ग्रान्ट) हेतु उपलब्ध करवाये जावें। [26-4-82) (6]	आदेशानुसार पंचायत समितियों को राशि का उपलब्ध करवाया जाना।	236 लाख रुपये की राशि वित्त विभाग द्वारा पूरक मांगों में उपलब्ध करवाई जा चुकी है। इस राशि का उपयोग एन. आर. ई. पी. योजना के लिए करने के लिये इस राशि का हस्तान्तरण विशिष्ट योजना संगठन

1	2	3	4	5
				को किया जा चुका है। विशिष्ट योजना संगठन द्वारा इस राशि का आवंटन पंचायत समितियों को करने की कार्यवाही की जा रही है।
		11. प्रत्येक पंचायत में एक उन्नत नस्ल का सांड उपलब्ध कराने के लक्ष्य की दिशा में वर्ष 82-83 में 10 लाख रुपये का अनुदान पंचायत समितियों को उपलब्ध करवाया जावे। पंचायत समितियों द्वारा खरीदे गये ऐसे सांडों पर क्रय मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा 3000/- रुपये प्रति सांड, जो भी कम हो, अनुदान देय होगा। [26-4-82(7)]	आदेशानुसार पंचायत समितियों को धनराशि का उपलब्ध करवाया जाना।	10 लाख रुपये की राशि पूरक मांगों में स्वीकृत की जा चुकी है। पंचायत समितियों से प्रस्ताव मांगे गये जो प्राप्त हो रहे हैं। पंचायत समितियों से प्राप्त मांगों के अनुसार धनराशि का आवंटन पंचायत समितियों को करने की कार्यवाही की जा रही है।

राज्य में आय एवं जनसंख्या की वृद्धि दर

292. श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) एवं श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) राज्य में राज्य आय एवं जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है? कृपया 31 जनवरी, 1983 तक पिछले 5 वर्षों का एवं अब तक की पंचवर्षीय योजनाओं का तुलनात्मक चित्रण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1982-83 के लिए किस वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया था? क्या यह अनुमानों के अनुसार नहीं रही है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) त्वरित अनुमानों के अनुसार वर्ष 1981-82 में राज्य के स्थिर मूल्यों (आधार वर्ष 1970-71) पर राज्य आय में वर्ष 1980-81 की तुलना में 8.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 1971 एवं 1981 की जनगणना के आधार पर इस दशक में जनसंख्या का वृद्धि दर 2.83 प्रतिशत प्रति वर्ष अनुमानित की गई है। योजनावार/वर्षवार सूचना संलग्न है।

(2) वर्ष 1982-83 के लिए राज्य आय के अनुमान वर्णित पश्चात् तैयार किये जायेंगे तभी वृद्धि दर का अनुमान लगाया जाना सम्भव होगा।

सूचना

योजना वर्ष	वार्षिक वृद्धि दर	
	राज्य आय	जनसंख्या
1	2	3
1. प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) काल के अन्तिम दो (1954-56) वर्ष	3.24 प्रतिशत	2.33 प्रतिशत (1951-61)
2. द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61)	2.43 ,,	
3. तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-66)	(-) 0.77 ,,	2.44 प्रतिशत (1961-71)
4. तीन वार्षिक योजनाएं (1966-69)	(-) 1.50 ,,	

(213)

1	2	3
5. चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969–74)	2.77 प्रतिशत	
6. पंचम पंचवर्षीय योजना (1974–79)	9.84 ,,	2.83 प्रतिशत (1971–81)
7. 1978–79 वर्ष (अस्थाई अनुमान)	10.11 ,,	
8. 1979–80 वर्ष (अस्थाई अनुमान)	(–) 14.50 ,,	
9. 1980–81 वर्ष (अस्थाई अनुमान)	6.93 ,,	
10. 1981–82 (त्वरित अनुमान)	8.42 ,,	
11. 1982–83 अनुमान वर्ष समाप्ति के पश्चात् तैयार किये जायेंगे।		

बाढ़ से क्षतिग्रस्त ग्रामों में पेयजल व्यवस्था

293. **श्री भैरूंलाल भारद्वाज** (जमवारामगढ़) क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जिन गांवों में पीने के पानी के कुए नष्ट हुए हैं, उनमें हैण्ड पम्प की कोई योजना प्रारम्भ की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या पेयजल योजना के अन्तर्गत जयपुर जिले की जिन पंचायतों ने अपना-अपना अंशदान 5-7 वर्ष पूर्व जमा करवा दिया उन गांवों में पेयजल की व्यवस्था की जा चुकी है ? यदि हां, तो किन-किन पंचायतों के किन-किन गांवों में ? यदि नहीं, तो क्यों और अब इस योजना की क्रियान्विति कब तक करदी जावेगी ?

(3) क्या सरकार सार्वजनिक शालाओं, चिकित्सालयों एवं पंचायत भवनों में पीने के पानी की व्यवस्था के लिये हैण्डपम्प लगवाने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों और अब उक्त स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था कब तक करदी जावेगी ?

(श्री भैरूलाल भारद्वाज)

(4) क्या जिला स्तर पर गत वर्ष बाढ़ से क्षतिग्रस्त गांवों के लिये जो राशि पेयजल हेतु आवंटित की गई है उसमें जमवारामगढ़ चुनाव क्षेत्र को उसको समुचित भाग दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला प्रशासन की सिफारिश के आधार पर वर्ष 81-82 में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जयपुर जिले के 10 ग्रामों व टोंक जिले के 5 ग्रामों में हैण्ड पम्प लगाये गये थे।

(2) जयपुर जिले में 80 पंचायतों ने अंशदान की राशि जमा कराई थी, इनमें से 74 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है व शेष ग्रामों को धन उपलब्धि के अनुसार पेयजल उपलब्ध करवाया जा सकेगा। गांवों का विवरण संलग्न है।

(3) जी नहीं। किसी संस्था विशेष में हैण्ड पम्प लगवाने की व्यवस्था उसी संस्था अथवा सम्बन्धित विभाग द्वारा की जाती है।

(4) जी हां।

जयपुर जिले के ग्राम जहां अंशदान जमा कराया जा चुका है

पेयजल योजना से लाभान्वित गांव :—

क्र.सं.	गांवों के नाम	तहसील
1.	आसलपुर	फुलेरा
2.	करनसर	फुलेरा
3.	हरसोली	फुलेरा
4.	गोविन्दगढ़	चौमू
5.	बागावास	फुलेरा
6.	चन्दलाई	चाकसू
7.	बोराज	दूदू
8.	रेनवाल	फागी
9.	बीलवा	सांगानेर
10.	इटावा भोपजी	चौमू
11.	कालवाड़	जयपुर
12.	कोट खावदा	चाकसू
13.	दौलतपुरा कोटड़ा	आमेर
14.	नांगल जैसा बोरा	जयपुर
15.	गुढ़ा बोराज	दूदू
16.	लोहारवाड़ा	आमेर
17.	चोरू	फागी
18.	सामलसर	चौमू
19.	किशनपुरा	चौमू
20.	तुंगा	बस्सी
21.	धोली	विराटनगर
22.	सिकन्दरा	सिकराय
23.	राजनोता	कोटपूतली
24.	आंधी	जमुवारामगढ़
25.	जमुवा रामगढ़	जमुवारामगढ़
26.	लालसोट	लालसोट
27.	हनुतिया राडावास	विराटनगर
28.	सैंथल	दौसा
29.	ताला	जमुवारामगढ़
30.	प्रातेला	विराटनगर
31.	मनोहरपुर	विराटनगर
32	अचरोल	आमेर
33.	अमरसर	विराटनगर
34.	भांडारेज	दौसा
35.	गीजगढ़	सिकराय
36.	बसवा	बसवा

क्र.सं.	गांवों के नाम	तहसील
37.	शाहपुरा	विराटनगर
38.	बनेठी	कोटपूतली
39.	प्रागपुरा	कोटपूतली
40.	नायला	जमुवारामगढ़
41.	नायन	विराटनगर
42.	बस्सी	बस्सी
43.	बांसखो	बस्सी
44.	दांतिल	कोटपूतली
45.	भाभरू	विराटनगर
46.	मेंढ़	विराटनगर
47.	पावटा	कोटपूतली
48.	गढ़ा कटला	बसवा
49.	मंडावरी	लालसोट
50.	लवाण	दौसा
51.	डीडवाना	लालसोट
52.	मानपुर	सिकराय
53.	करीरी	विराटनगर
54.	बडीयाल कलां	बसवा
55.	कानोता	बस्सी
56.	जैसिंहपुरा	विराटनगर
57.	मानपुर माचेड़ी	आमेर
58.	पापड़दा	दौसा
59.	बंगवाडा	आमेर
60.	स्यालवास कलां	बसवा

क्र.सं.	गांवों के नाम	तहसील
61.	नरहेड़ा	कोटपूतली
62.	रायसर	जमुवारामगढ़
63.	खोरा लाड़खानी	विराटनगर
64.	खोरी	विराटनगर
65.	रामगढ़ पचवाड़ा	लालसोट
66.	खवारावजी	दौसा
67.	थोलाई	जमुवारामगढ़
68.	साईवाड	विराटनगर
69.	झर	बस्सी
70.	श्योसिंगपुरा	लालसोट
71.	थूनीधिराजपुरा	लालसोट
72.	टेटड़ा	बस्सी
73.	बड़वा	बस्सी
74.	करनावद	बसवा

(2) जिन गांवों में पेयजल उपलब्ध नहीं करवाया गया है, उनकी सूची:—

1.	रूड़ल	आमेर
2.	मानपुर कलां	जमवारामगढ़
3.	गोनेड़ा	कोटपूतली
4.	हनुतपुरा	विराटनगर
5.	खटवा	लालसोट
6.	खवारानीजी	जमुवारामगढ़

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 264 की सूची

क्र.सं.	मकान मालिक का नाम	क्र. सं.	मकान मालिक का नाम
1.	श्री कल्याण सहाय	24.	श्रीमती नर्वदा पत्नी श्री ताज सिंह
2.	,, नाथू पुत्र श्री पाबूराम	25.	श्री छोटेलाल पुत्र श्री माधोलाल
3.	,, रघुनाथ	26.	,, हीरालाल पुत्र श्री पंचू
4.	,, कैलाश पुत्र श्री गोपाल	27.	,, लाला
5.	,, गोकलराम पुत्र श्री जगन्नाथराम	28.	,, छोटेलाल
6.	श्रीमती गीता पत्नी श्री गोपाल सिंह	29.	,, साबीर पुत्र श्री इमामुद्दीन
7.	श्री हनुमान पुत्र श्री गोरीराम	30.	—
8.	,, लादू पुत्र श्री गोपीराम	31.	शिव टेम्पल
9.	,, हरचन्द पुत्र श्री मूलचन्द	32.	श्री पूराचन्द्र पुत्र श्री रामपाल
10.	—	33.	,, मेवालाल पुत्र श्री बंशीलाल
11.	,, छोटेलाल पुत्र श्री गुलजी	34.	,, बिरधीचन्द पुत्र श्री कालू
12.	श्रीमती कृष्णा पत्नी श्री ज्ञानचन्द	35.	,, पंवारलाल
13.	श्री —	36.	,, लक्ष्मीनरायन
14.	,, गोपीनाथ भट्ट	37.	,, दुलीचन्द
15.	श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री रमेशचन्द	38.	,, किशनलाल पुत्र श्री चन्दाराम
16.	श्री मल्होत्रा	39.	,, मोहनलाल पुत्र हरीनरायण
17.	,, भागीरथप्रसाद पुत्र श्री बी.एन.शर्मा	40.	,, गोपीराम पुत्र श्री पीरू
18.	,, रमुला पुत्र श्री मदनलाल	41.	,, कालूराम पुत्र श्री कानाराम
19.	,, मोहनलाल सिंधी	42.	,, नूना पुत्र श्री नत्थू
20.	,, छोटूलाल	43.	,, रामकिशोर पुत्र श्रीराम
21.	श्रीमती सोनी देवी पत्नी श्री दामोदर पारीक	44.	,, मांगीलाल पुत्र श्री नेनीराम
		45	,, दुलीचन्द पुत्र श्री सीकी त्रुरी
22.	श्री बाबूलाल पुत्र श्री गनेश नारायण	46.	,, चतुर पुत्र श्री छत्थू
23.	,, श्रवण सिंह	47.	,, गोपाल पुत्र श्री बालूराम

क्र. सं.	मकान मालिक का नाम	क्र. सं.	मकान मालिक का नाम
48.	श्री छोटूदास पुत्र श्री गोपीराम	74.	श्री नारायनदास पुत्र श्री खानचन्द
49.	,, मंगलराम पुत्र श्री बाबूराम	75.	,, मनुमल पुत्र श्री ग्रहमल
50.	,, मोहनराम पुत्र श्री गनेश	76.	,, फूलेसिंह पुत्र श्री घासीसिंह
51.	,, करनसिंह पुत्र श्री बाबूसिंह	77.	,, मोहनसिंह पुत्र श्री बाबासिंह
52.	,, चिरंजीलाल पुत्र श्री गोरधन	78.	श्रीमती रमीबाई पत्नी श्री धर्ममल
53.	स्कूल प्लाट फार्म	79.	श्री रूपचन्द पुत्र श्री दयालदास
54.	श्री लादू पुत्र श्री गरिबा	80.	शाप ऑफ श्री पारीक
55.	,, मदन पुत्र श्री गंगाराम	81.	बगिया शाला इनसाइड बगीचा श्री पारीक
56.	,, हनुमान पुत्र श्री गंगाराम	82.	श्री नारायन सिंह पुत्र श्री गुलाबसिंह
57.	,, ब्रिज मोहन पुत्र श्री गंगाराम	83.	,, लादू सिंह पुत्र श्री लक्ष्मन सिंह
58.	टेम्पल	84.	श्रीमती गीतादेवी पत्नी श्री हरिशचन्द
59.	श्री जमना प्रसाद पुत्र श्री लीलाराम	85.	श्रीमती घीसीदेवी पत्नी श्री राधाकिशन
60.	,, रामलाल पुत्र श्री बोदूराम	86.	श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री ......
61.	,, छोटू पुत्र श्री चन्दाराम	87.	1500 किशन सिंह पुत्र श्री गोपालसिंह
62.	,, श्याम भवन गोपाल पुत्र श्री महादेव	88.	बगीची श्री पारीक
63.	,, प्रहलाद पुत्र श्री बाबूराम	89.	2450 मंदिर पुत्र श्री गुलाबचन्द 4620
64.	,, गजानन्द पुत्र श्री सगराराम	90.	श्री मोहन सिंह पुत्र श्री हरफूल
65.	,, गुलाबचन्द पुत्र श्री सगराराम	91.	,, शेखर पुत्र श्री श्याम स्वरूप
66.	,, विशनसिंह पुत्र श्री ताज सिंह	92.	,, गुलाब चन्द पुत्र श्री प्रभातीलाल
67.	,, तिलूमल पुत्र श्री भानीमल	93.	,, हरफूल पुत्र श्री नत्थू
68.	1500 गुलाबचन्द पुत्र श्री 2400 सगराराम	94.	श्रीमती प्रेम पत्नी श्री ओंकार
69.	,, बिसनसिंह पुत्र श्री ताजसिंह	95.	श्री सोहनलाल पुत्र श्री छोटू
70.	,, तिलूमल पुत्र श्री भानीमल	96.	,, नेना पुत्र श्री दीपू
71.	,, दरबार दास पुत्र श्री भगवानदास	97.	,, कैलाश पुत्र श्री छोटूराम
72.	,, लक्ष्मणसिंह पुत्र श्री हरनामसिंह		
73.	,, सामनदास पुत्र श्री खामचन्द		

क्र. सं.	मकान मालिक का नाम
98.	श्री प्रेमचन्द पुत्र श्री छोटूराम
99.	शिव टेम्पल
100.	श्री भूरा पुत्र श्री बंशीलाल
101.	,, दामोदर पुत्र श्री घासीलाल
102.	शर्मा
103.	श्री मांगी पुत्र श्री मोहरू
104.	,, गजानन्द पुत्र श्री कानजी
105.	मोहनलाल पुत्र श्री कानजी
106.	,, घासी पुत्र श्री गोविन्द
107.	2450 श्री रूपचन्द
108.	श्री रामू पुत्र श्री नत्थू
109.	,, गिरधारी
110.	,, प्यारसीलाल
111.	,, रघुनाथ पुत्र श्री सूजाराम
112.	,, पूरन पुत्र श्री सूर्जीलाल
113.	,, शंकर पुत्र श्री मन्नु
114.	श्रीमती प्रेमदेवी पत्नी श्री मदनलाल
115.	श्री नन्दकिशोर पुत्र श्री नारायण
116.	जहूर पुत्र श्री गुलाब
117.	श्री घनश्याम पुत्र श्री हरीनारायन
118.	,, मदनलाल पुत्र श्री फूलचन्द
119.	लक्ष्मीनारायन पुत्र श्री सूरजबक्स
120.	,, रघुनाथ प्रहलाद पुत्र श्री बाबूराम
121.	,, पुत्र श्री फालू
122.	,, दामोदरलाल पुत्र श्री गौरीलाल
123.	,, कन्हैयालाल पुत्र श्री घिमनाथ
124.	,, हरसहाय पुत्र श्री मुन्नालाल
125.	,, छुट्टन पुत्र श्री गोपाल लाल
126.	श्री जयनारायन पुत्र श्री सुखदेव
127.	श्रीमती गंगादेवी पत्नी श्री गोपीलाल
128.	श्री रामेश्वरलाल पुरोहित पुत्र श्री रामकिशोर
129.	,, ब्रिज बल्लभ पुत्र श्री सोहनलाल
130.	,, नत्थू लाल
131.	,, नरेश चन्द पुत्र श्री माधो लाल
132.	,, वृजेन्द्र सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह
133.	,, मुरलीधर पुत्र श्री रामदयाल
134.	,, बजरंग सिंह पुत्र श्री लक्खी सिंह
135.	,, लक्ष्मन दास पुत्र श्री बाबु लाल
136.	,, नानगराम सविता पुत्र श्री रामदयाल
137.	,, गोपाल लाल पुत्र श्री राम प्रताप
138.	,, माधो राम पुत्र श्री चुन्नी लाल
139.	,, राज कुमार पुत्र श्री कृष्ण पाल
140.	,, मनफुल पुत्र श्री गोरू
141.	,, छोटू
142.	,, बाबू लाल पुत्र श्री छोटू
143.	,, घासी पुत्र श्री लक्ष्मन
144.	,, छीतर पुत्र श्री मोहरू
145.	,, कालू पुत्र श्री मनजी
146.	,, अब्दुल रहमान पुत्र श्री वजीर खान
147.	—
148.	,, अब्दुल शकूर पुत्र श्री मोहमुद्दीन
149.	,, नानू लाल पुत्र श्री छीतर खान
150.	,, भाया पुत्र श्री छीतर खान
151.	,, अब्दुल कासिक पुत्र श्री नजीर मो.
152.	,, नूर मुहम्मद पुत्र श्री कादिर बक्स

(219)

क्र. सं.	मकान मालिक का नाम	क्र. सं.	मकान मालिक का नाम
153.	श्री जहूर मोहम्मद पुत्र श्री नूरमोहम्मद	177.	श्री छोटू (अहीर)
154.	,, मेयनुद्दीन पुत्र श्री जहूर खान	178.	श्रीमती मंशा देवी पत्नी श्री लक्ष्मी नारायण
155.	, रहमत खान पुत्र श्री नजीर खान	179.	श्री रामकिशोर
156.	,, सूरज पुत्र श्री चांदमल	180.	,, बहादुर सिंह पुत्र श्री किशन
157.	,, प्रभू पुत्र श्री सीता राम	181.	,, दीदार पुत्र श्री किशन
158.	, शिव टेम्पिल	182.	,, गुल्लू पुत्र श्री ग्यारसा
159	,, छीतर मल पुत्र श्री लादू राम	183.	,, श्रीमती फूली पत्नी श्री गोपी
160.	,गोपाल पुत्र श्री बिहारी	184.	,, बाबूलाल पुत्र श्री सूजा
161.	,, राम स्वरूप पुत्र श्री बिहारी	185.	,, हीरालाल पुत्र श्री सुखदेव
162.	,, माधो पुत्र श्री मोती लाल	186.	,, राजू पुत्र श्री शोभाराम
163.	, राम बाबू पुत्र श्री देवी सहाय	187.	,, निरंजन पुत्र श्री रामलाल
164.	,, नातूमल पुत्र श्री महादेव	188.	, रामदास पुत्र श्री किशन
165.	,, गोपाल पुत्र श्री महादेव	189.	,, सुल्तान पुत्र श्री भोंरया
166.	,, दरबार सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह	190.	,, चन्दर पुत्र श्री भोंरया
167.	,, गिरधर प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण	191.	,, राजू पुत्र श्री गुलाब
168.	,, लालू नारायण शर्मा पुत्र श्री महादेवप्रसाद	192.	,, राम प्रसाद पुत्र श्री सूवालाल
		193.	,, जगदीश पुत्र श्री राम प्रसाद
169.	,, प्रहलाद पुत्र श्री महादेव	194.	,, प्रहलाद पुत्र श्री राम प्रसाद
170.	,, धन्ना लाल पुत्र श्री लादू राम	195.	,, मन्नालाल पुत्र श्री राम किशन
171.	,, मूलसिंह पुत्र श्री केसर सिंह	196.	,, ओम प्रकाश पुत्र श्री राम स्वरूप
172.	,, भारत सिंह पुत्र श्री केसर सिंह	197.	,, प्रहलाद पुत्र श्री राम स्वरूप
173.	—	198.	, रमेश पुत्र श्री राम स्वरूप
174.	,, घासी लाल पुत्र श्री भौरी लाल	199.	,, बनवारी पुत्र श्री राम बाबू
175.	,, छोटू	200.	,, सीताराम
176.	,, नाथू राम		

परिशिष्ट-10

अतारांकित प्रश्न संख्या 265 की सूची

जनवरी, 82 से दिसम्बर, 82 तक विभिन्न आन्दोलनों की सूची

क्र.सं.	दल/संस्था का नाम	अहिंसक	हिंसक	योग
1.	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी	8	–	8
2.	मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी	22	–	22
3.	किसान सभा (भा. क. पा.)	4	–	4
4.	किसान सभा (मा. क. पा.)	2	–	2
5.	किसान यूनियन (निर्दलीय)	26	1	27
6.	सी. पी. एम. (एस)	–	–	–
7.	छात्र	384	35	419
8.	कांग्रेस (यू)	2	–	2
9.	जनता पार्टी (जे. पी.)	19	–	19
10.	भारतीय जनता पार्टी	31	–	31
11.	लोकदल	4	–	4
12.	नशाबन्दी	6	–	6
13.	विविध	166	15	181
14.	श्रमिक	250	18	268
15.	सेवाएं	285	–	285
	योग..	1209	69	1278

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 21 की सूची

राजस्थान सरकार

(वाणिज्यिक कर विभाग)

अनुसूचित जनजाति के निलम्बित कर्मचारियों का मानचित्र

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पद	कार्यालय	दिनांक	निलम्बन का कारण
1	2	3	4	5	6
1.	श्री खेमराज मीणा	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	वाणिज्यिक कर अधिकारी, गंगापुर सिटी I	11-3-82	सेवा से स्वेच्छा से अनुपस्थित रह कर भी उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति की।
2.	श्री मोतीलाल रोत	,,	वाणिज्यिक कर अधिकारी, चित्तौड़गढ़	11-10-82	श्री रोत ने स्वयं के स्थानान्तरण कराने हेतु उपायुक्त (प्रशासन) उदयपुर को रिश्वत देने के प्रयास के कारण व उपायुक्त (प्रशासन) द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को सूचित करने पर व उक्त विभाग को चालान अदालत में प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान करने के कारण निलम्बित किया।

3.	श्री महावीर प्रसाद मीणा	कनिष्ठ लिपिक	वाणिज्यिक कर अधिकारी, चूरू	6-9-82	चने की बिल्टियां गायब करने बाबत।
4.	श्री केसरी चन्द मीणा	"	"	29-7-82	चैकपोस्ट राजगढ़ पर जानबूझकर भेड़ बकरों पर कम क्रय कर वसूल किया।
5.	श्री रामनिवास मीणा	"	वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायसिंहनगर	20-8-82	वाणिज्यिक कर अधिकारी के साथ कार्यालय समय में अभद्र व्यवहार किया।
6.	श्री हरि शंकर लबाना	व०श्रे०क०	वाणिज्यिक कर अधिकारी, बांसवाड़ा	22-7-82	चैकपोस्ट रतनपुर पर इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद के उच्च अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार व नाजायज़ तंग किया।
7.	श्री मंगल राम मीणा	"	वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त "डी", जयपुर	3-4-81	सेवा से स्वेच्छा से अनुपस्थित।
8.	श्री धरमा राम मीणा	गार्ड	वाणिज्यिक कर अधिकारी, सिरोही	1-12-82	चैकपोस्ट मांवलपुरा पर कार्य करते हुए बिना रसीद देवे टक सं. जीटीएक्स 8317 को बेरियर को खोलकर निकाल दिया।

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 282 की सूची

निम्न चिकित्सा संस्थाओं में निम्न स्टाफ के पद स्वीकृत होते हैं:—

क.सं.	नाम पद	प्रा. स्वा. केन्द्र मय ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	डिस्पेन्सरी	एडपोस्ट	उपकेन्द्र
1.	डॉक्टर	2	1	—	—
2.	मेल नर्स श्रेणी-2	2	2	1	—
3.	प्रसाविका	2	1	1	1+मेल एमपीडब्ल्यू
4.	लेडी हैल्थ विज़ीटर	2		—	—
5.	सेनेटरी इन्सपैक्टर	1	—	—	—
6.	वाहन चालक	1	—	—	—
7.	वरिष्ठ लिपिक	1	—	—	—
8.	कम्प्यूटर	1	—	—	—
9.	बी.ई.ई.	1	—	—	—
10.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	6	4	2	—

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 289 की सूचना

1. पेट्रोल आदि पर किये गये व्यय का विवरण

क्र.सं.	नाम माह	पेट्रोल	डीजल	मरम्मत	योग
1	2	3	4	5	6
1.	जनवरी, 82	—	1217–52	1117–30	2334–82
2.	फरवरी, 82	—	1466–81	—	1466–81
3.	मार्च, 82	—	680–15	194–30	874–45
4.	अप्रैल, 82	—	1118–52	87–00	1205–52
5.	मई, 82	—	31–40	—	31–40
6.	जून, 82	—	166–90	—	166–90
7.	जुलाई, 82	—	1375–85	—	1375–85
8.	अगस्त, 82	—	1476–15	25–00	1501–15
9.	सितम्बर, 82	—	929–99	102–30	1032–29
10.	अक्टूबर, 82	—	1211–54	182–50	1394–04
11.	नवम्बर 82	—	1541–50	—	1541–50
12.	दिसम्बर, 82	—	810–56	180–20	990–76
13.	जनवरी, 83	—	1106–98	—	1106–98
		योग ..	13133–87	1888–60	15022–47

2. टेलीफोन आदि पर व्यय का विवरण

	टेलीफोन एवं लोकल पर व्यय			ट्रंककॉल पर व्यय		
क.स.	नाम व माह	दिनांक	व्यय	माह	दिनांक	व्यय
1.	जनवरी, 82	1-1-82 से 15-1-82	32-00	जनवरी, 82	16-12-81 से 15-3-82	821-80
2.	फरवरी, 82	16-1-82 से 15-2-82	28-00	फरवरी, 82	— —	—
3.	मार्च, 82	16-2-82 से 15-3-82	16-00	मार्च, 82		
4.	अप्रेल, 82	16-3-82 से 15-4-82	10-00	अप्रेल, 82	16-3-82 से 15-5-82	577-00
5.	मई, 82	16-4-82 से 15-5-82	4-00	मई, 82		
6.	जून, 82	16-5-82 से 15-6-82	—	जून, 82		
7.	जुलाई, 82	16-6-82 से 15-7-82	2-00	जुलाई, 82	16-5-82 से 15-7-82	48-60
8.	अगस्त, 82	16-7-82 से 15-9-82	—	अगस्त, 82	16-7-82 से 15-9-82	687-00
9.	सितम्बर, 82	16-9-82 से 15-11-82	38-00	सितम्बर, 82	— —	—
10.	अक्टूबर, 82	—	—	अक्टूबर, 82	16-9-82 से 15-11-82	1003-00
11.	नवम्बर, 82	16-11-82 से 15-1-83	111-00	नवम्बर, 82	— —	—
12.	दिसम्बर, 82	—	—	दिसम्बर, 82	16-11-82 से 15-1-83	765-00
13.	जनवरी, 83	—	—	जनवरी, 83	— —	—
		योग . .	241-00			4702-40

नोट:—लोकल टेलीफोन एवं ट्रंककॉल के बिल माहवारी नहीं आने के कारण जैसे-जैसे प्राप्त हुए हैं तद्नुसार उसी प्रकार राशि दर्शायी गई है।

226

3. प्रधान द्वारा उठाये गये बिलों का विवरण

क्र.सं. 1	नाम 2	यात्राओं का विवरण 3	कार्य का विवरण 4
		स्थान जहां यात्रायें की गई :	
1.	जनवरी, 82	ग्राम पंचायत सीसारमा, नई, उन्दरी, देवारी, साकरोदा, भलों का गुढा, कुरावड़, बम्बोरा, काया, बारापाल, टीडी, ज़ावर, पडूणा, सरू, चणावेदा, बूझडा, अलसीगढ़, मट्टन, लकड़वास, चांसदा, डोडावली, सीसवी।	20 सूत्रीय कार्यक्रम में गरीब को छप्पर के अन्तर्गत भवनों का निरीक्षण, ऋण प्रार्थना-पत्र तैयार कराने, ऋण वितरण, गोबर-गैस संयंत्र लगवाने एवं पशु क्रय कराने एवं निर्माण कार्यों का अवलोकन।
2.	फरवरी, 82	नाई, अलसीगढ़, सीसारमा, काया, बारापाल, टीडी, जावर, चांसदा, देवारी, साकरोदा, सीसवी, कुरावड, जगत, दांतीसर, बम्बोरा, गुडली, वल्लभ, उन्दरी, डीडावली, तीतरडी, वर्लो, फीला, भोयों की पचोली, मट्टन, लकड़वास, चांसदा।	,,
3.	मार्च, 82	लकड़वास, चांसदा, कानपुर, मट्टन, फीला, बम्बोरा, कुरावड़, सीसारमा, बूझड़ा, नाई अलसीगढ़, उन्दरी, झामरकोटड़ा, चांसदा, देवारी, सीसवी, साकरोदा, भलों का-गुढ़ा, फीला, मैसड़ा कलां, लकड़वास, वली, जगत, काया, बारापाल, टीडी।	,,

1	2	3	4
4.	अप्रेल, 82	सासारमा, नाई बूझड़ा, खुडली, बम्बौरा, फीला, कुरावड़, वली, जगत, दांतीसर, बारापाल, टीडी, जावर, पढूणा, चणावदा, अलसीगढ़, उन्दरा, डोडावली, भैंसड़ा, लकड़वास, चांसदा (झामर कोटड़ा)	20 सूत्रीय कार्यक्रम में गरीब को छप्पर के अन्तर्गत भवनों का निरीक्षण, ऋण प्रार्थना-पत्र तैयार कराने, ऋण वितरण, गोबर गैस संयंत्र लगवाने एवं पशु क्रय कराने एवं निर्माण कार्यों का अवलोकन ।
5.	मई, 82	निल	निल
6.	जून, 82	कोडियात, उन्दके, कुरावड, बम्बोरा, फीला, साकरोदा, सीसवी, अलसीगढ़, पई, लकडवास, चांसदा, मट्टन, काया बारापाल, टोडी, पढूणा, सरु, चणावदा, कानपुर, देवारी, भलोंकागुढ़ा, गुडली, भीयोकी, पचनेली, जावर, नाई, डोडावली, कलड़वास, वली, दांतीसर।	20 सूत्रीय कार्यक्रम में गरीब को छप्पर के अन्तर्गत भवनों का निरीक्षण, ऋण प्रार्थना पत्र तैयार करने एवं ऋण वितरण कराने तथा गोबर गैस संयन्त्र लगवाने, पशु क्रय कराने तथा निर्माण कार्यों का अवलोकन आदि ।
7.	जुलाई, 82	कायां, बारपाल, टीडी पढूणा, बारा, सरु, चणावदा, जावर, सासारमा, नाई, उन्दरी, अलसीगढ़, भीयोकी पचोली मट्टन, चांसदा, लकडवास, डीडावली, ग्राड. कालीवास, फीला, कलडवास, लकडवास, कानपुर, बोरा (सुलावास) भलो का गुढ़ा, कुरावड बखी, जगत, दांतीसर, बम्बोरा, फीला, सांकरोदा, गुडली, बूझड़ा, बेरवास, (भो. पंचोली) तीतरड़ी, देवारी, उमरड़ा (कानपुर) ।	,, ,,

8.	अगस्त, 82	लकड़वास, झामरकोटडा, जगत, फीला, बूझडा, सीसारमा, नाई, उन्दरी बारापाल, टीडी, पडूणा, बारा, लकडवास, मद्गन, साकरोदा, भलो का गुढ़ा, काया, सरु, चणावदा, बूभलड़ा, पई, देवारी।	,, ,,
9.	सितम्बर, 82	सीसारमा, बूझडा, उन्दरी, अलसीगढ़, उन्दरी, कानपुर, मायोकी पंचोली, देवारी, बीछड़ी, नाई, मद्गन, पई, डोडावली, बूभडा टीडी, पडूणा, काया, बारापाल, सरु, सीसवी कुरावड, बम्बोरा, आम्बुआ (कानपुर), तीतरडी, कलडवास, कानपुर, भेसडा, बेमला, बली, कुरावड, गुडली, सीसवी, चांवदा ।	20 सूत्रीय कार्यक्रम में गरीब को छप्पर, निर्धनतम परिवारों को ऋण दिलाने एवं पशु क्रय कराने, निर्माण कार्यों का अवलोकन, जंगलात की सरहद के विवाद तय करने, नवयुवक मण्डल के टूर्नामेन्ट में पारितोषिक वितरण हेतु ।
10.	अक्टूबर, 82	मद्गन, लकडवास, चांसदा, फीला, देवारी, साकरोदा, कुरावड़, बली, जगत, दांतासर, डूंगरावड़, बम्बोरा, गुडली, सीसारमा, बूभड़ा, नाई, उन्दरी, अलसीगढ़, देवारी, बीछडी उदयसागर, बारापाल, टीडी, जावर, पडूणा, चांसदा, काया, लकडवास, मद्गन, बूभड़ा, सीसवी, (मेकड़ा) बारा, चणावदा ।	20 सूत्रीय कार्यक्रम में गरीब को छप्पर के अन्तर्गत भवनों का निरीक्षण, ऋण प्रार्थना-पत्र तैयार करने, ऋणधारियों को पशु क्रय कराने, निर्माण कार्य, सिंचाई के मौके देखने, ऋण शिविरों में भाग लेने आदि ।
11.	नवम्बर, 82	काया, बारापाल, टीडी, जावर, बारा, चणावदा, नई, बूभडा, अलसीगढ़, पई, देवारी, साकरोदा, बम्बोरा, फीला कुरावड, बली, जगत, दांतीसर, वसू, मीयोकी पचोली, बारा, चणावदा, कानपुर, लकडवास, चांसदा, उदयनिवास साकरोदा, भेसडा, सीपली, बम्बोरा, सुलवास, दांतीसर, गुडली ।	20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा, सरपंचों की बैठक, नवयुवक टूर्नामेन्ट, निर्माण कार्य का अवलोकन, चयनित परिवारों को पशु क्रय कराने के कैम्प में भाग लेने, भूमि अलाटमेंट, मंत्री महोदय के कार्यक्रम आदि ।

1	2	3 4	5 6
12.	दिसम्बर, 82	कानपुर, कलडवास, लकडवास, बेडवास टीडी, पडूणा, जावर, ञारा, सीसारमा, नई, मट्टन, भामरकोटडा, (चांपदा) देवारी, सीसवी, कुरावड, गुडली, बम्बोरा, फीला, सुलावास, बम्बोरा, गुडली, बूभडा, मेकड़ा ।	मेडबन्दी कार्य, गांवाई जंगल का अवलोकन, 20 सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति देखने, पशु क्रय कराने, मुख्य मंत्री के कार्यक्रम में, अकाल सहायता कार्य, गोबर गैस प्लान्ट आदि के लिये ।
13.	जनवरी, 83	सीसारमा, उन्दरी, नाई, काया, ञारापाल, टीडी, पडूणा, अलसीगढ, मट्टन, कानपुर, देवारी, साकरोदा, गुडली, कुरावड, वल्लभ, बम्बोरा, जगत, भलोवागुडा, लकडवास, चांसदा, बूभडा, सीसवी, कलडवास, चांसदा, भोयो की पचोली, जावर ।	अकाल राहत कार्यों का अवलोकन, राजस्व अभियान, पेयजल व्यवस्था, ग्राम सभा, गोबरगैस संयन्त्र, ट्राइसम योजना, फार्म फारेस्ट्री, मुख्य मंत्री के कार्यक्रम में, गणतंत्र दिवस समारोह आदि ।

परिशिष्ट 14

अतारांकित प्रश्न संख्या 291 की सूचियां

परिशिष्ट-1

1. ग्राम पंचायत चाटवाड़ा ग्राम चाटवाड़ा
2. ग्राम पंचायत चाटवाड़ा ग्राम लाखावास
3. ग्राम पंचायत आजोदर ग्राम सेवाड़िया
4. ग्राम पंचायत आखराड ग्राम दौलपुरा
5. ग्राम पंचायत करड़ा ग्राम भापड़ी
6. ग्राम पंचायत धानोल ग्राम धानोल
7. ग्राम पंचायत कोड़का ग्राम कोड़का
8. ग्राम पंचायत धामसीन ग्राम वामनवाड़ा
9. ग्राम पंचायत आखराड ग्राम डाडोकी
10. ग्राम पंचायत जाखड़ी ग्राम दईपुर
11. ग्राम पंचायत मालावाड़ा ग्राम केर

परिशिष्ट-2

क्र.सं.	ग्राम पंचायत	आवंटित राशि	स्थिति
1.	ग्राम पंचायत सेवाड़ा ग्राम सेवाड़ा	11300.00	पूर्ण
2.	ग्राम पंचायत दातवाड़ा ग्राम दातवाड़ा	10500.00	,,
3.	ग्राम पंचायत आखराड ग्राम आखराड	3400.00	,,
4.	ग्राम पंचायत रतनपुर ग्राम रतनपुर	2000.00	अपूर्ण
	कुल राशि	: 27,200.00	

(231)

परिशिष्ट–3(ए)

क्र.सं.	नाम पंचायत	नाम ग्राम	आवंटित राशि	स्थिति
1.	आखराड़	आखराड़ में भील भांबियों की बस्ती में नया कूप निर्माण	7,000.00	पूर्ण
2.	सिखासन	ग्राम सिखासर में महादेवजी के मंदिर के पास कूप मरम्मत	5,000-00	,,
			12,000.00	

परिशिष्ट–3(बी)

1.	करड़ा	करड़ा की गोलिया में टांका	22,500.00	पूर्ण टांका
2.	चाटवाड़ा	सामरानी में टांका	16,000.00	,, ,,
3.	करवाड़ा	करवाड़ा में कूप मरम्मत	3,500.00	,, कूप
4.	जाखड़ी	दईपुरे ,,	3,500.00	,, ,,
5.	मालवाड़ा	कैर ,,	3,500.00	,, ,,
6.	धानोल	धानोल ,,	3,500.00	,, ,,
7.	गांग	बाछाल ,,	1,500.00	,, ,,
			54,000.00	

परिशिष्ट 15

अतारांकित प्रश्न संख्या 292 की सूची

विषय :—पंचायतों को सहायक अनुदान के नियम।

उपयोग की प्रक्रिया :—

6 (I) राज्य सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान की राशि सरपंच द्वारा ऐसे विकास कार्यों पर व्यय की जा सकेगी जो कि जनहित व पंचायत क्षेत्र में होंगे व जिनको ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत किया गया होगा। अनुदान में से नये कर्मचारी रखने या कर्मचारियों के वेतन भत्ता आदि के चुकारे पर कोई राशि खर्च नहीं की जा सकेगी।

7 (II) यह राशि निम्नांकित विकास कार्यों पर व्यय की जा सकेगी :—

शाला भवन निर्माण मरम्मत
चिकित्सालय भवन
सामुदायिक भवन धर्मशाला
खरन्जा, पक्की सड़क
पक्की नाली निर्माण
पेय जल कूप
गांवाई तलाई (तालाब) तथा
सार्वजनिक शौचालय आदि।

———

233

परिशिष्ट 16

अतारांकित प्रश्न संख्या 293 की सूची

ग्राम पंचायत सांगानेर व चाकसू के आमदनी के स्रोतों का विवरण

ग्राम पंचायत	आय के स्रोत
सांगानेर	1. कोर्ट फीस
	2. आबादी भूमि विक्रय
	3. कांइन हाउस
	4. चुंगी कर
	5. साइकल टैक्स
	6. चारागाह से आय
	7. राज्य सरकार से अनुदान
चाकसू	1. आबादी भूमि विक्रय
	2. काइन हाउस
	3. राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान
	4. पंचायत अधिनियम के तहत विभिन्न करारोपण
	5. पचास एकड़ से कम सिंचाई वाले तालाबों से आय
	6. तालाबों में मछली पालन
	7. हाट व्यवस्था
	8. चरागाह विकास (गांवाई जंगल विकास)
	9. मृतक पशुओं की चमड़ी का ठेका।

परिशिष्ट 17

अतारांकित प्रश्न संख्या 297

का विवरण

कृषि उपज मंडी समिति नोखा का वर्ष 1981-82 तथा 82-83 का

आय सम्बन्धी विवरण

क. सं.	मद	आय वर्ष 81-82	आय 82-83 (जनवरी, 83 तक)
1.	अनुज्ञा-पत्र शुल्क	3950.00	1644.00
2.	मंडी शुल्क	575999.76	502460.26
3.	ब्याज	2546.99	3510.25
4.	फार्म पर्ची विक्रय	3138.15	1823.20
5.	विलम्ब शुल्क	1396.30	689.16
6.	अन्य	1112.97	1841.97
7.	अग्रिम अनाज क्रय त्योहार	3690.00	2590.00
8.	ऋण एवं अग्रिम	4180.00	—
9.	वाहन ऋण वसूली से आय	630.00	650.00
10.	भवन निर्माण ऋण वसूली	—	6602.80
11.	ग्रामीण क्षेत्र गोदाम निर्माण हेतु अनुदान	12500.00	—
12.	सी० डी० एल०	1232.67	105.20
13.	अग्रिम एवं सिक्योरिटी	—	1600.00
14.	भविष्य निधि ऋण वसूली	755.00	5091.50
15.	केन्द्रीय सरकार से अनुदान	—	200000.00
16.	परियोजना ऋण	—	830000.00
	योग..	611131.84	1558608.34

(235)

परिशिष्ट 18

अतारांकित प्रश्न संख्या 293 का परिशिष्ट परिशिष्ट 'क'

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 80-81 एवं 1981-82 में धनराशि का जिलेवार आवंटन एवं वितरण का मानचित्र।

रुपये लाखों में

क्र. सं.	नाम जिला	1980-81 राशि	1981-82 राशि
1.	अजमेर	17.8250	98.50
2	अलवर	9.7385	4.00
3.	बांसवाड़ा	6.9625	13.87
4.	बाड़मेर	10.3750	40.00
5.	भरतपुर	7.3750	3.18
6.	भीलवाड़ा	16.8500	69.47
7.	बीकानेर	16.3000	120.68
8.	बून्दी	5.8375	2.57
9.	चित्तौड़गढ़	7.2715	24.93
10.	चूरू	14.9125	100.09
11.	डूंगरपुर	14.2410	31.50
12.	गंगानगर	10.2375	6.50
13.	जयपुर	15.0500	25.00
14.	जैसलमेर	5.5500	45.00
15.	जालोर	3.5750	32.37
16.	झालावाड़	4.8250	36.46
17.	झुन्झुनू	14.9625	46.23
18.	जोधपुर	12.1000	68.11
19.	कोटा	8.1000	4.00
20.	नागौर	12.6000	95.00
21.	पाली	20.8000	23.20
22.	सवाई माधोपुर	23.0500	12.00
23.	सीकर	12.3000	16.50
24.	सिरोही	11.0375	6.66
25.	टोंक	5.3250	78.28
26.	उदयपुर	34.6050	110.00
27.	धौलपुर	—	—
28.	वन विभाग	8.3950	53.90
29.	सा.नि.वि.	–	468.00
	योग ..	330.2000	1636.00

परिशिष्ट 19

अतारांकित प्रश्न संख्या 299 की सूची

जयपुर जिले में विभिन्न वृक्षारोपण कार्यक्रमों पर व्यय की सूची

नाम वन मण्डल	नाम योजना	वर्ष	वृक्षारोपण हेतु स्वीकृत राशि	पौधों, मजदूरी, खाद, कीटनाशक व सिंचाई एवं रख-रखाव पर व्यय	वेतन तथा भत्तों पर व्यय	जीवित पौधों का प्रतिशत	पौधे नष्ट होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
विभागीय कार्य मण्डल, जयपुर	ट्री प्लांटिंग योजना	1979–80	5,200	5,200	—	100	—
		1980–81	27,950	27,950	4,500		
		1981–82	13,000	13,000	3,000		
	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना	1981–82	60,000	60,000	5,535		
जयपुर वन मण्डल	ट्री प्लांटिंग स्कीम	1979–80	4,60,000	4,78,071	आयोजना भिन्न मद से वेतन भत्ते आदि दिये गये	65	सूखा, बाढ़, चूहें, दीमक आदि के कारण
		1980–81	2,83 000	2,83,700			
		1981–82	1,60,000	1,59,754			
	परिभ्रमित वनों का पुनरारोपण	1979–80	2,14,874	2,17,754			
		1980–81	1,50,000	1,50 183			
		1981–82	3,20,000	3,25,576			
	शेल्टरवेल्ट प्ला०	1979–80	1,32,500	1,33,173			
	मिश्रित वृक्षारोपण	1979–80	1,62,000	1,68,134			

1	2	3	4	5	6	7	8
फार्म फारेस्ट्री	परिभ्रमित वनों का पुनरारोपण	1980–81	90,000	90,000	10,944	80	वर्षा की कमी एवं दीमक के कारण
		1981–82	1,48,000	1,48,000	18,625		
	शेल्टरवेल्ट वृक्षारोपण	1980–81	3,57,975	3,57,975	43,472		
		1981–82	1,82,900	1,82,900	22,955		
	मिश्रित वृक्षारोपण	1980–81	78,450	8,450	9,424		
		1981–82	92,400	92,400	11,597		
	ट्री प्लानिंग	1980–81	1,25,000	1,25,000	1,596		
		1981–82	1,83,500	1,83,500	23,033		
मिश्रित वृक्षारोपण योजना	मिश्रित वृक्षारोपण	1979–80	66,000	66,920	3,568	67 से 82	वर्षा का अभाव, दीमक, बाढ़ तथा सोल्डरी सोइल के कारण
		1980–81	35,000	35,457	1,269		
		1981–82	1,30,000	1,30,628	12,601		
	शेल्टरवेल्ट प्लान्टेशन	1980–81	4,28,000	4,28,404	16,866		
		1981–82	64,000	64,442	6,315		
	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना	1981–82	2,74,000	2,74,254	26,876		
	भू-संरक्षण योजना	1981–82	1,74,000	1,74,762	17,127		
	ग्रामीण बंधन योजना	1981–82	1,96,000	1,97,633	19,270		

परिशिष्ट 20

अतारांकित प्रश्न संख्या 8 की सूचना

मंत्रिमण्डल सदस्यों के विभिन्न शहरों में मकानों संबंधी विवरण

क्र.सं.	नाम मंत्री	मकानों का विवरण	क्या वे सम्पत्ति कर देते हैं या नहीं	क्या वे भूमि व भवन कर देते हैं ? यदि हां, तो कितना-कितना ?	क्या इन मकानों का मूल्यांकन हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों, यदि हां, तो कितना कितना ?
1	2	3	4	5	6
1.	श्री शिवचरण माथुर, मुख्य मंत्री	भीलवाड़ा में एक मकान है।	जी नहीं।	जी हां। 91/– रुपये।	जी हां। 1,18,200/ –रु. मूल्यांकन हुआ है।
2.	श्री चन्दनमल बैद, राजस्थान नहर मंत्री	जयपुर में एक मकान है।	जी हां।	जी हां। 745/ –रुपये।	जी हां। सम्पत्ति कर के संदर्भ में मकान का मूल्य 2,26,600/ – रु. तथा भूमि व भवन कर के सन्दर्भ में मकान का मूल्य 2,57,700/ –रु. आंका गया है।
3.	श्री बृज सुन्दर शर्मा, वित्त मंत्री	जयपुर में एक मकान है।	जी हां।	जी हां। निर्धारित मूल्यांकन के अनुसार दिया गया है। मूल्यांकन अधिक होने के कारण इसकी अपील की जा चुकी है जो विचाराधीन है।	जी हां। विभाग द्वारा 3,22,300/ – रुपये मूल्यांकन किया गया है।

238

239

1	2	3	4	5	6
4.	श्री हीरालाल देवपुरा, राजस्व मन्त्री।	एक मकान उदयपुर में है तथा ग्राम केलवाड़ा में एक पैतृक मकान में 1/4 हिस्सा है।	जी नहीं।	जी हां। 230/– रुपये	उदयपुर वाले मकान का मूल्यांकन 1970-71 में 85,000/– रुपये हुआ था। केलवाड़ा के मकान का मूल्यांकन नहीं हुआ है। इसका अनुमानित मूल्य 10-12 हजार रुपये है।
5.	श्री खेतसिंह राठौड़, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री।	जोधपुर में एक मकान है।	जी हां।	जी हां। 310/– रुपये।	जी हां। मूल्यांकन 1,09,000/– रुपये का हुआ है।
6.	श्री हनुमान प्रभाकर, सहायता मन्त्री।	उदयपुर में दो मकान हैं।	जी नहीं।	जी हां। 105/– रुपये।	जी हां। दोनों मकानों का मूल्यांकन क्रमशः 1,20,000/ व 64,000/- रुपये है।
7.	श्री दुलाराम, समाज कल्याण मन्त्री।	रायसिंहनगर में एक मकान है।	जी नहीं।	जी नहीं।	जी नहीं। आवश्यकता नहीं है।
8.	श्री अहमदबक्श सिंधी, विधि एवं न्याय मन्त्री।	बीकानेर में पैतृक मकान में आधा हिस्सा है तथा जोधपुर में एक मकान है।	जी नहीं।	जी नहीं।	मूल्यांकन होकर नियत नहीं हुआ है।

9.	श्री जयकृष्ण शर्मा, राज्य मंत्री, यातायात।	अलवर में एक मकान है।	जी नहीं।	जी नहीं।	जी हां। मूल्यांकन 73,500/- रुपये किया गया है।
10.	श्री प्रद्युम्नसिंह, राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन।	धौलपुर में मकान है यह संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति है।	स्वमूल्यांकन के आधार पर अग्रिम सम्पत्ति कर जमा कराया जा चुका है।	जी नहीं। भूमि व भवन कर के लिए धौलपुर नगर में वर्तमान में मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है।	अन्तिम मूल्यांकन अभी नहीं हुआ है।
11.	श्री श्रीराम गोटेवाला, राज्य मंत्री, पशुपालन।	उनके व उनके बड़े भाई श्री मातादीन के संयुक्त नाम से जयपुर में एक मकान है।	जी नहीं।	जी नहीं।	जी नहीं। आवश्यकता नहीं है।
12.	श्री दिनेशराय डांगी, राज्य मंत्री, आयुर्वेद।	पाली नगरपालिका में एक मकान है।	जी नहीं।	जी नहीं।	जी हां। मूल्यांकन 68,000/- रुपये है।
13.	श्री चेतराम मीणा, राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग।	हिण्डौन (सवाई माधोपुर) में एक मकान है।	जी नहीं।	जी नहीं।	जी नहीं। आवश्यकता नहीं है।
14.	श्री गोविन्दसिंह, राज्य मंत्री, वन।	नसीराबाद (अजमेर) में मकान नं. 3276 का एक भाग पैतृक सम्पत्ति के रूप में है जो बरसात से टूट जाने के कारण रिहायश के काबिल नहीं है।	जी नहीं।	जी नहीं।	जी नहीं। आवश्यकता नहीं है।

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	श्री नरेन्द्रसिंह भाटी, राज्य मंत्री, पुनर्वास।	जोधपुर में एक मकान है।	जी नहीं।	जी नहीं। रु. 87.50 पैसे।	जी हाँ। मूल्यांकन 1,17,500/- रु. हुआ है।		
16.	श्री रामकिशन वर्मा, राज्य मंत्री, भेड़ व ऊन।	चार भाइयों के संयुक्त परिवार के लिए एक पैतृक पुराना मकान कोटा शहर में है।	जी नहीं।	जी नहीं।	जी हां। मूल्यांकन 72,000/- रुपये किया गया है जिसमें से मंत्री जी के हिस्से में 1/4 भाग 18,000/- रुपये आता है जो भवन कर की सीमा में नहीं है।		
17.	श्री देवेन्द्रसिंह, राज्य मंत्री, कृषि।	भीलवाड़ा शहर में एक मकान है।	जी नहीं।	जी नहीं।	जी नहीं। आवश्यकता नहीं है।		
18.	श्री सुरेन्द्र व्यास, राज्य मंत्री, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षा।	जयपुर में एक मकान है।	जी नहीं।	जी हां। वर्ष 1982-83 में रु. 245.50 पैसे भूमि व भवन कर दिया है।	जी हां। मूल्यांकन 1,49,112/- रुपये है।		
19.	श्री गोविन्द आमलिया, उप मंत्री, आयोजना।	डूंगरपुर में 27×50 के प्लाट पर कच्चा केलूपोश मकान है। उदयपुर शहर में 30×50 के प्लाट पर दो कमरों का एक मकान है।	जी नहीं।	जी नहीं।	जी नहीं। आवश्यकता नहीं है।		
20.	श्री छोगाराम बकोलिया, उपमंत्री, ऊर्जा।	बाड़मेर में एक मकान है।	जी नहीं।	जी नहीं।	जी नहीं। आवश्यकता नहीं है।		

नोट:—श्री परसराम मदेरणा, सिंचाई मंत्री, श्रीमती कमला, शिक्षा मंत्री, श्री घासीराम यादव, राज्य मंत्री, खाद्य एवं आपूर्ति, श्री शीशराम ओला, राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, श्री बी. डी. कल्ला, राज्य मंत्री, पर्यटन, श्रीमती कमला भील, उप मंत्री, बाढ़ एवं अकाल सहायता एवं श्री जगतारसिंह, उप मंत्री, सिंचाई के किसी शहर में कोई मकान नहीं है।

२५२

परिशिष्ट 21

अतारांकित प्रश्न संख्या 7 की सूची

सूची ऑटो रिक्शा जो माह जनवरी, 1983 में जब्त किये गये

निम्नलिखित ऑटो रिक्शा धारा 129 ए. एम. वी. एक्ट के तहत जब्त किये गये हैं।

क्र.सं.	वाहन नं.	दिनांक जब्त	धाराएँ जिनमें चालान किया	दिनांक परिवहन अधिकारी को पेश करने की	जुर्माना	रिलीज दिनांक	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आर एस जेड 282	17-1-83	42/123, 38/123 एम. वी. एक्ट 10/11 टी एक्ट	18-1-83	251/-	14-2-82	मीटर चालू नहीं, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था। टोकन नहीं था।
2.	आर एस जेड 9759	,,	42/123 एम. वी. एक्ट	,,	100/-	20-1-83	मीटर चालू नहीं था।
3.	आर जे जेड 9720	,,	,,	,,	100/-	,,	,,
4.	आर जे जेड 440	18-1-83	,,	19-1-83	100/-	,,	,,
5.	आर जे जेड 9952	,,	,,	,,	100/-	,,	,,

243

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	आर एस जेड 9056	18– 1–83	42/123, 53/112, 86/ 112, 94/125, 38/ 123, एम. वी. एक्ट एण्ड रूल	19– 1–83	200/–	20– 1–83	मीटर चालू नहीं, आर. सी.वी.एल व फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं थे।
7.	आर एस जेड 9099	,,	42/123 एम. वी. एक्ट	,,	100/–	,,	मीटर चालू नही था।
8.	आर एस जेड 8738	,,	,,	,,	100/–	,,	,,
9.	आर एस जेड 8680	,,	,,	,,	100/–	,,	,,
10.	आर एस जेड 6228	,,	,,	,,	100/–	,,	,,
11.	आर एस जेड 9982	,,	,,	,,	100/–	,,	,,
12.	आर एस जेड 6507	,,	42/123 38/ 123 एम. वी. एक्ट	,,	200/–	,,	मीटर चालू नहीं व फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था।
13.	आर एस जेड 9744	18– 1–83	42/123, 38/123 एम. वी. एक्ट	,,	100/–	,,	मीटर चालू नहीं फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था।
14.	आर एस जेड 6093	,,	94/125, 38/123 एम. वी. एक्ट	,,	100/–	,,	फिटनेस व इंश्योरेन्स सर्टिफिकेट नहीं था।

245

15. आर एस जेड 9805	18-1-83	42/123 एम वी. एक्ट	19-1-83	100/-	20-1-83	मीटर चालू नहीं था
16. आर एस जेड 7995	,,	,,	,,	100/-	,,	,,
17. आर आर जेड 27	,,	,,	,,	100/-	,,	,,
18. आर एस जेड 9958	,,	42/123, 10/11 एम. वी. एक्ट, टी एक्ट	,,	151/-	,,	मीटर चालू नहीं टैक्स टोकन नहीं था।
19. आर एस जेड 6797	,,	42/123 एम. वी. एक्ट 116/112 एम. वी. आर.	,,	100/-	,,	मीटर चालू नहीं था। चालक ने वर्दी नहीं पहन रखी थी।
20. आर एस जेड 8735	,,	86/112, 38/123, 94/125, 53/112, 42/123 एम. वी. एक्ट, एण्ड आर.	,,	200/-	,,	मीटर चालू नहीं था। फिटनेस सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन ,, इन्श्योरेन्स व ड्राइविंग लाइसेन्स नहीं था।
21. आर एस जेड 9883	,,	42/123 एम. वी. एक्ट	,,	100/-	,,	मीटर चालू नहीं था।
22. आर एस जेड 5554	18-1-83	42/123, 38/123, 86/112, 94/125 एम. वी. एक्ट	19-1-83	200/-	20-1-83	मीटर चालू नहीं था। फिटनेस सर्फि.स. रजि. सर्फि. इन्श्यो. सर्फि. नहीं था।

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	आर एस जेड 9766	,,	42/123 एम वी.एक्ट	,,	100/–	,,	मीटर चालू नहीं था।
24.	आर एस जेड 6231	,,	42/123, 38/123 एम. वी- एक्ट	,,	200/–	,,	मीटर चालू नहीं था। फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था।
25.	आर एस जेड 6595	,,	42/123, 38/123 एम. वी. एक्ट	,,	200/–	,,	मीटर चालू नहीं था। फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था।
26.	आर एस जेड 7884	,,	42/123 एम. वी. एक्ट	,,	100/–	,,	मीटर चालू नहीं था।
27.	आर एस जेड 3684	,,	,,	,,	100/–	,,	,,
28.	आर एस जेड 8704	,,	,,	,,	100/–	,,	,,
29.	आर एस जेड 6545	,,	,,	,,	100/–	,,	,,
30.	आर एस जेड 8438	,,	,,	,,	100/–	,,	,,
31.	आर एस जेड 348	,,	42/123, 38/123 एम. वी. एक्ट	,,	200/–	,,	मीटर चालू नहीं था। फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था।

32.	आर एस जेड 6175	18-1-83	42/123, 38/123 एम. वी. एक्ट. 10|11 टी एक्ट	19-1-83	251/-	[illegible]-2-83	मीटर चालू नहीं था। फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था व टैक्स टोकन नहीं था।
33.	आर एस जेड 4345	,,	42/123 38/123 एम. वी. एक्ट	,,	200/-	20-1-83	मीटर चालू नहीं था फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था।
34.	आर एस जेड 9927	,,	42/123 एम. वी. एक्ट	,,	100/-	,,	मीटर चालू नहीं था।
35.	आर एस जेड 4196	,,	,,	,,	100/-	,,	,,
36.	आर एस जेड 8823	,,	,,	,,	100/-	,,	,,
37	आर आर जेड 1493	,,	,,	,,	100/-	,,	,,
38.	आर एस जेड 9084	,,	,,	,,	100/-	,,	,,
39.	आर एस जेड 647	,,	42/123 एम. वी. एक्ट	,,	100/-	,,	मीटर चालू नहीं था।
40.	आर जे ई 3219	,,	,,	,,	100/-	,,	,,
41.	आर एस जेड 261	,,	,,	,,	100/-	,,	,,
42.	आर आर जेड 1757	,,	,,	,,	100/-	,,	,,
43.	आर एस जेड 8984	,,	,,	,,	100/-	,,	,,
				योग..	5453) रु०		

सूची आटो रिक्शा जिनके चालान माह जनवरी, 1983 में एम. वी. एक्ट के तहत किये जाकर धारा 129 ए. एम. वी. एक्ट में जप्त किये व जिनके चालान न्यायालय, अवर मुन्सिफ एवं दण्डनायक मजिस्ट्रेट (पश्चिम) नं० 2 अजमेर में पेश किये गये।

क्र.सं.	वाहन संख्या	दिनांक जप्ति	धारा चालान जिनमें चालान किये गये	दिनांक अदालत में पेश होने की	जुर्माना	दिनांक रिलीज	आटो रिक्शा विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आर एस जेड 4299	1-1-83	53/112, 86/112, 94/125, 38/123, 42/123, 116/112, 117, 112 एम. वी. एक्ट एम. वी. रूल	2-1-83	30/-	3-1-83	कागजात डी.एल.आर. सी.आई.सी., एफ सी. परमिट वर्दी, बैज न होने से।
2.	आर एस जेड 1696	4-1-83	42/123, 94/125, 116/112 एम. वी. एक्ट, एम. वी. आर.	5-1-83	25/-	5-1-83	परमिट व आई सी. वर्दी नहीं थी।
3.	आर एस जेड 4217	5-1-83	86/112, 38/125, 53/112, 84/112, एम. वी. एक्ट, एम. वी. आर.	6-1-83	15/-	6-1-83	आर.सी., एफ.सी.डी. एल.परमिट नहीं था।

4. आर एस जेड 6185	6-1-83	94/ 125, 38/ 123, एम. वी. एक्ट	7-1-83	30/-	7-1-83	आई.सी.,सी.एफ.
5. आर एस आर 7914	7-1-83	86/112, 94/ 125, 42/ 123, 38/ 123, 53/ 112 एम. वी. एक्ट, एम. वी. आर.	8-1-83	15/-	10-1-83	आर सी., आई सी., परमिट एफ.सी. डी.एल.
6. आर एस जेड 8680	10-1-83	86/ 112, 38 / 123, 116/ 112 एम. वी. एक्ट, एम. वी. आर.	11-1-83	25/-	12-1-83	आर सी एफ सी. वर्दी नहीं थी।
7. आर एस जेड 2810	11-1-83	53/ 112, 86/112, 38/ 125, 94/125 एम.वी.आर., एम. वी. एक्ट 10/ 11 टी. एस. एक्ट	12-1-83	20/-	,,	डी.एल.आर.सी.एफ. सी.आई.सी. टोकन टैक्स नहीं था।
8. आर एस जेड 385	15-1-83	53/ 112, 86/ 112/ 94/ 125.38/ 125 एम.वी.आर., एम.वी. एक्ट	17-1-83	30/-	18-1-83	डी.एल आर.सी.एफ. सी.परमिट वर्दी नहीं।
9. आर एस जेड 3769	16-1-83	42/ 123, एम. वी. एक्ट	,,	50/-	17-1-83	परमिट नहीं था।
10. आर एस जेड 3863	,,	42/ 123, 38/ 123, एम. वी. एक्ट	,,	30/-	,,	परमिट फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था।

248

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	आर एस जेड 6803	16-1-83	53/112, 83/112, 94/125, 42/123, एम.वी.एक्ट, एम.वी.आर.	17-1-83	40/-	19-1-83	डी.एल.आई.सी. परमिट नहीं था। आगे की सीट पर एक सवारी बैठा रखी थी।
12.	,, 6482	,,	53/112, 86/112, 94/125, 38/123, एम.वी.एक्ट, एम. वी. आर.	,,	70/-	17-1-83	डी.एल.आर सी आई सी.एल.सी. नहीं थी।
13.	,, 1912	,,	42/123, 116/112	,,	50/-	27-1-83	परमिट नहीं था।
14.	,, 8021	,,	53/112, 86/112, 94/125, 38/123, 42/123, एम. वी एक्ट एम. वी. आर.	,,	70/-	,,	डी.एल.आर.सी.एफ. सी. आई. परमिट नहीं था।
15.	,, 1747	,,	86/112, 94/125, 38/123, 42/123, 53/112, एम.वी. आर., एम.वी. एक्ट.	,,	50/-	,,	आर.सी आई सी.एफ. सी.डी.एल.परमिट नहीं था।
16.	,, 1755	,,	53/112, 86/112, 38/123, 94/125 एम वी.एक्ट टी. एस. एक्ट	,,	50/-	,,	डी.एल.आर,सी एफ. सी.आई.सी.टोकन नहीं था।

17. आर.एल.जेड. 9361	,,	86/112, 94/125, 38/123, 42/123, 53/112, एम.वी.आर.. एम.वी.एक्ट	18–1–83	30/-	8–2–83	आर.सी.आइ.सी.एफ. सी परमिट डी.एल. नहीं था।
18. ,, 7629	,,	42/123, एम.वी.एक्ट	,,	30/-	,,	परमिट नहीं था।
19. ,, 1760	18–1–83	41/123 एम.वी.एक्ट	19–1–83	40/-	21–1–83	,,
			योग . .	700/- रु.		

परिशिष्ट 22

अतारांकित प्रश्न संख्या 115 की सूची

आवेदन–पत्रों की स्थिति पिछड़े को पहले कार्यक्रम अन्तर्गत बाबत वर्ष 1981–82 व 1982–83

पंचायत समिति	1981–82 ऋण आवेदन–पत्र संख्या			1982–83 ऋण आवेदन–पत्र संख्या		
	विचाराधीन	रद्द किये गये	कारण	विचाराधीन	रद्द किये गये	कारण
1	2	3	4	5	6	7
1. टोंक	230	129	अवधिपार ऋण बकाया, ऋण लेने से इन्कार एवं मृत्यु होने के कारण और गांव से बाहर जाने के कारण।	237	179	अवधिपार ऋण बकाया, ऋण से इन्कार एवं मृत्यु होने के कारण।
2. मालपुरा	153	117	,, ,,	82	167	—
3. अलीगढ़	300	81	30 व्यक्ति ऋण लेने से इन्कार एवं 51 फार्म अपूर्ण कार्यवाही के कारण।	100	—	—
4. अलीगढ़	344	—	—	346	—	—

5. देवली	196	70	अवधिपार ऋण बकाया होने के व फार्म अपूर्ण होने पर।	518	196	अवधिपार ऋण बकाया होने व ऋण लेने से इन्कार करने के कारण।
6. निवाई	204	—	—	532	—	—
योग ..	1427*	397	—	1815	542	—

*वर्ष 1981-82 के प्रारम्भ में यह प्रार्थना-पत्र विचाराधीन थे जो कि इस समय तक स्वीकृत होकर वितरित भी किये जा चुके हैं।

(253)

वर्ष 81-82 से 1983-84 तक के लिए कुल ग्रामवार ग्राई० ग्रार० डी० चयनित परिवार ग्रौर उनमें से वर्ष 1981-82 व 82-83 में लाभान्वित परिवारों का विवरण

पंचायत समिति	चयनित परिवार				लाभान्वित परिवार					
	1981-82	1982-83	1983-84	योग	1981-82			1982-83		
					सं०	ऋण	अनुदान	सं०	ऋण	अनुदान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. टौंक	662	489	1405	2556	211	511000	227900	371	798224	367551
2. निवाई	643	685	599	1927	131	402160	133949	254	757290	252428
3. अलीगढ़	750	632	440	1830	202	280779	239606	190	438306	345503
4. मालपुरा	862	617	582	2061	223	590150	177045	438	1139370	408733
5. देवली	713	821	326	1860	77	125220	47632	239	506486	247702
6. टोडारायसिंह	573	718	232	1523	250	524485	213181	395	740880	458930
योग..	4211	3962	3584	11757	1094	2433794	1033193	1887	4380556	2080847

कुल 11,757 चयनित परिवारों में से ही वर्ष 1981-82 व 82-83 में लाभान्वित किये गये हैं।

(254)

आई. आर. डी. की पंचायत समिति टोंक की ग्रामवार प्रगति

क्रम सं.	नाम ग्राम	ग्राम पंचायत	चयनित व्यक्ति			लाभान्वित					
						1981-82			1982-83		
			1981-82	1982-83	1983-84	संख्या	ऋण	अनुदान	संख्या	ऋण	अनुदान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	सोनवा	सोनेवा	16	16	32	1	1800	900	8	15000	7500
2.	अलाहपुरा	,, ,,	1	–	1	–	–	–	–	–	–
3.	गलोद	गलोद	5	5	17	2	6400	2600	6	14550	7000
4.	किशनपुरा	,, ,,	2	3	9	–	–	–	6	15133	8117
5.	इस्लामपुरा	,, ,,	2	2	5	–	–	–	–	–	–
6.	मारखेड़ा	,, ,,	2	2	5	–	–	–	–	–	–
7.	खुरेड़ा	,, ,,	5	6	9	–	–	–	1	3200	1600
8.	देवरी	,, ,,	2	1	3	–	–	–	–	–	–
9.	ककराज खुर्द	,, ,,	2	2	5	–	–	–	1	3867	1933
10.	खेड़लिया	,, ,,	2	2	11	1	3200	1300	7	14300	7000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	ककराज कलां	गलोद	2	2	7	—	—	—	1	1734	1866
12.	सांखला	सांखला	7	7	15	5	1700	800	3	5734	2866
13.	सोलतपुरा	,, ,,	1	2	—	—	—	—	—	—	—
14.	रावनगर	,, ,,	2	—	2	3	4600	2100	—	—	—
15.	भावरखों	,, ,,	2	—	7	3	5400	2700	1	3070	1530
16.	देवपुरा	,, ,,	2	2	2	3	4600	2100	—	—	—
17.	मेहमूदगंज	,, ,,	2	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	मण्डावर	मण्डावर	10	15	35	17	72000	25700	9	12067	6033
19.	सीतारामपुरा	,, ,,	2	10	2	3	9000	4000	1	1200	300
20.	रानोली	रानोली	9	20	15	2	3600	1800	18	47750	23870
21.	इसरदा	काबरा	2	—	—	2	3200	1300	—	—	—
22.	रसूलपुरा	,, ,,	2	—	—	—	—	—	—	—	—
23.	विशनपुरा	,, ,,	2	2	14	1	3200	1300	1	3334	1666
24.	उम	,, ,,	7	1	9	4	6600	3100	—	—	—
25.	युसुफगंज	काबरा	2	1	21	—	—	—	—	—	—
26.	याकूबगंज	,, ,,	6	—	—	1	2000	1000	1	3400	1700
27.	झालरा	,, ,,	—	55	73	—	—	—	1	3500	1700
28.	लवादर	लवादर	5	8	13	1	3200	1300	2	4867	2433
29.	गुलाबपुरा	,, ,,	1	1	3	—	—	—	1	1600	800

30. रहमानिया	लवादर	2	–	–	1	1400	600	2	3600	1800
31. अरनियामाल	,,	–	–	30	5	11800	5400	2	3800	1900
32. दाखिया	दाखिया	10	–	9	3	5400	2700	–	–	–
33. करीमपुरा	,,	1	–	1	2	7000	3000	–	–	–
34. सडिला	,,	2	–	3		–	–	–	–	–
35. अ. नील	,,	5	–	1	–	–	–	–	–	–
36. वजीरपुरा	वजीरपुरा	2	3	3	1	1400	600	1	1850	900
37. बिछारस	,,	2	1	4	2	6400	2600	1	3500	1700
38. पालडी	,,	3	–	4	–	–	–	1	3500	1700
39. बाडा जेरकीला	,,	2	2	9	–	–	–	7	11170	5580
40. मोलाइपुरा	,,	2	2	9	3	9600	3900	2	4667	2333
41. चंदलाई	चंदलाई	5	5	9	3	5400	2700	1	2000	1000
42. रहीमपुरा	,,	1	5	1	3	5400	2700	–	–	–
43. गफूरपुरा	,,	2	1	–	1	4000	2000	–	–	–
44. लतीफगंज	,,	2	1	–	–	–	–	–	–	–
45. छान	छान	7	7	21	12	45100	22500	5	7734	3866
46. महुआ	,,	5	5	11	4	7200	3600	1	1734	866
47. अमीरपुरा खेड़ा	,,	2	–	10	–	–	–	–	–	–
48. अलीपुर	,,	7	4	1	3	5000	2400	2	7194	3596
49. कठमाना	कठमाना	9	3	64	–	–	–	–	–	–
50. सोडा बावड़ी	,,	9	8	–	–	–	–	2	5600	2900
51. पीपलू	पीपलू	14	14	33	5	11800	3500	6	10500	5000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.	ताखोली	ताखोली	1	—	5	—	—	—	—	—	—
53.	वजीरपुरा	,,	1	—	4	—	—	—	—	—	—
54.	मीरगंज	,,	1	—	—	1	1800	900	—	—	—
55.	निरवाना	डोडवाड़ी	3	2	4	—	—	—	—	—	—
56.	डोड़वाडी	,,	11	10	10	7	15400	7100	2	3200	1500
57.	लाख	,,	2	2	5	—	—	—	—	—	—
58.	हनोतिया	,,	5	3	2	1	1800	900	1	1800	900
59.	मूण्डिया	,,	2	2	3	2	3600	1800	—	—	—
60.	जताली	,,	10	5	5	1	2000	1000	1	1800	900
61.	पासरोटिया	पासरोटिया	6	5	24	—	—	—	2	3300	1650
62.	खूरेडी	,,	7	5	15	—	—	—	1	1800	900
63.	गाता	,,	2	—	—	—	—	—	—	—	—
64.	अमीनगर	,,	3	1	1	—	—	—	3	5067	2533
65.	मालीपुरा	,,	5	—	5	—	—	—	1	1800	900
66.	काबरा	काबरा	10	3	45	—	—	—	—	—	—
67.	खेड़ामीर	,,	1	—	—	—	—	—	—	—	—
68.	चोगाई	चौगाई	5	—	1	—	—	—	1	2100	1050
69.	जानकी बल्लभपुरा	,,	1	1	4	—	—	—	3	10400	5200
70.	अरनिया काकड	,,	5	—	2	—	—	—	—	—	—

71. गोवर्धनपुरा	,,	3	—	—	—	—	—	—	..	—
72. संदीफल	,,	1	—	—	—	—	—	1	3470	1730
73. जहूरपुरा	,,	1	2	5	1	1800	900	—	—	—
74. बगड़वा	बगड़वा	2	—	6	—	—	—	1	3600	1800
75. बूढ़ा रामदास	,,	2	1	—	—	—	—	2	3600	1800
76. मुर्तजा नगर	,,	1	—	—	—	—	—	1	3600	1800
77. गंगापुर	,,	3	—	—	—	—	—	—	3600	1800
78. नवरंगपुरा	,,	7	5	8	1	1800	900	6	11075	5000
79. मोहम्मद नगर ढाणी	,,	3	2	2	—	—	—	3	8770	4380
80. हमीरिया	,,	4	—	2	—	—	—	2	7690	3600
81. इब्राहिमाबाद	,,	—	—	2	—	—	—	—	—	—
82. सीतारामपुरा	,,	—	—	1	—	—	—	1	3300	1600
83. इनायतगंज	,,	—	—	7	—	—	—	—	—	—
84. खेड़ली	,,	—	—	1	—	—	—	—	—	—
85. हरचन्देड़ा	हरचन्देड़ा	6	4	19	1	1400	600	—	—	—
86. अहमदपुर चौकी	,,	2	5	7	3	7400	3600	—	—	—
87. राउफपुरा	,,	5	3	8	1	3200	1300	1	2400	1100
88. बोरडी	,,	2	3	4	—	—	—	—	—	—
89. साढ़ा गांव	,,	—	7	7	—	—	—	—	—	—
90. नाया गांव मो. पुरा	,,	—	—	5	—	—	—	—	—	—
91. पालड़ा	पलड़ा	5	3	4	1	3200	1300	—	—	—
92. नवाबपुरा	,,	2	2	9	2	2800	1200	9	10100	8050

259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93.	ग्रहमदपुरा	पलड़ा	2	2	8	—	—	—	—	1800	900
94.	लहन	,,	2	—	10	1	4000	1500	6	10870	5430
95.	मो. नगर	,,	—	—	2	—	—	—	—	—	—
96.	तालनुरा	,,	—	—	8	—	—	—	—	—	—
97.	बारदा	,,	—	—	—	—	—	—	—	—	—
98.	डारडा तुर्की	डारडा तुर्की	13	—	11	5	16000	6500	1	1400	600
99.	करीमपुरा	,,	—	—	6	—	—	—	2	2934	1466
100.	नानेर	नानेर	10	11	4	—	—	—	—	—	—
101.	रहीमपुरा	,,	5	5	7	—	—	—	6	10367	5183
102.	ग्र. केदार	ग्र. केदार	10	11	21	—	—	—	5	15985	8500
103.	नःपुरा खेड़ा	,,	3	2	—	1	1800	900	—	—	—
104.	देवपुरा	,,	3	3	10	—	—	—	1	1734	866
105.	हाजीपुरा	,,	2	—	1	—	—	—	1	3747	1833
106.	बीठोला	,,	3	2	2	6	14600	7400	1	4000	2000
107.	ग्र. तिवाड़ी	,,	2	—	2	1	4000	1500	1	3747	1833
108.	चूरिया	,,	2	2	2	1	1800	900	1	3734	1866
109.	हयातपुरा	,,	2	—	1	—	—	—	—	—	—
110.	करीरिया	,,	2	2	5	2	8000	3000	—	—	—
111.	निमेड़ा	निमेड़ा	2	—	—	—	—	—	—	—	—

112. अलीलपुरा	,,	1	–	–	–	–	–	2	5467	2733
113. इसाकपुरा	,,	1	–	–	–	–	–	–	–	–
114. बिजवाड़	,,	1	1	–	–	–	–	–	–	–
115. मदारीपुरा	,,	3	–	9	–	–	–	–	–	–
116. डारडा हिंद	डारडाहिंद	10	18	20	–	–	–	5	7867	3933
117. उस्मानपुरा	,,	–	–	1	–	–	–	–	–	–
118. घास	घास	5	–	16	–	–	–	9	30767	15383
119. बोड़ा अब्दुल्लापुरा	,,	3	–	–	–	–	–	–	–	–
120. मोहम्मद गंज	,,	1	–	–	–	–	–	–	–	–
121. खलीलपुरा	,,	1	–	–	–	–	–	1	1000	500
122. ऊटीटाना	,,	1	–	3	4	6900	4200	2	6400	3200
123. खजुरियां	,,	2	–	8	1	1800	900	4	11534	5766
124. लोहरवाडा	लोहरवाडा	7	17	11	3	5400	2700	4	6250	3200
125. आदमपुरा	,,	1	4	2	–	–	–	1	1500	900
126. अनवरनगर	,,	1	–	–	–	–	–	–	–	–
127. रामकिशनपुरा	,,	3	–	–	–	–	–	2	7200	3600
128. अब्बास नगर	,,	3	–	–	–	–	–	3	9900	5000
129. काशीपुरा	काशीपुरा	3	–	2	–	–	–	–	–	–
130. मायारामपुरा	,,	2	2	1	–	–	–	–	–	–
131. मुमाना	,,	1	–	1	–	–	–	–	–	–
132. अलीमपुरा	,,	2	2	–	–	–	–	–	–	–
133. नदिया	,,	2	2	5	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134.	मदुदपुरा	काशीपुरा	2	1	10	—	—	—	—	—	—
135.	शीशोला	,,	3	2	8	—	—	—	2	3900	1900
136.	मवासीपुरा	,,	—	—	3	—	—	—	—	—	—
137.	नाथड़ी	,,	—	—	4	—	—	—	—	—	—
138.	संदेड़ा	संदेड़ा	3	3	11	—	—	—	3	4300	2100
139.	बनवाड़ा	,,	7	2	3	—	—	—	—	—	—
140.	बलखण्डीया	,,	2	2	—	—	—	—	3	5000	2500
141.	कल्याणपुरा	,,	2	—	—	—	—	—	27	5725	3000
142.	डोडरिया	,,	3	—	1	—	—	—	—	—	—
143.	ग्रहमदगंज	,,	1	—	—	—	—	—	1	3000	1500
144.	हरीपुरा	,,	—	—	2	—	—	—	—	—	—
145.	हथोना	हथोना	8	—	30	—	—	—	16	41400	25700
146.	बरोनी	,,	1	—	1	1	3200	1300	1	1400	600
147.	शक्लपुरा	,,	1	—	3	—	—	—		—	—
148.	जोला	जोला	4	9	4	—	—	—	—	—	—
149.	मोटुका	,,	—	—	5	—	—	—	1	1334	666
150	डुसरी	,,	—	—	4	—	—	—	—	—	—
151.	दौलतपुरा	,,	—	3	6	1	—	—	4	4267	1334
152.	ग्रनवरपुरा खेडा	,,	—	—	1		—	—	—	—	—

153. देवली	देवली	3	3	11	1	—	—	6	18800	9000
154. चीरोंज	,,	9	5	9	—	—	—	—	—	—
155. भांची	,,	2	3	7	1	—	—	2	3200	1600
156. कारोला	,,	3	3	2	—	—	—	—	—	—
157. बगड़ी	बगड़ी	14	—	21	14	36600	16100	5	14134	7116
158. फजलपुरा	,,	3	3	2	—	—	—	—	—	—
159 फयावड़ी	,,	7	12	3	1	3200	1300	—	—	—
160. इस्माइलपुरा	,,	—	—	1	—	—	—	—	—	—
161. कल्याणपुरा	,,	—	—	1	—	—	—	—	—	—
162. सौरन	सोरन	2	1	7	3	4200	1800	—	—	—
163. ठीकरिया	,,	1	—	5	—	—	—	—	—	—
164. घोलाखेडा	,,	2	—	2	—	—	—	—	—	—
165. श्योपुरी	,,	3	—	10	1	1400	600	—	—	—
166. मेहगांव	,,	—	—	3	—	—	—	—	—	—
167. सरवराबाद	,,	—	1	2	—	—	—	—	—	—
168. चराई	,,	—	1	3	1	1400	600	—	—	—
169. इस्लामपुरा	,,	—	—	4	1	1400	600	—	—	—
170. पराना	पराना	10	19	17	—	—	—	2	4200	2100
171. वजीराबाद	,,	3	4	7	—	—	—	—	—	—
172. खलीलाबाद	,,	1	1	1	—	—	—	2	3170	1580
173. वजीरनगर	,,	2	1	1	—	—	—	—	—	—
174. झिराना	झिराना	13	9	22	5	8200	3900	8	27900	13000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175.	सोयला	सोयला	13	–	–	–	–	–	1	1667	833
176.	दोताना	,,	1	–	–	–	–	–	1	1867	933
177.	जयताडियों	,,	2	2	2	–	–	–	–	–	–
178.	हाडीकर्ता	,,	5	3	–	1	3200	1300	–	–	–
179.	बोरेखण्डी	बोरेखण्डी	8	12	21	–	–	–	12	30300	15000
180.	नया टीला	,,	5	4	5	–	–	–	–	–	–
181.	समदपुरा	,,	1	1	6	–	–	–	–	3300	1600
182.	हमवापुरा	,,	–	3	3	–	–	–	3	6200	2100
183.	कतीरिया	,,	–	–	2	–	–	–	–	–	–
184.	बमोर	बमोर	14	3	59	8	11200	5300	1	2134	1066
185.	निमोला	,,	–	–	11	–	–	–	–	–	–
186.	मेहन्दवास	मेहन्दवास	13	12	–	–	–	–	2	5800	2400
187.	भोदापुरा	,,	2	–	–	–	–	–	–	–	–
188.	अलीनपुरा	,,	2	–	–	–	–	–	–	–	–
189.	भरनी	भरनी	6	6	44	28	60500	29100	9	18003	9150
190.	रानीपुरा	,,	3	3	11	1	1800	900	3	10067	5033

191. थाली	भरती	3	3	7	–	–	–	3	5400	2700
192. लाम्बा	लाम्बा	5	6	21	1	3200	1300	3	5600	2800
193. निमोला	,,	11	–	3	–	–	–	9	31590	16000
194. हकीमपुरा	,,	–	–	3	–	–	–	–	–	–
195. घासडी	लवादर	–	–	5	2	3600	–	1800	–	–
	योग..	662	489	1405	211	227900	511000	371	798224	36755

264

265

आइटम नं. (1)

आई. आर. डी. की पंचायत समिति निवाई की ग्रामवार प्रगति

क्र. सं.	नाम ग्राम	ग्राम पंचायत	चयनित व्यक्ति 1981-82	1982-83	1983-84	योग	लाभान्वित 1981-82 सं.	ऋण	अनुदान	1982-83 सं.	ऋण	अनुदान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	राहोली	राहोली	13	21	17	51	–	–	–	10	22550	7517
2.	रामपुरा	,,	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
3.	सूरिया	,,	5	–	1	6	–	–	–	1	4000	1333
4.	नगर	,,	1	–	3	4	–	–	–	–	–	–
5.	रतनपुरा	सुनारा	1	2	7	10	–	–	–	2	5600	1867
6.	आकोडिया	,,	–	–	8	12	–	–	–	–	–	–
7.	सूरज का खेडा	,,	2	–	3	5	2	5500	1833	–	–	–
8.	पथराज	,,	2	2	–	4	–	–	–	2	5400	1800
9.	बाढ़ पथराज	,,	2	–	1	3	–	–	–	2	6000	2000
10.	सुनारा	,,	7	10	1	24	–	–	–	6	16100	5367

11. सुनारी	,,	4	4	5	13	–	–	–	3	8000	2667
12. प्रतापपुरा	,,	3	3	2	8	–	–	–	9	24650	8216
13. डांगरथल	डांगरथल	8	23	16	47	–	–	–	4	11900	3967
14. रम्भा	,,	7	–	2	9	1	2750	917	–	–	–
15. मनोहरपुरा	,,	3	–	3	6	–	–	–	–	–	–
16. चुराडा	,,	2	–	1	3	–	–	–	–	–	–
17. बाढछोरिया	चतुर्भुजपुरा	3	4	–	7	–	–	–	6	14400	4800
18. जोधुपुरा	,,	3	–	6	9	–	–	–	–	–	–
19. चतुर्भुजपुरा	,,	6	8	1	15	–	–	–	3	8400	2800
20. भंडगपुरा	,,	1	3	3	7	–	–	–	–	–	–
21. जगतपुरा	,,	2	–	1	3	–	–	–	–	–	–
22. खणदेवत	खणदेवत	13	15	12	40	4	11100	3700	4	11100	3700
23. हिंगोटिया	,,	2	1	–	3	–	–	–	–	–	–
24. चोरपुरा	,,	1	1	5	7	1	2700	900	1	2700	900
25. सीदड़ा	सीदड़ा	10	13	10	33	5	16800	5600	–	–	–
26. देवरी	,,	2	–	1	3	–	–	–	–	–	–
27. वनस्थली	वनस्थली	27	7	2	36	9	24600	8200	–	–	–
28. बीडोली	पुलई	10	1	4	15	–	–	–	3	7000	2333
29. ग्रहमदपुरा	,,	5	1	–	6	–	–	–	–	–	–
30. जगमोहनपुरा	,,	2	2	1	5	–	–	–	1	2500	833
31. श्रीविजयपुरा	,,	1	4	–	5	–	–	–	–	–	–
32. राधाकिशनपुरा	,,	1	–	4	5	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33.	लोदेड़ा	पलई	1	5	2	8	–	–	–	–	–	–
34.	पलई	,,	7	6	2	15	3	6800	2267	–	–	–
35.	श्रीगोविन्दपुरा	,,	1	2	–	3	–	–	–	–	–	–
36.	दौलतपुरा	,,	1	4	–	5	–	–	–	4	10650	3550
37.	बाढलोदेडा	,,	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–
38.	करेडा	करेडा	8	15	2	25	–	–	–	10	25100	8367
39.	दयालपुरा	,,	10	–	4	14	–	–	–	1	2500	833
40.	बराडी	,,	3	–	3	6	–	–	–	–	11200	3733
41.	कृपालपुरा	चनानी	2	1	–	3	–	–	–	–	–	–
42.	कनेसर	,,	6	3	–	9	–	–	–	–	–	–
43.	हनोतिया	,,	3	6	–	9	–	–	–	–	–	–
44.	ग्वालपुरा	,,	5	4	–	16	–	–	–	–	–	–
45.	चनानी	,,	3	–	15	18	–	–	–	–	–	–
46.	काचरिया	,,	1	4	–	5	–	–	–	–	–	–
47.	हरभगतपुरा	,,	2	1	–	3	–	–	–	–	–	–
48.	नाहरवाडी	पहाड़ी	3	2	–	5	–	–	–	–	–	–
49.	बरथल	,,	9	1	–	10	–	–	–	–	–	–
50.	पहाड़ी	,,	1	7	16	24	–	–	–	2	5300	1767
51.	अभयपुरा	,,	3	6	–	9	–	–	–	2	6800	2267

52. ललवाड़ी	ललवाड़ी	11	3	5	19	3	11750	3917	6	20150	6717
53. संग्रामपुरा	”	1	3	—	4	—	—	—	—	—	—
54. अणतपुरा	”	4	9	—	13	2	5900	1967	—	—	—
55. अगरपुरा	”	1	—	3	4	—	—	—	2	4900	1633
56. गंगापुरा	”	1	—	6	7	—	—	—	—	—	—
57. बाढ़ झोंपड़ी	मूण्डिया	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—
58. झोंपड़ी	”	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
59. गुनसी	”	5	9	11	25	—	—	—	—	—	—
60. सजिया	”	5	3	—	8	1	2500	833	—	—	—
61. मूण्डिया	”	12	12	—	26	—	—	—	—	—	—
62. बाड दामोदरपुरा	”	1	1	3	5	—	—	—	—	—	—
63. दहलोद	दहलोद	2	8	11	21	—	—	—	—	—	—
64. रखकपुरा	”	1	1	—	2	—	—	—	1	2700	900
65. मंगलनरहर	दहलोद	7	3	—	10	—	—	—	—	—	—
66. गोवर्धनपुरा	दहलोद	1	3	—	4	—	—	—	4	10500	3500
67. जसोदानंदनपुरा	”	3	2	—	5	—	—	—	2	8100	2700
68. सेदरिया	”	4	2	—	6	—	—	—	2	5200	1733
69. लुनेरा	”	1	1	3	5	—	—	—	—	—	—
70. निवाईग्रामीण	जुगलपुरा	11	—	—	11	—	—	—	2	25000	8333
71. जुगलपुर कलां	”	4	1	—	23	14	42400	14133	13	39300	13100
72. जयसिंहपुरा	चैनपुरा	2	7	5	14	3	7900	2633	3	7800	2600
73. चैनपुरा	”	3	5	3	11	1	2700	900	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74.	मावता	चैनपुरा	9	7	7	23	4	11400	3800	4	11400	3800
75.	केराद	,,	8	2	4	14	8	23600	7867	6	21200	7067
76.	रूपवास	,,	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
77.	महाराजपुरा	,,	3	2	2	7	—	—	—	—	—	—
78.	भिलाई	भिलाई	26	20	23	69	5	16600	5533	5	13100	4367
79.	खिडगी	खिडगी	7	25	—	32	6	20200	6733	1	2500	833
80.	सिदरो	,,	4	6	—	10	2	5550	1850	—	—	—
81.	किनाडा	,,	11	2	—	13	—	—	—	—	—	—
82.	बडोदिया	,,	1	1	11	13	2	8600	2867	2	10500	3500
83.	जीदली	,,	4	4	3	11	6	15400	5133	6	15400	5133
84.	गोवर्धनपुरा	,,	1	—	—	1	1	2750	917	1	2800	933
85.	भेरूपुरा	,,	1	1	9	11	—	—	—	—	—	—
86.	भरथला	भरथला	6	11	6	23	—	—	—	—	—	—
87.	मेदारकला	,,	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
88.	रामनगर	,,	4	3	—	7	—	—	—	—	—	—
89.	ठोरडी	,,	8	1	—	9	—	—	—	—	—	—
90.	सिरोही	सिरोही	14	18	6	38	—	—	—	5	13850	4617
91.	बडागांव	,,	2	1	9	12	—	—	—	1	2800	933
92.	खण्डवा	नला	2	13	—	15	—	—	—	9	24700	8233

93. मण्डालिया	,,	5	1	4	10	–	–	–	2	5800	1933
94. खण्डवा	,,	7	5	5	17	2	6500	2167	3	8600	2867
95. सन्तपुरा	,,	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
96. रजवास	गिरधारीपुरा	3	1	15	5	–	–	–	2	6000	2000
97. चकविजयपुरा	,,	6	–	–	1	1	2400	2800	–	–	–
98. गुढाग्रानन्दपुरा	,,	6	3	–	9	5	17400	5800	5	14900	4967
99. रजवास	रजवास	1	13	14	28	1	2500	833	4	19100	6367
100. बहड	बहड	17	16	11	44	1	2500	833	7	19300	6433
101. बस्सी	,,	5	6	13	2	–	–	–	4	11500	3833
102. खेडा	,,	3	3	–	6	–	–	–	–	–	–
103. बारेडा	जामडोली	7	13	27	47	–	–	–	–	–	–
104. जामडोली	,,	17	3	42	3	13500	–	4500	–	–	–
105. नटवाडा	नटवाडा	16	17	18	51	–	–	–	1	3000	1000
106. सिरस	सिरस	18	15	20	53	–	–	–	4	12800	4266
107. श्रीरामपुरा	श्रीरामपुरा	3	10	–	14	–	–	–	7	18215	6072
108. भगवतपुरा	,,	2	3	5	10	–	–	–	4	10550	3517
109. चुराडा	10	12	6	28	46	9400	–	3133	5	17550	5850
110. अरनिया	4	–	–	4	1	4600	–	1533	2	450	2483
111. श्री रामचन्द्रपुरा	2	–	5	7	12	–	–	–	–	–	–
112. लुहारा	लुहारा	14	10	12	36	7	23350	7717	–	–	–
113. सूरतपुरा	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
114. भुरटिया	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115.	हरभांवता	लुहारा	1	4	7	12	–	–	–	–	–	–
116.	नाहटा	नोहटा	10	9	4	23	4	9800	3268	3	7800	2600
117.	रहड	,,	6	3	5	14	–	–	–	–	–	–
118.	करीरिया	,,	3	5	2	10	1	4800	1600	–	5000	1667
119.	कांटोली	,,	1	8	2	11	–	–	–	–	–	–
120.	दतवास	दतवास	15	12	17	44	3	7500	2500	1	2800	933
121.	जगसरा	,,	6	14	–	20	1	3700	1233	3	8150	2717
122.	हिंगोनिया	तुर्किया	7	3	4	14	4	8610	2870	6	14800	4933
123.	तुर्किया	,,	11	6	2	19	5	15850	5283	5	12900	4300
124.	राजधिराजपुरा	,,	8	6	1	15	6	18650	6213	3	8000	2667
125.	भातडिया	वनस्थली	–	13	1	14	–	–	–	–	–	–
126.	करणपुरा	,,	–	5	–	5	–	–	–	–	–	–
127.	रामजीपुरा	,,	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–
128.	अलियाबाद	पलई	–	5	7	12	–	–	–	5	20025	6676
129.	सूरतपुरा	करेडा	–	5	1	6	–	–	–	–	–	–
130.	बिचकुडी	,,	–	1	11	12	–	–	–	5	12300	4100
131.	महासिंहपुरा	चनानी	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–
132.	गोपालपुरा	,,	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
133.	गोपालपुरा	लालवाडी	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–

134.	श्योपुरा	बहलोद	—	3	3	6	—	—	—	—	—	—
135.	भगवानपुरा	चैनपुरा	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
136.	भावती	,,	—	1	—	1	—	—	—	1	6000	2000
137.	खाजपुरा	भरथला	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
138.	गोपालपुरा	,,	—	5	9	14	—	—	—	—	—	—
139.	हमीदपुरा	खण्डवा	—	1	3	3	—	—	—	1	2800	933
140.	खेडीभानुपुरा	सिरस	—	3	—	3	—	3800	1267	—	—	—
141.	भगतरामपुरा	लुहारा	—	2	2	4	—	—	—	—	—	—
142.	सीपुरा	तुकिया	—	5	4	9	—	—	—	3	7100	2367
143.	कुरवदा	,,	—	2	15	17	—	—	—	3	9400	3133
144.	सुखचेनपुरा	,,	—	1	—	1	—	—	—	2	5200	1733
145.	गणेशपुरा	,,	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
146.	बंशीपुरा	,,	—	2	—	2	—	—	—	1	2500	833
147.	राजधानपुरा	,,	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—
148.	छोरिया	चतुर्भुजपुरा	—	—	3	3	—	—	—	1	2600	867
149.	गोविन्दपुरा	सीदड़ा	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
150.	दामोदरपुरा	बनस्थली	—	—	12	12	—	—	—	—	—	—
151.	जुगनपुरा खुर्द	,,	—	—	5	5	—	—	—	1	4500	1500
152.	त्रिलोकपुरा	,,	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
153.	सूरजपुरा	,,	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—
154.	सरसडीरामपुरा	,,	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—
155.	बहकवा	पलई	—	—	8	8	—	—	—	1	2000	933

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
156.	विजयगोविन्दपुरा	ललवाडी	—	—	2	2	—	—	—	—	—	-
157.	देवपुरा	,,	—	—	4	4	—	—	—	4	14100	4700
158.	संग्रामपुरा	चेनपुरा	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—
159.	मोट्का	तुर्किया	—	—		1	—	—	—	—	—	—
		योग...	643	685	599	1927	402160		133949	254	757290	252428

आइटम नं. 1

आई० आर० डी० की पंचायत समिति, अलीगढ़ की ग्रामवार प्रगति

क्र.सं.	ग्राम	ग्राम पंचायत	चयनित व्यक्ति				लाभान्वित					
			1981–82	1982–83	1983–84	योग	1981–82			1982–83		
							संख्या	अनुदान	ऋण	संख्या	अनुदान	ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	खोहल्या	खोहल्या	7	14	14	35	–	–	–	1	2750	2750
2.	देवरी	,,	7	5	1	13	4	5700	6700	2	4191	5859
3.	मण्डालिया	,,	4	2	3	9	1	900	1800	–	–	–
4.	पाडली	हैदरीपुरा	3	6	6	15	2	4100	4100	–	2675	2675
5.	हैदरीपुरा	,,	5	3	2	10	5	6000	6000	3	5833	7367
6.	अमीनपुरा	,,	13	4	1	18	8	13435	13435	2	3750	3750
7.	मौलवीनगर	,,	–	5	5	10	–	–	–	1	1300	1300
8.	बराना	,,	8	10	2	20	6	72325	72325	6	12150	12150
9.	लसाडिया	,,	4	2	2	8	3	5950	5950	2	3300	3300
10.	सोलतपुरा	चौरू	2	5	8	15	1	750	1500	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	चौरू	चौरू	19	16	13	48	–	–	–	12	36000	36000
12.	ढोकोलिया	खेलिनिया	4	10	–	14	–	–	–	2	4900	4900
13.	गोविंदपुरा	,,	3	4	–	7	2	–	–	1	1125	1325
14.	खेलिनिया	,,	8	4	14	26	1	750	1500	1	1150	1150
15.	बाजोलिया	,,	3	11	–	14	2	2200	38	8	13328	13328
16.	चैनपुरा	,,	1	3	–	4	–	–	–	2	2300	2300
17.	उनियारी	पलाई	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–
18.	नाहरा	,,	–	4	3	7	–	–	–	2	2300	2300
19.	महाराजपुरा	,,	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–
20.	श्योपुरा	,,	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–
21.	पलाई	,,	16	6	10	32	–	–	–	4	4800	4800
22.	अलीगढ़	अलीगढ़	45	15	7	67	–	–	–	3	3500	14600
23.	ककोड़	ककोड़	13	15	8	36	–	–	–	4	4264	2300
24.	गुमानपुरा	,,	5	2	2	7	2	3600	3600	2	2300	7536
25.	श्योराजपुरा	,,	2	2	2	6	1	1400	1400	2	5050	5050
26.	रामगंज	,,	–	1	–	1	–	–	–	1	2400	2400
27.	फतेहगंज	रूपपुरा	7	7	5	19	5	6525	6525	2	2300	2300
28.	बून्दी	,,	2	5	–	7	–	–	–	–	–	–
29.	रूपपुर	,,	3	3	2	8	3	2026	10584	3	3450	3450

30. विजयपुरा	रूपपुरा	3	2	—	5	—	—	—	—	—	—
31. हुरदतपुरा	,,	3	3	5	11	2	2026	10584	1	2400	2400
32. पायगा	पायगा	6	7	6	19	2	3450	3450	2	3450	4400
33. झाली	,,	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—
34. छाग	,,	—	5	1	6	—	—	—	—	—	—
35. इस्लामनगर	,,	2	1	1	4	—	—	—	1	766	1534
36. गलवानिया	,,	5	4	3	12	—	—	—	1	1375	1375
37. नवाजपुरा	बिलोता	—	1	3	4	—	—	—	—	—	—
38. मासेलगांव	,,	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—
39. उसलाना	,,	5	4	3	12	—	—	—	3	700	700
40. बिलोता	,,	5	4	5	14	3	4500	5800	—	—	—
41. खेड़नीं	,,	9	2	2	13	3	4200	5600	1	1150	1150
42. ज्ञानपुरा	मोहगढ़	1	1	—	2	—	—	—	1	1150	1150
43. बिशनपुरा	,,	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—
44. तुम्बीपुरा	,,	—	2	—	2	—	—	—	1	2250	2250
45. रघुनाथपुरा	,,	3	1	1	5	—	—	—	—	—	—
46. मोहगढ़	,,	19	14	10	43	4	11450	11450	4	4600	4600
47. शोप	शोप	29	19	14	62	—	..	—	3	3450	3450
48. मोहम्मदपुरा	मोहम्मदपुरा	6	4	5	15	1	1166	2334	4	4600	4600
49. बिशनपुरा	,,	—	1	—	1	—	—	—	1	1125	1125
50. कोटड़ी	,,	2	2	—	4	—	—	—	2	2300	2300
51. रोशनपुरा	मोहेपुरा	1	1	3	5	1	2200	2200	1	1633	3266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52.	इब्राहिमगंज	मोहपुरा	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—
53.	नवाब गंज	,,	—	5	—	5	—	—	—	4	8000	16000
54.	मल्लापुरा	,,	—	1	5	6	—	—	—	—	—	—
55.	हमीरपुरा	,,	4	3	3	10	—	—	—	2	2300	2300
56.	आमली	,,	5	4	7	16	—	—	—	1	766	1534
57.	अमीरगंज	,,	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—
58.	रानीपुरा	रानीपुरा	2	4	4	10	2	2300	2300	4	5541	6309
59.	विजयगढ़	,,	2	7	4	13	2	3000	4000	1	2525	2525
60.	नोन्दपुरा	,,	1	1	2	4	—	—	—	1	2500	2500
61.	बिलामपुर	,,	1	6	8	15	1	2600	2600	4	7350	7350
62	सार्वनभादवा	,,	2	2	2	6	—	—	—	2	5000	5000
63.	श्रीनगर	,,	2	1	—	3	1	2400	2400	1	1150	1150
64.	सरदारपुरा	,,	2	1	—	3	—	—	—	1	1150	1150
65.	नया गांव	,,	1	2	—	3	—	—	—	—	—	—
66.	फिरोजपुरा	मण्डावरा	1	1	1	3	—	—	—	—	—	—
67.	मण्डावरा	,,	9	7	8	24	6	9275	9275	7	10550	10550
68.	पाटोली	,,	1	5	7	28	—	—	—	3	3450	3450
69.	अलीपुरा	,,	4	1	—	5	5	5400	5400	—	—	—
70.	बनेठा	बनेठा	37	32	20	89	29	51411	57279	13	15073	17009

71. बोसरिया	बोसरिया	7	4	7	18	2	2100	3500	2	2250	2250
72. बालापुरा	,,	8	3	3	14	5	7065	19335	–	–	–
73. भानपुरा	गोठडा	9	3	3	15	2	3200	3200	2	2250	2250
74. खेडा	,,	2	2	1	5	–	–	–	–	–	–
75. गोठड़ा	,,	15	13	10	38	1	600	1200	3	7200	7200
76. उदयपुरा	बालीथल	1	5	2	8	2	3775	3775	5	8325	1100
77. बामनिया	,,	3	2	3	8	–	–	–	–	–	–
78. डाबला	बालीथल	1	1	4	6	1	1600	3200	1	1650	1650
79. कुण्डिया	,,	5	2	5	12	–	–	–	–	–	–
80. बालीथल	,,	16	4	–	20	–	–	–	1	1150	1150
81. सम्रादतनगर	,,	1	1	3	5	–	–	–	–	–	–
82. गाडोली	खातोली	1	2	–	3	–	–	–	2	2250	2250
83. खातोली	,,	19	14	4	37	1	1900	1900	2	3400	4800
84. कुण्डेर	कुण्डेर	22	6	2	30	8	7809	16021	3	3250	4080
85. चितानी	,,	7	1	2	10	–	–	–	1	666	1833
86. बरूधन	,,	–	2	2	4	–	–	–	2	4000	4000
87. सुरेली	सुरेली	10	10	3	23	2	4080	5680	3	5550	5550
88. सँदरी	,,	3	2	2	7	2	2300	5400	1	1125	1125
89. ठिकरिया	,,	4	2	1	7	1	2400	2400	2	2250	2250
90. लक्ष्मीपुरा	कचरावता	3	2	1	6	–	–	–	2	4000	4000
91. रामपुरा	,,	5	1	–	6	–	–	–	1	1125	1125
92. भाकरवाड़ी	,,	2	2	1	5	–	–	–	2	2315	3680

278

(279)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93.	देवरी	कचरावता	3	2	—	5	—	—	—	2	2250	2250
94.	कचरावता	,,	23	7	3	33	—	—	—	5	8530	16370
95.	समरावता	,,	3	3	7	13	—	—	—	3	3450	3450
96.	रायपुरा	,,	10	3	2	15	—	—	—	1	1150	1150
97.	देवली	देवली	11	14	13	38	—	—	—	—	—	—
98.	कुम्हारिया	,,	1	1	1	3	—	—	—	—	—	—
99.	मुबारक नगर	,,	1	2	1	4	—	—	—	—	—	—
100.	महुआ	,,	10	4	4	4	—	—	—	—	—	—
101.	वजीर पुराना हरी	,,	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—
102.	झूण्डवा	झूण्डवा	10	7	5	22	—	5450	10350	3	3450	3450
103.	नोतिया	,,	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—
104.	ठीकरिया	,,	2	6	—	8	—	—	—	1	766	1534
105.	रोहित	,,	3	3	—	6	1	1125	1125	2	2300	2300
106.	उस्मानपुरा	,,	1	2	—	3	—	—	—	—	—	—
107.	रसूलपुरा	झूण्डवा	2	2	1	5	—	—	—	—	1150	1150
108.	बिनजारी	फुलेता	2	5	3	10	1	750	1500	2	2300	2300
109.	फुलेता	,,	24	13	10	47	5	5584	10901	3	3450	3450
110.	भोजपुरा	,,	2	2	2	6	1	1275	1275	1	2000	4000
111.	सड़ा	गूंथड़ा	3	3	—	6	—	—	—	—	—	—

112. महाराजकंवरपुरा	सूंथड़ा	1	1	3	5	1	1265	1265	–	–	–
113. सीतारामपुरा	,,	1	1	1	3	1	1333	2667	–	–	
114. हिगुनिया	,,	1	2	1	4	–	–	–	–	–	–
115. सूथडा	,,	14	13	12	39	10	9310	15962	–	–	–
116. संग्रामपुरा	रूपवास	6	6	1	13	–	–	–	–	–	–
117. गूदलिया	,,	2	1	2	5	–	650	3650	–	–	–
118. कल्याणपुरा	,,	3	5	2	10	3	2649	5101	1	1433	2866
119. नया गांव	,,	5	4	–	9	2	2116	3534	1	2400	2400
120. रूपवास	,,	8	4	3	15	2	3062	3812	2	2250	2250
121. रिजोंदा	पचाला	2	4	–	6	–	–	–	–	–	–
122. पचाला	,,	18	17	14	49	1	2450	2450	1	2400	2400
123. सुभानपुरा	भूण्डवा	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
124. गणेती की नाडी	कचरावता	–	–	1	1						
125. याकूबपुरा	मोह.गढ	–	–	1	1						
126. सैंदरी	मो.पुरा	–	–	2	2						
127. पाडल्याचारण	पायगा	–	–	1	1						
128. हासालाई	ककोड	–	–	4	4						
129. लसाडिया	हैदरीपुरा	–	–	1	1						
130. हैदरीपुरा	,,	–	–	1	1						
131. रहीमनगर	मो.पुरा	2	–	–	2	1575	2200	–	–	–	–
132. शाहदपुरा खुर्द	,,	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–
133. नजीरपुरा	,,	1	–	2	3	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
134.	खतीला	मो.गढ	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
135.	मनोहर पुरा	पायगा	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—
136.	अनवरनगर	,,	4	—	—	4	1	1600	3200	—	—	—
137.	रामनगर	,,	1	—	1	1	2	—	—	—	—	—
138.	[illegible]पुरा	रूपपुरा	1	—	—		—	—	—	—	—	—
139.	रघुनाथपुरा	,,	1	—	—		—	—	—	—	—	—
140.	रामनगर	रूपपुरा	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—
141.	किशनगंज	,,	3	—	—	3	1	2000	2000	—	—	—
142.	रमजानगंज	,,	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
143.	गुमानगंज	ककोड	1	—	1	2	2	1400	1400	—	—	—
144.	सरदारपुरा	,,	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—
145.	रामपुरा	,,	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
146.	रहमाननगर	चौरू	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
147.	अलीमनगर	हैदरीपुरा	3	—	2	5	3	3825	3825	—	—	—
148.	लक्ष्मीपुरा	खोहल्या	1	—	—	1	1	1100	1100	—	—	—
149.	बडोदिया	,,	1	—	1	2	1	1500	1500			
150.	बिशनपुरा	पचाला	1	—	2	3	1	1900	1900	—	—	—
151.	पचाली	,,	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—
152.	कालीछोर	रूपवास	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—

153. रामनगर	मूंथडा	1	–	1	2	–	–	–	–	–	
154. रहमानपुरा	भूण्डवा	3	–	–	3	–	–	–	–	–	
155. सिरदोली	,,	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–
156. मोतीपुरा	,,	6	–	–	6	1	1600	1600	–	–	–
157. अहमदनगर	देवली	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–
158. गोविन्दपुरा	,,	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
159. महमूदनगर	,,	1	–	1	2	–	–	–	–	–	–
160. केरोद	कुण्डेर	3	–	1	4	3	3094	9022	–	–	–
161. गागाली	खतौली	3	–	4	7	–	–	–	–	–	–
162. पागडा	,,	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
163. दोवडिया	,,	4	–	1	5	–	–	–	–	–	–
164. खेडली	बोसरिया	4	–	4	8	4	4400	6700	–	–	–
165. अलीनगर	मण्डावरा	1	–	–	1	1	1125	1125	–	–	–
166. रघुनाथपुरा	रानीपुरा	2	–	1	3	–	–	–	–	–	–
167. देवपुरा	,,	1	–	–	1	1	2480	2480	–	–	–
168. विजयगढ़	,,	4	–	–	4	2	4960	4960	–	–	–
169. बालागढ़	ककोड़	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
	योग..	758	632	440	1830	202	239606	280779	190	345503	438306

आई. आर. डी. की पंचायत समिति मालपुरा की ग्रामवार प्रगति

क्र. सं.	नाम ग्राम	ग्राम पंचायत	चयनित व्यक्ति			लाभान्वित					
			1981-82	1982-83	1983-84	1981-82			1982-83		
						संख्या	ऋण	अनुदान	संख्या	ऋण	अनुदान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	तिलोजू	तिलोजू	16	17	7	–	–	–	15	42500	12750
2.	देवल्यापट्टी	मूजरान	1	–	3	–	–	–	1	2800	840
3.	भावलपुर	,,	2	4	3	–	–	–	–	–	–
4.	कलमण्डा	कलमण्डा	6	6	8	4	14700	4182	5	14250	4275
5.	भामला पुरोहितान	,,	3	2	1	–	–	–	2	3850	1155
6.	केरवालिया	,,	5	2	–	–	–	–	1	2800	840
7.	मालूनी	,,	2	2	–	–	–	–	–	–	–
8.	महाराजपुरा	,,	1	1	–	–	–	–	–	–	–
9.	श्रीगोपालपुरा	,,	1	–	–	–	–	–	–	–	–

10. जानकीपुरा	कल मण्डी	1	1	–	–	–	–	3	8100	2430
11. देवल	देवल	25	22	17	6	10050	3015	9	31200	9360
12. महादेवपुरा	,,	2	–	–	–	–	–	–	–	–
13. चावण्डिया	चावण्डिया	16	6	19	5	13100	4000	9	23600	7080
14. किरावल	,,	4	5	11	–	–	–	2	4800	1440
15. पीपल्या	,,	5	3	4	–	–	–	2	5650	1695
16. कुरथल	,,	2	2	2	–	–	–	–	–	–
17. श्रीरामपुरा	,,	3	–	–	–	–	–	–	–	–
18. द्वारकापुरी बूढी	,,	1	2	1	–	–	–	3	7000	2100
19. हरनोडा	,,	3	2	1	–	–	–	1	5200	1560
20. रामयता	,,	1	1	–	–	–	–	–	–	–
21. देशमा	देशमा	22	7	1	9	18900	5670	–	–	–
22. देशमी	,,	13	3	–	6	15350	5175	3	6900	2070
23. पीनणी	,,	5	3	–	–	–	–	–	6650	1695
24. श्योपुर	देशमा	4	–	–	1	2900	870	–	–	–
25. मलिकपुर	,,	8	4	1	1	2000	600	5	13300	3990
26. वाछेडा	,,	6	–	1	–	–	–	–	–	–
27. केरिया	,,	–	–	–	–	–	–	3	7800	2340
28. नगर	नगर	20	15	12	2	3500	1650	15	53400	16020
29. कुम्हारिया	,,	3	2	1	–	–	–	3	7900	2370
30. कुराड	कुराड	6	4	6	1	–	–	1	2800	840
31. श्याह	,,	9	–	5	–	–	–	4	12800	3840

284

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.	सोटवाडा	कुराड	1	–	1	–	–	–	1	2800	840
33.	सांस	,,	4	–	17	–	–	–	2	7500	2250
34.	थडी	,,	1	–	–	–	–	–	–	–	–
35.	लावा	लावा	29	38	42	2	43700	13110	23	84100	25230
36.	भाडली	झाडली	22	6	7	–	–	–	7	11200	3360
37.	लाम्या जुनारदार	,,	7	3	6	7	7800	2340	1	2500	750
38.	संग्रामपुरा	,,	2	–	–	–	–	–	1	2800	840
39.	फूलमालियान	,,	2	2	–	–	–	–	–	–	–
40.	[illegible]रनिया	,,	4	–	3	–	–	–	1	2800	840
41.	टोरडी	टोरडी	37	36	25	27	97000	2910	17	36900	11070
42.	कांटोली	कांटोली	26	13	15	1	2900	870	3	8700	2610
43.	ढीवरू	,,	–	8	4	–	–	–	3	3300	990
44.	डूंगरी कलां	डूंगरीकला	11	11	11	15	47760	14328	5	18750	5625
45.	डूंगरी खुर्द	,,	5	5	6	7	23300	6990	4	12200	3660
46.	घांटी	,,	5	6	4	1	2750	825	3	6680	2004
47.	नमूकिया	,,	2	2	2	3	5300	1590	3	5300	1590
48.	पारली	पारली	20	17	18	4	7500	2250	19	42050	12615
49.	भ्राखतडी	,,	9	–	–	1	1500	450	3	8300	2490
50.	सीतारामपुरा	सीतारामपुरा	–	4	2	9	–	–	–	–	–

51.	चोसना	सीतारामपुर	15	2	4	–	–	–	12	34650	10395
52.	गरखेड़ा	सीतारामपुरा	1	5	4	–	–	–	1	–	–
53.	अजमेरी	,,	9	3	2	–	–	–	1	2700	810
54.	आंटोली	आंटोली	12	15	8		–	–	15	70800	21240
55.	डेठानी	,,	6	3	2	–	–	–	–	–	–
56.	लडी	,,	4	2	3	–	–	–	–	–	–
57.	अडूस्या	,,	2	3	2	–	–	–	1	5250	1575
58.	वड़गांव	,,	1	–	1		–	–	1	2640	792
59.	सुवादियाडी	,,	2	–	–		–	–	8	7400	2220
60.	कुहाडा	,,	1	2	2		–	–	2	5500	1650
61.	लाम्बा हरिसिंह	लाम्बा हरिसिंह	27	22	23	11	31750	0525	20	91250	27375
62.	गुलगांव	,,	4	–	3		–	–	1	2750	825
63.	आमलीचारनान	,,	–	–	3		–	–	6	14600	4380
64.	सोडा	सोडा	26	20	13	10	30250	9075	13	46100	13830
65.	इन्दोली	इन्दोली	13	–	2	1	2700	840	–	–	–
66.	हिण्डोला	,,	5	–	7	1	2800	840	–	–	–
67.	तांत्या	,,	14	–	5	5	–	–	3	8300	2490
68.	कडीला	कडीला	11	13	6	7	20900	6270	7	27000	8100
69.	छवराना	,,	11	8	5	8	–	–	2	5750	1725
70.	गुरूदगालपुरा	,,	5	4	5	–	–	–	6	18500	5550
71.	भगवानपुरा	,,	1	3	5	2	5200	1560	1	5450	1635
72.	कुटका	,,	3	4	2	–	–	–	2	12200	13660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73.	घासीपुरा	कडीला	—	—	2	—	—	—	—	—	—
74.	रीण्डल्या	रीण्डल्या	4	6	4	—	—	—	9	34600	10380
75.	पीपून	,,	3	3	—	—	—	—	4	20900	6270
76.	मुंडेती	,,	—	2	1	—	—	—	1	2900	870
77.	सालीलाखापुरा	,,	—	—	1	—	—	—	—	—	—
78.	कल्याणपुरा	,,	2	1	1	—	—	—	—	—	—
79.	गोलीपुरा	,,	2	3	1	—	—	—	—	—	—
80.	खेड़ा मलूकानगर	,,	8	—	—	—	—	—	—	—	—
81.	तितरिया	रीण्डल्या	3	3	1	—	—	—	—	—	—
82.	घाणोता	,,	2	2	2	—	—	—	—	—	—
83.	रूपाहेल	,,	1	5	3	1	1000	300	1	1100	330
84.	मोरला	मोरला	19	9	25	7	21150	6345	—	—	—
85.	बाराडी	,,	5	—	2	1	1000	300	—	—	—
86.	रामपुराबास	,,	—	1	—	—	—	—	1	1300	390
87.	गणेशपुरा	,,	—	2	1	—	—	2977	—	—	—
88.	चैनपुरा	चैनपुरा	9	5	1	4	10300	3090	—	—	—
89.	अरनिया बस्ती	,,	6	2	7	2	8100	2430	7	37250	11175
90.	ढेचवास	,,	4	1	2	—	—	—	—	—	—
91.	धोली	धोली	5	—	4	3	8100	2430	—	—	—

92. ढोला का खेड़ा	धोली	7	2	–	–	16	–	1	2500	750
93. ग्रामली सूखा	,,	1	–	–	–	–	–	–	–	–
94. भीपुर	,,	9	11	9	4	77600	3480	12	36256	10875
95. जयसिंहपुरा	,,	1	–	–	1	500	150	–	–	–
96. कल्याणपुरा	,,	–	–	–	–	–	–	–	–	–
97. राजपुरा	राजपुरा	8	12	11	2	3200	960	2	11600	3480
98. हाथगी	,,	14	7	2	1	1500	450	8	28250	8475
99. सदरपुरा	,,	5	4	2	2	5600	1680	1	1800	540
100. श्री बृजलालनगर	,,	3	–	2	–	–	–	–	–	–
101. पचेवर	पचेवर	36	23	17	19	32900	9870	14	32200	9660
102. गुलाबपुरा पचेवर	,,	4	–	1	–	–	–	–	–	–
103. सूरसागर पचेवर	,,	3	–	–	–	–	–	–	–	–
104. बनेडिया पचेवर	पचेवर	–	–	1	–	–	–	–	–	–
105. कचोलिया	कचोलिया	12	8	2	2	2200	660	–	–	–
106. सिन्दोलिया	,,	11	6	–	–	–	–	4	9350	2805
107. आवडा	आवडा	7	9	7				7	24900	7470
108. डोरिया	,,	3	5	7	–	–	–	7	18950	5685
109. तुन्देडा	,,	6	1	3	–	–	–	6	16600	4980

२८९

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110.	सीतापुरा	ग्रावड़ा	1	4	—	—	—	—	4	13800	4140
111.	चांदसेन	चाँदसेन	7	27	56	6	10700	3210	33	88356	26505
112.	डिग्गी	डिग्गी	61	41	30	13	32050	9615	20	51100	15330
113.	गनवर	गनवर	12	21	1				4	10250	3075
114.	बरोल	,,	7	7	5	—	—	—	2	10250	3075
115.	चापड़ून्दा	,,	6	5	—				—	—	—
116.	बीलेड़ा	लाम्बा हरिसिंह	—	2	—				2	4800	1547
117.	ग्रम्बापुरा	टोरड़ी	—	—	—	—	—	—	1	1100	330
		योग :	862	617	582	223	590150	177045	438	1139370	408733

विधान सभा अतारांकित प्रश्न—938

आई. आर. डी. योजनान्तर्गत चयनित परिवारों की पं. स. देवली की ग्रामवार प्रगति

क्र. सं.	नाम ग्राम	ग्राम पंचायत	चयनित व्यक्ति संख्या 1981-82	चयनित व्यक्ति संख्या 1982-83	चयनित व्यक्ति संख्या 1983-84	लाभान्वित व्यक्ति संख्या 1981-82 संख्या	1981-82 ऋण राशि	1981-82 अनुदान	1982-83 संख्या	1982-83 ऋण राशि	1982-83 अनुदान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आकोडिया	चंदवाड	15	6	1	–	–	–	–	–	–
2.	लक्ष्मीपुरा	"	4	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	रंगविलास	"	4	–	–	–	–	–	1	2900.00	1450.00
4	ठोकरियां	"	16	2	–	–	–	–	1	3000.00	–
5.	आवा	आवा	18	20	13	–	–	–	3	7175.00	1925.00
6.	पोल्याडा	संथली	7	2	–	–	–	–	5	16109.00	1564.00
7.	संथली	"	7	12	7	–	–	–	10	5389.00	4561.00
8.	नया गांव गोठड़ा	टोकरावास	7	6	–	1	900.00	900.00	3	2925.00	2925.00
9.	छाताढाणी	सांवतगढ़	1	–	–	–	–	–	–	–	–
		"	4	1	–	–	–	–	1	5900.00	3011.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	सेंध्यावास	सांवतगढ़	6	6	–	–	–	–	4	11300.00	4415.00
12.	सांवतगढ़	,,	7	8	8	–	–	–	4	9350.00	2880.00
13.	जूनियां	जूनियां	7	12	2	2	2900.00	1400.00	–	–	–
14.	सरोली	,,	9	13	7	–	–	–	–	–	–
15.	जलसीना	,,	7	7	–	–	–	–	–	–	–
16.	पड़ोली	कनवाड़ा	5	9	–	–	–	–	–	–	–
17.	वडाका	बोजवाड	1	10	4	–	–	–	–	–	–
18.	कुन्डेडा	कासीर	7	6	–	–	–	–	–	–	–
19.	काशीर	,,	10	10	–	–	–	–	1	3400.00	3400.00
20.	इन्द्रपुरा	कासीर	10	10	–	–	–	–	3	5100.00	2601.00
21.	देवपुरा	कासीर	7	7	–	–	–	–	7	21519.00	10530.00
22.	दूदावास	,,	8	8	–	–	–	–	4	13800.00	6234.00
23.	झोवाड़ा	,,	3	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	छातेड़ी	,,	2	1	–	–	–	–	1	3300.00	1683.00
25.	बालागढ़	गुराई	7	9	–	1	2520.00	520.00	–	–	–
26.	जालोमगंज	,,	3	–	–	2	5450.00	1978.00	–	–	–
27.	सीरंगपुरा	,,	6	–	–	–	–	–	5	18031.00	7721.00
28.	गोरधनपुरा	,,	3	1	–	–	–	–	3	6000.00	333.00
29.	गुराई	गुराई	7	–	–	1	2500.00	1275.00	–	–	–

30. संग्रामपुरा	गुराई	7	—	—	5	13450.00	5768.00	1	2700.00	927.00
31. जैल	गुराई	7	—	—	—	—	—	3	6250.00	2572.50
32. पनवाड़	पनवाड़	14	10	4	—	—	—	1	664.00	336.00
33. बालुन्दा	बालुन्दां	7	10	12	1	1540.00	460.00	8	16900.00	16900.00
34. सतवाड़ा	बालुन्दां	7	8	—	—	—	—	—	—	—
35. स्यावता	,,	4	—	—	—	—	—	—	—	—
36. कलन्दरपुरा	बुवाकलां	1	—	—	—	—	—	—	—	—
37. किशनपुरा	,,	2	—	—	—	—	—	1	1515.75	1515.75
38. इकबालगंज	,,	3	—	—	—	—	—	—	—	—
39. हड़ौती	,,	7	—	—	—	—	—	3	5231.50	5231.50
40. इन्दोदा	,,	7	4	—	—	—	—	1	776.00	224.00
41. धुंवाकला	,,	15	9	9	5	4036.00	964.00	6	10235.50	5046.00
42. थली	हिसामपुर	4	6	—	—	—	—	2	11800.00	3680.00
43. रुघनाथपुरा	,,	4	1	—	—	—	—	—	—	—
44. तितरियां	,,	3	7	—	—	—	—	2	11750.00	3172.00
45. नयागांव	,,	5	—	—	—	—	—	—	—	—
46. हिसामपुर	,,	8	7	2	—	—	—	6	34950.00	15107.00
47. सरदारपुरा	राजकोट	7	5	—	—	—	—	—	—	—
48. नगर	नगर	18	35	6	6	5400.00	1377.00	12	30528.00	8008.00
49. नासिरदा	नासिरदा	21	38	18	2	700.00	292.00	—	—	—
50. बड़ोली	कनवाड़ा	7	9	—	—	—	—	—	—	—
51. कनवाड़ा	,,	9	13	9	—	—	—	5	7359.00	5551.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.	रामपुरा	कनवाड़ा	3	2	—	—	—	—	—	—	—
53.	चकग्रानंदपुरा	,,	1	—	—	—	—	—	—	—	—
54.	बिजवाड़	बिजवाड़	9	12	20	—	—	—	3	11610.00	4405.00
55.	भानपुरा	,,	8	—	—	—	—	—	—	—	—
56.	शिरनियां	बिजवाड़	4	4	—	—	—	—	—	—	—
57.	जगन्नाथपुरा	चारनेट	1	—	—	—	—	—	—	—	—
58.	हरिपुरा	,,	1	3	—	—	—	—	1	2900.00	754.00
59.	महाराजकुंवरपुरा	,,	8	7	—	2	2900.00	1478.00	1	2650.00	754.00
60.	वहलड़ो	,,	3	3	—	2	5100.00	1326.00	—	—	—
61.	फूलसागर	,,	5	—	—	1	1700.00	927.00	—	—	—
62.	गेरोली	,,	2	—	—	2	9300.00	3573.00	—	—	—
63.	स्यालानुखपुरा	,,	5	1	2	3	7700.00	3927.00	—	—	—
64.	डूनी	डूनी	37	28	22	4	4475.00	595.00	5	4867.00	1883.00
65.	भरनी	गेरोली	1	1	—	—	—	—	—	—	—
66.	बासडगारियां	गेरोली	4	—	—	—	—	—	—	—	—
67.	नयागांव	,,	6	—	—	—	—	—	—	—	—
68.	गेरोती	,,	7	9	5	1	500.00	500.00	2	3288.00	2011.00
69.	मुगलाना	,,	5	12	—	—	—	—	4	8676.00	8676.00
70.	बासखेड़िया	,,	1	3	—	1	2000.00	—	2	715.00	505.00

71. बिमलपुर	बिसलपुर	7	16	12	–	–	–	–	–	–
72. खवासपुरा	सीतापुर	11	6	–	–	–	–	–	–	–
73. गैरोला	सीतापुरा	3	2	–	–	–	–	–	–	–
74. विशनपुरा	चांदली	1	4	–	–	–	–	–	–	–
75. चांदली	चांदली	7	10	10	–	–	–	3	4750.00	3238.00
76. राजमहल	राजमहल	28	9	27	2	1800.00	617.00	7	14561.00	7270.00
77. केदारा	चारनेट	4	–	–	2	5400.00	2754.00	–	–	–
78. राजकोट	राजकोट	3	10	3	–	–	–	4	6050.00	6050.00
79. गोपालपुरा	राजकोट	1	–	–	–	–	–	–	–	–
80. गैरोली	चारनेट	3	5	–	–	–	–	2	5500.00	293.00
81. रामसागर	चारनेट	3	3	1	1	2450.00	637.00	–	–	–
82. चारनेट	चारनेट	5	3	–	3	8250.00	3495.00	2	5500.00	2938.00
83. लक्ष्मीपुरा	राजकोट	3	1	–	–	–	–	–	–	–
84. सुजानपुरा	,,	7	4	–	–	–	–	9	11640.00	1906.00
85. बैनियां	राजकोट	4	2	–	–	–	–	1	995.00	190.00
86. बरथला	सांडला	2	–	–	–	–	–	–	–	–
87. वनेडियाखुर्द	सांडला	1	5	–	–	–	–	–	–	–
88. सांडला	सांडला	7	11	15	–	–	–	1	2750.00	1402.00
89. सरसड़ी	सांडला	2	2	–	–	–	–	–	–	–
90. डाबर कलां	सांडला	6	13	–	–	–	–	–	–	–
91. मालेड़ा	मालेड़ा	6	7	8	–	–	–	1	900.00	459.00
92. धुवाखुर्द	घाड़	2	–	–	1	1000.00	–	2	2775.00	1875.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93.	डाडून्दा	धाड़	1	—	—	—	—	—	—	—	—
94.	धाड़	,,	16	19	13	4	3775.00	1775.00	10	9000.00	5100.00
95.	सिरोही	गावड़ी	4	9	3	—	—	—	2	6100.00	2094.00
96.	भावता	गावड़ी	1	—	—	—	—	—	—	—	—
97.	गावड़ी	,,	4	10	8	—	—	—	6	14610.00	6947.00
98.	खोड़ागावड़ी	,,	1	5	—	—	—	—	—	—	—
99.	देवलीगांव	देवल गांव	9	26	19	—	—	—	—	—	—
100.	डाबरखुर्द	थावला	4	5	—	—	—	—	—	—	—
101.	दलवासा	,,	1	7	4	—	—	—	—	—	—
102.	थावला	,,	7	10	8	—	—	—	—	—	—
103.	सतवाड़ा	बथली	7	6	—	2	3700.00	1750.00	1	1800.00	510.00
104.	बथली	,,	12	13	9	3	7500.00	1000.00	12	10295.00	5605.00
105.	ग्रामली	देवड़ावास	1	5	—	—	—	—	1	3000.00	3000.00
106.	देवड़ा वास	,,	10	20	8	9	9712.00	5555.00	2	2114.00	1780.00
107.	रामथली	मालेछा	2	5	5	—	—	—	2	1800.00	932.0[illegible]
108.	जगत्या	देवड़ावास	3	—	—	—	—	—	—	—	—
109.	काकलवाडा	बिसलपुर	2	6	—	—	—	—	—	—	—
110.	रतनपुरा	,,	1	6	—	—	—	—	—	—	—
111.	खारोई	टोकरीवास	7	11	11	—	—	—	7	9475.00	8275.00

296

112. गुलाबपुरा	टोकरावास	2	—	—	—	—	—	1	1225.00	1225.00
113. टोकरावासबुदी	,,	7	1	—	—	—	—	3	3900.00	3900.00
114. टोकरावास उनियारा ,,		6	—	—	—	—	—	—	—	—
115. संग्रामपुरा	टोकरावास	—	6	—	—	—	—	—	—	—
116. ज्योतिपुरा	,,	—	4	—	—	—	—	2	2165.75	2165.75
117. चांदसीपुरा	,,	—	5	—	—	—	—	—	—	—
118. ग्राकोडिया	,,	—	3	—	—	—	—	—	—	—
119. ग्राकोडिया	संथली	—	3	—	—	—	—	2	2100.00	2100.00
120. घोघेली	,,	—	4	—	—	—	—	—	—	—
121. मुण्डिया	,,	—	5	—	—	—	—	1	1400.00	1400.00
122. रामपुरा	कनवाड़ा	—	2	—	—	—	—	—	—	—
123. भानोली	,,	—	2	—	1	532.00	468.00	—	—	—
124. शेरामपुरा	,,	—	2	—	—	—	—	—	—	—
125. ग्रलेकजेण्डरपुरा	हिसामपुर	—	1	—	—	—	—	—	—	—
126. कोठड़ा	चारनेट	—	5	—	1	2550.00	1301.00	—	—	—
127. जलेरी	देवडावास	—	6	—	—	—	—	—	—	—
128. ढाणीकुशलपुरा	राजमहल	—	5	—	—	—	—	—	—	—
129. देवीखेड़ा	राजमहल	—	8	—	—	—	—	5	12615.00	5036.00
130. ढिकोला	सीतापुरा	—	5	—	—	—	—	1	4000.00	2000.00
131. टोडाकागोठडा	,,	—	10	—	—	—	—	—	—	—
132. नयागांव	चांदली	—	5	—	—	—	—	1	2800.00	954.00
133 सारदडा	,,	—	10	—	—	—	—	—	—	—

(297)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134.	कल्याणपुरा	राजकोट	–	1	–	–	–	–	–	–	–
135.	रावता	गावड़ी	–	7	–	–	–	–	–	–	–
136.	निवारिया	निवारिया	–	10	–	–	–	–	5	13500.00	6432.00
137.	संग्रामपुरा	निवारिया	–	6	4	–	–	–	–	–	–
138.	कंवरपुरा	निवारिया	–	6	–	–	–	–	2	2675.00	2675.00
139.	बालापुरा	निवारिया	–	1	–	–	–	–	–	–	–
140.	श्रीनगर	निवारिया	–	1	–	–	–	–	–	–	–
141.	चन्दवाड़	चन्दवाड़ा	–	4	–	–	4160.00	340.00	2	2775.00	2775.00
142.	आकोडिया	संथली	–	7	–	–	2380.00	680.00	2	2100.00	2100.00
143.	विजयगढ़	बंथली	–	2	–	–	–	–	1	1650.00	1650.00
144.	गांधीग्राम	गांधीग्राम	–	1	–	–	–	–	1	2400.00	600.00
145.	कंवरावास	देवड़ावास	–	1	–	–		–	1	2700.00	2700.00
146.	रूपारेल	खेवड़ी	–	1	–	–	–	–	1	3500.00	1885.00
147.	कांकोड़िया	गांवड़ी	–	1	–	–	–	–	1	3500.50	1885.00
148.	नेगड़ियां	कासोर	–	5	–	–	–	–	1	1000.00	343.00
149.	रुघनाथपुरा	गावड़ी	–	7	–	–	–	–	3	13000.00	5375.00
150.	मानपुरा	बिजवाड़	–	8	–	–	–	–	2	6650.00	3340.00
151.	बोरड़ा	कासोर	–	2	–	–	–	–	1	2652.00	1326.00
		योग..	713	821	326	77	125220.00	47632.00	239	506486.25	247702.50

आई०आर०डी० की पंचायत समिति टोडारायसिंह की ग्रामवार प्रगति

नाम ग्राम	ग्राम पंचायत	चयनित व्यक्ति			लाभान्वित					
					1981-82			1982-83		
		1981-82	1982-83	1983-84	संख्या	ऋण	अनुदान	संख्या	ऋण	अनुदान
1	2	3	4	3	6	7	8	9	10	11
पंवालिया	पंवालिया	2	37	11	1	1865	935	34	65675	25000
भावता	भावता	8	1	8	–	–	–	–	–	–
पथराजकला	,,	15	1	–	–	–	–	4	4200	4200
पथराज खुर्द	,,	2	9	4	3	5500	2700	2	3500	1750
दावडदूम्बा	दावडदूम्बा	17	14	–	2	3920	1680	7	13390	10490
टोपा	,,	2	1	–	–	–	–	2	3750	1780
सीतारामपुरा	,,	1	–	–	–	–	–	–	–	–
रामसिंहपुरा	,,	3	2	–	–	–	–	2	800	400
भासू	भासू	27	16	2	5	8380	4020	15	35380	21260
मोर	मोर	19	12	–	–	–	–	12	12780	6110

298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
बारेडा	मोर	2	—	1	—	—	—	—	—	—
इन्दूकिया	इन्दूकिया	6	6	1	—	—	—	—	4800	4800
कुहाडा खुर्द	,,	3	11	—	—	—	—	1	1910	640
हुरभगतपुरा	,,	3	1	—	—	—	—	1	1350	1350
नयावास	,,	1	—	—	—	—	—	—	—	—
सुखनिवासपुरा	,,	3	1	—	—	—	—	2	3540	1460
लाम्बाकला	लाम्बाकला	13	36	6	3	5600	2800	25	40820	21460
रतवाड़ा	,,	1	1	1	—	—	—	—	—	—
गेंदिया	,,	9	13	6	—	—	—	—	24490	18130
बनेडिया	,,	4	4	—	—	—	—	1	1400	1400
मन्डा	अलियारी	9	9	—	12	23170	9940	6	12150	8850
बाहेडा	अलियारी	3	3	1	6	11515	4935	1	3000	3000
मोतीपुरा	,,	2	1	1	—	—	—	—	—	—
अलियारी	,,	9	14	2	9	17705	7554	5	8494	4555
लक्ष्मीपुरा	,,									
बासेडा	बासेडा	12	12	4	19	29455	12615	8	10825	8875
गणेशगंज	,,	3	1	—	2	3850	1650	1	1350	1350
सोनवा	,,	1	—	—	—	—	—	1	5890	—
सांडला	,,	3	1	3	1	3030	1470	1	300	150

गोपालपुरा	बापेड़ा	7	—	1	2	4800	2400	—	—	—
माधोगढ़	"	1	5	1	4	6965	2985	5	8400	5200
रलावता	बस्सी	1	—	—	—	—	—	—	—	—
टाटा	"	6	—	—	—	—	—	—	—	—
सांगावास	"	4	—	—	—	—	—	1	2750	2750
बगड़ी	"	2	—	—	—	—	—	—	—	—
गोलेड़ा	"	2	—	—	—	—	—	—	—	—
गोविन्दपुरा	बुस्सी	2	—	3	—	—	—	—	—	—
काकलवाड़	"	3	2	—	—	—	—	1	6375	2125
भम्बापुरा	"	1	—	—	—	—	—	—	—	—
वरसा	"	2	2	6	—	—	—	3	1350	450
रामसिंहपुरा	बरवास	4	1	—	—	—	—	—	—	—
बरवास	"	25	6	8	4	9240	3960	9	18145	10755
मैकमाबाद	"	3	5	2	—	—	—	—	6885	4115
म्यारिया	"	3	—	3	2	3815	1635	—	—	—
चूलो	"	2	2	—	—	—	—	—	—	—
झाण	"	2	11	2	15	29295	12555	2	3015	2085
खरेड़ा	खरेड़ा	22	45	10	17	33810	14490	41	93955	79290
जेथल्या	"	1	5	—	—	—	—	2	2650	2650
सेतवास	"	1	4	—	—	—	—	3	4865	3085
राघावल्लभपुरा	मोरभाटियान	9	—	1	2	3850	1650	—	—	—
मोडियाला	"	6	4	4	4	3020	1600	1	2400	2400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ढोवरू	मोरमाहियान	1	—	—	5	1700	3300	2	7000	7000
मोरभाटियान	,,	2	15	—	13	26040	11160	1	300	150
मोरडा	,,	2	—	—	—	—	—	—	—	—
गणेती	,,	12	31	7	18	36575	15675	19	58615	32435
बोटून्दा	बोटून्दा	18	38	—	1	1865	935	15	8375	7125
गणेशगंज	गणेती	2	—	—	—	—	—	—	—	—
गणेता	,,	3	4	—	—	—	—	2	5735	5735
बिनोलाव	,,	3	7	—	—	—	—	5	13140	8485
चन्दपुरा	बोटुन्दा	2	—	—	—	—	—	2	3500	2100
बाबोड्या चारनान	,,	3	—	—	—	—	—	—	—	—
रामपुरा	,,	7	—	—	2	3885	1665	—	—	—
मोन्दोलाई	मोन्दोलाई	12	4	—	—	—	5745	—	—	—
खेजडों का बास	,,	8	1	—	6	13415	—	—	—	—
रमशपुरा	,,	1	1	—	1	1800	900	—	—	—
भटेडा	थडोली	7	8	6	1	1925	825	6	12630	1220
कुहाडाबुजुर्ग	कुहाडाबुजुर्ग	10	—	—	—	—	—	—	—	—
लाम्बाखुर्द	,,	8	—	1	—	—	—	—	—	—
उनियारा खुर्द	उनियाराखुर्द	24	9	12	15	28875	12375	—	—	—
कोटडी	,,	—	—	—	—	—	—	—	—	—

दतोब	दतोब	25	27	5	5	10570	4530	5	7775	5275
बूकड	लक्ष्मीपुरा	11	11	9	2	3885	1665	7	11140	6510
मेहूल्यांकलां	लक्ष्मीपुरा	2	4	0	0	–	–	5	6750	6750
लक्ष्मीपुरा	,,	0	3	–	5	9695	4155	2	3790	1560
रलाई	,,	1	1	–	6	11550	5250	9	14465	9185
मेय	,,	2	3	–	–	–	–	–		–
सेहूल्या खुर्द	,,	1	3	–	2	3815	1635	–	–	–
सिनोडिया	मुडियाकलां	3	24	–	–	–	–	16	47120	47120
निमेडा	,,	5	8	4	–	–	–	–	3445	3195
नारेडा	,,	5	6	4	1	3325	1425	2	6250	2750
दयालपुरा	,,	1	–	–	–	–	–	–	–	–
मुण्डिया	मुण्डियाकलां	21	20	4	4	9625	4125	5	13400	2250
मेहरू	मेहरू	26	11	10	11	20595	9755	12	44125	25250
सवारिया	सवारिया	24	33	7	–	–	–	–	3850	3850
पन्द्राहेडा	रीडल्या	15	5	11	12	24010	10290	1	300	150
बनकाबालेड़ा	,,	4	4	3	5	9555	4095	–	–	–
रोडल्या	,,	24	48	7	8	15610	6690	–	–	–
हमीरपुर	हमीरपुर	21	48	13	–	–	–	13	18120	7780
बावडी	बावड़ी	–	43	17	3	6860	2940	27	44760	30000
शादायत	इन्दोकिया	–	1	–	–	–	–	1	3135	1565
इस्लामपुरा	बरवास	–	1	1	–	–	–	–	–	–
लक्ष्मीपुरा	,,	–	2	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
पाकापुरा	बस्सी	–	1	1	–	–	–	–	–	–
मागोली	मागोली	–	16	–	–	–	–	5	14060	6976
कल्याणपुरा	गसोतो	3	3	1	2	3850	3850	1	1990	660
कुहाडाबुजुर्ग	कुहाडाबुजुर्ग	–	–	2	–	–	–	–	–	–
बाउसदा	इन्दोकिया	–	–	1	–	–	–	–	–	–
रामनगर	बस्सी	–	–	4	–	–	–	–	–	–
केरली	बासेड़ा	–	4	–	–	–	–	1	2290	760
थेडोली	थेडोली	15	11	4	13	25095	10755	7	14575	8875
वासवतरा	,,	–	2	–	–	–	–	1	1840	810
	योग .	573	718	232	250	5,24,48[illegible]	213180	395	7,40,880	4,58,930

परिशिष्ट 23

अतारांकित प्रश्न संख्या 114 की सूची

(रुपये लाखों में)

क्र.सं- जिले का नाम	वर्ष 81-82		वर्ष 82-83		कुल योग 81-82 एवं 82-83	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1. श्री गंगानगर	—	—	13	0.03	13	0.03
2. उदयपुर	321	1.23	518	2.00	839	3.23
3. जयपुर	—	1.22	—	2.26	—	3.48
4. बूंदी	—	—	268	1.69	268	1.69
5. सवाई माधोपुर	—	—	1364	8.70	1364	8.70
6. सिरोही	16	0.07	17	0.06	33	0.13
7. अलवर	290	2.73	162	1.98	452	4.71
8. नागौर	—	—	—	—	—	—
9. कोटा	205	2.24	548	6.01	753	8.25
10. सीकर	4	0.01	12	0.03	16	0.04
11. धौलपुर	—	—	—	—	—	—

304

1	2	3	4	5	6	7
12. अजमेर	–	0.08	–	0.64	–	0.72
13. बीकानेर (सम्मिलित वर्ष 81-82)	–	7.27	1994	3.16	1994	10.43
14. झुंझुनूं	7	0.02	15	0.04	22	0.06
15. झालावाड़	144	0.97	–	–	144	0.97
16. पाली (सम्मिलित वर्ष 81-82)	–	–	82	0.62	82	0.62
17. चित्तौड़गढ़	–	–	–	–	–	–
18. भीलवाड़ा	281	0.51	652	1.19	933	1.70
19. टौंक	49	0.40	28	0.28	77	0.68
20. जालौर	5	0.02	7	0.03	12	0.05
योग ..	1422	16.77	5680	28.72	7002	45.49